

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION No. 112/2024

IN THE MATTER OF:

CHAUDHARY YASHWANT SINGH

...APPLICANT

Versus

UNION OF INDIA & ORS

...RESPONDENTS

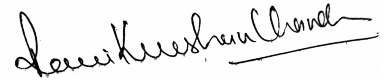
LIST OF DOCUMENTS

SL. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	<u>DOCUMENT A</u> RECALL / RESTORATION APPLICATION FILED BEFORE HON'BLE ALLAHABAD HIGH COURT ALONG WITH DOCUMENTS.	1-107
2.	<u>DOCUMENT B</u> CERTIFIED COPY OF ORDERS PASSED OF HON'BLE CIVIL JUDGE – S.D., MIRZAPUR	108-133
3.	<u>DOCUMENT C</u> COPY OF CONTEMPT PETITION FILED BY RESPONDENT NO 8 BEFORE HON'BLE CIVIL JUDGE – S.D., MIRZAPUR ALONG WITH DOCUMENTS	134-148
4.	<u>DOCUMENT D</u> CERTIFIED COPY OF ORDERS PASSED BY HON'BLE DISTRICT JUDGE, MIRZAPUR.	149-166
5.	<u>DOCUMENT E</u> COPY OF SECOND APPEAL FILED BEFORE HON'BLE ALLAHABAD HIGH COURT ALONG WITH DOCUMENTS.	167-369
6.	<u>DOCUMENT F</u> COPY OF WRITTEN SUBMISSIONS FILED BY RESPONDENT NO. 8 IN APPEAL UNDER SECTION 61-B (4) OF THE INDIAN FOREST ACT, 1927	370-394

	AGAINST JUDGMENT AND ORDER DATED 16.07.2024 PASSED IN CASE NO. 04/2024 BETWEEN REGIONAL FOREST OFFICER, CHUNAR RANGE VS. ACP TOLLWAYS	

NEW DELHI
DATED 26.05.2025

RESPONDENT NO 8
THROUGH



RAVI KRISHAN CHANDNA
CHAMBER NO 602, BLK – III,
DELHI HIGH COURT,
NEW DELHI 110003
9711752002 / 9711754002

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Civil Side
APPELLATE/ORIGINAL JURISDICTION

Dated Allahabad, the

14.9.04.

PRESENT: The Hon'ble Mr. Justice

S. N. SRIVASTAVA, J.

and Hon'ble Mr. Justice

CIVIL MISC. WRIT PETITION No. 191... OF 2004. of 200

Order on the application of Writ petition

In re: Sarswati Devi W/o Sri Birju, R/o Village Belkhara, District Mirzapur, Petitioner,
Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur. Appellant
..... petitioner/plaintiff.

1. State of U.P. through District Magistrate, Mirzapur. Respondent.

ORDER:

2. Forest Officer East Forest Range, Mirzapur.
3. Gaon Sabha Belkhara through, Gram Pradhan Belkhara, Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur. Respondents/Defendants.

DISTRICT: MIRZAPUR.

BY THE COURT

Learned counsel for petitioner states that petitioner does not want to lead any evidence in support of her plea of bar of Section 49 of U.P. Consolidation of Holdings Act.

Issue notice to opposite parties.

Three weeks' time is granted to learned Standing Counsel to file counter-affidavit. Two weeks' time thereafter is granted to learned counsel for petitioner to file rejoinder-affidavit. List thereafter.

For a period of two months from today, further proceeding in Suit No. 305 of 1987 Sarswati Devi Vs. State of U.P. shall remain stayed. Sd/-S.N. Srivastava.
Dt/-14.9.04.

N. Singh

Ex.

17.9.04
for Section Officer
Copying in Section
High Court, Allahabad

Court No. - 28

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru' D.M., & Others

Petitioner Counsel :- K.C. Pandey, S.S. Shukla

Respondent Counsel :- C.S.C., Anuj Kumar

Hon'ble Ran Vijai Singh, J.

On the joint request of learned counsel for the parties, list this case in the next cause list.

Order Date :- 21.10.2009

PKB

Court No. - 28

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru' D.M., & Others

Petitioner Counsel :- K.C. Pandey, S.S. Shukla

Respondent Counsel :- C.S.C., Anuj Kumar

Hon'ble Ran Vijai Singh, J.

As prayed by learned counsel for the petitioner, list in the next cause list.

Order Date :- 27.10.2009

VKM

Court No. - 28

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru/ D.M., & Others

Petitioner Counsel :- K.C. Pandey, S.S. Shukla

Respondent Counsel :- C.S.C., Anuj Kumar

Hon'ble Ran Vijai Singh, J.

On the request of Sri S.P. Singh learned standing counsel list this case in the next cause list to enable him to prepare the case.

Order Date :- 4.11.2009

Pratima

Court No. - 28

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru' D.M., & Others

Petitioner Counsel :- K.C. Pandey, S.S. Shukla

Respondent Counsel :- C.S.C., Anuj Kumar

Hon'ble Ran Vijai Singh, J.

As prayed by learned counsel for the petitioner list this case in the next cause list.

Order Date :- 10.11.2009

Pratima

Court No. - 28

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru' D.M., & Others

Petitioner Counsel :- K.C. Pandey, S.S. Shukla

Respondent Counsel :- C.S.C., Anuj Kumar

Hon'ble Ran Vijai Singh, J.

On the request of learned Standing Counsel for the respondent, list this case on 10.12.2009.

Order Date :- 19.11.2009

PKB

Court No. - 28

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru' D.M., & Others

Petitioner Counsel :- K.C. Pandey, S.S. Shukla

Respondent Counsel :- C.S.C., Anuj Kumar

Hon'ble Ran Vijai Singh, J.

Passed over on the request of learned standing counsel.

Order Date :- 10.12.2009

Pratima

Court No. - 28

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru' D.M., & Others

Petitioner Counsel :- K.C. Pandey, S.S. Shukla

Respondent Counsel :- C.S.C., Anuj Kumar

Hon'ble Ran Vijai Singh, J.

In the revised list, the case was dismissed for default. Before the order could be transcribed and signed, the mention was made on behalf of the petitioner for passing over the case.

Let the case be passed over.

Order Date :- 18.12.2009

Pratima

Court No. - 34

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru' D.M., & Others

Counsel for Petitioner :- K.C. Pandey, B. Lal, S.S. Shukla

Counsel for Respondent :- C.S.C., Anuj Kumar

Hon'ble Sudhir Agarwal, J.

1. Called in revised. None appeared to press this writ petition on behalf of the petitioner.
2. It appears that either the cause of action no more survives or the petitioner has lost interest in this matter or it has otherwise become infructuous and, probably for this reason, none is interested to have decided this matter on merits and that is why, counsel for petitioner is absent.
3. However, I myself have gone through the pleadings, grounds as also reliefs sought and find that petitioner is not able to make out a case so as to justify interference of this Court by granting reliefs, as prayed for.
4. In view of the above, the writ petition is dismissed.
5. Interim order, if any, stands vacated.

Order Date :- 3.3.2014

KA

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru' D.M., & Others

Counsel for Petitioner :- K.C. Pandey, B. Lal, S.S. Shukla

Counsel for Respondent :- C.S.C., Anuj Kumar

Hon'ble Sudhir Agarwal, J.

As prayed, list in the next cause list.

Order Date :- 1.4.2016

Pravin

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru D.M. And Others

Counsel for Petitioner :- K.C. Pandey,B. Lal,S.S. Shukla

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Anuj Kumar

Hon'ble Dr. Yogendra Kumar Srivastava,J.

Sri Dhiraj Srivastava, learned counsel for the applicant seeks an adjournment in order to take instructions and to get ready with the matter.

As prayed, list in the week commencing 6th December, 2021.

Order Date :- 15.11.2021

Pratima

(Dr.Y.K.Srivastava,J.)

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru D.M. And Others

Counsel for Petitioner :- K.C. Pandey,B. Lal,S.S. Shukla

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Anuj Kumar

Hon'ble Neeraj Tiwari,J.

Ref:-Civil Misc. Restoration/Recall Application No.120274 of 2014

This is an application for recalling the order dated 03.03.2014 dismissing the writ petition in default.

In view of the averments made in the affidavit filed in support of the application, the application is ***allowed***. The order dated 03.03.2014 is recalled and the writ petition is restored to its original number.

List on 16.09.2024 before the appropriate Bench.

Order Date :- 2.9.2024

AKT

Recall

685 81 C L

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Index

In

CIVIL MISC. RECALL/RESTORATION APPLICATION NO. OF 2014
(Under Section 151 of C.P.C.)

On behalf of

Saraswati Devi

----- Applicant

In

CIVIL MISC. WRIT PETITION No. 19144 of 2004
(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT- MIRZAPUR)

Saraswati Devi

----- Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents

Sl. No.	Particulars	Dates	An n	Pages
1.	Recall/Restoration Application			1-2
2.	Affidavit			3-7
3.	True copy of order passed by this Hon'ble Court.	3.3.2014	1	8

28
Dated. -- 03.2014

(B.Lal)

Advocate

Counsel for the petitioner:
Consultation Room no.3
High Court, Allahabad
Mob. 9415638982

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL MISC. RECALL/RESTORATION APPLICATION NO. OF 2014
(Under Section 151 of C.P.C.)

On behalf of

Saraswati Devi

----- Applicant

In

CIVIL MISC. WRIT PETITION No. 19144 of 2004
(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT- MIRZAPUR)

Saraswati Devi wife of Sri Birju,

R/o Village Belkhara, Pargana- Ahraura,

Tehsil- Chunar, District- Mirzapur.

----- Petitioner/Plaintiff

Versus

1. State of U.P. through District Magistrate,
Mirzapur.
2. Forest Officer, East Forest Range, Mirzapur.
3. Gaon Sabha Belkhara through Gram Pradhan,
Belkhara, Pargana Agraure, Tehsil Chunar, District
Mirzapur.

.....Respondents

To,

The Hon'ble the Chief Justice and his other
companion judges of the aforesaid court.The humble application of the above named
petitioner most respectfully sheweth as under:

1. That full facts and circumstances of the case have
been stated in the accompanying affidavit which
form part of this application.

2. That this application is being filed on ...3.2014 and same will be taken up on ...3.2014 before the Court.

P R A Y E R

It is therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow this application and recall the order dated 3.3.2014 passed by Hon'ble Mr. Justice Sudhir Agrawal J. in Civil Misc. Writ Petition no. 19144/2004 (Saraswati Devi vs. State of U.P. and others) and restore the same on its original number and as well as the interim stay order dated 14.09.2004 may be continue, and or pass such other and further order which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the facts and circumstances of the case.

Dated. -- ²⁸ 03.2014

(B.Lal)
Advocate
Counsel for the petitioner.
Consultation Room no.3
High Court, Allahabad
Mob. 9415638982

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. RECALL/RESTORATION APPLICATION NO. OF 2014
(Under Section 151 of C.P.C.)

On behalf of

Saraswati Devi

----- Applicant

In

CIVIL MISC. WRIT PETITION No. 19144 of 2004
(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT- MIRZAPUR)

Saraswati Devi

----- Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....Respondents

Affidavit of Ram Das, aged about
44 years, son of Late Dukhi, R/o
Village- Newariha, Tehsil Meja,
District Allahabad.

Religion- Hindu

Occupation- Advocate Clerk.

(DEPONENT)

I, the deponent named above do hereby solemnly affirm
on oath as under.

1. That the deponent is the clerk of the counsel for the petitioner in the above noted case, and is well acquainted with the facts of the case deposed to below. The I.D. proof of the deponent is attached with this affidavit.

2. That the petitioner filed a writ petition before this Hon'ble Court for quashing the order dated 7.8.2003 passed by Civil Judge (J.D.) Chunar , Mirzapur in suit no. 305/1987 and order dated 25.2.2004 passed by Special Appeal N.D.P.S. Act in Civil Section No. 33/2003.
3. That the aforesaid writ petition was listed on 3.3.2014 before court no. 34.
4. That due to some bonafide mistake from the clerk of counsel for the petitioner could not marked in daily cause list, therefore, the aforesaid case was no knowledge to the counsel for the petitioner.
5. That the case was listed in the cause list but could not be noticed/marked therefore, when the aforesaid case was called out in the revise list the counsel for the petitioner could not appear before the Hon'ble court consequently the Hon'ble Court was pleased to dismiss in default the aforesaid writ petition without hearing the counsel for the petitioner vide its order dated 3.3.2014. A true copy of order dated 3.3.2014 passed by this Hon'ble court is being filed herewith and marked as Annexure no. 1 to this affidavit.
6. That the petitioner for want the status of the case from his counsel, therefore the counsel was directed to his clerk for enquire the case,

therefore the clerk of counsel enquired the case and he found the of the case and the same was dismissed in default on 3.3.2014.

7. That thereafter came to know the aforesaid writ petition has been dismissed in default for none appeared to press this writ petition on behalf of petitioner.
8. That in view of aforesaid facts stated above, it is expedient in the interest of justice that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow this application recall the order dated 3.3.2014 passed by Hon'ble Mr. Justice Sudhir Agrawal J. in Civil Misc. Writ Petition no. 19144/2004 (Saraswati Devi vs. State of U.P. and others) and restore the same on its original number and as well as the interim stay order dated 14.09.2004 may be continue, and or pass such other and further order which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the facts and circumstances of the case.

I, the deponent above named do hereby solemnly verify that the contents of para no.1 of the affidavit and the contents of paragraph no.--1,2,3,4,6,7,8-----of the affidavit are true to my personal knowledge, the contents of para no.--5----- of the affidavit are based on records, and the contents of para no.-- ----- of the affidavit are based on legal

advice, which all I believe to be true that no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed in it.

So Help me God.

(Deponent)

I, B.Lal, Advocate, High Court, Allahabad do hereby solemnly declare that the person making this affidavit and alleging himself to be the same person is known to me personally and I am satisfied that he is the same person.

Advocate.

Solemnly affirmed before me on that day of ^{20th} March, 201~~3~~⁴ at about 10:10 am/pm by the deponent, who identified by the aforesaid advocate.

I have satisfied myself by examined the deponent that he understands the contents of this affidavit and who have explained to me in Hindi.

Oath Commissioner

Court No. - 34

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi

Respondent :- State Of U.P. Thru' D.M., & Others

Counsel for Petitioner :- K.C. Pandey, B. Lal, S.S. Shukla

Counsel for Respondent :- C.S.C., Anuj Kumar

Hon'ble Sudhir Agarwal, J.

1. Called in revised. None appeared to press this writ petition on behalf of the petitioner.
2. It appears that either the cause of action no more survives or the petitioner has lost interest in this matter or it has otherwise become infructuous and, probably for this reason, none is interested to have decided this matter on merits and that is why, counsel for petitioner is absent.
3. However, I myself have gone through the pleadings, grounds as also reliefs sought and find that petitioner is not able to make out a case so as to justify interference of this Court by granting reliefs, as prayed for.
4. In view of the above, the writ petition is dismissed.
5. Interim order, if any, stands vacated.

Order Date :- 3.3.2014

KA

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
पहचान पत्र
IDENTITY CARD

UP/88/268/88-1450

निर्वाचक का नाम : रामदास
Elector's Name : Ramdas
पिता/माता/पति का नाम : दुखी
Father's/Mother's/
Husband's Name : Dukhi
लिंग / Sex : पुरुष Male
1.1.1995 को आयु : 25
Age as on 1.1.1995

पिन : 19738
गाँव/मण्डला : नवदिया
तहसील : मेवा
जिला : इलाहाबाद
Address :
H.No. : 97a
Vill/Monalla : Navadhiya
Tehsil : Meva
Dist. : Allahabad

निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति
निर्वाचन क्षेत्र 268-करछना
Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 268-Karchana A.C.

स्थान : करछना
Place : Karchana
दिनांक
Date : 01/05/95

इस पत्र को विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत पहचान
पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
This card can be used as an Identity Card under
different Government Programmes.

रामदास विव

I DEZ

IN

CIVIL WISE. WRIT PETITION NO. 19144 OF 2004.

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT :: MIRZAPUR)

Saranti Deyl Petitioner.

Vs.

State of U.P. through,

District Magistrate,

Mirzapur, and others.....Respondents.

Sl.No.	Particulars	Dates	Annexures	pages
1.	List of Dates and Events.		<i>100081</i>	1-3
2.	STAY APPLICATION.		<i>16.8.15/04</i>	4-5
3.	Writ Petition.		<i>12.15.15</i>	6-15
4.	A true copy of the		<i>17.15.15</i>	16-21
5.	A True Copy of the Statement.		<i>17.15.15</i>	22-28
6.	A true copy of the amendment application and order, passed by C.O. <i>C.O. order</i>	<i>17.9.15</i>	<i>(346)</i>	<i>29-38</i>
7.	A true copy of the objection.		<i>(5)</i>	<i>34-35</i>
8.	A true copy of the trial court by order.	<i>5.8.1999</i>	<i>(6)</i>	<i>39-40</i>
9.	A true copy of the application.	<i>25.7.2003</i>	<i>(7)</i>	<i>41-42</i>
10.	A true copy of the objection.		<i>(8)</i>	<i>43-45</i>

11.	A true copy of the order.	7.8.2003	(9)	236-49
12.	A true copy of the order.	23.2.2004.	(10)	50-63
13.	A ^{photo} true copy of the Khatauni, and Khazana ^{in the} name of petitioner.		(11&12)	64-
14.	Appidavit.			
15.	Vakalatnama.			

(K. C. PANDEY)

ADVOCATE

COUNSEL FOR THE PETITIONER
CHAMBER NO. 11 HIGH COURT,
ALLD.

DATED: 12 / May, 2004.

DATES AND EVENTS

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. _____ OF 2004.

(DISTT: MIRZAPUR)

Saraswati Devi Petitioner.

Vs.

State of U.P. through,

District Magistrate,

Mirzapur, and others. Respondents.

Sl.	No.	Dates	Events

01.

- Pet own land
- Pass also
- filed OS 305/17

The petitioner filed suit No. 44 of 87 against the respondents stated there in that the petitioner is owner of the Araj 6.291/2, area 158 Bighas situated in village Belkhara and is in possession over the land in dispute prior to

Zamindari abolition & Khas Ghat.

02. 22.10.1968.

Forest dept. as
claiming acquisition

The respondent filed written statement and denied the contents of the plaint and it is further alleged that the land

in dispute has been acquired by the forest Department by notification

No. 23(2)-95/14Kha-67.

03. 10.9.65

The subsequent petitioner filed amendment application regarding to insert

*By 2A added w/
that Plaintiff
Settled dispute
with Forest*

a para 2-A in the plaint stated therein
that the dispute between the petitioner
and respondent forest department has
been settled and decided by consolidation
court during the consolidation
proceeding under section 9 of U.P.
consolidation of holding act hence the
respondent has no ^{right to} ~~high~~ make any
defence and barred by section 49 of
the U.P. Consolidation of holding Act.

04. - The respondent filed objection in the amendment application but the court concern after considering the facts and circumstances of the case allowed the amendment application and in pursuance of the order of the court concern as the amendment in the plaint incorporated.
05. 5-5-99. Initially the issues has been framed by trial Court by order, in which 9 issues framed.
06. 25.7.03. The subsequent petitioner moved an application No. 130-C before the trial court with the prayer that in light of amendment in the plaint and additional written statement an ^{additional} ~~advisorial~~ issue may be framed as whether defence of the defendant - it is barred by section 49 of the U.P.C.H. Act.
07. 7-8-2008. The Learned trial court rejected the application for framing the additional issue moved by

-3-

08. the petitioner vide order.

09. 25.2.04. The petitioner has preferred a civil revision no.33 of 2003 against the order. But the learned revisional court dismissed the revision and upheld the order of the trial court vide order. HENCE THIS WRIT PETITION.

Dt: 12 May, 2014.

(K.C.PANDEY)
ADVOCATE
COUNSEL FOR THE PETITIONER.
CHAMBER NO.11 HIGH COURT, ALLAHABAD .

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. _____ OF 2004.
(Under Section 151 of C.P.C.)

ON BEHALF OF

Saraswati Devi W/o Sri Birju,
R/o. Village-Belkhara,
pargana Ahraura,
Tehsil Chunar,
District- Mirzapur Applicant.

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. _____ OF 2004.
(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT MIRZAPUR)

Saraswati Devi W/o Sri Birju,
R/o. Village-Belkhara,
Pargana Ahraura,
Tehsil Chunar,
District- Mirzapur.....Petitioner.

Versus

Plaintiff

1. State of U.P. through,
District Magistrate,
Mirzapur.
2. Forest Officer east forest Range,
Mirzapur.
3. Gaon Sabha Belkhara through,
Gram Pradhan Belkhara,
pargana Ahraura,
Tehsil Chunar,
District- Mirzapur.

To,

..... Respondents. / defendants

The Hon'ble the Chief Justice and his other

Companion Judges of the aforesaid Court.

The Humble application of the abovenamed applicant

MOST RESPECTFULLY SHOWN AS UNDER:

1. That the full facts and circumstances of the case has already been assigned and disclosed in the accompanying writ petition and its annexure there in which from part of the present application.

P R A Y E R

It is there, Most Respectfully prayed that this Hon 'ble Court may graciously be pleased to stay the further proceeding of suit No. 305 of 1987 Saraswati Devi Vs. State of U.P. as Annexure- ^{during pendency of} writ petition before this Hon 'ble court.

And/or to pass such other and further order which this Hon 'ble court may deem-fit and proper under the circumstances of the case.

(K.C. PANDEY)

ADVOCATE

COUNSEL FOR THE PETITIONER-
APPLICANT.

Chamber No. 11 HIGH COURT
ALLAHABAD.

DATED: 12 May, 2004.

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. _____/OF 2004.

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT : MIRZAPUR)

Saraswati Devi W/o. Sri Birju,

R/o. Village-Belkhara,

Pargana Ahraura,

Tehsil Chunar,

District Mirzapur.....Petitioner. |

Versus

Plaintiff

1. State of U.P. through,

District Magistrate,

Mirzapur.

2. ✓ Forest Officer East forest Range,

Mirzapur.

3. Gaon Sabha Belkhara through,

Gram Pradhan Belkhara,

Pargana Ahraura,

Tehsil Chunar,

District-Mirzapur.

To,

... Respondents. / defendants

The Hon 'ble the Chief Justice and his other

Companion Judges of the aforesaid court.

The Humble Petition of the abovesaid Petitioner,

MOST RESPECTFULLY SHOWETH AS UNDER:

1. That this is the first writ petition against the order dated 23.2.2004 passed by the special judge M.D.P.C. Aet Mirzapur rejecting the revision No. 33 of 2003 and upheld the order dt. 7.8.2003 passed by the Civil Judge (Junior Revision) Chunar , District-Mirzapur in suit No. 305 of 1987.

2. That the petitioner has not received any event till now today.

3. That the brief facts and circumstances of the case petitioner filed Suit for permanent injunction against the respondent in which subsequent the petitioner filed application to frank a subsequent issue and that was rejected by the civil judge (Junior Revision) Chunar District Mirzapur and counter-claimed by the ^{revisional} ~~suit~~ Court.

4. That the petitioner filed suit No. 305 of 1987 against the respondents stated there in that the petitioner is owner of the Arazji No. 291/2 , Area 1581ghas situated in village Balghara and is in possession over the land in dispute prior to Zamindari abolition a true copy of the plaint is being filed herewith and marked as Annexure No. 1 to this writ petition.

5. That the respondent filed written statement

-2-

and denied the contents of the plaint and it is further alleged that the land in dispute has been acquired by the forest Department by notification no. 23(2)-95/12846-67 dt. 22.2.1968. A true copy of the written statement is being filed by respondent no. 2 and marked as Annexure No. 2 to this writ petition.

6. That the subsequent petitioner filed amendment application regarding to insert a para 8-A in the plaint stated therein that the dispute between the petitioner and respondent forest Department has been settled and decided by consolidation court during the consolidation proceeding under section 9 of U.P. consolidation of holding Act hence the respondent has no ^{right to} High, make any defence and barred by section 49 of the U.P. consolidation of holding Act. A true copy of the amendment application and order dt. 10.9.63 passed by C.O. herewith and marked as Annexure - 3 and 4 to this writ petition.

7. That the respondent filed objection in the amendment application but the court concern after considering the facts and circumstances of the case allowed the amendment application and in pursuance of the order of the court concern as the amendment in the plaint incorporated.

A true copy of the objection is being filed

-3-

herewith and marked as Annexure No. 5 to this writ petition.

8. That initially the issues has been framed by trial court by order dt. 5.3.1999 in which 9 issues framed .

A true copy of the issues being filed herewith and marked as Annexure No. 6 to this writ petition.

9. That the subsequent petitioner moved an application No. 130-C before the trial court with the prayer that in light of amendment in the plaint and ^{additional} additional written statement an additional issue may be framed as (whether defence of the defendant is barred by section 49- of the U.P.C.H. Act, ^{if} /It is , effect on the same .

A true copy of the application dated 23.7.25 is being herewith filed and marked as Annexure No. 7 to this writ petition.

10. That the respondent filed objection stated therein that the application of the petitioner is liable to be rejected and it is further stated as per provision of the section 4 and 20 of the Indian forest Act the proceeding of the U.P. consolidation not application.

A true copy of the objection is being filed here with and marked as Annexure No. 8 to this writ petition.

11. That the learned trial court rejected the application for freezing the additional issue as moved by the petitioner vide order dt. 7.8.2003.

A true copy of the order dated 7.8.2003 passed by the trial court is being filed here with and marked as Annexure No. 9 to this writ petition.

12. That the petitioner has preferred a civil revision No. 35 of 2003 against the order dated 7.8.2003 but the learned revisional court dismissed the revision and upheld the order of the trial court vide order dated 25.2.2004.

A true copy of the order dated 25.2.2004 passed by the revisional court is being filed herewith and marked as Annexure No. 10 to this writ petition.

13. That the petitioner's temporary injunction application has been allowed and respondent's appeal against the order of trial court has been dismissed on the basis of the prima facie balance of convenience and irreparable loss in favour of the petitioner.

14. That the courts below have committed error and illegality in rejecting the application for

-5-

framing an additional issue.

15. That the courts below has permitted to petitioner to add para 8-A in the plaint in which petitioner has specifically stated that a dispute between the parties has been decided by the consolidation court during the consolidation proceeding under section 9 of the U.P. Consolidation of holding Act and the respondent filed additional written statement and denied the contents of the same hence additional issue is necessary in aid of justice.

16. That the courts below has failed to consider the object and procedure of the court itself to frame the issue which is allowed in the case.

17. That the court below has rejected the application of the petitioner merely on the ground that the proceeding under consolidation scheme has been proceeded between the parties and it has been decided hence ^{it} it is barred by section 49 of U.P. C.M. Act ^{in respect of} upon ^{defence and plea taken by} the respondent/defendant then suit also may be barred under section 49 of U.P. consolidation holding Act, hence there is no need to frame the additional issue. The above said view of the court below is incorrect and illegal because it is settled law that incase of

.6.

ajunction suit there is no bar of section 49 of U.P. C.H. Act.

18. That the petitioner is in possession, his name record in revenue record hence even through the consolidation proceeding has been finalised the suit is not barred under section 49 of U.P. C.H. Act, but if the defendants take the plea of any further evidence in respect of ~~proof~~ ^{file} the ~~file~~ then the plea of defendant, shall be barred by section 49 of U.P. C.H. Act. A true copy of the Khatauni & Khasara in name of petitioner is being filed herewith and marked as Annexure No. 11 and 12 to this writ petition.

19. That stage of the suit is in evidence hence in case the proceeding of the suit is not stayed that the petitioner shall suffer irreparable loss.

20. That the petitioner has no other alternative and efficacious remedy the petitioner is invoking the extra ordinary Jurisdiction of this Hon 'ble court under Article 226 of the constitution of India inter alia following grounds.

GROUND S

- 1) Because, the courts below has committed error and illegality in rejecting the application for framing an additional issue.
- 11) Because, the courts below has permitted to

petitioner to add para 8-A in the plaint in which petitioner has specifically stated that a dispute between the parties has been decided by the consolidation court during the consolidation proceeding under section 9 of the U.P. Consolidation of Matters holding Act and the respondent filed additional written statement and denied the contents of the same hence additional issue is necessary in ends of justice.

iii) Because, the court below has failed to consider the object and procedure of the court it self to frame the issue which is allowed in all the case.

iv) Because, the court below has rejected the application of the petitioner merely on the ground that the proceeding under consolidation scheme has been proceeded between the parties and it has been decided hence it is barred by section 49 of U.P.C. H. Act upon the respondent/defendant then suit also may be barred under section 49 of U.P. consolidation holding Act, hence there is no need to frame the additional issue. The above said view of the court below is incorrect and illegal because, it is settled law that in case of injunction

suit there is no bar of section 49 of U.P.C.H. Act.

i) Because, the petitioner is in possession, his name is recorded in revenue record hence even through the consolidation proceeding has been finalised the suit not barred under section 49 of U.P.C.H. Act, but if the defendants take plea of any further evidence in respect of proof the ^{HK} file then the plea of defendant, shall be barred by section 49 U.P.C.H. Act.

vi) Because, stage of the suit is in evidence hence in case the proceeding of the suit is not stayed the petitioner shall suffer irreparable loss.

P R A Y E R

It is, therefore, Most Respectfully prayed that this Hon 'ble court may graciously be pleased to:-

- a) Issue a writ order or direction in nature of certiorari for quashing the order dt. 7-8-2003 ~~name~~ with passed by Civil Judge(J.D.) Chunar Mirzaput in suit No. 305/87 and order dt. 25.2.04 passed by Special appeal N.D.P.S. Act in Civil section no. 33/2003 filed herewith as Annexure No. 8 & 9.
- b) Issue a writ order of direction in nature of mandamus Commanding the court below to frame the additional issue as stated in application No. 130-C.

-9-

- c) Issue a writ order of direction which this Hon'ble court may deem fit and proper under the circumstances of the case.
- d) Award the cost of this writ petition to the petitioner ~~petitioners~~ against the respondents.

(K.C.PANDEY)

ADVOCATE

DT: 12 / May, 2004.COUNSEL FOR THE PETITIONER.
HIGH COURT CHAMBER NO.11
ALLD.

इन दि हाई कोर्ट आफ मुंबई स्ट. कालाबाद ।

पुनर्पत्रण ११ ।

इन

विधि मिस्त्रियस रिट विटिमा बन्ध-

आफ 2004

अन्वय - मिमपुर

श्रीमती सरस्वती देवी मिमपुर.

अन म

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार,

पु विभाधिकारी मिमपुर,

आदि रिस्पोंड

न्यायालय श्री मान मुक्ति मंडल,

मिमपुर ।

मुनं-395 आफ 1987-

श्री मती सरस्वती देवी,

अ.यु 48 पत्नी विष्णु साठ बेलहरा

परम अहरीरा लखील पुनार ,

जिला मिमपुर ।

अन म

1- श्रीमान अन अधिकारी मंडल,

पूर्व अन अमान मिमपुर।

2- उत्तर प्रदेश सरकार बजारे,

श्रीमान जिलाधिकारी मंडल,

मिमपुर ।

3- गाव सभा बेलहरा बजारे ग्राम प्रधान,

बेतखरा परमन अहरीरा तहतल,

पुन, रामजीपुर ।

वादिनी निम्न निवेदन करती है।

दफा-1 यह कि वादिनी नार जी नम्बर 271 दिहा रजद 115 दिगः

जिसे लोमन नारा बहल्य घ, व, ज, ब पर वादनी जमीन्दारी विनास के पूर्व
है बहल्य घ, व, ज, ब के कानिज फलस बारी जा रही है । और बराबर
अने हल बैल से जमेने जोत तो कर फल कास्त करती है।

दफा-2 यह कि माँके की रिशत लहने के लिये वादनी के साथ नारा
नम्बरी दिहा जा रहा है । जिसमें इस वादनी के मजदूर मजदूर जमीन के
बहल्य घ, व, ज, ब से दिखाया जा रहा है ।

दफा-3 यह कि वादिनी पूरी जमीन को बगरण सुरक्षा पत्थर के टुकड़ों
से पैलीम किया है अश्लोखों में भी हम वादनी का न म दर्ज हो चुका है लेकिन
आप पुरितव दोनय के कुछ कर्म री अनुचित काम उठाने की दुर्मायना से
हम वादनी के दुस्मनों के बहल्य घ में आकर वादनी की भूमि की नैयत
खीदने व बेड लगाने की धमकिया देने लगे जिसकी सिकायत कि और कुोत्साहित
किया हदनीयती से आप हम वादनी के मजदूर मजदूर गिराफियत में
दखलन दायी व स्तनदायी कर के बहल्य घ करना चाहते हैं ।

दफा-4 यह कि पुरितव दोनय हम वादनी का सन्ती पूर्ण कहना

रखते हैं और जल्द-से-जल्द यह सब करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और फिर कि 1-4-67 को आप के कर्मचारियों ने साफ-सुथरा कहा कि स्वयं से इन्हें के निर्देश पर हम तैयार रह रहे हैं। और धमकी भी दी।

दस्ता-5 यह कि प्रतिपक्षीयता का यह काम अवैध है। इसी भी किसी प्रकार का भी अधिकार हमें व फनी की जमीन इस्तेमाल करने में स्थावर इलाक़ों का अधिकार प्राप्त नहीं है।

दस्ता-6 यह कि प्रतिपक्षीयता अवैध है जबकि किसी भी स्थावर इलाक़ों का भी जमीन पर खाने खोदने व पेड़ लगाने पर अमादा है। और हम व फनी के कब्जा पर हमें दखल दानी दखल दानी करने में अमादा है इसीलिए आप लोगों के खिलाफ़ अदालत दिवानी में दाखल हुआ है इन्तज़ार है कि दावा दाखल करना अवैध है ही क्या है। क्योंकि बिना हुकूम अदालत के मान्यता नहीं।

दस्ता-7 यह कि बादली ने स्वयं से अपने अ सभी प्रतिपक्षीयता से सम्पर्क अस्थापित करके और क नुनी व और कानूनी कार्य करने व व अपने ही खिलाफ़ कि लेकिन वे म नने के लिए नहीं हुये कि उनके खिलाफ़ दिवानी में दावा अवैध है।

दस्ता-8 यह कि दावा दाखल करने के पूर्व प्रतिपक्षीयता के बयानों रजिस्ट्रारों के इस आग्रह की भी नोटिस दे दी थी कि कोई दावा नहीं

दिवा इन्को अधिक हो गया दावा दाखिल किया जा रहा है।

धारा-8 यह कि पक्षों के बीच दौरेमान पक्ष प्रविष्टा विवाद फलकर

अन्तिम तौर पर निर्णय व फाइनल हो चुका है ^{यह} बाद करणों बिना पर दुराध्य पूर्व
मजालिमत मदा लिखत प्रतिवादी कमूलन लेका है और डिफेन्स प्रतिवादी द्वारा
49 उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पूर्वतः जारी है क्योंकि निर्णय उच्च न्यायालय पर
वाप्यकारी है।

धारा-9 यह कि प्रतिवादीगण को विरुद्ध हुकुम हमतनाई दवासी का दावा न
दाखिल किया गया व उन्हें न रोका गया तो वे अपने पैरों देखा तो बाज नहीं आयेगे
और जिससे न हम दादनी की अर्जनीय ब्रति होगी और हम दादनी अपने मुख्यपान
अधिकार से वे घित हो जायेगे।

धारा-10 यह कि बिना मुखा लिखत ना लिख हाजा व तारीख जवदे शल वे लोग बजरिये
जवासी हम ^{दादनी} ~~जवासी~~ को जमान की जमान पर करने छोड़ने की हमी देने लगे

दिनांक 27-6-89 बादहु बतारील देने हमी खुकाम बेतखरा व अहरौरा का
बुकार बिना मोर जपुर को बैदा हुई व अदातत होबा को समायत का हक हासील है।

धारा-11 यह कि मा लिखत मुददायह अगरज समायत अदातत पादगस्त आराजी
की राजस्वअभिलेखों में निविस्त सलाना लगान 60/- रु के तीस गुना 1800 रुपये
निर्धारित किया जाता है और जमै 1/3 यानी 360 रु पर 44 रु न्याय मुक्त
बाबत दादली जहा किया जाता है।

धारा-12 दादनी निम्नलिखित प्रतिकारों को याचना करती है।

अ- यह कि बजरिये हुकुम हमतनाई दवासी प्रतिवादीगण को मना किया
जावे कि वे आराजी नं० 291 मोर रकबा 15 किमहा यह स्थ व उ व इ,
मुन्दरवा अर्जना लिखत ममलुकः ममलुकः हम दादनी के बख्त दखल में, इस्तेमाल

Para 8
that
exam
exis!

-8-

करने में प्रतिवादीगण स्वयं या अपने आदमीयों द्वारा किसी प्रकार

सम्बन्ध स्थापित दखलन दाखी दस्तन दाखी नहीं न करावे न उसे छन-

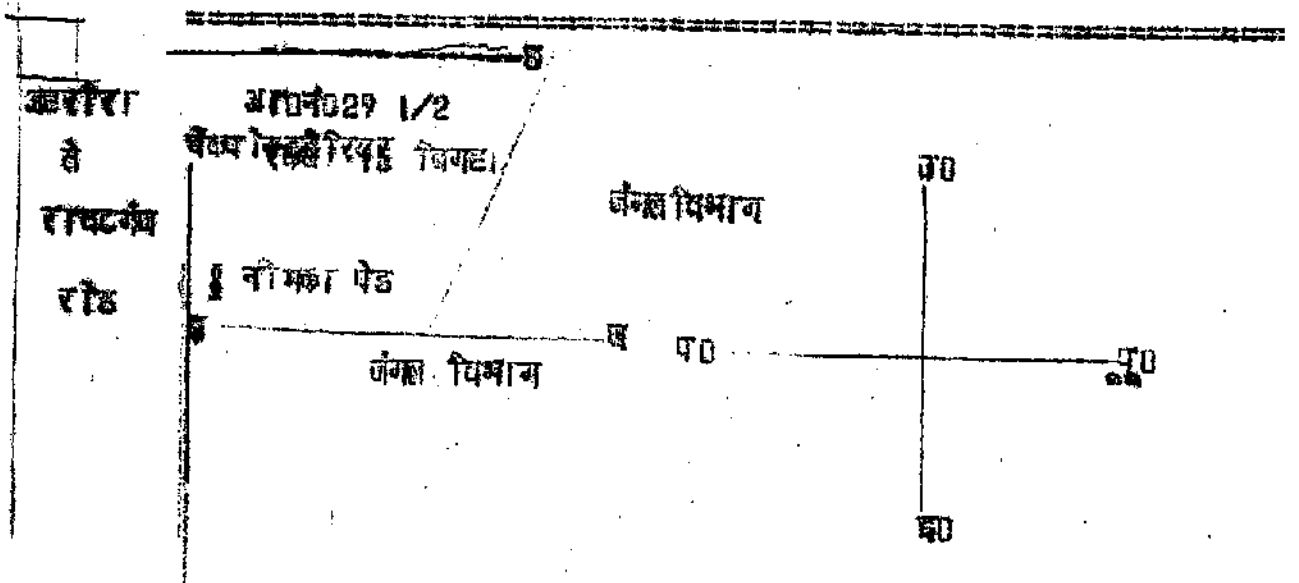
छेद कर उसकी नक़्क़ा तहदील करे न उसमें किसी प्रकार कोई पैदा

लगावे न हम बादिगी के कोई हुये पत्तर के पेन्सीय के छूटे न ही खर्चादि
करें।

ब- यह कि सर्व मुकदम को जिकरी वादीन के खिलाफ प्रतिवादीगण
साक्षर फर्माया जावे।

स- यह कि उपरोक्त दाखतों के आग व हम व फनी बीस अन्य दादरती
दाखतों के मुस्तक़र करार पाई जाये उसी भी जिकरी तबक व फनी के खिलाफ
प्रतिवादीगण साक्षर की जावे।

नक़्क़ा नक़री



निम्नलिखित अक्षर

सरस्वती देवी

हमारे जतीय इलम में अर्जी मागित ह. जा का कुल मजसुम दस्त 1,2,3,
4,5,6,7,8,9,10,11,12, के सय व उली है । अस्तुता मुं म दिवानी
कयहरी मिजपूर ।

दिनांक 1-7-1967

निम्नलिखित अक्षर

सरस्वती देवी

— सय व उली —

[illegible]

एनईः परनी०

4

सिद्धि मिश्रलेखित रिटपिट्टीया नम्बर-

31 2004

अन्य-मीरबाबा

सरस्वती देवी पिपीनार

५५. म

उत्तर प्रदेश सरकार,

पु. जिलाधिकारी मीरजपुर

अनादि अन्तिमः

न्याय/व्यक्ति

मिमिक्षुः ।

पत्र संख्या - 305/87.

सहस्रवर्णी - हनाय - पनविभाग व अन्य.

द्वितीय विवेचन भिन्नभिन्न राज्य सरकार उच्च प्रदेश द्वार प्रमाणीय

वनारधिकारी पूर्वी मिर्जापुर व वृक्ष गौर वनारधिकारी पूर्वी मीरजापुर

बन प्रथम पुनः च मीरजापुर पुनः दीपक मार्गित श्री विजय बहादुर सिंह डी०

ज. १८३८, दि. १८, मीरजापुर ।

यह कि क्ला-। बाद पत्र का कथन अत्यधिक है।

५५-३

सह वि. प्रका-2 व द. पत्र का कृपया जवाब लिखिए ।

44-3

यह कि एफ-3 बाद पत्र के कलन अवधीकार है।

दस्ता-4 यह कि दस्ता-4 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।

दस्ता-5 यह कि दस्ता-5 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।

दस्ता-6 यह कि दस्ता-6 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।

दस्ता-7 यह कि दस्ता-7 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।

दस्ता-8 यह कि दस्ता-8 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।

दस्ता-9 यह कि दस्ता-9 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।

दस्ता-10 यह कि दस्ता-10 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।

दस्ता-11 यह कि दस्ता-11 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।

दस्ता-12 यह कि दस्ता-12 बाद पत्र का कथन का माने को

पुष्टिकारों के पूर्णतः अस्वीकार है। वादिनी किसी भी

पुष्टिकार के पाने का अधिष्ठातरिणी नहीं है। दावा

व दिनी का खर्च के निरस्त होने योग्य है।

अतिरिक्त कथन

दस्ता-2 यह कि दावा वादिनी का कानून व अतः तथ्यों के प्रमाण

है। तथा अतः कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो ग्राहकों

के निरस्त होने योग्य है।

दस्ता-3 यह कि हरिमन वादिनी श्रम संख्या 291 निगरक्या 15

बीधा पर जिस बाद पत्र के नमूने में चित्र ज्ञात है दिखाया गया है पर

जानकारी विनाश के पूर्व से वही स्थिति मालिक कार्यालय दर्शाते नहीं रही है,

- 3 -

न ही उत्तम 1 कच्चा दस्त आत भूमि पर है।

सम-4 यह कि हरिजन बादिनी वर उत्तम पूर्व उत्तम पूर्वजो

क नाम कागज इस मत में कभी पूर्व नहीं था न है। बादिनी कागज

मुन्दगे दस्त 1 व 2 बाद पत्र अस्त्य व निराधार है।

सम-5
साद

यह कि बाद पत्र के नक्से में जो भूमि घ, छ, ज, झ, से

दिख रहे नहीं है वह हरिजन भूमि संख्या 291 गिना 19 धीमा नहीं है। बादी

का कल अस्त्य एवं निराधार है।

सम-6

यह कि बादिनी को कोई धम्की किसी प्रकार की नहीं

दी गयी। बादिनी ने सरकारी पत्र भूमि को हथियाने की नियत है कागजात

में पूर्ण इकराम कर कर अस्त्य कबनों के आधार पर दावा दाखिल कर

दिया है। जो मज खर्च के निरस्त योग्य है।

सम-7

यह कि बादिनी ने कोई वायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत

द्वारा 80 बादिनी दावा दाखिल करने के पूर्व नहीं दिया है। दावा

बादिनी इस आधार पर निरस्त होने योग्य है।

सम-8

यह कि 34, व 41 स्पेसिफिक रिजर्विड सेक्ट के प्राविधानों

के अनुसार बादिनी सवाई निवेदाज्ञा की डिग्री पाने के अधिकारिणी

नहीं है। दावा बादिनी मज खर्च के निरस्त होने योग्य है।

सम-9

यह कि बादिनी का नाम कागजात मज माल में अंकित

नहीं है। दावा बादिनी भारतीय जन अधिनियम के

- 4 -

प्रमाण 10 ✓ यह कि उत्तर प्रोजेक्ट की धारा 331 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को सुदमा के सुनवाई का अधिकार हासिल नहीं है ।

प्रमाण - 11 यह कि वादीनी विवादित भूमि की मालिक व कानून नहीं है, उसे कोई दावा दाखिल करने का हासिल नहीं है ।

प्रमाण-12 यह कि वादीनी द्वारा की गई खराब प्लॉट सं० 271 मि० मी० के अनु० रज० सं० प्लॉट सं० 227 मि० के अनुसार पड़ता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत विहीन सं० 23/24 - 75/14-13 - 67 दि० 22-2-68 द्वारा आरक्षित वन बनाये जा रहे हैं पुरस्कृत प्लॉट सं० विहीन सं० 5924/14-2-20/47 - 82 दिनांक 22-8-83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है । अतः विहीन के अनुसार की गई खराब प्लॉट सं० 271 मि० के कुल 305 बीघा 11 पिट्स हेतु जब विभाग के कब्जे में है जिसका वन विभाग को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है । धारा 23 भारतीय वन अधिनियम के अनुसार वादीनी को कोई हक हासिल नहीं है ।

प्रमाण - 13 यह कि वादीनी द्वारा नक्की नक्शा में जीवो क्षेत्र वन विभाग को नाम है । वादीनी का जत भूमि से कोई वास्तविक अधिकार नहीं रहा है और नहीं है ।

पृष्ठ-14

यह कि मुम्बई में 1957 की वार्ड के वृक्षारोपण कार्य किया जा
 है। वादिनी द्वारा जत क्षेत्र में कोई पत्थर की दीवार की देखाई
 नहीं की गयी है। वादिनी की कला ज्ञात बनिराधर है।

पृष्ठ-15

यह कि वन विभाग के पुनर्गठन के अनुसंधान प्राप्त
 है तथा उती आधार पर कानून दलील रख कर शक्ति पूर्व दंग से वृक्षारोपण
 कर रहा है। वादिनी के जत क्षेत्र में कोई वास्तव सरोवर नहीं
 है। वादिनी ने जत क्षेत्र पर पुनर्गठन के आधार पर निष्पत्ति का
 दावा करके न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त वन विभाग के कब्जा
 दक्ष में अवरोध कर रही है। न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश
 के विरुद्ध अपील की जा चुकी है जो निम्नलिखित विधायी है।

पृष्ठ-16

यह कि वादिनी ने इस मुकदमे में इन्स्ट्रक्शन नं० 1374
 पक्षी दलील दिया उसके आधार पर यह जानकारी हुई तत्पश्चात् र मुद्दा र
 द्वारा कोई विविध दावा किये करके जत क्षेत्र पर वादिनी का नाम
 दर्ज करने का आदेश दे दिया है जिसमें राज्य सरकार उत्तर प्रदेश या वन-
 विभाग कोई पक्षी नहीं था न ही कोई दावा प्राप्त हुई। जत आदेश
 किता अतिरिक्त रूप से पक्षीय रूप पक्षी है जिसके आधार पर वादिनी
 के कोई दावा नहीं हो सकता। विभाग की ओर से न्यायालय

क. तीलदार के अलावा देव के निरस्त करने से पुराने पत्र दिया गया है जो विषय राखीन है।

कहा- 17 यह कि वादिनी ने दावा की मासिक कर्म दिख ई है, दावा व दिनी ने अनुसूचन दोन है तथा कोई भी कर्म अदन किया गया है।

कहा-18 यह कि वादिनी ने भारतीय जन अधिनियम के प्राविधान के अनुसार धारा-4 के प्रकटन के बाद कोई धारा 4 के प्रकटन के बाद कोई अपील पत्र या प्रीम दाखिल नहीं किया था। धारा-5, 9, धारा 23 तथा 24 के प्राविधान के अनुसार कोई एक किसी प्रकटन के प्रदान नहीं हुआ है। तत्संबंधी दार कुनार के कोई अधिकार जन भूमि है जन विभाग के नाम काटने व वादिनी के नाम दर्ज करने के हकिल नहीं था। वादिनी के नाम कोई प्रमाणिक इन्द्राज कायात मास में नहीं है। दावा वादिनी निरस्त होने योग्य है।

कहा 19 यह कि फारेस्ट कन्वर्षेशन फेक्ट 1980 के प्राविधानों के अनुसार जो वादिनी के विवादित भूमि के भूमि में कोई अधिकार हकिल नहीं है। दावा व दी मास को के निरस्त होने योग्य है।

सहो- ॥ स्वयंमो डी० श्रीवास्तव ॥

कुमायी जन विभाग अधिकारी

पूर्वी

मिर्जापुर जनप्रभाग, मिर्जापुर।

मै एतद् द्वारा सत्यापित करत हूँ कि उपर्युक्त लिखित विवेचना कः
 कक्षा क्रमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अतः 16, 17,
 अतः 16 जाओव रिपोर्टिब अतः 16 अतः 18 व 19 क क्षमता क नुनी
 ततः 8 के अ धार पर मेरे विषय त में सत्य है ।

स्तुति- । एवं अस्मादीयवास्तव ।

प्रभागीय धन अधिकारी
 पूर्वी बिज पुर धन प्रभाग, गिम्नापुर ।

स्ताही- 12.11.87

। विष्णु बजापुर सिंह ।

विष्णु जातकीय अधिकारी

। विष्णु गिरजापुर ।

सत्यप्रतिपत्ति

इन दि हाई कोर्ट आफ बुल्डोजर स्ट इलाहाबाद ।

सौ. वरनं ३ ३

इन

लिखित भिलेनिकस रिटिपिटीन नम्बर

अ फ 2004

जनपद- मीरजापुर

श्रीमती सरस्वतीदेवी पिटी कर

अनाम

उत्तर प्रदेश सरकार र धु.

जिला अधिकारी मीरजापुर

आदि रिस्पेक्ट

न्यायालय कल अधिकारी तृतीय अहमद तासुनार,
मीरजापुर ।

मु 0 नं 55/309 तन 1963

सरस्वती जन म सौरजन कल अधिकारी मीरजापुर आदि

धारा 9 अ तहत च. खन्दी क. गुन गलत सोचा केतकर परगन

अहमद तहसील धुनार जिला मीरजापुर ।

नकल आदेश ता 0 10.2.53.

अ. व. अ. देवा

पु. धनपत्र श्रीमती सरस्वती स्त्री विधु त 0 केतकरा परगन अहमद.

ने इस अ. व. य का प्रस्तुत किया है कि गुन गलत सोचा की अ 0 क रणी लग न

3/76 र कमीनद र से पटा केर क. विन दखील है और परगन धिआरी

इन दि हाई कोर्ट आफ जस्टिस एट जलपाई

संकेतसंख्या १५३

इन

सिविल सेशनल कोर्ट ऑफ मीरजापुर नम्बर

काफ 2004.

जनाद - मीरजापुर

श्रीमती सरस्वती देवी

.....

पिपीतर.

जनाम

सरस्वती देवी सरकार पु,

जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर,

अ.द. रिपॉर्ट

न्यायालय श्रीम न सिविल कोर्ट,

१ जुनियर डिप्टी जज, मुबार,

मीरजापुर ।

बाद सं० 305

सन 1987.

सरस्वती देवी

जनाम

स्टेट जामु.

✓ संतोष पुर्तिका पत्र द्वारा पाकिस्तान म कौत खुद व श्री ठागुर सिंह एडवोकेट

श्री जोम्कार नाथ सिंह एडवोकेट ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मुकदमा नं० दोर न तैयारी जात हुए कि दावा में

व्यवस्थापक व चन्द कानूनी तर्कों से लड़ने से मुक्त है जिसके बावजूद
 पक्षीय व दो में आवश्यक संशोधन कर वा आवश्यक हो सकता है। प्रस्तावित
 संशोधन से मुकदमों में पक्षों के बीच व तृतीयक विवाद के निराकरणमें
 न्यून व अधिक जटिलताएं होंगी। प्रस्तावित संशोधन से बाद की प्रकृति
 व पक्षों के बीच विवादोंत अधिकारों पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः दावा वादियों में निम्न संशोधन किए जाने की आज्ञा प्रदान
 करें, ताकि न्याय हो सके।

दस्ता-1 1- यह कि दस्ता-8 के तहत एक मजिस्ट्रेट दस्ता-8 निम्नवत
 रूप में होवे।

✓ दस्ता-8 यह कि पक्षों के बीच दौरान चकबन्दी प्रक्रिया विवाद बत
 कर अतिरिक्त तौर पर निर्णित व प्राप्ति हो चुका है इस बाद क रण के विन
 पर हुए संपूर्ण मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट प्रकृति दो कानून देना है और जिसे
 प्रकृति द धार -49 उच्च चकबन्दी अधिनियम के प्रकृत कायित है क्योंकि
 निर्णय चकबन्दी पक्षों पर बध्य करी है।

दिन के 20/4/2001

हरताहर व दिवसी

अवतनीय हरताहर

दि 20.4.2001

- 3 -

मेरे जतीय हस्तम व न-री में संतोषा पत्र व पुस्तक मजबूत है-।

साथ व सही है कोई बात बिगड़ नहीं गयी है। लिखा मुकाम दीवाना

कमलरी पुतार ।

हस्ताक्षर वादिनी

अपतनीय हस्ताक्षर

20.4.2001.

दिनांक : 20.4.2001.

सत्यपुत्रिणी

सन् १९५४

इ

सिविल मिस्त्रोन्स रिट पिटीशन नम्बर

आफ 2004

जनपद - मीरजापुर

श्रीमती सरस्वती देवी रिटोत्तर

अनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से,

जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर,

आदि रिस्पोण्ड

न्यायालय सिविल जज,

१ मुन्सर डिपोज,

मुन्सर, मीरजापुर ।

मुकदमा नम्बर-305 आफ 1987

सरस्वती - अनाम उज्जु सरकार पक्ष

अतिरिक्त काबाब पैदी मिनजिनस सरकार उज्जु पक्ष पक्षीय । ता 3

मास्फत श्री बुदीप कुम र सिंह एडवोकेट ।

फन-1 वह कि बाब पक्ष को संतोषित कर -83अस्प्रीकाइ है।

अतिरिक्त पक्ष

फन-2 वह कि बादिना द्वारा संदिशत चकलन्दी के न्यायालय

का निर्णय आदेश दिनांक 18-2-63 को कोई जानकारी उन विभाग को

नहीं थी दिनांक 27.9.2001 को श्री मान जी के यहां नया दाखिल

वरने पर सर्व प्रथम आदेशा दिनांक 10-2-63 की जानकारी हुई।

DAF-3

यह कि रामानुज जीयों में उक्त आदि का अर्थ

हर मक भी नहीं हुआ है और नामान्तरण की क रीत नहीं कायम थीत

674

44.7 4

६७ दि. ५ दिना ४ १ मूल प्रस्ताव किये पञ्चमदी अधिकारी

द्वितीय अधिवेशन के मुद्रांक 56/209 तन 1958 - तारीख 10-2-63 दिल्ली

कर्णप्रियमदंत एवं न्यायालय को गुमराह करने की ताजिब है । देखें, राजस्थान

राजस्थान अग्निबाजार मीरजापुर की रिपोर्ट दिनांक 3.1.2002 से पूर्णतः

रघु ७८ है।

44-5

यह कि वाहिनी द्वारा बाद पत्र में दिये गये संशोधन

वै फरघात उम्मुद सरकार के दफ्तर 80 जाप्ता दिवानी की नौछित नियमा

नृत्य र पुनः देना अथवा लो गद्या है या दिनी पुनः नोटिस् देने से अनुमत्त

नहीं की जा सकती है।

3-1

यह हि वादिनी हार 14 वर्षों के पश्चात् जिये गये संतोष्य

ले विद्यार्थीदत्त आराजी में लिखा वृद्धों की न लिख्यत काही बट यही है कि

पर नियमांकु ४ वांतिनी ४४ त्वाय ५०० अदा तिया जना आवयक

●

44F-7

यह कि वादिनी हार पाये गये संतोषन से बाद है। बल

401

अनु-8

यह कि इसी प्रकार वादिनी नेन्वत्यालय तहसीलदार पुनार के यह से एक पक्षीय आदेश दिनांक 18-2-67 पारित कराकर वन विभाग का नाम कागजात से काटवा दिया था जिसकी जानकारी होने पर वन विभाग की ओर से तहसीलदार पुनार के वन न्यायालय में दायर। यह प्रस्तुत किया गया वहाँ के सुनने के पश्चात् आदेश दिनांक 23-1-69 के द्वारा आदेश दिनांक 18-2-67 को निरस्त कर दिया गया। जिससे वादिनी का नाम कागजात में से कायम नहीं रह गया।

अनु-9

यह कि विवादित आराखी सं० 827 जमीनदारी विनास के पश्चात् 1 अ मुत लिक 1359 फ० खानियों 1 बंजर दर्ज था जिसका कुल रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा था 1359 फ० के खानियों काता सं० 233 बंजर खत में 827/2 रकबा 7 बिस्वा तथा काता सं० 354 पहाड पर अ-088-827 1-1 रकबा 312 बीघा 12 बिस्वा दर्ज है।

अनु-10

यह कि आर जी राजस्थान विभाग द्वारा दिनांक 5-11-66 को वन विभाग के उत्तरीयत की थी 1372 फ० के वन एवं बंजर की सूची तैयार किया गया है।

अनु-11

यह कि विस्तारण के पश्चात् विज्ञापित सं० 1994/1-क-67 दि० 27-7-1967 के र अरबत आराखी की पुनः गृहण की विज्ञापित प्रकृतित कराई गयी।

अनु-12

यह कि विवादित आराखी दिनांक 17-10-67 के र पत्र

मीरजापुर में उपर्युक्त विवरण के हवा से दूर अम्ला दर मद कर दी गयी। 1367-71 तक की उल्लेख खतों में ये वन विभाग दर्ज है।

प्रमाण-13

यह कि अधिव्यवस्था प्रकाशित होने के बाद राज्य पाल उत्तर प्रदेश के रा. निम्नलिखित बंदोबस्त अधिकारी, मीरजापुर द्वारा जारी किया गया है कि मुद्रिका के अनुसार पालका की धार 6 है जो तब तक प्रचलित रहेगी जब तक कि 31-3-88 तक के जारी करे केतकर के मु. म. बालियों को सुचना दी गयी तथा उनसे दिनांक 7-12-88 तक ज. म. बालियों को सुचना दी गयी।

प्रमाण-14

यह कि 8 दिनी द्वारा पालका के न्यायालय में विवादित अ. राजी के ब. बत कोई अ. राजी प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके उत्तर पालका ने इस ग्राम की जारी वन की विवरित राजपत्र में एक प्रकाशनायक प्रकाशित करते समा. रजिस्टर बी के उद्धरण में किया है कि कोई बाद प्रस्तुत नहीं है रजिस्टर बी के उद्धरण से स्पष्ट है।

प्रमाण-15

यह कि इस समय में एक नयी अधिकारी द्वारा इस ग्राम के रजिस्टर अ. म. रज. वर्ष 1768 तक प्रकाशित 137-75 प्रकाशित है किया गया तथा विवादित पुरानी आर. की सं० 227 की नई आर. की सं० 291 रकबा 312 बीघा 3 विस्थापित गयी है जो कि पालका के आकार वन सं० 40 से सारित है।

प्रमाण-16

यह कि जो पालका आकार पत्र 41 के अनुसार विवादित नहीं

आराजी सं० २९१ रखवा ३१३ बिछा ६ बिस्वा पुरानी अराजी सं० ८२७ रखवा
३१३ बिछा ६ बिस्वा से बनाई गयी है तथा विशेष विवरण के साथ में ऊपर विभाग
द्वारा है।

कमा-१७ यह कि बेटे पञ्जाब प. ३०४९ के अनुसार विवादित नर

आराजी सं० २९१ रखवा ३१३ बिछा पुरानी सं० १७८ पर उत्तरी बीरवापुर है

के न म अंतिम है।

कमा-१८ यह कि आराजी सं० २९१ के अनुसार अ. ५६३/१ मी०

तथा आराजी सं० ८२७ के जो अंश कम पुराने हैं। उसके उत्तर में बेटे पञ्जाब

ने इस मु. म. के संक्षिप्त इतिहास के पृ. ६०५ १ बेटे पञ्जाब के कारण सं० ८०७ में दिया

है। बेटे पञ्जाब द्वारा आराजी सं० २९१ के दरम्यान बनाया गया नक्सा साथ में संलग्न

है।

दिनांक ०७-०२-२००२-

हरतारक

में स्तम्भों पर लिखा करता है कि अतिरिक्त जवाबदेही में कहे गये कलम एक-

१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७ व १८ विभागीय

अधिकारी व कृषि राज्य के मु. बि. ल. व तदी है। कोई बात लिखाई नहीं

गयी है।

दिनांक ०७-०२-२००२-

हरतारक-

सत्यपु. तौलिय

इन दि ह ई कोर्ट अफ क्वीजिस् रट कल हाबाद ।

रजिस्ट्रेशन नं० 161

या

सिपिल मिस्त्रि नयस रिट पिटीशन नं०

3178 2004

जहाद - भीरजापुर

श्रीमती सरस्वती देवी.....पिटीशनर

वस. व

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार,

दू पिता मीनद, भीरजापुर

विरुद्ध.....रिस्पण्ड

न्यायालय प्रथम जीत सिपिल कद,

1 जूनि 1 भीरजापुर ।

बाद सं० 305/87

सरस्वती वस. व वन विभाग

5-8-99 आज पैस हुआ ।

पक्षार ल निर जाये ।

पक्षर के अभिलेख के आधार पर निम्नलिखित बाद बिन्दु विरचित किये गये ।

- 1- क्या व दो विद दित हूमि का स्वामी है? ✓
- 2- क्या बादी विवादित मि पर काबिज है? ✓
- 3- क्या बाद अक्युजिक्ड स्व प्रकृत न्याय शुरू अयचित है? ✓

- 4- क्या विवादित अराजी य दा सं 29 का अंत है? ✓
- 5- क्या वाद द्वारा 80 तीर्थोत्सवों के अन्तर्गत नोटिस न देने का
अभाव है ?
- 6- क्या वाद द्वारा 34, 38 एवं 41 विवादित अनुसूचक अधिप से बाधित
है ?
- 7- क्या वाद द्वारा 331 उत्तर प्रदेश अधिप से बाधित है ?
- 8- क्या वाद द्वारा 4, 20 एवं आदर्शधर्म से बाधित है ?
- 9- क्या वादों किसी अन्य अनुसूचक के पाने का अधिकारी है ?

अन्य किसी वाद विन्दु पर बात नहीं किता गया।

प्रशासकीय विन्दु सं 3 के निस्तारण हेतु दिनांक 10-8-99 को

पेस है।

20/8/00

पुष्पमीरब मुर

राज्यपालाधिकार

इन दि हार्ड ऑट आफ जूडिचियर एट लाहाबाद ।

रजिस्ट्रेशन नं० १७

इन

लिखित मिश्रितनियत रिटिपिटीयन नम्बर

आफ 2004

जनपद - मीरजापुर

श्रीमती तरस्वती देवी सिटीसर

बन म

उत्तर पुणेवा राज्य सरकार

यू जिला मीरजापुर

अ. दि..... रिस्पा

न्यायालय श्री मन सिंगल जज,

1 जूरी 501 पुनार,

जनपद- मीरजापुर ।

मुनं०-305 तन 1787-ई०

तरस्वती - बन म - डी०एफ०ओ०

प्राचीन पत्र द्वार तरस्वती देवी व फिनी मार्फत श्री उ. गुरु सिंह एडवो / व मदन

सिंह एडवो ।

श्रीमान जी,

सौजन्य निवेदन है कि मुझमा उपर केत में दोरान सुनव ई बाद पत्र

में प्राचीन पत्र 850 के द्वारा कानूनी धिन्दु धार -47 उपर 8 वकबन्दी अधि०

के प्राविधान का अतिक्रम किया गया है डिपेंड प्रोविदादी जत धारा है

बाधित है । उक्त संशोधन प्राचीन पत्र स्वीकृत होकर अतिजबाबदेही एवं अति०

तमकीद के लिए तारीख मुकरर किया गयाथा । अतिरिक्त जबाबदेही अ. नै है

for framing Adl. 1887-9

पर्याप्त सहमत मुख्यतः मजिद अदम लकीह बनाने से छूट गया है। यह उक्त
विन्दुओं पर पहली का साथ हुआ है। इतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं
है कि मुकदमा सच है और पुनर विचार जा चुका है। किन्तु इस बीच
है तब भी एक इतिरिक्त लकीह बनाया जाना आवश्यक रूपे न्यायसंगत
है। उक्त लकीह के प्रकाश में न्यायालय के पक्षों के मध्य धार्मिक विवाद
के निवारण में सर्वे न्याय करने में वेहद सुविधा सहजियत होगी।

आज विशेष निवेदन है कि न्याय की पूर्णतः अति कक्षा है प्रकाश
में एक इतिरिक्त लकीह निम्न तौर पर बनाये जाने की आज्ञा प्रदान
करें ताकि न्याय हो सके तथा विशेष प्रतिपक्षी धारा 49 उपबन्ध 50 अधिन
से पूर्णतः अधिन है यदि हाँ तो प्रमाण १ -

दिनांक 25-7-03

हस्ताक्षर

सत्यप्रतिपक्ष

इन दि हार्ड ॉट आफ प्रिन्टिंग स्ट इलाहाबाद ।

संस्करण ०१८ ।

इन

लिखित भिन्न-भिन्न दिट पिटीशन नम्बर

आफ 2024

कमल - मीरजापुर

श्रीमतीसरस्वती कौ पिटीशनर

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार,

शु विद्या अधिकारी मीरजापुर

आदि..... रिस्पांड

न्यायालय लिखित कम,

मुनियर डिपार्टमेंट ।

मुनार, मीरजापुर ।

प्राद सं० 308 आक 1987.

सरस्वती - बनाम - डीएसएमआदि

अपेक्षित पत्र मूल मीरजापुर अधिकारी ,

मीरजापुर मुदीप कुमार सिंह कम लिख संसदीय

अधिकार. मुनार, मीरजापुर ।

निवेदन दिति ०६-०५ व द में प्राचीन ने एक प्राधान्य पत्र दिनि 25-०५-०५

का इस अवसर का प्रस्तुत विद्यापीठ प्राधान्य पत्र में उल्लिखित "कमीट"

अनाथी प्राय । इस सम्बन्ध में विम्नाकिर्त अपात्तिमां है।

1- पुर्ण पत्र दिन के 28-7-03 अधिनियम है एवं तथ्य

है विपरीत है इसलिये निरस्त दिये जाने योग्य है।

2- यह कि पुर्ण पत्र दिनांक 28-7-03 एसीजि है

विपरीत है।

3- यह कि तथ्यों में यह कि तत्पश्चात् है पञ्चमत्त आराजी

है सम्बन्ध में पञ्चमत्त आराजी नहीं पड़ा है । और पञ्चमत्त पत्र अधिनियम

को धारा 20 की प्रकृति है पञ्चमत्त पत्र सम्बन्धित सम्पत्ति रा ध्य

उपराध एवं आराजी पत्र अधिनियम के प्राविधान लागू होते हैं ।

इसलिये पञ्चमत्त प्रकृति है । इस पर नहीं पड़ा है।

4- यह कि पत्र पञ्चमत्त अधिकारी के यह से धारा 4

एवं क्रमशः धारा 20 का ^{प्राविधान} मुख्य न होने पर पञ्चमत्त अधिनियम का

अर्थ ^{प्राविधान} पञ्चमत्त त प्र नहीं होता है । यथापक्ष अर्थ है कदा पारित

अर्थ तिथि के ही दिखी का अर्थ रखता है ।

5- यह कि बाद पत्र पुर्ण पत्र, ज्ञापन के आधार पर व दी

- 3 -

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कोई कैंडीड जल्द नहीं हो रही है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र बाकी दिनांक 23.7.2003 निरस्त करने

की आज्ञा प्रदान किया गया है।

स्वीकृति -

दिनांक 1.8.03

अध्यक्ष/सचिव

इन दि हार्ड कोर्ट आफ क्लिफोर्ड स्ट इल. हाबाद

...

फौजदारी नं० ११

इन

सिविल प्रिक्लैमेटरी डिक्री नं०

आफ 2004

जनसद -मीरजापुर

श्रीमती सरस्वती देवी पिटीशनर

बनाम

उत्तर प्रदेश र जय सरकार

जिला अधिकारी मीरजापुर,

आदि रिस्पो

न्यायालय सिविल जज,

1 कनिष्ठ डिप्टी जज,

पुनार, जनसद-मीरजापुर

मुद्दा नं० 305 सन 1987

सरस्वती बनाम डी०एच०आर०

नका आदेश दिनांक 7-8-83

न्यायालय सिविल जज, 1 मुद्दा नं० 1,

पुनार, मीरजापुर ।

अस्थिति - श्री राजेश कुमार उद्दा न्यायिक

सेवा ।

मुद्दमा संख्या - 305 आफ 1987 ई०

सरस्वती देवी बनाम जन अधिकारी

प्राचीन पत्र कागज संख्या 130म का निस्तारण

वाकिनी द्वारा प्राचीन पत्र कागज संख्या 130म इस अधिनियम से

पुस्तुत किया गया है कि वाद पत्र में प्राचीन पत्र एक द्वार। कानूनी विन्दु
 धारा -49 उपपुत्र चक्रवर्ती अधिनियम के प्राविधान का अधि कथन किया
 है। निम्न प्रमाण दी ज्ञत धारा से बाधित है। उक्त प्राचीनपत्र स्वीकृत
 होकर अतिरिक्त कबाबदेही व अतिरिक्त तनकीह के तिर त हीन मुर्तर
 किया गया क। अतिरिक्त कबाबदेही ज ने के पत्र व सखन मुक्त
 तनकीह ज ने से छुट गया है। उक्त विन्दुओं पर पक्षों का साक्ष्याहो पुका
 है, अब साक्ष्य की अ.य.यकता नहीं है। इस अतः निम्न प्रकार तनकीह
 बनाया जाय - क्या निम्न प्रमाणों की धारा 49 उपपुत्र अधिनियम से
 पूर्णतः बाधित है, यदि हां तो क. प्रभाव ?

Adl issue

प्रमाणों की धारा अधिनियम कागज संख्या 131म/1 तम यत 131म/2

दाखिल की गयी है। संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि प्राचीन पत्र अधिनियम
 सर्व तथ्यों के विपरित है। साक्ष्यों से यह बात स्पष्ट है कि पुनर्गत अ.राजी
के सम्बन्ध में चक्रवर्ती वाद नहीं पता है। चक्रवर्ती प्रमाण का प्रभाव
 इस पर नहीं पड़ता है। वन चन्द्रवर्त अधिनियम ही है यह से धारा-4 सर्व

See Fd

कुम्हार धारा 20 का प्राविधान होने पर चक्रवर्ती अधिनियम का कोई

प्राविधान लागू नहीं होता है। स.स.त.ओ. द्वारा पारित अधिनियम

विधिवत कोर्ट की डिग्री का अंतर रखता है। वाद पत्र, प्राचीन पत्र,

साक्ष्य के आधार पर इस कोई तस्वीर उत्पन्न नहीं हो रही है। पार्सना
पत्र निरस्त किया जाय।

उम्मेद के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी द्वारा पार्सना पत्र कागज संख्या 1308 नवीन बाद विष्णु
विवक्षित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। वादी ने धारा 49
जोत फकलन्दी अधिनियम से बंधित होने के सम्बन्ध में अतिरिक्त तस्वीर बनाये
जाने के अनुरोध किया था है। परन्तु वादी के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह
बाद कागजी पुराना है। वादी ने अपने वास्तव के दस्ता-8 में स्पष्ट किया
है कि पक्षों के बीच दौरान फकलन्दी प्रमाणित विवाद पत्र पर अन्तिम तौर
पर निर्णित व फाइनल हो चुका है। इस बाद कारण के बिना पर पुरास्वपूर्ण
महामिमा, फकलन्दी प्रमाणित वादी का नुनन देखा है और फकलन्दी प्रमाणित
धारा 49 उम्मेद फकलन्दी अधिनियम से पूर्णतः बाधित है, क्योंकि निर्णय

फकलन्दी पक्षों पर बाध्यकारी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि फकलन्दी
के दौर न विवाद अन्तिम तौर पर निर्णित व फाइनल हो चुका है। यह
दोनों पक्षों पर बाध्यकारी रूप प्रभाव रखता है। यदि प्रमाणित वादी का

फकलन्दी धारा 49 जोत फकलन्दी अधिनियम के अन्तर्गत बाधित हो सकता
है तो वादी का वास्तविक धारा-49 को फकलन्दी अधिनियम के अन्तर्गत
बाधित हो सकता है। इस पर कि निर्णित में मेरे विचार से कोई
नवीन बाद विष्णु विरहित किये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होता

TC F. Ghat
consolidation case
Final 21/11/21

held if defence based
on 49 then OS is
admitted

Applicant's
reply

F

MC
a
recd

है। वह बाद अधिक पुराना है और अन्य लोगों के साथ पूर्ण होने के उपरान्त
इस मामले में कुछ देर तिलिप नयन की गयी है। तदनुसार पुर्नोपन
कागज सं० 130म छोरिप लिखे जाने योग्य है।

आदेश

पु. एन. वन कागज सं० 130म छोरिप लिखा जातारि।

दिनांक : 7-8-83

एसडी/- : रावेल कुमार :

तिरिपत जवाबुद्वारा :

चुनाद, मीरजापुर ।

पु. एन. वन कागज सं० - सिवाहीला

तुलनाकर्ता - 8030

वसुधैव कुटुम्बकम्

सत्यमेव जयते

एसडी-

10-8-83

सत्यमेव जयते

वन दि हार्ड वोट ग्राम ब्रिडजेयर स्ट बलाहाबाद ।

संकेत नम्बर- 10

इन

तिथि मिलीनियस रिट पिटीशन नम्बर-

3/4 2004

जनपद- मिर्जापुर

सरस्वती देवी पिटीशनर

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बजरीये

श्रीमान् जिलाधिकारी, मिर्जापुर,

आदि रिस्पोडेन्ट्स

न्यायालय विशेष न्याय धीरा,

सन 0डीएम 0रस्ट 0 स्ट,

मिर्जापुर ।

उपस्थित- श्री साधोराम ।

तिथि मिलीनियस संख्या 33/2003

श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी विरधु साहिब,

बेसकर परमना जहरीरा,

सहस्रस पुनार जिला मिर्जापुर ।

— निगरानीकर्ता —

बनाम

1- श्रीमान् वन अधिकारी महीन्द्र,

पूर्वी वन प्रभाग मिर्जापुर ।

2- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार,

बजरीये श्रीमान् जिलाधिकारी,

मिर्जापुर ।

3- गाँव तथा बेलखरा बजारिये ग्राम प्रधान,
बेलखरा परगना अहमदाबाद,
राजकोट पुनार जिला मिर्जापुर ।

— विनयी —

विषय

यह लिखत निगरानी मूकवाद सं० 305/87 श्रीमती सरस्वती देवी
बनाम वन अधिकारी मध्य पूर्व वन प्रभाग मिर्जापुर व अन्य में विहित
कानून प्रक्रिया अधीन है पुनार जिला मिर्जापुर द्वारा पारित आदेश
दिनांक 7.8.2003 के विरुद्ध पुस्तुत की गयी है।

संक्षेप में तथा इस प्रकार है कि निगरानीकर्त्री वादिनी श्रीमती
सरस्वती देवी व वन अधिकारी पूर्व वन प्रभाग मिर्जापुर के विरुद्ध आराजी
नं० 291 मि० रकबा 15 बीघा कलम अक्ष व छ व झ में वादिनी के कब्जा
इलाक में हस्तगत करने में पुष्टि दीगया स्वयं या अपने आदमियों द्वारा
किसी प्रकार से स्वायत्त दखलबाजी न करें न करावें न उसे खन-खोदकर
नवीकरण करावें न उसमें किसी प्रकार का कोई पैदा लगावें न
हम वादिनी के ऐसे हथ पत्र के फंसीकों को हटाये न ही बर्बाद करें ।
वादिनी के उक्त हेतु आराजी नं० 291 मि० रकबा 15 बीघा जिस
वाद पत्र के सारसंग्रह अक्ष व नगरी में अक्ष व, छ, ज, झ, से दिखाया
गया है वादिनी जमिन्दारी विनास के पूर्व से अस्तित्व में शिवाजी

कही जाती है या नहीं है यह पता करती है । घासिनी ने पुराने

कमीन की सुरक्षा के लिये पत्र के दृष्टि से फेन्सींग की है और उसका

काम भी बर्त हो चुका है लेकिन प्रतिव दीगण के कर्मचारी नाजायज

ताज उठ ने के पुनर्पिना से घासिनी की भूमि में गहरा छेदने से पैड़ लगाने

की परकी देने लगे हैं घासिनी के अन्तिम पूर्वकक्षा पक्षों पर हस्तक्षेप करने

लगे जबकि प्रतिव दीगण के यह काम जय है । प्रतिव दीगण की ओर

है प्रतिवाद एवं दाखिल किया गया और बाद पत्र में किये गये अधिकारों

को संशोधन करते हुये यह कहा गया है कि उपर लिखित भूमि अपने विभाग

के कब्जे में है जिसका धन विभ सम्पूर्ण स्वामी है । घासिनी को भारतीय

धन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कोई का दाखिल नहीं है । विधान

अथ न्यायालय द्वारा परीक्षण के अधिकारों के आधार पर निम्नलिखित

बाद किन्तु विरहित किये गये परीक्षण को साक्ष्य का मौका दिया गया साक्ष्य

के दौरान घासिनी द्वारा पूर्ण पत्र 85 में बाद पत्र में संतोष हेतु प्रस्तुत

किया गया जिसकी विरुद्ध 86 में अपील द कि हुयी । उक्त पक्षों को

धुनने के उपरान्त कि न अथ न्यायालय ने पूर्ण पत्र 85 के बाद पत्र

में संतोष न किये जाने को स्वीकार करते हुये अतिरिक्त जवाबदेही प्रस्तुत

करने का तय दिया एवं उक्त पक्षों को साक्ष्य का मौका देते हुये उक्त

पक्षों को साक्ष्य अधिनियम के द्वारा सर्व परीक्षण की साक्ष्य समाप्त

होने पर धन की बख्त हेतु नियत किया । यह है दौरान घासिनी

की ओरसे पार्कना पत्र 130म प्रस्तुत किया गया कि अतिरिक्त पाद बिन्दु बनाया जाय किन्तु कि स्य 7 डेन्स प्रीति की कारा 47 उत्तर प्रदेश पञ्चोदी अधिनियम से पूर्णतः वाधित है यदि हाँ तो पुनः बनाये जाने की आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जिसके विषय प्रतीतिवादीयम की ओर से आपील पत्र 131 म प्रस्तुत कि गी विधान अवर न्यायालय ने पार्कना पत्र 130म व आपील पत्र 131 म पर सुनवाई करने के उपरान्त दिन के 7-8-2003 की पार्कना पत्र 130म तारीख कर दिया ।

निगरानीकर्त्ता वीर दामिनी ने विधान अवर न्यायालय द्वारा पारित अदेश दिन के 7-8-03 से सुलभ होकर यह सिविल निगरानी प्रस्तुत किया है ।

जैसे उभय पक्षों के विधान जीवकात की वस्तु सुन लिया है तथा समस्त पत्रावली का अवलोकन कर लिया है।

निगरानीकर्त्ता वीर दामिनी की ओर से कहा गया है कि मा. तहत न्यायालय द्वारा पारित अदेश दिन के 7-8-03 तथ्य एवं क नुमा प्रमाणों के विपरीत है। संशोधन के उपरान्त पार्कना पत्र 130म में

परिचित अतिरिक्त तन्कीह बनाया जाना आवश्यक व लेकिन अत अतिरिक्त पाद बिन्दु नहीं बनाया गया जब कि अत व द बिन्दु पर पादी द्वारा क. ग. वी. एवं मौखिक साक्ष्य द्वारा पुष्टि किया जा चुका है एवं प्रतीतिवादी द्वारा विरह की की गयी है ऐसी स्थिति में अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अवर न्यायालय ने अत पार्कना पत्र 130म गत टंग से

कार्रवाई कर दिया है। न कचरी के अकार्डों के स्पष्ट हेतु बाद बिहू
अभियन्तों के आधार पर दिनांक 5-5-79 को विरचित भये थे। जिस पर
कमीशन को अपनी-अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी। साक्ष्य के दौरान ही साक्षिणी
कार्रवाई बाद पत्र में संशोधन कर दिया गया। पृथक् पत्र 654, 2-7-2001

स्वीकार किया गया और प्रतिवादों का जवाब दे दी गई

अतिरिक्त तनकीट डेटू मुहम्मद निवत दिया गया लेकिन पक्षार्यों द्वारा अतिरिक्त
बाद बिन्दु बनाये जाने पर जोर नहीं दिया गया. बल्कि परीठेन द्वारा अपनी-
अपनी साध्य पुस्तक ली गयी और मुहम्मद बहुत में नियम कर दिया गया ।

[illegible][illegible]

if no difference,
can, let there be
direction to
consider this question
a.m.

no h a bar
in my suit, suit
can be filed

अधीन सीरान कब्ज़ी पुत्रिय विवाहित कर कर अन्तिम तौर पर निर्णित

य कार्रवाई हो चुका है । इस प्रकार कर कर न्यायालय द्वारा विवाद

अन्तिम तौर पर निर्णित य कार्रवाई हो चुका है तो अतः आदेश यदि

किसी समय कर न्यायालय द्वारा खींचत नहीं किया गया है तो दोनों पक्षों

पर बाध्यकारी रहता है । किसी पुत्रियादी के विधान अधिकारिता ने तर्क

प्रस्तुत किया कि कब्ज़ी पुत्रिय वन अधिनियम की धारा 20 की पुत्रिया

के पक्ष त सम्पत्ति राज्य सरकार एवं आरक्षित वन अधिनियम के द्वा विधान

उत पर लागू हो जाते है । यह भी कहा गया है कि वन अधिनियम

की धारा 4 व धारा 20 का विधान हो जाने पर भी कब्ज़ी पुत्रिया

अधिनियम का कोई प्राविधान लागू नहीं होता है और संवत् 1930 के द्वारा

प. वि. आदेश निर्णित की है की किसी का अवर रहता है और ऐसे

आरक्षित वन धारा 20 के अन्तर्गत की गयी घोषणा को न्यायालय या

द्विजना इंकार नहीं कर सकते । निगरानीकर्ता के विधान अधिकारिता

ने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि हिन्दू मुसलमानों के किसी अवस्था तक विरोधित

किये जा सकते है । निगरानीकर्ता के विधान अधिकारिता की यह बात सही

है लेकिन य द हिन्दू अधिनियमों के आधार पर विरोधित किये जाते है जहां

कि एक पक्ष किसी एक तथ्य को कहता है और दूसरा पक्ष उस तथ्य को

इन्कार करता है । वर्तमान मामले में संशोधन के उपरांत ऐसा तथ्य दायित्व

गोप्य नहीं होता है । हेतु कि वि. न अवर न्याय तथ्य ने पूर्ण रूप 130 न,

deft has
denied
as 2A

उपर्युक्त कार्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि
ब्रिटिश और न्यायालय ने तथ्य एवं साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व
मौलिकता का पालन करते हुए तथी आदेश जारी किया है कि जिसमें
किसी प्रकार की कानून देवता को नहीं मिलती है और उक्त आदेश
दिनांक 7-8-2003 में किसी प्रकार के प्रकार के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता
नहीं बन सकती है। तदनुसार इस विषय निगरानी में आदेश देवता को
नहीं मिलता है निरस्त किया जाने के योग्य है।

अथवा

सिखित निम्नरानी निरस्त हो जाती है । विद्वान अथवा न्यायालय
 ६ रा पारित आदेश दिनांक 7-8-2003 की पुष्टि की जाती है । पत्रावली
 अतिरिक्त सम्बन्धित न्यायालय को वापस भेजी जाय न

वस्तु:-

॥ साधारण्य ॥

विदेन न्यायाधीश, सन १९८१ ई. १० स. १८८
मिशन भूद ।

दिन ६ 25-2-2004

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.

ANNEXURE NO.(11)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. _____ OF 2004.

DISTRICT: MIRZAPUR

Sargwati Devi.....Petitioner.

Vs.

State of U.P. through,

District Magistrate,

Mirzapur, and others.....Respondents.

...

...

...

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उद्घरण के शब्दों अनुसार शुद्ध एवं सही है :-

हस्ताक्षर लेखपाल
क्षेत्र
दिनांक

आदिवासी व भूमि अधिकार अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत		प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उद्घरण के शब्दों अनुसार शुद्ध एवं सही है :-		हस्ताक्षर लेखपाल		क्षेत्र		दिनांक	
आदिवासी का नाम व पिता का नाम और निवास स्थान	आदिवासी का पंजीकृत नाम	आदिवासी का पंजीकृत नाम	आदिवासी का पंजीकृत नाम	आदिवासी का पंजीकृत नाम	आदिवासी का पंजीकृत नाम	आदिवासी का पंजीकृत नाम	आदिवासी का पंजीकृत नाम	आदिवासी का पंजीकृत नाम	आदिवासी का पंजीकृत नाम
964 सरहलती देवी ली लिखु (पिपरी)	964	257	2	964	257	2	964	257	2

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.

ANNEXURE NO. (12)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. _____ / OF 2004.

(DISTRICT : MIRZAPUR)

Sarawati Devi Petitioner

Vs.

State of U.P. through,

District Magistrate,

Mirzapur, and others. Respondents

....

....

.....

....

प्रमाणित वटहरन बसरा ग्राम

परबना

वटहरन

जिला-मोरजापुर सन् १९०६

कसली

खेत की संख्या	खेतफल एक मुम या वटहरन	खेतनी सति की संख्या	खेतनी के भाग १ के वर्गीकरण के अनुसार खातिदारी के नाम	खेतनी भाग २ के वर्गीकरण के अनुसार खातिदारी का नाम यदि कोई हो	खेतनी के रोति भाग	कसली (कसली) का नाम										कसली		मोरजापुर के सिमरी के अनुसार का ब्यौटा		प्रत्येक खेत के बट्टा माली के संख्या और किसम	जिल्ला
१	२	३	४	५	६	कसली		वि		आयन		दो कसली		मोरजापुर के सिमरी के अनुसार का ब्यौटा		२०	२१				
						कसली का नाम	सिचा हुआ	अनसिचा	कसली का नाम	सिचा हुआ	अनसिचा	कसली का नाम	सिचा हुआ	अनसिचा	मिचा हुआ	अनसिचा	भूमि की प्रयोग	क्षेत्रफल			
१५१	१५४	१५५	असलतीनी	X	-												भूमि	१-८५	X		
२																					

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बट्टा संख्या के अनुसार बट्टा एक-सही है।

दिनांक

हस्ताक्षर

सो न

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. _____/OF 2004.

(DISTRICT : MIRZAPUR)

Saraswati Devi Petitioner.

Versus

State of U.P. through,

District Magistrate,

Mirzapur, and others. Respondents.

Affidavit of Saraswati Devi

aged about ___ yrs. Wife of

Sri Birju, Resident of Vill.

Belkhara, Pargna Ahraura,

Tehsil Chunar, District-

Mirzapur.

DEPONENT

I, the deponent named above do here by solemnly affirm

and state on oath as under :-

1. That the deponent is the sole petitioner in the

-2-

I, the deponent above named do hereby declare
with the facts of the case deposed to below.

I, the deponent above named do hereby declare
the contents of paragraph nos. 1 of this affidavit and
those of paragraph nos. ... 12019 Party Legal
.. Advise. of the accompanying
writ petition are true to my personal knowledge;
those of paragraph nos. _____

_____ of the accompanying
petition are based on perusal to Record and
so of paragraph nos. 20. Party Personal
knowledge. of the accompanying writ
are based on legal advice; which all I believe
that no part of it is false and nothing
been concealed in it.

[Signature]

person making this affidavit.
 a. The deponent is the same person who
 during the perusal of the papers.

Advocate.

Solemnly affirmed before me on this 12 th day of
 May, 1904 at about 12.30 a.m. 1/4 the deponent who
 has been identified as above.

I, have fully satisfied my self by exam-
 ining the
 deponent that he has understood my self
 the contents of this
 deponent that he has understood the c
 explained to him
 affidavit which has been read over
 by me.

OATH COMMISSIONER.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.

INDEX

IN

COUNTER AFFIDAVIT

(in reply to main writ Petition filed by petitioner)

on behalf of

Forest Officer (East Forest Range,

Mirzapur.

... Respondent No. 2.

In

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 19144 OF 2004

(DISTRICT: MIRZAPUR)

Saraswati Devi.

..Plaintiff/Petitioner

VERSUS

State of U.P. and others.

.. Respondents/Defendants.
Defendants.

SL. NO.	PARTICULARS OF PAPERS	DATES	ANNEXURES	PAGES
1.	Stay vacation application.	-	-	1 - 2
2.	Counter Affidavit	-	-	3 - 7

Dt. 19/4/2005.

(
STANDING COUNSEL
High Court, Allahabad.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL MISC STAY WORK VACATION APPLICATION NO. 072003

(Under Section 151 C.P.C.)

on behalf of

Forest Officer (East) Forest Range,

Mirzapur.

..... Respondent No. 1.

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 19144 OF 2004

(DISTRICT: MIRZAPUR)

Saraswati Devi wife of Sri Birju,

resident of village Belkhara,

Pargana Ahraura, Tehsil Chunar,

District Mirzapur.

...Petitioner/Plaintiff

Verus

1. State of U.P. through, District Magistrate,

Mirzapur.

2. Forest Officer, (East) Forest Range,

Mirzapur.

3. Gora Babu Belkhara through,

Gora Pradhan Belkhara, Pargana

Ahraura, Tehsil Chunar,

District Mirzapur.

.. Defendant/Respondents.

To,

The Hon'ble the Chief Justice and his other
companion Judges of the aforesaid court.

The humble application of the abovesaid
applicant most respectfully sheweth:-

- ## PLAYER

Dt. 1/4/2005.

Standing Council
High Court, Allahabad.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

COUNTER AFFIDAVIT

(In reply to main writ petition filed by petitioner)

On behalf of

Forest officer (East) Forest Range,
Mirzapur.

.. Respondent No. 2.

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 19144 OF 2004

(DISTRICT MIRZAPUR)

Saraswati Devi.

.. Petitioner/Plaintiff

VERSUS

State of U.P. and others.

.. Respondents/Defendants.

Affidavit of K. S. Yadav, aged
about 48 years son of

Shri Bal KRISHNA

Van Kahetrachikari, Chunar

Mirzapur, Van Prabhag, Mirzapur.

(DEPONENT)

I, the deponent named above do hereby
solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is posted as
Van Kahetrachikari, Chunar
Mirzapur and as such he is fully acquainted with the
facts deposed to below and he has been deputed to
file the counter affidavit.

2. That the writ petition filed by the petitioner has been read over by the deponent and he has fully understood the contents of the writ petition.
3. That the contents of paragraphs No. 1 and 2 of the writ petition need no comment.
4. That the contents of paragraphs No. 3, 4 and 5 of the writ petition need no comment, as the same is the matter of record.
5. That the contents of paragraph 6 of the writ petition as stated are not admitted, mutation has not taken place in this case, in favour of the petitioner. Further land acquisition has been brought under section 4 and section 20 of Indian Forest Act, 1927. As the question of granting any additional issue does not arise and in any case, the so called add issue is already covered in other issues also, and same may be considered if at all it is necessary in the interest of justice.
6. That the contents of paragraphs No. 7, 8, and 9 of the writ petition need no comments as same is the matter of record.
7. That the contents of paragraph 10 is not denied and it is submitted that proceedings of U.P. Consolidation Act do not apply, when land is brought up under section 4 and 20 of India Forest Act, 1927.

8. That the contents of paragraphs No. 11 and 12 of the writ petition are not denied. The reasons given by trial court and by lower Revisional court are legally correct, as will be evident from bare perusal of both the Judgments/orders of lower court.

9. That the contents of paragraph 13 of the writ petition need no comment.

10. That the contents of paragraph 14 of the writ petition are incorrect. The question of framing add issue does not arise, application has been moved just to delay proceedings which are, otherwise ripe and the same is covered under other issues.

11. That the contents of paragraph 15 of the writ petition are denied. There is no need to frame add issue. Same is covered in other issues.

12. That the contents of paragraphs No. 16 of the writ petition are not admitted, for the reasons stated already mentioned in foregoing paragraphs.

13. That the contents of paragraph 17 of the writ petition are not admitted. The lower court has rightly rejected application for framing additional issue, as case is very old. After declaration of Reserve Forest, Consolidation Act do not apply. This view was upheld by revisional court, The framing of

Additional issue is neither necessary nor proper upon the facts and circumstances of this case. It will delay the disposal of case, which is the main objection of the petitioner.

14. That the contents of paragraph 18 of the writ petition are not admitted.

15. That the contents of paragraphs No. 19 of the writ petition are not admitted. The orders passed by both the lower courts are legally and factually correct.

16. That the contents of paragraphs 20 of the writ petition are incorrect. The petitioner has not made out any case for interfere by this Hon'ble court. Under Article 226 of the Constitution of India, the writ petition deserves to be dismissed with special cast to the respondent and some early date be fixed for early disposal of the case by this Hon'ble court and stay order dated 14.9.2004 may be vacated.

I, the deponent named above do hereby solemnly affirm and verify that the contents of paragraphs No. 1, 2 _____

_____ of this affidavit are true to my personal knowledge that the contents of paragraphs No. 3 To 15 _____

of this affidavit are based on perusal of records; that the contents of paragraphs No. _____

_____ of this affidavit are

based on legal advice, which all I believe to be true, that no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

So help me God.

(DEPONENT)

I. R. K. Yadav Clerk

Standing Counsel, Advocate, High Court, Allahabad do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be the deponent is the same person and is known to me from the perusal of records which he produced before me in the case.

.....
Advocate.

Solemnly affirmed before me on the 19th day of April, 2003 at about 1.15 a.m./p.m. by the deponent who has been identified by the aforesaid Advocate.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which has been read over and explained to him.

Oath Commissioner.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT CALCUTTA.

* * * *

REJOINDER AFFIDAVIT

IN

REPLY OF COUNTER AFFIDAVIT FILED BY THE RESPONDENT NO.2.

IN

CIVIL NO. 12144 OF 2004
(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT: MIRZAPUR)

Sarawati Devi wife of Sri Birju
Resident of village Belkhara, Post
Ahraura, Pargana Ahraura, Tahsil Chunan,
District Mirzapur.

- - - - -Petitioner.

Versus.

1. State of U.P. through District Magistrate,
Mirzapur.
2. Forest Officer East Forest Range, Mirzapur.
3. Panch Sabha Belkhara through Gram Pradhan
Belkhara, Pargana Ahraura, Tahsil Chunan,
District Mirzapur.

- - - - -Respondents.

Affidavit of Sarawati Devi aged
about 61 years, wife of Birju,

Resident of village Belkhara,
P.O. & Pargana Ahraura, Tahsil

Chunan, District Mirzapur.

(Deponent)

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm and state on oath as follows :-

1. That the deponent is the sole petitioner and has been read over contents of the counter affidavit filed by the respondent No.2 and it has been explain in Hindi and she is fully understood the contents of the same and now she is in position to give the para-wise reply of the same.
2. That the contents of the paragraph No.1, 2, 3, and 4 of the counter affidavit needs no comments.
3. That the ^{contents of} paragraph No.5 of the counter affidavit as stated not admitted in reply the contents of the paragraph No.6 is reiterated, it is further submitted that once the dispute in the matter of title already has been decided by the consolidation court then if the defendant/respondent claim his title in written statement hence an additional issue in respect of whether the plea taken by the defendant/respondent is barred by section 49 of U.P. Consolidation of Holdings Act. ⁱⁿ ^{the} ^{interest} framed in ends of justice.

.S.

4. That the contents of the paragraph No.6 of counter affidavit needs no comments.
5. That the contents of paragraph No.7 of the counter affidavit as stated not admitted in reply to the paragraph No.10 of the writ petition reiterated.
6. That the contents of paragraph No.8 of the counter affidavit as stated not admitted the court's below committed manifest error in rejecting the application No.130 C filed by the petitioner.
7. That the contents of paragraph No.9 of the counter affidavit needs no comments.
8. That the contents of paragraph No.10 of the counter affidavit wrongly stated hence denied, it is further submitted that the contents of the respondent that the application for Framming an additional issue submitted by the petitioner just to delay the proceedings is totally misconceived.

9. That the contents of paragraph No.11 of counter affidavit wrongly stated hence denied. In reply the paragraph No.16 of the writ petition is reiterated.
10. That the contents of paragraph No.12 of the counter affidavit related with the legal aspect hence suitable reply will be given at the time of argument.²_A
11. That the contents of paragraph No.13 of the counter affidavit is not admitted in reply the paragraph No.17 of the writ petition is reiterated.
12. That the contents of paragraph No.14 of the counter affidavit is not admitted in reply the paragraph No.18 of the writ petition is reiterated.
13. That the contents of paragraph No.15 of the counter affidavit as stated not admitted it is submitted that the court below illegally rejected the application for framing an additional issue.
14. That the contents of paragraph No.16 of the counter affidavit as stated not admitted in reply the

.5.

the paragraph No.20 of the writ petition is reit

I, the the deponent ~~is~~ the above named do here
 declare and swear that the contents of paragraph nos..
 ..1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 of this affidavit
 are true to my personal knowledge; and those of paragraph
 nos..3,6,8,13, of this affidavit
 are based on perusal of records; and those of paragraph
 nos. 10 of this affidavit
 are based on legal advice; which all I believe to be
 true and that no part of it is false and nothing material
 has been concealed in it.

SO HELP ME GOD..

(DEPONENT)

I, K.C. Pandey, Advocate, High Court, Allahabad
 do hereby declare that the person making this affidavit
 and alleging himself to be the deponent is the same
 person and is known to me from the perusal of the papers
 produced before me in this case.

Advocate.

Solemnly affirmed before me on this 27th
day of Oct. 2005, at about 1-40 a.m./p.m. by the
deponent who has been identified by the aforesaid
advocate.

I have satisfied my self by examining the
deponent that who has understood the contents of
this affidavit which have been readover and explained
to him by me in Hindi.

Oath Commissioner.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

INDEX
IN
SUPPLEMENTARY COUNTER AFFIDAVIT

On behalf of Respondent No. 2

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 19144 OF 2004.

(District: Mirzapur)

Saraswati Devi

.....

Petitioner

Versus

State of U.P. and others

.....

Respondents

Sl.N	Particulars	Dates	Annex	Page
1	Supplementary Counter affidavit			1-4
2	A copy of the letter and its reply	20.12.2001 3.1.2002	SCA-1	-5
5	Appearance slip			6

Dated: 12 January, 2010

(Standing Counsel)
High Court, Allahabad
Counsel for the Respondent No. 2

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

SUPPLEMENTARY COUNTER AFFIDAVIT

On behalf of Respondent No. 2

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 19144 OF 2004.

(District: Mirzapur)

Saraswati Devi wife of Sri Birju,
Resident of Village Belkhara, Pargana Ahraura,
Tehsil Chunar, District Mirzapur.

.....

Petitioner

Versus

1. State of U.P. through District Magistrate, Mirzapur.
2. Forest Officer (East) Forest Range, Mirzapur.
3. Gaon Sabha Belkhara, Pargana Ahraura, Tehsil Chunar,
District Mirzapur.

.....

Respondents

Affidavit of K. S. Yadav, aged about 52
Years, Son of Late Shri Bal Krishna, Presently
posted as Forest Range Officer, Range
Mirzapur.

(Deponent)

I, the deponent, above named do hereby solemnly affirm
and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Forest Range officer,
Range Mirzapur and has been arrayed as respondent no. 2 in the

above noted writ petition and as such is well acquainted with the facts deposed to below.

2. That the above noted writ petition has been filed by the petitioner challenging the validity of the order dated 25.2.2004 and 7.8.2003 whereby the amendment application dated 10.2.1983 has been rejected by court below.
3. That the petitioner has set up a case in the present writ petition that an order dated 10.2.1963 was passed by the Consolidation officer IIIrd Tehsil Chunar, District Mirzapur in favour of the petitioner in the case No. 58/309 of 1963 Smt. Saraswati Devi Versus Sonwan Khand Uttari Mirzapur under section 9-A of U.P. C.H. Act. By order dated 10.2.1963, the name of petitioner was recorded as Sirdar over the plot No. 626 area 15 Bihga. As per petitioner, the order dated 10.2.1963 has not been set aside by any competent court of law/authority.
4. That the above noted writ petition was listed on 19.11.209 and after hearing the parties, this Hon'ble Court has directed the contesting respondents to verify as to whether the order dated 10.2.1963 passed by the C.O. has been challenged before any appellate court or not?
5. That after coming to know with respect to the order passed by this Hon'ble Court dated 19.11.2009, the matter was inquired in detail and finally the answering respondent came to know that much prior to the filing of above noted writ petition, an information was sought from the In-charge, Revenue Record office, Mirzapur with regard to the order dated 10.2.1963 passed by the C.O. case No. 58/309 of 1963 Smt. Saraswati Devi Versus Sonwan Khand Uttari Mirzapur under section 9-A of U.P. C.H. Act.
6. That the In-charge, Revenue Record office, Mirzapur informed the department that there is no entry in the record room pertaining to

the case No. 58/309 of 1963 Smt. Saraswati Devi Versus Sonwan Khand Uttari Mirzapur under section 9-A of U.P. C.H. Act as well as the order passed by the C.O. dated 10.2.1963 in the said case. A copy of the letter dated 20.12.2001 and its reply by the Revenue Record officer dated 3.1.2002 is being annexed as Annexure No. SCA-1 to this affidavit.

7. That it is clear that neither the case No. 58/309 of 1963 Smt. Saraswati Devi Versus Sonwan Khand Uttari Mirzapur under section 9-A of U.P. C.H. Act was ever filed nor it was ever decided by the C.O. by order dated 10.2.1963, therefore question of filing any appeal does not arise.
8. That the present supplementary counter affidavit is being filed in compliance of the direction issued by this Hon'ble Court dated 19.11.2009, the same may be taken on record.

I, the deponent, above named do hereby declare and verify that the contents of paras Nos..... of this affidavit are true to my personal knowledge; and those the contents of paras Nos. of this affidavit are based on perusal of the records; and those the contents of Paras Nos..... of this affidavit based on legal advice, which all I believe to be true that no part of it is false and nothing material has been concealed herein.

So Help Me God.

(Deponent)

I, P. K. Singh Clerk to Chief Standing Counsel, High Court, Allahabad do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be the deponent who is known to me from the perusal of the records which he produced before me in this case.

Clerk .

Solemnly affirmed before me on this ...day of January, 2010
at about a.m./p.m. by the deponent who has been identified by
the aforesaid Clerk.

I have satisfied myself by examining the deponent that he
has fully understood the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER.

गो. प्र. 1/11
को. प्र. 1/11

प्रमाणक I

सरकारी काम हेतु

से. प्र.

प्र. प्र. अधिकारी,
राजस्व अभिलेखी, तालाब,
मीरजापुर

महोदय,

हृपमा नमिल करित का वन्द करे कि क्या निम्नलिखित
पत्र की वन्द प्रमाणिकी प्रमाणिकी राजस्व अभिलेखी तालाब में
उपलब्ध है -

न्यायालय चार अधिकारी द्वा. अद्वैत, तालाब, मीरजापुर
मु. नं. 58/309 वन्द 1963

सरस्वती वनाम क्षेत्र वन वन्द अद्वैत मीरजापुर अद्वैत
ग्राम - बेलखरा परगना - अद्वैत नदरीत - तुनार जिल्ला मीरजापुर
अद्वैत वनाम 9 अ क्षेत्र वन्द की कानून
नं. प्र. - 10-2-63

अद्वैत

2-11-2001

(मु. तुनार वन्द)
अ. वन वन्द
मीरजापुर वन्द प्रमाण,
मीरजापुर

महोदय,

मौजा वेणवरा परगना अद्वैत तालाब तुनार सरस्वती वनाम

लेखक वन्द अद्वैत मीरजापुर मु. नं. 58/309 चार 9 अ तालाब 10-2-63

नं. 10/80 अद्वैत की वन्द की नदरीत में दर्ज वन्द नही पाय जाता है।

प्रमाणिकी (वन्द)

3-1-2002

अ. वन वन्द

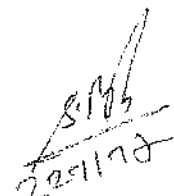
अ. प्र. प्र.

R.R.K.

3-1-2002



केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of which Application is made for copy accom- panied by the requisite stamps.	नोटिस बॉर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
22-11-17 नाइल नवगवा तार 20/7	22-11-17 नाइल नवगवा तार 20/7	22-11-17 नाइल नवगवा तार 20/7	 22/11/17

०. सामान्य प्रशासन अर्ज. श्री ०५७०१८०४९
उ.प्र. १५७ अ. ३०/७

रा० सी० पी० लेकलेज हाइवे टाँगिडेटे ५ वनाम दो बरगवकोलपारी
कुवा रंज नीराम



दोहा संलग्नक - ८

न्यायालय सिविल जज (सी० डि०) मीरजापुर

वाद सी०-

147

सन् 2017

- 1- ए० सी० पी० टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय बी-9, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ उ० प्र० बजरिये प्रबन्धक श्री भोन्नू कुमार सिंह बचन 35 वर्ष पुत्र स्व० लाल भाहब सिंह निवासी लोदी टोल प्लाजा राबर्टसगंज सोनभद्र
- 2- मेसर्स चैतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड द्वारा गोकुल पुत्र पंढरीनाथ चौधरी आयु 36 वर्ष निवासी पुराना आर० टी० ओ० ऑफिस के पीछे राबर्टसगंज, जनपद सोनभद्र पंजीकृत कार्यालय डाक बंगला के रोड, पंच एरिया निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

वादीगण

बनाम

- 1- क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज, चुनार, मीरजापुर
- 2- उपप्रभोगीय वनाधिकारी, चुनार रेंज, चुनार मीरजापुर
- 3- वनाधिकारी, जिला मीरजापुर।

प्रतिवादीगण

बजरिये दावा हम वादीगण निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

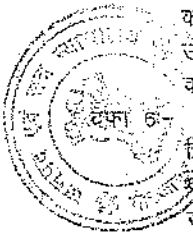
- दफा 1:- यह कि हम वादी एक पंजीकृत वैधानिक फर्म है और हम वादी उक्त फर्म के निदेशक द्वारा है तथा उक्त फर्म की तरफ से दावा दाखिल करने का अधिकारी है।
- दफा 2:- यह कि हम वादी फर्म सम्पूर्ण भारत में सिविल निर्माण के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कम्पनी है और हम वादी की कम्पनी द्वारा भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों में अपने रिजिनल कार्यालय भी उपस्थित किये गये है और उसी तरह उ० प्र० राज्य में जिला सोनभद्र में भी हम वादी फर्म का कार्यालय है। हम वादी फर्म ग्राम बेलखरा परगना अहौरा तहसील चुनार जिला मीरजापुर में अपने फर्म का कार्यालय स्थापित कर वहाँ अपने कम्पनी के कार्य का निष्पादन विधिक तौर पर व वैधानिक तरीक से विगत कई वर्षों से लगातार करता चला आ रहा है और आज भी है।
- दफा 3:- यह कि वाद प्रस्त सम्पत्ति को वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में यथास्थान बहरुफ ए बी सी डी ई एक से दिखाया गया है तथा जिसका विस्तृत विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है।
- दफा 4:- यह कि हम वादी फर्म की कम्पनी का कार्य मौजा बेलखरा परगना अहौरा तहसील चुनार जिला मीरजापुर की आ० न० 291/2 रकबा 3.7940 हे० पर अपनी कम्पनी का मुख्य कार्यालय स्थापित किया है जिसका विस्तृत विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है।



Isma Khan Singh

तथा हम वादी फर्म का मुख्य कार्य सड़क निर्माण व उसका मेन्टेनेंस व उसकी देख-रेख करना है। उक्त कार्यालय की स्थापना हम वादी फर्म ने म्योरपुर से हाथीनाला जाने वाली व सड़क के निर्माण के देख रेख व उसके अलावा अन्य सड़कों के देख-रेख के लिये उक्त दृष्टिकोण से किया है। हम वादी का उक्त कार्यालय व कार्यस्थल, प्रतिवादीगण व जिला मीरजापुर व जिला सोनभद्र के प्रत्येक प्रशासनिक व वनाधिकारियों के जानकारी में आबाद रूप से अरसा 10-15 वर्ष पूर्व से ही लगातार अवस्थित रहा है और आज भी है। हम वादी फर्म ने उक्त भूमि को सरस्वती देवी पत्नी बिरजू निवासिनी ग्राम घमहापुर, परगना अहरोरा तहसील धुनार जिला मीरजापुर से लीज पर लेकर व उनकी सहमति से उस पर कार्य करती चली आ रही है और आज भी है।

दफा 5:- यह कि हम वादी फर्म वर्तमान में फर्म मेसर्स चैतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड निम्बाहेड़ा (राजस्थान) के साथ संविदा कर उत्तर प्रदेश राज्य में और जिला मीरजापुर व सोनभद्र में कार्य कर रही है और हम दोनों फर्म संविदा का अनुपालन करते चले आ रहे हैं और प्रश्नगत भूमि जिस पर हम वादी फर्म का कार्यस्थल व कार्यशाला स्थित है, उस पर पूर्व में मेसर्स चैतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड का कार्यशाला व कार्यस्थल था। जिसे अब हम वादी फर्म संयुक्त उद्यम के दृष्टिकोण से मेसर्स चैतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड के साथ उसका संचालन करती है। वर्तमान में उक्त स्थल हम वादी फर्म के कंट्रोल में है और उस पर हम वादी फर्म ही कार्य करते हैं हालांकि उस पर मेसर्स चैतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड का शेयर है। उस पर कोई विवाद नहीं है।



यह कि दिनांक 24.09.2017 ई० को मेसर्स चैतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड के कार्यलय राबर्टसगंज सोनभद्र को एक नोटिस प्रतिवादी नं० 1 के कार्यालय से प्रेषित प्राप्त हुई। जिसे देखकर उसकी सूचना उक्त फर्म ने हम वादी फर्म को दी और मेसर्स चैतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड ने उसका जवाब भी जरिये अधिवक्ता भेजवाया। लेकिन दिनांक 28.09.2017 को प्रतिवादी नं० 1 व 2 के कार्यालय के तमाम कर्मचारीगण आये और सम्पत्ति भुन्दर्ज दावा पर स्थित हम वादी फर्म के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से घुसते हुये यह धमकी देना प्रारम्भ किये कि आप लोग अपने सारे सामान यहा से हटा लिजिये और अपने अस्थाई व स्थाई मकानातो को हटा लिजिये और इस जगह को पूरी तरह से छोड़ दिजिये। हम वादी फर्म द्वारा उनके इस बेजा हरकत के बारे में पूछताछ करने पर उन लोगों द्वारा कहा गया कि यह जंगल विभाग की भूमि है और इस पर जंगल विभाग का नाम दर्ज है। जिस पर हम वादी

Sano Kumar Singh

फर्म के कर्मचारियों द्वारा यह कहने पर कि इस भूमि का आ० नं० 291/2 रकबा 3.7940 है० है जो सरस्वती देवी पत्नी बिरजू के नाम दर्ज है जिस पर उक्त कर्मचारियों ने कहा कि सरस्वती देवी पत्नी बिरजू उस जमीन पर मुकदमा हार चुकी है और उन्होंने मुकदमा न्यायालय सिविल जज जू० डि० चुनार मीरजापुर के यहाँ वाद सं० 305 सन् 1987 दाखिल किया था जिसके उनके विरुद्ध दिनांक 15.12.11 को डिक्री पारित किया जा चुका है हालांकि उसके विरुद्ध उन्हें अपील 9 सन् 2012 दाखिल किया है लेकिन आप लोग यह जमीन छोड़ दजिये। जिस पर हम वादी फर्म के द्वारा यह कहे जाने पर कि जिस जमीन पर मुकदमा सरस्वती देवी दाखिल किया है वह 291 मिलमुमिला नम्बर है न कि इस बट्टेजात पर दाखिल किया गया है अलावा इसके आ० नं० 291 का पूरा रकबा 15 बीघे से कहीं बहुत ज्यादा है और उसके तमाम बट्टेजात भी हैं उक्त मुकदमे में ही स्पष्ट नहीं है कि वह मुकदमा आ० नं० 291/2 के सम्बन्ध में दाखिल किया गया है या उस पर कहीं आदेश पारित किया गया है। और उस मुकदमे में आप लोग द्वारा केवल मात्र यह कहा गया कि उक्त 291 मि 15 बीघा वाली भूमि जंगल विभाग के विज्ञप्ति वाली भूमि है लेकिन यह कहीं स्पष्ट नहीं कहा गया कि उसके अन्य बट्टेजात कहीं हैं और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त मुकदमा 291/2 के ही सम्बन्ध में है। क्योंकि सरस्वती देवी आ० नं० 291/2 के अलावा 291 के लगभग 20-25 बीघे के भूमि पर काबिज दाखिल रही जिस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि हम लोगो में जिस सम्पत्ति को लीज पर लिया है वह 291 मि जो कि सरस्वती देवी के रकबे का अंश ही है अजब इसके इस तथ्य की सली गति जानकारी आपके विभाग के सभी कर्मचारियों को रही इस पर मेसर्स चेतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड व हम वादी फर्म अपने तमाम निर्माण कराकर व कारखाला बनाकर सरकारी सड़क निर्माण व उसके मेन्टेनेस का काम कर ही है और उस पर हम वादी फर्म के तमाम निर्माण है। लेकिन सरस्वती देवी द्वारा दाखिल उक्त मुकदमे में यह तथ्य नहीं आया है कि उस पर मेसर्स चेतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड व हम वादी फर्म की कारखाला है। यहाँ तक कि उस पर पर आप लोगो ने खाली जमीन व पेड़ होने का अभिकथन किया है। हम लोगो के तामीरात व मेसर्स चेतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड के तामीरात के तामीरात उपस्थित रहे। जिससे स्पष्ट है कि सरस्वती देवी द्वारा जो मुकदमा दाखिल किया गया है वह आ० नं० 291/2 रकबा 3.7940 है० से सम्बन्धित नहीं है। जिस पर प्रतिवादी नं० 1 व 2 के कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि यह सब हम लोग नहीं जानते



① Sanam Singh ⑤

बेहतर है कि आप लोग एक हफ्ते के अन्दर ये सभी तामीरात ठंढा दीजिये वरना हम लोग एक हफ्ते के बाद अपने कर्मचारियों के बल पर आपके सारे तामीरातों का कार्यशाला आदि को ध्वस्त कर देंगे और पुरी तैयारी के साथ आने की धमकी देते हुये वापस लौट गये।

पृष्ठा 7- यह कि हम वादी फर्म ने इस सम्बन्ध में अपने साझेदार फर्म मेसर्स चेतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि इस तरह की एक नोटिस मेरे कैंप कार्यालय सोनभद्र में आई थी जिसका मैंने अधिवक्ता के जरिये जवाब भेजवा दिया चुकि नौके पर आपकी ही फर्म पूरी व्यवस्था देख रही है और आपकी कार्यशाला आदि है और अनुबन्ध के अनुसार वहाँ आपकी फर्म स्थित है चुकि हम लोग शेयर होल्डर हैं और आपका प्रश्नगत सम्पत्ति पर कब्जा काफी पूर्व से है। जिस कारण आप लोग इस सम्बन्ध में जो विधिक राय हो लेकर कार्य करिये और सविदा व साझेदारी अनुबन्ध के अनुसार आप लोगो के द्वारा विधिक कार्यवाही हम लोगो को स्वीकार है। जिस पर हम वादी फर्म ने इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता की राय लिया तो उन्होंने बताया कि अगर प्रश्नगत सम्पत्ति में आप लोगो को अवैधानिक रूप से बेदखल किया जा रहा है और इस तरह की नोटिस प्रतिवादी नं० 1 व 2 द्वारा दी जा रही है तो आप लोग अपनी अवैधानिक बेदखली न हो इसके लिये मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आ० नं० 291 हजारों बीघो की भूमि है और उसमें तमाम बट्टेजात है और जंगल विभाग मनमानी तौर पर 291/2 को अपने भूमि कह रहा है तो यह स्पष्ट रूप से मामला डिमारकेशन का है और सक्षम न्यायालय से अनुमति लिये जाने के पूर्व आपकी बेदखली नही की जा सकती। वकील साहब ने यह राय दिया कि सरस्वती देवी द्वारा जो मुकदमा 305 सन् 1987 दाखिल किया गया है उसमें आप लोगो का मामला कोई जिक्र नही है और उसे काश्त की जमीन की धमकी दी गई है और जंगल विभाग द्वारा जो जवाबदेही लगाई है उसमें भी आप लोगो के कार्यशाला व आदि का जिक्र नही है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त मुकदमें में जो विवादित भूमि है वह कतई आ० नं० 291/2 नही है। अलावा इसके कोई तृतीय पक्ष आपको आपकी लीजशुदा सम्पत्ति से व असल मालिक के इच्छा के विपरीत बेदखल करने की धमकी दे रहा है तो आपको अपने आधिपत्य के रक्षार्थ दावा दाखिल करने का पूर्ण अधिकार है। जिस पर हम वादी फर्म अन्य कोई विधिक उपचार न देखकर यह दावा दाखिल किया जा रहा है।

(Signature) Gaur Kumar Singh

दफा 8:- यह कि हम वादी फर्म जो कि मेसर्स चेतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड के साथ वैधानिक तौर पर साझेदार फर्म हैं और सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा पर बने कार्यशाला व कार्यालय व उस पर अपने कर्मचारियों के निवास आदि के लिये बनाये गये स्थाई व अस्थायी निर्माण का संचालन करती है सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा आ० नं० 291/2 रकबा 3.7940 हे० स्थित ग्राम बेलखरा, परगना अहरौरा तहसील चुनार जिला मीरजापुर पर हम वादी फर्म नियमानुसार काबिज दखिल है और सरस्वती देवी पत्नी बिरजू द्वारा किये गये लीज अनुबन्ध पत्र दिनांकित 11.05.2017 के अनुरूप उस पर लीज अनुबन्ध पत्र की शर्तों को स्वीकार करते हुये उस पर सड़क निर्माण व उसके सम्बन्धित सभी मैटेरियल व मशीनरी रखता है तथा सड़क निर्माण के लिये आवश्यक सभी प्लाट वहा लीज अनुबन्ध के अनुसार स्थापित किया है और उसके पूर्व हम वादी फर्म की साझेदार फर्म मेसर्स चेतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड की मशीनरी आदि व प्लाट व निर्माण आदि वहाँ मौजूद है। इस तरह हम वादी फर्म सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा की वैधानिक लीज होल्डर फर्म है और लीज अनुबन्ध के अनुसार उस पर कार्य करने के लिये उस पर वैधानिक अधिकार है। प्रतिवादीन नं० 1 व 2 को कतई कोई अधिकार उक्त सम्पत्ति से हम वादी फर्म को जबरजस्ती दबेखल करने व उस पर स्थित तमाम मशीनरी व निर्माण जो स्थाई व अस्थायी दोनों तौर के हैं उनको ध्वस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। हरकत प्रतिवादी नं० 1 व 2 को उनके फेल व बेजा हरकत से नहीं रोका गया तो वे निश्चित ही उससे हम वादी फर्म को जबरजस्ती अवैधानिक तरीक से दबेखल कर देवेंगे जिससे सख्त हकतल्फी हम वादी फर्म को होगी जिसकी पूर्ति रुपये व पैसे व अन्य किसी तरीक से कदापि नहीं होगी। तथा हम वादी फर्म का उक्त स्थल से सड़क निर्माण व उसी देखरेख का कार्य संचालित किया जा रहा है वह अनंत्य बाधित हो जावेगा जिससे भी सख्तहकतल्फी हम वादी फर्म को होगी।



दफा 9:- यह कि प्रतिवादी नं० 3 को बरफानुख्त आइन्दा पक्ष मुकदमा बनाया जा रहा है क्योंकि वनाधिकारी मीरजापुर के क्षेत्राधिकार में उक्त चुनार रेंज आता है। फलतः उन्हें आवश्यकीय पक्षकार होने के नाते पक्ष मुकदमा बनाया जा रहा है। चूंकि प्रतिवादी नं० 1 ता 3 निगम है जिस कारण प्रतिवादीगण को विधिक तौर पर कोई नोटिस दावा दाखिल करने के पूर्व बमुजिब राय वकील सायलान कोई नोटिस नहीं दी जा रही है और न ही विधिक तौर पर ऐसे किसी नोटिस दिये जाने की सम्भावना है क्योंकि वे केन्द्रीय व

Saroj Kumar Singh

राज्य सरकार की धारा 79 सि० प्र० स० में दी गई प्रदत्त श्रेणी में नहीं आते।

दफा 10:- यह कि वाद का कारण दिनांक 24.09.2017 ई० को मेसर्स चैतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड कैम्प कार्यालय राबर्टसगंज सौनभद्र को एक नोटिस प्रतिवादी नं० 1 के कार्यालय से प्रेषित प्राप्त हुई। जिसे देखकर उसकी सूचना उक्त फर्म ने हम वादी फर्म को दी और मेसर्स चैतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड ने उसका जवाब भी जरिये अधिवक्ता भेजवाया। लेकिन दिनांक 28.09.2017 को प्रतिवादी नं० 1 व 2 के कार्यालय के तमाम कर्मचारीगण आये और सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा पर स्थित हम वादी फर्म के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से घुसते हुये यह धमकी देना प्रारम्भ किये कि आप लोग अपने शारे सामान यहां से हटा लिजिये और अपने अस्थाई व स्थाई भूकानालों को हटा लिजिये और इस जगह को पूरी तरह से छोड़ दिजिये। हम वादी फर्म द्वारा उनके इस बेजा हरकत के बारे में पूछताछ करने पर उन लोगो द्वारा कहा गया कि यह जंगल विभाग की भूमि है और इस पर जंगल विभाग का नाम दर्ज है। जिस पर हम वादी फर्म के कर्मचारियों द्वारा यह कहने पर कि इस भूमि का आ० नं० 291/2 रकबा 3.7940 हे० है जो सरस्वती देवी पत्नी बिरजू के नाम दर्ज है जिस पर उक्त कर्मचारियों ने कहा कि सरस्वती देवी पत्नी बिरजू उस जमीन पर मुकदमा हार चुकी है और उन्होंने मुकदमा न्यायालय सिविल जज जू० डि० चुनार मीरजापुर के यहाँ वाद सं० 305 सन् 1987 दाखिल किया था जिसके उनके विरुद्ध दिनांक 15.12.11 को डिक्री पारित किया जा चुका है हालांकि उसके विरुद्ध उन्हें अपील 9 सन् 2012 दाखिल किया है लेकिन आप लोग यह जमीन छोड़ दिजिये। जिस पर हम वादी फर्म के द्वारा यह कहे जाने पर कि जिस जमीन पर मुकदमा सरस्वती देवी दाखिल किया है वह 291 मिलमुमिला नम्बर है न कि इस बट्टेजात पर दाखिल किया गया है अलावा इसके आ० नं० 291 का पूरा रकबा 15 बीघे से कहीं बहुत ज्यादा है और उसके तुलना बट्टेजात भी है उक्त मुकदमे ये ही स्पष्ट नहीं है कि वह मुकदमा आ० नं० 291/2 के सम्बन्ध में दाखिल किया गया है या उस पर कही आदेश पारित किया गया है। और उस मुकदमे में आप लोगो द्वारा केवल मात्र यह कहा गया कि उक्त 291 सि 15 बीघा वाली भूमि जंगल विभाग के विज्ञप्ति वाली भूमि है लेकिन यह कही स्पष्ट नहीं कहा गया कि उसके अन्य बट्टेजात कहां है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त मुकदमा 291/2 के ही सम्बन्ध में है। क्योंकि सरस्वती देवी आ० नं० 291/2 के अलावा 291 के लगभग 20-25 बीघे के भूमि पर काबिज दखिल रही जिस



Satish Kumar Singh

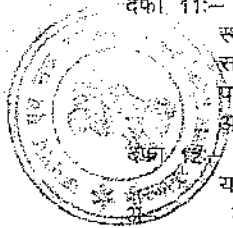
(2)

कारण यह नहीं कहा जा सकता कि हम लोगों ने जिस सम्पत्ति को लीज पर लिया है वह 291 मि जो कि सरस्वती देवी के रकबे का अंश ही है अतः इसके इस तथ्य की भली भौति जानकारी आपके विभाग के सभी कर्मचारियों को रही इस पर मेसर्स चेतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड व हम वादी फर्म अपने तमाम निर्माण कराकर व कार्यशाला बनाकर सरकारी सड़क निर्माण व उसके मेन्टेनेस का कार्य कर ही है और उस पर हम वादी फर्म के तमाम निर्माण है। लेकिन सरस्वती द्वारा दाखिल मुकदमे में यह तथ्य नहीं आया है कि उस पर मेसर्स चेतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड व हम वादी फर्म की कार्यशाला है। यहाँ तक कि उस पर पर आप लोगों ने खाली जमीन व घेड़ होने का अभिकथन किया है। हम लोगों के तामीरात व मेसर्स चेतक इंटर प्राइजेज लिमिटेड के तामीरात के तामीरात उपस्थित रहे। जिससे स्पष्ट है कि सरस्वती देवी द्वारा जो मुकदमा दाखिल किया गया है वह आ० नं० 291/2 रकबा 3.7940 हे० से सम्बन्धित नहीं है। जिस पर प्रतिवादी नं० 1 व 2 के कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि यह सब हम लोग नहीं जानते बेहतर है कि आप लोग एक हफ्ते के अन्दर ये सभी तामीरात हटा दीजिये वरना हम लोग एक हफ्ते के बाद अपने कर्मचारियों के बल पर आपके सारे तामीरातों का कार्यशाला आदि को ध्वस्त कर देंगे और पूरी तैयारी के साथ आने की धमकी देते हुये वापस लौट गये से बमुकाम बेलखड़ा परगना अहरोरा तहसील चुनार जिला भीरजापुर में न्यायालय श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ और न्यायालय हाजा को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हारालिस है।

दफा 11:- यह कि वाद का मूल्यांकन प्रसंगत सम्पत्ति पर स्थित तमाम स्थाई तामीरात बोरवेल आदि सहित कुल ₹ 1,00,000/- ₹० तलाना लीज की धनशशि सहित कुल मु० 10,00,000/- ₹० तय पाया जाता है और उसी बमुजब कानून कानुनी कोर्ट फीस अधिकतम मु० 500/- ₹० अदा किया जा रहा है।

दफा 12:- यह कि बजरिये दावा हम वादी फर्म निम्नलिखित अनुतोषों की याचक है:-

यह कि बजरिये हुक्म इम्तनाई दवामी प्रतिवादी नं० 1 व 2 को मंनमुअ किया जावे कि वे स्वयं या बजरिये अपने किसी एजेंट के जरिये सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है से हम वादी फर्म को या उसके कर्मचारियों को किसी भी तरीक से बेदखल न करे। न ही उस पर स्थित हम वादी फर्म की मशीनरी व अस्थाई, स्थाई निर्माणनात बोरिंग व रिहाईश टेन्ट आदि को किसी भी तरीक से ध्वस्त न करे। न ही उस पर कब्जा देखल सह वादी फर्म में लीज की अवधि के दौरान किसी भी तरह



① Suresh Kumar Singh ②

का अवरोध या हस्तक्षेप ही करे। न ही उससे हम वादी फर्म को विधि विरुद्ध तरीक से बेदखल ही करे। न ही कोई ऐसा ही कार्य करे जिससे कि हम वादी फर्म सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा के समुचित उपयोग व उपभोग से किसी भी तरीक से अवरोधित या वंचित ही होवे।

ब- यह कि खर्चा मुकदमा की डिक्ली बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी नं० 1 व 2 सादिर फरमाई जावे।

स- यह कि अलावा या बजाय हम वादी अदालत की राय में जिन-जिन अनुत्तोंधो को पाने का अधिकारी समझा जावे उसकी भी डिक्ली बहक हम वादी खिलाफ प्रतिवादी नं० 1 व 2 सादिर फरमाई जावे।

तफसील सम्पत्ति आ० नं० 291/2 रकबा 3.7940 हे० स्थित ग्राम बेलखड़ा परगना अहरौरा तहसील चुनार जिला मीरजापुर।

पूरब-अहरौरा बौध

पश्चिम-वासणसी शक्तिनगर राजमार्ग

उत्तर-ग्राम सभा की भुनि

दक्षिण-वनभूमि

दिनांक-

20.11.17 Seno Kumar Singh

वादीगण



हम सत्यापित करते हैं प्रस्तुत वादपत्र के कुल मजमून देफाल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, व 12 में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सच व सही है। कोई भी बात झूठ व छिपाई नहीं गई है। परमेश्वर मेरी मदद करे। लिखा बमुकाम दीवानी कचहरी मीरजापुर।

दिनांक-

20.11.17

वादीगण

Senoo Kumar Singh

Q

Q

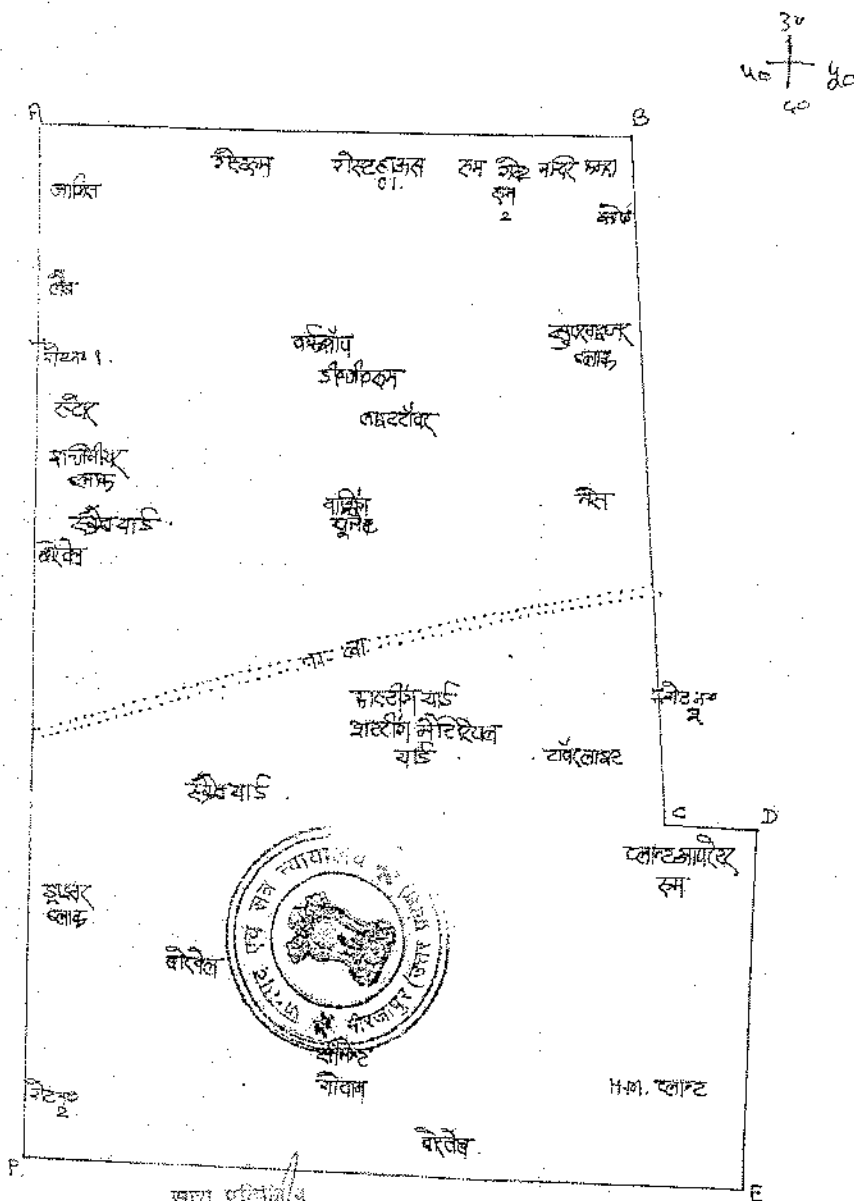
Безопасность (Мат.) и другие

Q1277b

17

ਏ. ਜੀ. ਪੀ. ਟੇਲਰ - ਆਰ. ਡੀ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਰ.

၁၇၈၂၅-၁၇၈၂၆

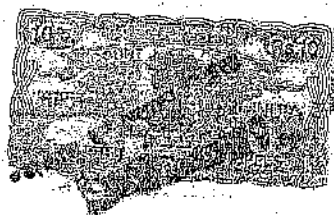


सत्य प्रतिलिपि
प्रधान-प्रतिलिपि
जनपद न्यायालय-मीरजापुर

संनयनं न्यायजनकं—भीरज्जापुत्रः

Q James James Engl.

2000



केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application is made for copy accom- panied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
22-11-17 लाइल नवमणा मार्च 2017	22-11-17 लाइल नवमणा मार्च 2017	22-11-17 लाइल नवमणा मार्च 2017	 22-11-17

22-11-07

આમાના પંચ સિદ્ધિલા જલ સ્ત્રી ૦૬/૦૩/૨૦૧૭
ક્રમ. ૧૪૭ તારીખ ૨૦૧૭

3001. 147 17/10/17

र० सा० प० लेखन प्रवर्तक विनिर्देशन के लिये वकील/वकील
जुआ रेजिस्ट्रार



ଆମ୍ଭ ୨୫-11-17 (ନଂ ୧)

Neurological

न्यायालय सिविल जज सी०डि०, मीरजापुर।

मूल वाद सं०-157 सन्- 2017

श्री. श्री. वी. वी. शेलवडे बनाम श्री. श्री. सुभाषराव शिंदे

वाद का प्रकार- 10 वीं चान्स

वाद का वर्गीकरण- 37

वाद का मूल्यांकन- 10,00,000/-

वादी के अधिवक्ता- श्री. जे. जे. शिंदे

21.11.2017

आदेश-पत्र

आज वाद प्रस्तुत हुआ। मुत्सरिम आख्या का अवलोकन किया।

आदेश

वाद पंजीकृत हो। प्रतिवादीगण को समन जारी हो। पैरवी वादी द्वारा उभयप्रकार से तीन दिन के अन्दर की जाय। पत्रावली वास्ते जवाबदावा/तनकीह दिनांक 05.01.2018 को पेश हो।

प्रभारी सिविल जज सी०डि०,
मीरजापुर।



21.11.2017

मुत्सरिम की आख्यानुसार कैंबिएट दाखिल नहीं है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 6ग मय समर्थित शपथपत्र कागज सं०-7ग पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से वादपत्र में किये गये अभिकथनों के आधार पर अपने हक में व्यादेश जारी करने की याचना की गयी है। अपने कथन के समर्थन में फिह०-11ग से कागज सं०-12ग व 13 किराया लीज अनुबंध पत्र, एक अदद नोटिस कागज सं०-14ग, कागज सं०-15ग जवाब नोटिस, कागज सं०-16ग खसरा दाखिल किये गये हैं, जिनके अवलोकन से वादीगण का प्रथम दृष्टया वादग्रस्त सम्पत्ति जिसकी तफसील वादपत्र के अन्त में दी गयी है, लीज होल्डर व अध्यासी साबित होते हैं।

मुताबिक वादपत्र प्रतिवादीगण प्रश्नगत जायदाद से वादीगण को बेकब्जा करना चाहते हैं, जिनका उन्हें कोई हक हासिल नहीं है। वर्तमान स्तर पर वादपत्र में किये गये सारे कथनों व दाखिल समस्त प्रलेखीय साक्ष्यों के अनुक्रम में वादीगण का प्रथम दृष्टया केसा होना साबित होता है। सुविधा का सन्तुलन भी इनके पक्ष में है। व्यादेश बहक वादीगण जारी न किये जाने से वाद प्रयोजन विफल होना सम्भाव्य है।

उक्त के मददेनजर निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

दिनांक 21.12.17 वास्ते निस्तारण का नियत कर प्रतिवादीगण को नोटिस

जारी हो। तब तक के लिए जरिये अस्थायी व्यादेश उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वादपत्र के अन्त में दर्शित जायदाद बहुरूप ए.बी.सी.डी.ई.एफ. आराजी नं०-291/2 क्षेत्रफल 3.7940हे० के बाबत मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। वादीगण आदेश 39, नियम 3बी सी०पी०सी० का अनुपालन अविलम्ब करें।



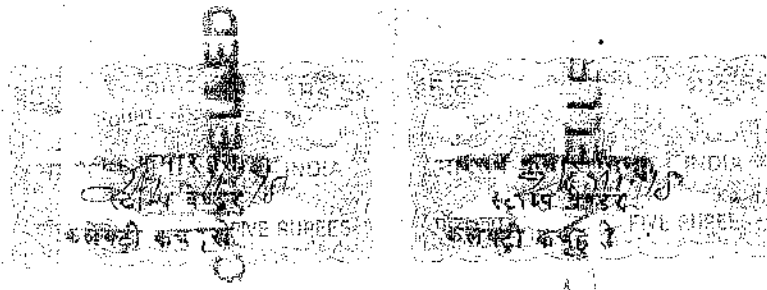
प्रभारी सिविल जज सी०डि०,
मीरजापुर।

बादहू प्रार्थनापत्र 8ग वास्ते न्यायालय अमीन नियुक्त किये जाने के बिन्दु पर सुना। आधार पर्याप्त पाये जाते हैं। प्रार्थनापत्र 8ग अमीन हेतु स्वीकृत। वादीगण न्यायालय अमीन कमीशन हेतु वांछित पैरवी अन्दर 5 दिन करें। बाद पैरवी अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन पक्षों को सूचित कर मौके पर जाकर विवादित स्थल की चौहद्दी मय नक्शा व नाप तैयार कर अपनी आख्या नियत तिथि तक प्रस्तुत करें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अमीन अदालत को विवादित जायदाद के बाबत किसी भी पक्षकार का कोई स्वामित्व या अध्यासन अंकित करने का अधिकार नहीं होगा।

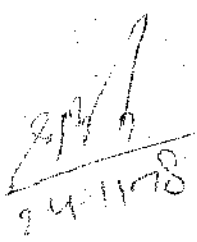
प्रभारी सिविल जज सी०डि०,
मीरजापुर।

प्रमाणित
8-12-2018

सत्य प्रतिलिपि
8-12-2018
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय-मीरजापुर



केवल नकल की फीस के लिए

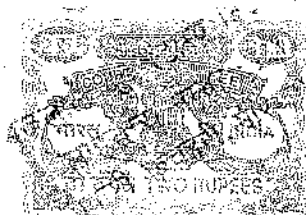
आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accompanied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of porting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
24/11/18 चौबीस नवम्बर सन 2018.	24/11/18 चौबीस नवम्बर सन 2018.	24/11/18 चौबीस नवम्बर सन 2018.	 24/11/18

24.11.18 - मायलकसकीअन रिजर्विड भभ (पीबीएच) का
कॉपी 1472/17



NPMT 03-00407-2017

एवसीओपी 4 नवम्बर 2018 को
नकल कापीन रिपोर्ट सेलमन है



न्यायपालिका - सिविल अपील (सीएडि) मीटिंग

05/08 - 14/7/18

२० सीपीएल (सीपीएल) वनाम (कैलाश) पनामिका कोर्ट

आदेश - अमान

मीटिंग,

अपेक्षा वाद में न्यायपालिका के अधिकाधिकार (वाक) अधिकाधिकार को
स्वीकृत करने के दिनांक 10-5-18 को विवादित स्थल का निरीक्षण करने

है। वेनराडा परमाना अहोरात्र तल्लीन पुनः (जिला) मीटिंग (पहुँची) /
मीटिंग पर सहायक मैनेजर (सीनर कुमा) सिंह से अग्रगत हुआ तत्पश्चात् मैनेजर
को निवास देदी। एवं वाद में दिये गये मैनेजर के अग्रगत विवादित स्थल का
निरीक्षण करने एक मानवित तैयार किया गया। मीटिंग पर सहायक मैनेजर एवं
वही पर अधिकाधिकार लोगों के हस्ताक्षर पत्रों के पत्र पर तल्लीन भूत भिन्न भिन्न।

मानवित में विवादित स्थल को वर्गीकृत (रजिस्ट्रार) ABCDEF से प्रदर्शित
किया गया है। विवादित स्थल में मेसर्स चेतन इस्टर प्रडिजेन डिमिटेड का फर्म
स्थापित किया गया है। जिसमें कारीगर, लैब, मेसर्स हाइड, स्टार लव, स्टोर लव
काराला, वेस्टिंग फोर्माड, वेस्टिंग लैब, लैब, सल्ले वेस्टिंग, वही प, वही क
प्रकार के पैड आदि के रूप में स्थापित है। निरीक्षण के समय सहायक मैनेजर ने
विवादित स्थल में डिमिटेड को फर्म की कोर से स्थापित किया जाना बताया।
विवादित स्थल की पोस्टल तथा औषधीय वही नमूना नमूने में
गवाहान प्रदर्शित किया गया है।

आदेश आदेश मीटिंग वही सेवा में सादर प्रेषित है।

स्वीकृत

विजय कुमार

अमान बाहर

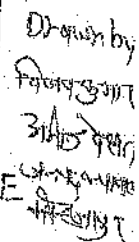
न्यायपालिका

मीटिंग।

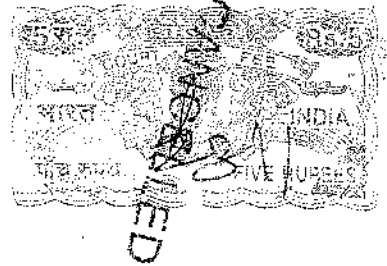
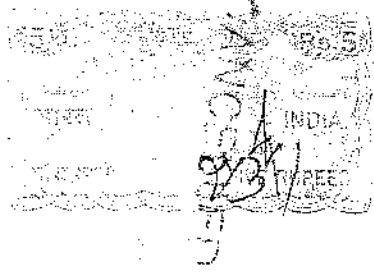


A hand-drawn diagram of a cross. The four angles formed by the intersection are labeled: the top angle is 30, the bottom angle is 40, the left angle is 40, and the right angle is 20.

4631



प्रधान प्रतिनिधिक
जनार्दन व्यापलय-दीरगापुर



केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application is made for copy accom- panied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
23/1/2020 लेख जनवरी सुनदोहजार बीस	23/1/2020 लेख जनवरी सुनदोहजार बीस	23/1/2020 लेख जनवरी सुनदोहजार बीस	<i>[Signature]</i> 23-1-2020

8/20 - माया कम शीमान सिविल जज (सीवीएम) को
कड्डा 1472/17

एडमिनीस्ट्रेटिव बनावू शेकीम जगदिकारी

नऊक कोरिया दि. 18/1/2020 सेलमेट



न्यायालय सिविल जज सी०डि०, मीरजापुर।

मूलवाद सं०-147/2017

एस०सी०पी० टोल वेज बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी।

दिनांक: 18-01-2020

पत्रावली आदेशाथ पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र 26ग इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत आराजी 291 मि. स्थित मौजा बेलखरा, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर की भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 घोषित है तथा उक्त की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी है तथा माल कागजात में वन विभाग का नाम दर्ज है, जो संलग्नक सं० 1 है तथा दावा वादी सिविल न्यायालय, चकबन्दी न्यायालय या राजस्व न्यायालय को उक्त के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार हासिल नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Conosotidation No. 1268 of 1979 State of U.P. Through the D.F.O. Vrs. D.D.C. of Conosotidation U.P. and others के वाद में निर्णय दिनांक 19.08.2013 में भी उक्त मत व्यक्त किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा AIR 1996 S.C. 2432 State of U.p. U/s D.D.C. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को भी व्यक्त किया है, से स्पष्ट है कि दावा वादी पोषणीय नहीं है, जो कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 पर दाखिल किया गया है जो भा० वन अधि० की धारा 5 व 27ए तथा वन संरक्षण अधि०, 1980 की धारा 2 के प्रावधानों से बाधित है। वादपत्र की दफा 7 के अनुसार सरस्वती देवी द्वारा वाद सं० 305/1987 विवादित आराजी के बाबत सिविल जज जू०डि०, चुनार के यहां दाखिल किया था और उक्त वाद में उनके विरुद्ध आदेश दिनांक 15.12.2011 को डिक्री पारित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उक्त के विरुद्ध अपील सं० 9/2012 सरस्वती देवी द्वारा दाखिल की गयी, जो न्यायालय ए०डी०जे० पंचम, मीरजापुर के यहां विचाराधीन है, अस्तु दावा वादी सी०पी०सी० की धारा 10 से बाधित है तथा वादी द्वारा सी०पी०सी० की धारा 80 के नोटिस देने के अवमुक्ति प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है, जो कि सी०पी०सी० की धारा 80 के प्राविधानों से भी बाधित है। अतः आपत्ति एवं जवाबदेही के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पोषणीयता के विन्दु पर दावा वादी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उसके विरुद्ध वादी की ओर से आपत्ति 32ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र जनरल क्ले सिविल के प्राविधानों से बाधित है, क्योंकि प्रार्थना पत्र आरग्यूमेण्टिव है और उसमें माननीय उच्च न्यायालय के विधि व्यवस्था का हवाला दिया गया है, जो कि मुकदमे के तथ्यों से मेल नहीं खाता है। जहां तक भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 व 27ए तथा धारा 2 का प्रश्न है तो प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में उक्त प्राविधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त प्राविधान लागू होने के लिए पहले आवश्यक शर्त यह है कि प्रश्नगत सम्पत्ति वन विभाग की भूमि वैधानिक तौर पर होनी चाहिए, जबकि प्रश्नगत आराजी जिसका जुज अंश है, उसका रकबा एक हजार बीघे से ज्यादा का है, जिसमें से 200 कुछ बीघा मात्र वन विभाग की भूमि है। इस तरह जब तक विवादित सम्पत्ति का विधिक तौर पर डिमारकेशन न हो जाये, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि प्रश्नगत सम्पत्ति वन विभाग की है। प्रार्थी का प्रश्नगत सम्पत्ति पर फर्म के तमाम स्थायी व विहद निर्माण काफी अरसा दराज पूर्व से है, जो वन विभाग की जानकारी में दसियों वर्ष पूर्व से है और वन विभाग जिस भूमि को अपना अभिकथित करता है, तो वह भूमि उसकी स्वयं की स्वीकृति से खाली भूमि है, जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति किसी तौर पर वन विभाग की सम्पत्ति नहीं है। जहां तक सरस्वती देवी द्वारा दाखिल किये गये मुकदमा का प्रश्न है तो उस वाद के विवादित सम्पत्ति तथा उसकी प्रकृति का कोई सम्बन्ध प्रश्नगत भूमि से नहीं है एवं प्रतिवादी की स्वीकृति है कि मूल वाद सं० 305/1987 की विवादित सम्पत्ति खुली भूमि के रूप में है और उस पर कुछ पेड़ हैं, जबकि प्रश्नगत भूमि पर तमाम निर्माणात है। दावा वादी किसी भी प्रकार से सी०पी०सी० की धारा व 80 के प्राविधानों से बाधित नहीं है। प्रश्नगत आ नं० 291 मि० का रकबा भारतीय वन अधिनियम के तहत वन क्षेत्र घोषित किया गया है, इसका उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। अतः जरिये आपत्ति प्रार्थना पत्र 26ग निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध आ० सं० 291/2 के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा के आशय से संस्थित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 26ग के माध्यम से प्रश्नगत आराजी 291 मि. स्थित मौजा बेलखरा, परगना अहरौरा, रहसील चुनार, जिला मीरजापुर के वन भूमि होना कथित करते हुए भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 से बाधित होना कथित किया गया है तथा माल कागजात में वन विभाग का नाम दर्ज होना बताया गया है जिससे वाद के सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त न होने के कारण दावा वादी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध आ० सं० 291/2 के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा के आशय से संस्थित किया गया है, जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत आराजी का नम्बर 291 मिनजुमला होना कथित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी कागज सं० 29ग/1 दाखिल की गयी है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा आ० नं०-291/2 के सम्बन्ध में अनुतोष मांगा गया है और खतौनी कागज सं० 29ग/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आ० नं० 291/2 में सरस्वती देवी का नाम अंकित है, तथा आ० नं० 291 जो कि मिनजुमला नम्बर है, के बाबत वन विभाग की सम्पत्ति होने की अंकना की गयी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी जिस सम्पत्ति 291 मि. को वन विभाग की सम्पत्ति होना कथित कर रहा है, वह सम्पत्ति प्रस्तुत वाद की विषय वस्तु नहीं है, बल्कि प्रस्तुत वाद की विवादित सम्पत्ति आ० सं० 291/2 है। अतः प्रतिवादी का यह कथन कि प्रस्तुत वाद की विवादित सम्पत्ति वन विभाग की भूमि है, यह कथन इस स्तर पर माने जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी का यह कथन कि वादी द्वारा दावा करने से पूर्व धारा 80 सी०पी०सी० की नोटिस से उन्मुक्ति हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि वन विभाग निगम के रूप में है और यह सुस्थापित विधि है कि निगम राज्य सरकार या सरकार की परिभाषा में नहीं आते हैं। अतः उन्हें धारा 80 सी०पी०सी० के तहत नोटिस दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है और प्रतिवादी के कथन में कोई बल नहीं है। अतः उपरोक्त संमस्त विवेचना तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालय के पक्ष में प्रार्थनापत्र 26ग स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है, तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 26ग निरस्त किया जाता है। तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्तं निस्तारण 27ग एवं 6ग दिनांक 19-02-2020 को पेश हो। नियत तिथि तक के लिए अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रभावी की जाती है। उभयपक्ष वास्तं सुनवाई एवं निस्तारण 6ग नियत दिनांक को 11 ए०एम० पर समक्ष न्यायालय उपस्थित हों। उक्त तिथि को किसी भी पक्ष का कोई मौका स्वीकार नहीं किया जायेगा।

[Signature]
(सिविल जजसवाल)
सिविल जज (सी०डि०)
मीरजापुर।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिनिधिक

समस्त न्यायालय - 291/2

सत्य प्रतिलिपि - 291/2

291/2 (सत्य प्रतिलिपि) - 400



799

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accom- panied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
19/3/2020 ठकीस भा-की सन दो हजार बीस	21/3/2020 ठकीस भा-की सन दो हजार बीस	21/3/2020 ठकीस भा-की सन दो हजार बीस	 21/3/2020

17/03/2020 - आभासम सी आन शिबिह अज (सीबीटी) की लाक्षा
का 147/17

रहस्यीय पीसीटी एल एन अनाथ से सीबीटी जाचिकारी

नफर कोरेशा डि. 27/2/2020. सेलमन ह.



बोध क भूम पर काबज दखाल रहा ह, जिस कारण यह गलत फहल जा राखला।

कमरा:

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), मीरजापुर।

मूल वाद संख्या-147/2017

ए0सी0पी0 दोलवेज बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी वगैरह।

दिनांक 27-02-2020

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थनापत्र 6ग पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6ग व 27ग आपत्ति 50ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र 27ग जो कि अन्तरिम निषेधाज्ञा एक पक्षीय आदेश दिनांकित 21.11.2017 को रिकाल किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र 6ग जो कि उभयपक्ष को सुनकर गुणदोष के आधार पर पारित किया जा रहा है, तदनुसार सुविधा की दृष्टि से प्रार्थना पत्र 6ग एवं 27ग का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र 6ग एवं 27ग तथा आपत्ति 50ग का निस्तारण:-

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 6ग मय शपथ पत्र 7ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी फर्म की कम्पनी का कार्य मौजा बेलखरा, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर की आ0 नं0 291/2 रकबा 3.7940 हे0 पर अपनी कम्पनी का मुख्य कार्यालय स्थापित किया है, तथा वादी फर्म का मुख्य कार्य सड़क निर्माण व उसका मेन्टेनेंस व उसकी देखरेख करना है। उक्त कार्यालय की स्थापना वादी फर्म ने म्योरपुर से हाथीनाल जाने वाली व सड़क के निर्माण की देख रेख व उसके अलावा अन्य सड़कों की देखरेख के लिए उक्त दृष्टिकोण से किया है। वादी का उक्त कार्यालय व कार्यस्थल, प्रतिवादीगण व जिला मीरजापुर व जिला सोनभद्र के प्रत्येक प्रशासनिक व वनाधिकारियों के जानकारी में आबाद रूप से अरसा 10-15 वर्ष पूर्व से ही लगातार अवस्थित रहा है और आज भी है। वादी फर्म ने उक्त भूमि को सरस्वती देवी पत्नी बिरजू निवासिनी ग्राम घमहॉपुर, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर से लीज पर लेकर व उनकी सहमति से उस पर कार्य करती चली आ रही है और आज भी है। दिनांक 24.09.2017 को मेसर्स चैतक इण्टर प्राइजेज लि0 कैम्प कार्यालय राबर्टसगंज, सोनभद्र को एक नोटिस प्रतिवादी सं0 1 के कार्यालय से प्रेषित प्राप्त हुई, जिसे देखकर उसकी सूचना उक्त फर्म ने वादी फर्म को दी और मेसर्स चैतक इण्टर प्राइजेज लि0 ने उसका जबाब भी जरिये अधिवक्ता भेजवाया, लेकिन दिनांक 28.09.2017 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 के कार्यालय के तमाम कर्मचारीगण आये और सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा पर स्थित वादी फर्म के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से घुसते हुए यह धमकी देना प्रारम्भ किये कि आप लोग अपने सारे सामान यज्ञ से हटा लीलिए और अपने अस्थायी व स्थाई मकानातों को हटा लीजिए और इस जगह को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। वादी फर्म द्वारा उनके इस बेजा हरकत के खूब रोपूछताछ करने पर उन लोगों द्वारा कहा गया कि वन विभाग की भूमि है और इस पर वन विभाग का नान दर्ज है। जिस पर वादी फर्म के कर्मचारियों द्वारा यह कहने पर कि इस भूमि का आ0 नं0 291/2 रकबा 3.7940 हे0 है, जो सरस्वती देवी पत्नी बिरजू के नाम दर्ज है, जिस पर उक्त कर्मचारियों द्वारा कि सरस्वती देवी उस जमीन पर मुकदमा हार चुकी है और उन्होंने मुकदमा न्यायालय सिविल जज मीरजापुर चुनार, मीरजापुर के यहां वाद सं0 305/1987 दाखिल किया था, जिसके उनके विरुद्ध दिनांक 12.12.2011 को डिक्री पारित किया जा चुका है। हालांकि उसके विरुद्ध उन्हें अपील सं0 9/2012 दाखिल किया, लेकिन आप लोग यह जमीन छोड़ दीजिए। जिस पर वादी फर्म के द्वारा यह कहे जाने पर कि जिस जमीन पर मुकदमा सरस्वती देवी दाखिल किया है, वह 291 मिनजुमला नम्बर है, न कि इस बटेजात पर दाखिल किया गया है। अलावा इसके आ0 नं0 291 का पूरा रकबा 15 बीघे से कहीं बहुत स्पष्ट नहीं है, कि वह मुकदमा आ0 नं0 291/2 के सम्बन्ध में दाखिल किया गया है या उस पर कहीं आदेश पारित किया गया है और उस मुकदमें में आप लोगों द्वारा केवल मात्र यह कहा गया है कि उक्त 291 मि0 15 बीघा वाली भूमि वन विभाग के विज्ञप्ति वाली भूमि है, लेकिन यह कहीं स्पष्ट नहीं कहा गया है कि उसके अन्य बटेजात कहां हैं और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त मुकदमा 291/2 के ही सम्बन्ध में है। क्योंकि सरस्वती देवी आ0 नं0 291/2 के अलावा 291 के लगभग 20-25 बीघे के भूमि पर काबिज दखील रही है, जिस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि हम लोगों ने जिस

कमश:

--2--

सम्पत्ति को लीज पर दिया है, वह 291 मि० जो कि सरस्वती के रकबे का अंश ही है, अलावा इसके इस तथ्य की भली-भांति जानकारी आपके विभाग के सभी कर्मचारियों को रही। इस पर मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि० व वादी फर्म अपने तमाम निर्माण कराकर व कार्यशाला बनाकर सरकारी सड़क निर्माण व उसके मेन्टेनेस का कार्य कर रही है और उस पर वादी फर्म के तमाम निर्माण हैं, लेकिन सरस्वती देवी द्वारा दाखिल उक्त मुकदमें में यह तथ्य नहीं आया है कि उस पर मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि० व वादी फर्म की कार्यशाला है। यहां तक कि उस पर आप लोगों ने खाली जमीन व पेड़ होने का अभिकथन किया है। हम लोगों के तामीरात व मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि० के तामीरात उपस्थित हैं। जिससे स्पष्ट है कि सरस्वती देवी द्वारा आ० सं० 291/2 रकबा 3.7940 हे० से सम्बन्धित नहीं दाखिल किया था, जिस पर प्रतिवादी सं० 1 व 2 के कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि यह सब हम लोग नहीं जानते। बेहतर है कि आप लोग एक हफ्ते के बाद ये सभी तामीरात हटा दीजिए, वरना हम लोग एक हफ्ते बाद अपने कर्मचारियों के बल पर आपके सारे तामीरातों का कार्यशाला आदि को ध्वस्त कर देंगे और पूरी तैयारी के साथ आने की धमकी देते हुए वापस लौट गये। वादी फर्म ने इस सम्बन्ध में अपने साझेदार फर्म मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि० से बातचीत किया, तो उन्होंने बताया कि इस तरह की एक नोटिस मेरे कैम्प कार्यालय, सोनभद्र आयी थी, जिसका मैंने अधिवक्ता के जरिये जबाब भेजवा दिया। चूंकि मौके पर आपकी ही फर्म पूरी व्यवस्था देख रही है और आपकी कार्यशाला आदि है और अनुबन्ध के अनुसार वहां आपकी फर्म स्थित है। चूंकि हम लोग शेयर होल्डर हैं और आपका प्रश्नगत सम्पत्ति पर कब्जा काफी पूर्व से है जिस कारण आप लोग इस सम्बन्ध में जो विधिक राय हो लेकर कार्य करिये और संविदा व साझेदारी अनुबन्ध के अनुसार आप लोगों के द्वारा विधिक कार्यवाही हम लोगों को स्वीकार है। जिस पर वादी फर्म ने इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता की राय लिया, तो उन्होंने बताया कि अगर प्रश्नगत सम्पत्ति में आप लोगों को अवैधानिक रूप से बेदखल किया जा रहा है और इस तरह की नोटिस प्रतिवादी सं० 1 व 2 द्वारा दी जा रही है, तो आप लोग अपनी अवैधानिक बेदखली न हो। इसके लिए मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आ० नं० 291 हजारों बीघों की भूमि है और उसमें तमाम बटेजात हैं और वन विभाग मनमानी तौर पर 291/2 को अपनी भूमि कह रहा है, तो यह स्पष्ट रूप से मामला डिमांरकेशन का है और सक्षम न्यायालय से अनुमति लिये जाने के पूर्व आपकी बेदखली नहीं की जा सकती है। वकील साहब ने यह राय दिया कि सरस्वती देवी द्वारा जो मुकदमा सं० 305/1987 दाखिल किया गया है उसमें आप लोगों के निर्माण का कोई जिक्र नहीं है और उसे काश्त की जमीन की बात कही है और वन विभाग द्वारा जो जबाबदेही लगायी है, उसमें भी आप लोगों के कार्यशाला आदि का कोई जिक्र नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त मुकदमें में जो विवादित भूमि है, वह कतई आ० नं० 291/2 नहीं है। अलावा इसके कोई तृतीय पक्ष आपको आपकी लीजशुदा सम्पत्ति से व असल मालिक के इच्छा के विपरीत बेदखल करने की धमकी दे रहा है, तो आपको अपने आधिपत्य के रक्षार्थ दावा दाखिल करने का पूर्ण अधिकार है जिस पर वादी फर्म अन्य कोई विधिक उपचार न देखकर यह दावा दाखिल किया जा रहा है। वादी फर्म जो कि मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि० के साथ वैधानिक तौर पर साझेदार फर्म है और सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा पर बने कार्यशाला व कार्यालय व उस पर अपने कर्मचारियों के निवास आदि के लिए बनाये गये स्थायी व अस्थायी निर्माण का संचालन करती है। सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा आ० नं० 291/2 रकबा 3.7940 हे० स्थित ग्राम बेलखर, परगना अहरीरा, तहसील चुनार, मिर्जापुर पर वादी फर्म नियमानुसार लीज अनुबन्ध पत्र दिनांकित 11.05.2017 के अनुरूप उस पर लीज अनुबन्ध पत्र की शर्तों को स्वीकार करते हुए उस पर लीज अनुबन्ध को स्वीकार करते हुए उस पर सड़क निर्माण व उसके सम्बन्धित सभी मैटेरियल व मशीनरी रखता है तथा सड़क निर्माण के लिए आवश्यक सभी प्लाट वहां लीज अनुबन्ध के अनुसार स्थापित किया है और उसके पूर्व वादी फर्म की साझेदार फर्म मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि० की मशीनरी आदि व प्लाट व निर्माण आदि वहां मौजूद है। इस तरह वादी फर्म है और लीज अनुबन्ध के अनुसार उस पर कार्य करने के लिए उस पर वैधानिक उक्त सम्पत्ति से वादी फर्म को जबरदस्ती बेदखल करने व उस पर स्थित तमाम मशीनरी व निर्माण जो स्थायी व अस्थायी दोनों तौर पर के हैं, उन्हें ध्वस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। हरकत प्रतिवादी सं० 1 व 2 को उनके फेलवेजा

कमरा:

J.O. Code-U.P.1783

C.N.R. No- UPMIO30040772017

—3—

हरकत से रोका नहीं गया तो वे निश्चित ही उससे वादी फर्म को जबरदस्ती अवैधानिक तरीके से बेदखल कर देंगे, जिससे सख्त हकतलफी वादी फर्म की होगी, जिसकी पूर्ति रुपये-पैसे से कदापि सम्भव नहीं है तथा वादी फर्म का उक्त स्थल से सड़क निर्माण व उसकी देखरेख का कार्य संचालित किया जा रहा है, वह पूर्णतया बाधित हो जावेगा जिससे भी सख्त हकतलफी वादी फर्म की होगी। अतः वादी फर्म द्वारा जरिये हुकम इम्तनाई चन्दरोजा प्रतिवादी सं० 1 व 2 एवं उनके एजेण्टों को विवादित सम्पत्ति आ० नं० 291/2 रकबा 3.7940 हे० स्थित ग्राम बेलखर, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, मिर्जापुर, से वादी फर्म को या उसके कर्मचारियों को किसी तरीके से बेदखल करने, उस पर स्थित वादी फर्म की मशीनरी व अस्थायी एवं स्थायी निर्माणात, बोरिंग व रिहाईशी टेन्ट आदि को किसी भी तरीके से ध्वस्त करने, उस पर वादी फर्म के कब्जा दखल में लीज की अवधि के दौरान किसी भी तरह का अवरोध या हस्तक्षेप करने तथा उससे वादी फर्म को विधि विरुद्ध तरीके से बेदखल करने से रोके जाने की याचना की गयी है।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने अपनी आपत्ति 50ग प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादपत्र में अंकित आराजी वन भूमि है तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश से वन विभाग का नाम माल कागजात में अंकित है तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के उपरान्त प्रश्नगत आराजी पर कोई भी आदेश पारित किया जाना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश का उल्लंघन व अवमानना है। प्रश्नगत आराजी की भा० वन अधि० की धारा 4 विज्ञप्ति सं० 5924/14-2-20 (47)-82 अभिसूचना सं० 23(2)-95/14-ख-67 दिनांक 22-2-1968 को घोषित की जा चुकी है। धारा 4 के पश्चात् वादपत्र से स्पष्ट है कि धारा 4 के पूर्व या विज्ञप्ति के दिन वादी को वादग्रस्त आराजी पर कोई अधिकार या हकूक हासिल नहीं था। वादग्रस्त भूमि के भा० वन अधि० की धारा 20 का प्रकाशन महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 14.01.1984 को घोषित की जा चुकी है। धारा 20 के प्रकाशन के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि पर दावा करने का अधिकार दाखिल नहीं होगा और न ही किसी अदालत को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा। वादग्रस्त आराजी सं० 291 मि० सम्पूर्ण रकबा वन भूमि है तथा माल कागजात में वन विभाग का नाम अंकित है। दावा वादी के अनुसार वादग्रस्त आराजी का मुकदमा सरस्वती देवी न्यायालय सिविल जज जू० डि०, चुनार, मीरजापुर के यहां वाद सं० 305/1387 दाखिल किया गया था, जिसमें उनके विरुद्ध दिनांक 15.12.2011 को डिक्री पारित किया जा चुका है, से स्पष्ट है कि सरस्वती देवी को वादग्रस्त भूमि का लीज पर देने का अधिकार दिनांक 19.04.2012 एवं 11.05.2017 को दावा वादी को नहीं है। दावा वादी के अनुसार उक्त के विरुद्ध सरस्वती देवी द्वारा अपील सं० 305/2012 दाखिल की गयी थी, जो माननीय न्यायालय ए० डि० जे पंचम के यहां दिनांक 20.05.2013 को खारिज की गयी है तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भी रिट खारिज की गयी है तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश से माल कागजात में वन विभाग का नाम अंकित है तो दावा वादी को मुकदमें में पक्षकार बनकर अपना पक्ष रख सकता है। ऐसी सूरत में दावा वादीगण लिसपेडेन्स के सिद्धान्त से भी बाधित है। मूल वाद सं० 305/1989 सरस्वती देवी बनाम श्रीमान क्षेत्रीय वनाधिकारी पूर्वी प्रभाग में परीक्षण न्यायालय सिविल जज जू० डि०, चुनार, मीरजापुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2011 में यह फाइन्डिंग है कि "साबिक आराजी नं० 827 से हाल नं० 291/1 व 291/2 बना है जो उभयपक्षों का एडमिशन है और मौजूद वाद में तथ्य का छिपाव किया गया है। विवादित आराजी पर कथित किराया विलेख लीज अनुबन्ध 19.04.2012 व 11.05.2017 शून्य व अधिकार क्षेत्र से परे हैं। वादपत्र के अनुसार ही सरस्वती देवी के विरुद्ध न्यायालय सिविल जज जू० डि०, चुनार, मीरजापुर द्वारा दिनांक 15.12.2011 को डिक्री पारित कर दिया गया है। इसके पश्चात् उनके द्वारा विवादित आराजी पर किया गया, कोई भी विलेख या अनुबन्ध पत्र या लीज शून्य है। दावा वादी अवैध व फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर वन भूमि पर अवैध कब्जा करने की नीयत से दावा दाखिल किया गया है, जो महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम के धारा 117 को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर वन विभाग को प्रदत्त की गयी है तथा वन विभाग के अध्यासन व कब्जे की है। उसके किसी भी अंश पर किसी का कभी कब्जा दखल नहीं था, न ही है। दावा वादी के द्वारा वन विभाग पर किये गये अतिक्रमण के प्रयास

कमरा:

-4-

के विरुद्ध वन विभाग द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही से बचने के लिए दावा वादी द्वारा उक्त दावा फर्जी व मनगढ़ंत तरीके से अवैध कागजात का सहारा लेकर अवैध तरीके से अनुतोष प्राप्त करने की गरज से दाखिल किया गया है। वादी द्वारा जानबूझकर गलत पद व नाम से वनाधिकारी जनपद मीरजापुर प्रतिवादी सं० 3 व उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार रेंज को प्रतिवादी सं० 3 अंकित किया है, जबकि उक्त पद वन विभाग में नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग का पद है व उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार, मीरजापुर का पद है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही सी०पी०सी० की धारा 80 के तहत नोटिस दी दी गयी है। वादपत्र में अंकित प्रतिवादी सं० 1 ता 3 को निगम बताते हुए सी०पी०सी० की धारा 79 की श्रेणी में लोकसेवक नहीं बताया गया है, जो सर्वथा अवैधानिक है। वादीगण का न तो कोई प्राइमफेसी केस है, न ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है और न ही उन्हें अपूर्णनीय क्षति ही है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा जरिये आपत्ति प्रार्थना-पत्र 6ग सव्यय निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र 27ग इस आशय का दाखिल किया गया है कि उक्त वाद के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी द्वारा गलत तथ्यों का समावेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21.11.2017 को विधि विरुद्ध तरीके से न्यायालय से प्राप्त कर लिया है। उक्त वाद में लोक सेवकों को प्रतिवादी बनाया गया है और उनके द्वारा पदीय हैसियत से किये गये कार्यों के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा मांगी गयी है। ज्ञातव्य हो कि सी०पी०सी० की धारा 80 (2) में यह स्पष्ट प्राविधानिक है कि लोक सेवकों के विरुद्ध उनके पदीय हैसियत के किये गये कार्यों के विरुद्ध बिना उन्हें सुने कोई भी अनुतोष प्रदान नहीं किया जायेगा, से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 21.11.2017 उक्त प्राविधान के विपरीत है तथा उक्त आदेश से सरकार को अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश तत्काल रिकाल किया जाना जरूरी एवं न्यायसंगत है। अतः प्रतिवादी द्वारा एक पक्षीय आदेश दिनांकित 21.11.2017 को तत्काल रिकाल किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अफिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 11ग से किराया लीज दिनांकित 11.05.2017 की छायाप्रति कागज सं० 12ग/1 लगायत 7, किराया लीज दिनांकित 19.04.2012 की छायाप्रति कागज सं० 13ग/1 लगायत 4, नोटिस दिनांकित 17-07-2017 की छायाप्रति कागज सं० 14ग, नोटिस दिनांकित 25.09.2017 की छायाप्रति कागज सं० 15ग/1 व 15ग/2, खसरा कागज सं० 16ग, दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से आपत्ति के साथ बतौर संलग्नक नकल खतौनी कागज संख्या 29ग/1, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 19-08-2013 की छाया प्रति 29ग/2 ता 3, मूल वाद संख्या 305/1987 सरस्वती देवी बनाम वन अधिकारी आदि मे पारित निर्णय दिनांकित 15-12-2011 की छायाप्रति कागज संख्या 29ग/4 ता 11 दाखिल किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिए किसी भी पक्षकार को निम्नलिखित तीन बिन्दु साबित करने होते हैं-

- 1-प्रथम दृष्टया मामला।
- 2-सुविधा का संतुलन।
- 3-अपूर्णनीय क्षति।

1-प्रथम दृष्टया मामला:-

जहाँ तक प्रथम दृष्टया मामला का सम्बन्ध है तो इस सम्बन्ध में वादी का कथन है कि वादी फर्म का मुख्य कार्य सड़क निर्माण व उसका मेन्टेनेस व उसकी देखरेख करना है। उक्त कार्यालय की स्थापना वादी फर्म ने म्योरपुर से हाथीनाल जाने वाली व सड़क के निर्माण की देख रेख व उसके अलावा अन्य सड़कों की देखरेख के लिए उक्त दृष्टिकोण से किया है। वादी का उक्त कार्यालय व कार्यस्थल,

कमरा:

-5-

प्रतिवादीगण व जिला मीरजापुर व जिला सोनभद्र के प्रत्येक प्रशासनिक व वनाधिकारियों के जानकारी में आबाद रूप से अरसा 10-15 वर्ष पूर्व से ही लगातार अवस्थित रहा है और आज भी है। वादी फर्म ने उक्त भूमि को सरस्वती देवी पत्नी बिरजू निवासिनी ग्राम घमहोपुर, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर से लीज पर लेकर व उनकी सहमति से उस पर कार्य करती चली आ रही है और आज भी है। दिनांक 24.09.2017 को मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि० कैम्प कार्यालय राबर्टसगंज, सोनभद्र को एक नोटिस प्रतिवादी सं० 1 के कार्यालय से प्रेषित प्राप्त हुई, जिसे देखकर उसकी सूचना उक्त फर्म ने वादी फर्म को दी और मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि० ने उसका जबाब भी जरिये अधिवक्ता भेजवाया, लेकिन दिनांक 28.09.2017 को प्रतिवादी सं० 1 व 2 के कार्यालय के तमाम कर्मचारीगण आये और सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा पर स्थित वादी फर्म के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से घुसते हुए यह धमकी देना प्रारम्भ किये कि आप लोग अपने सारे सामान यहां से हटा लीजिए और अपने अस्थायी व स्थाई मकानांतों को हटा लीजिए और इस जगह को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। वादी फर्म द्वारा उनके इस बेजा हरकत के बारे में पूछताछ करने पर उन लोगों द्वारा कहा गया कि वन विभाग की भूमि है और इस पर वन विभाग का नाम दर्ज है। जबकि इसके विपरीत प्रतिवादीगण का कथन है कि विवादित सम्पत्ति वन विभाग की सम्पत्ति है जिसके बावत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वन विभाग का नाम भी अंकित किया जा चुका है।

इस सम्बन्ध में वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद की विवादित भूमि अराजी संख्या 291/2 रकबा 3.7940 हे० स्थित ग्राम बेलखड़ा परगना अहरौरा तहसील चुनार जिला मीरजापुर है। पत्रावली पर वादी की ओर से दाखिल किराया लीज अनुबन्ध कागज संख्या 12ग व 13ग के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित सम्पत्ति आराजी संख्या 291/2 रकबा 3.794 हे० का लीज सरस्वती देवी के द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया है। नोटिस की प्रति कागज संख्या 14ग के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण की ओर से उक्त नोटिस वादीगण को बेदखली के आशय से प्रेषित किया गया है तथा नकल खसरा कागज संख्या 16ग के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त खसरा में विवादित भूमि अराजी संख्या 291/2 रकबा 3.794 हे० सरस्वती देवी के नाम दर्ज है किन्तु वादीगण की ओर से इस सम्बन्ध में कोई भी खतौनी व राजस्व नक्शा पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है और वादीगण के द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा क्यों और किन परिस्थितियों में विवादित सम्पत्ति की खतौनी दाखिल नहीं की गयी है जबकि खसरा दाखिल किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वादी के द्वारा तथ्यों को छिपाते हुये वाद प्रस्तुत किया गया है क्योंकि प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर दाखिल नकल खतौनी कागज संख्या 29ग/1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त खतौनी में विवादित भूमि अराजी संख्या 291/2 रकबा 3.7940 हे० के बावत सरस्वती देवी का नाम अंकित नहीं किया गया है किन्तु उक्त खतौनी में ही इस आशय की भी अंकना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 03-03-2014 के अनुपालन में अराजी संख्या 291मि० वन विभाग के पक्ष में अंकित किया गया है। मूल वाद संख्या 305/87 में पारित निर्णय दिनांकित 15-12-2011 कागज संख्या 29ग/4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाद सरस्वती देवी के द्वारा अराजी संख्या 291मि० के पक्ष में दाखिल किया गया था जो कि गुणदोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया था जिसके पश्चात ही सरस्वती देवी के द्वारा वादीगण के पक्ष में लीज किया गया है। यह स्पष्ट है कि आराजी संख्या 291/2 एक बटेजात नम्बर है किन्तु वादी के द्वारा अपने वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त अराजी संख्या 291मि० में आराजी संख्या 291/2 कहां पर स्थित है, यहां तक की उसकी चौहद्दी भी वादी के द्वारा दर्शित नहीं की गयी है और न ही कोई माप ही अंकित किया गया है तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई भी राजस्व नक्शा ही दाखिल किया है जिसमें 291/2 तरमीम किया गया हो। यह एक सुस्थापित विधि है कि निषेधाज्ञा का अनुतोष एक विशिष्ट भूमि पर ही प्रदत्त किया जा सकता है न कि अनिश्चित भूमि पर। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित सम्पत्ति अराजी संख्या 291/2 अराजी संख्या 291मि में कहां स्थित है वादीगण के द्वारा इस स्तर पर स्पष्ट नहीं किया जा सका है जिससे प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

कमरा:

-6-

इस प्रकार से उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस मत की है कि वादीगण अपना प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहे।

2-सुविधा का संतुलन:-

जहां तक द्वितीय बिन्दु सुविधा के संतुलन का प्रश्न है तो यह स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति आराजी सं० 291/2 रकबा 3.7940 हे० भूमि एक बटेजात नम्बर है और इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर से विवादित सम्पत्ति की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु कोई राजस्व नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसे में सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

3-अपूर्णनीय क्षति:-

जहां तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया गया है तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति होना भी दर्शित नहीं होता है।

इस प्रकार से उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि चूंकि वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित होना नहीं पाया गया है, सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में नहीं है और वादीगण की अपूर्णनीय क्षति भी साबित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 6ग स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त नहीं हैं, तदनुसार प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त किया जाता है, तदनुसार आपत्ति 50ग निस्तारित की जाती है तथा तदनुसार प्रार्थनापत्र 27ग निष्प्रभावी हो जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक 06-04-2020 को वास्ते उत्तरपत्र/तर्जकीह पेश हो।

उत्तरपत्र - 27/2/2020

शब्दलगभग - 1200

दिनांक 27-02-2020

(लवली जायसवाल)

J.O. Code-1783

सिविल जज (सी०डि०),

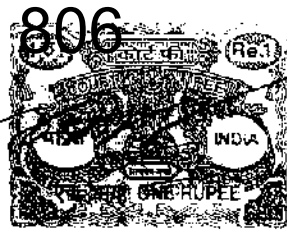
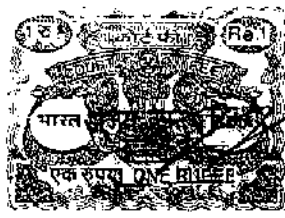
मिर्जापुर।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपि

जनपद न्यायालय-मीरजापुर





न्यायालय जिला जज महोदय मीरजापुर

प्रकीर्ण वाद सं०

सन् 2024

सिविल प्रकीर्ण अपील सं० 11

सन् 2020

ए० सी० पी० टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय बी-9, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ उ० प्र० बजरिये सहायक प्रबन्धक समन्वय श्री शैलेन्द्रधर द्विवेदी पुत्र अर्जुनधर द्विवेदी निवासी ग्राम बी० 1701 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

अपीलार्थी / वादी

बनाम

- 1- क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेन्ज चुनार मीरजापुर।
- 2- उपप्रभागीय वनाधिकारी चुनार रेन्ज चुनार मीरजापुर।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, वन प्रभाग मीरजापुर।

प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2-A सिविल प्रक्रिया संहिता

श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी ने कित्ता प्रकीर्ण अपील न्यायालय सिविल जज सी०डि० मीरजापुर के आदेश दिनांक 27.02.2020 ई० जो कि मूल वाद सं० 147 सन् 2017 ई० ए० सी० पी० टोलवेज आदि बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी वगैरह में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.11.2020 ई० को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि उभय पक्ष दिनांक 30.11.2020 तक मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे

Shiv

तथा नियत तिथि दिनांक 30.11.2020 ई० तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.02.2020 ई० का क्रियान्वयन व प्रभाव स्थगित रहेगा। उक्त आदेश अभी भी प्रभावी है और उक्त आदेश प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया। इस तरह उक्त आदेश की पूर्ण जानकारी प्रतिपक्षीगण को है, और उक्त आदेश के प्रभावी रहने की जानकारी भी प्रतिपक्षीगण को है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिपक्षीगण ने हम प्रार्थी को किता नोटिस वाद सं० 04 सन् 2024 अभिकथित करते हुए प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा प्रेषित करायी गयी, जिसमें आराजी नं० 291/1 के स्थान पर इसकी पुरानी आराजी सं० 827नि० का हवाला देते हुए नोटिस प्रेषित करायी गयी और जिसमें यह उल्लिखित किया गया कि हम प्रार्थीगण क्यों न बेदखल कर दिया जाय, जबकि न्यायालय श्रीमान् जी के यहां से प्रकीर्ण अपील स्थानान्तरित होकर वर्तमान समय में न्यायालय विशेष न्यायधीश ई०सी० एक्ट मीरजापुर के यहां जेरे तरबीज है और मुकदमा भी न्यायालय सिविल जज सी०डि० मीरजापुर के यहां लम्बित है तथा न्यायालय जनपद न्यायधीश महोदय यानी श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 ई० जिसके अनुसार उभय पक्ष को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है कि पूर्ण जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर सासशय उक्त नोटिस व मुकदमा दर्ज करते हुए नोटिस जारी की गयी हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश का उल्लंघन प्रतिपक्षी द्वारा स्वयं के द्वारा दाखिल विभागीय मुकदमे के जरिये उसका उल्लंघन करना है। इसके सम्बन्ध में हम प्रार्थीगण ने जब प्रतिपक्षीगण से न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश दिनांक 11.11.2020 ई० के जरिये यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है और आपके नोटिस में जवाब न देने पर बेदखली करने का आदेश जारी किया गया है। इस तरह आप लोग जानबूझकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो, जिस पर प्रतिपक्षीगण ने कहा कि आपको जो भी कार्यवाही करनी हो, जाइये मेरे खिलाफ अवमानना का मुकदमा दाखिल करिये या जो चाहिये वो करिये हम लोग या उसके अधिवक्ता उचित प्रतिवाद करेंगे और प्रार्थना पत्र

७

Signature

लेने से इन्कार कर दिया जिस पर हम प्रार्थी मजबूरन न्यायालय के आदेश का जानबूझकर अवमानना करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिपक्षीगण जानबूझकर न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2020 ई0 का उल्लंघन करने व उसे फ्लाउट करने के लिए बिल्कुल आमादा है, जिसके लिए उनके विरुद्ध आदेश 39 नियम 2 A सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही किया जाना जरूरी व न्यायसंगत है। ताकि न्यायिक आदेशों की गरिमा बरकरार रह सकें। वाद का कारण दिनांक 16.04.2024 ई0 को जब हम प्रार्थी प्रतिपक्षीगण से उनके कार्यालय में मिला और उनके द्वारा प्रेषित नोटिस दिखाते हुए न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश को दिखाया गया व प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न करने व न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन न करने का अनुरोध किया जिस पर प्रतिपक्षीगण द्वारा यह कहा गया कि आप जाइये, हम लोग आपका कोई प्रार्थना पत्र नहीं लेंगे और जो करना है, उसे करेंगे आप अवमानना का मुकदमा दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है, हम लोग समुचित प्रतिवाद करेंगे, जिस पर मजबूर होकर हम प्रार्थी यह प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि न्यायिक आदेशों की गरिमा बनी रह सकें।

अस्तु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से अनुरोध है कि प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2020 ई0 की जानबूझकर सासशय अवमानना करने व उल्लंघन करने व उसे फ्लाउट करने के लिए आमादा होने के लिए विधिक प्राविधानों के अनुसार उन्हें सिविल कारावास से दण्डित करने व उनकी सम्पत्ति यानी उनके वेतन आदि को कुर्क करने की कृपा करें, ताकि न्यायिक आदेशों की गरिमा बरकरार रह सकें।

दिनांक:- 19.4.24

प्रार्थी

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



(C.M.A) 137
हस्ताक्षर बानो एडवोकेट
नॉ. 30 UP03862/17
शपथ आयुक्त, मीरजापुर

न्यायालय जिला जज महोदय मीरजापुर

प्रकीर्ण वाद सं०

सन् 2024

सिविल प्रकीर्ण अपील सं० 11

सन् 2020

ए० सी० पी० टोलवेज

बनाम

क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार

रेन्ज मीरजापुर आदि

शपथ पत्र द्वारा— श्री शैलेन्द्रधर द्विवेदी बउम्र वर्ष पुत्र अर्जुनधर द्विवेदी निवासी
ग्राम बी० 1701 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

शपथग्राही शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता है कि:-

दफा-1

यह कि शपथग्राही उपरोक्त नाम व पते का मूल निवासी है तथा
ए० सी० पी० टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय बी-9,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ उ० प्र० का सहायक प्रबन्धक
समन्वय होने के नाते यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है और
मुकदमे की बखूबी जानकारी रखता एवं पैरवीकर्ता है।

दफा-2

यह कि हम प्रार्थी ने किता प्रकीर्ण अपील न्यायालय सिविल जज
सी०डि० मीरजापुर के आदेश दिनांक 27.02.2020 ई० जो कि मूल
वाद सं० 147 सन् 2017 ई० ए० सी० पी० टोलवेज आदि बनाम
क्षेत्रीय वनाधिकारी वगैरह में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया,
जिसमें न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.11.2020 ई० को इस
आशय का आदेश पारित किया गया कि उभय पक्ष दिनांक 30.11.
2020 तक मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा नियत तिथि
दिनांक 30.11.2020 ई० तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित
प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.02.2020 ई० का क्रियान्वयन व प्रभाव
स्थगित रहेगा।

दफा-3

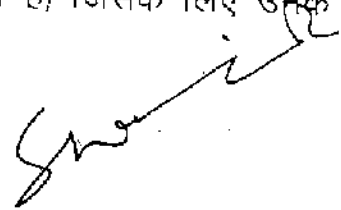
यह कि उक्त आदेश अभी भी प्रभावी है और उक्त आदेश
प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया। इस
तरह उक्त आदेश की पूर्ण जानकारी प्रतिपक्षीगण को है, और उक्त
आदेश के प्रभावी रहने की जानकारी भी प्रतिपक्षीगण को है, लेकिन
उसके बावजूद भी प्रतिपक्षीगण ने हम प्रार्थी को किता नोटिस वाद
सं० 04 सन् 2024 अभिकथित करते हुए प्राधिकृत

19/11/24
हस्ताक्षर बानो एडवोकेट
नॉ. 30 UP03862/17
शपथ आयुक्त, मीरजापुर

10-

Signature

अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा प्रेषित करायी गयी, जिसमें आराजी नं० 291/1 के स्थान पर इसकी पुरानी आराजी सं० 827मि० का हवाला देते हुए नोटिस प्रेषित करायी गयी और जिसमें यह उल्लिखित किया गया कि हम प्रार्थीगण क्यों न बेदखल कर दिया जाय, जबकि न्यायालय श्रीमान् जी के यहां से प्रकीर्ण अपील स्थानान्तरित होकर वर्तमान समय में न्यायालय विशेष न्यायधीश ई०सी० एक्ट मीरजापुर के यहां जेरे तरबीज है और मुकदमा भी न्यायालय सिविल जज सी०डि० मीरजापुर के यहां लम्बित है तथा न्यायालय जनपद न्यायधीश महोदय यानी श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 ई० जिसके अनुसार उभय पक्ष को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है कि पूर्ण जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर सासशय उक्त नोटिस व मुकदमा दर्ज करते हुए नोटिस जारी की गयी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश का उल्लंघन प्रतिपक्षी द्वारा स्वयं के द्वारा दाखिल विभागीय मुकदमे के जरिये उसका उल्लंघन करना है। इसके सम्बन्ध में हम प्रार्थीगण ने जब प्रतिपक्षीगण से न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश दिनांक 11.11.2020 ई० के जरिये यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है और आपके नोटिस में जवाब न देने पर बेदखली करने का आदेश जारी किया गया है। इस तरह आप लोग जानबूझकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो, जिस पर प्रतिपक्षीगण ने कहा कि आपको जो भी कार्यवाही करनी हो, जाइये मेरे खिलाफ अवमानना का मुकदमा दाखिल करिये या जो चाहिये वो करिये हम लोग या उसके अधिवक्ता उचित प्रतिवाद करेंगे और प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार कर दिया जिस पर हम प्रार्थी मजबूरन न्यायालय के आदेश का जानबूझकर अवमानना करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिपक्षीगण जानबूझकर न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2020 ई० का उल्लंघन करने व उसे फ्लाउट करने के लिए बिल्कुल आमादा है, जिसके लिए उसके

19/11/2021
न्याय अधिकारी
नं० UP03862/17
मध्य आराजी, मीरजापुर

विरुद्ध आदेश 39 नियम 2 A सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही किया जाना जरूरी व न्यायसंगत है। ताकि न्यायिक आदेशों की गरिमा बरकरार रह सकें।

दफा-4

यह कि वाद का कारण दिनांक 16.04.2024 ई0 को जब हम प्रार्थी प्रतिपक्षीगण से उनके कार्यालय में मिला और उनके द्वारा प्रेषित नोटिस दिखाते हुए न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश को दिखाया गया व प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न करने व न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन न करने का अनुरोध किया जिस पर प्रतिपक्षीगण द्वारा यह कहा गया कि आप जाइये, हम लोग आपका कोई प्रार्थना पत्र नहीं लेंगे और जो करना है, उसे करेंगे आप अवमानना का मुकदमा दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है, हम लोग समुचित प्रतिवाद करेंगे, जिस पर मजबूर होकर हम प्रार्थी यह प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि न्यायिक आदेशों की गरिमा बनी रह सकें।

दफा-5

19/4/24
हसीना बानो एडवोकेट
रजि० नं० UP03852/17
शपथ ग्रहण करने के लिए

यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से अनुरोध है कि प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2020 ई0 की जानबूझकर सासशय अवमानना करने व उल्लंघन करने व उसे फ्लाउट करने के लिए आमांदा होने के लिए विधिक प्राविधानों के अनुसार उन्हें सिविल कारावास से दण्डित करने व उनकी सम्पत्ति यानी उनके वेतन आदि को कुर्क करने की कृपा करें, ताकि न्यायिक आदेशों की गरिमा बरकरार रह सकें।

दफा-6

यह कि शपथग्राही शपथपूर्वक बयान करता है कि शपथ पत्र का कुल मजमून दफात् 1 2 3 4 व 5 मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सच व सही है, कोई बात झूठ नहीं है और न ही छिपायी गयी है, परमेश्वर नेरी मदद करें।

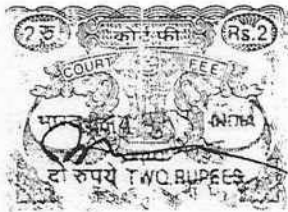
दिनांक:-

19.4.24

शपथग्राही

19/4/24

ह0 अध्यक्ष



10/10/24
ह0 सचिव

DBA 2024

स्थापित वर्ष 1907

No. 8882

वकालतनामा

न्यायालय... जिला-मीरजापुर
संख्या... सन् 2024

एवम्/प्रो/लोकवेन बनाम सोमेश व मधुसूदन पुत्र (पति)

हम कि एवम्/प्रो/लोकवेन आदर लिखित कायदेन बी-9/वेदना
सब सोमेश नगर एवम् उरु... एवम्/प्रो/लोकवेन
समस्त बी 2 के... एवम्/प्रो/लोकवेन
उपर्युक्त विवाद में अभिभाषक नियुक्त करने की आवश्यकता के कारण मैं/हम की शिरोधार्य प्रार्थना है

श्रीयुत प्रेम... से

अधिवक्ता को बड़ेकरार अदाय मेहनताना कानून तयशुदा अपने तरफ से एडवोकेट/वकील नियुक्त करके लिखता है/लिखते है कि इस मुकदमें एडवोकेट/वकील मुख्तार साहब उपर्युक्त हमारी तरफ से वाद पत्र लिखित कथन, आपत्ति पत्र या अन्य कोई कारण या दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करें। या वापस लेवें। रुपया खजाने में व न्यायालय में दाखिल करें या डिप्री जारी करावें न्यायालय खजाने से हमारे नाम रुपया जमा होकर मोवावजा मिला हों निकालें या वसूल करें अपील रिव्यू पुनरावलोकन रिविजन व मिसिल अवलोकनार्थ विनय-पत्र प्रस्तुत करें व मिसिल भलीभाँति निरीक्षण करें व डिप्री निष्पादन हेतु आवेदन-पत्र या शपथ-पत्र व मेहनताना का प्रमाण-पत्र दाखिल करें व सुलहनामा या आज दावा बाबत कुल या किसी जज को पेश करें व हमारे तरफ से कोई बयान न्यायालय में लिखायें और कोई कार्यवाही हमारी ओर से उचित व न्याययुक्त समझें अमल में लावें, यह सब हमको स्वीकार है और होंगे। उपर्युक्त अभिभाषक जो काम या फल हमारे हक में लाभदायक समझकर नेक नियती से करेंगे उसके बाबत किसी प्रकार की नुकसानी हम उनसे कदापि पाने के अधिकारी न होंगे। व हम यह भी स्वीकार व इकरार करते है कि एडवोकेट, वकील या वकलाय उपर्युक्त बिना किसी वसूली मेहनताना कानूनी तय शुदा मुकदमा में किसी प्रकार की पैरवी के लिए पाबन्द न होंगे एवं हर हालत में सम्पूर्ण तय शुदा मेहनताना देने के लिए बाध्य होंगे अतएव यह अभिभाषक पत्र प्रमाण स्वरूप लिख दिया कि यथा समय पर काम आवे।

10/10/24
e

दिनांक... 19/10/24

10/10/24
10/10/24

स्वीकृत किया

वादी-प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों की सूची

(आदेश 13 नियम 1)

न्यायालय (पुनर्पत्र-21/भा.प.स. नं. 40/20) जिला
 वाद संख्या सन् 2001 ई०
 बनाम रोहित चन्द्राचर्य वादी

प्रतिवादी

वादी-प्रतिवादी की ओर से वाद पत्र के साथ

पेश किये गये दस्तावेजों की सूची

प्रथम सुनवाई के समय

इस सूची को 30/01/2021 ब्याज सन् 2021 ई० के 04 के 19 दिवस को पेश किया

1	2	3

कागज क्या हुआ

क्रम सं०	दस्तावेजों का अधिवर्णन और उसकी तारीख यदि कोई	यदि अभिलेख में सम्मिलित किया गया प्रत्येक चिन्ह तो उस पर डाला गया	यदि नामजूर हुआ है पक्षकार को लौटाये जाने की तारीख और पक्षकारता उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर जिसका कागज लौटाया गया	यदि वाद ने निश्चय के पश्चात् कागज अभिलेख रह जावे और अध्याय 5 नियम 24 के अधीन लिफाफा में बन्द किया तो लिफाफा में बन्द किये जाने की तारीख	टिप्पणी
1	10/01/2021			11/01/2021	24 मज
2	10/01/2021				14 मज
3	10/01/2021			11/01/2021	14 मज
4	10/01/2021			10/01/2021	14 मज

न्यायालय का नाम
 वाद संख्या
 पक्षकारों का नाम

सूची को पेश करने वाले पक्षकार या अधिवक्ता का हस्ताक्षर



35
18-4-24 अभिलेख विशेष न्यायाधीश Eract मीरपुर
सीटीए लिखित सफाई 11/2020

श. सी. पी. टी. लैव वना वने प्रीति वनाधिपति

गणेश आदेश (दिनांक - 11-11-2020 संलग्न है)

प्रकीर्ण सिविल अपील स0-11 सन् 2020
ए0सी0पी0 टोलवेज बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी आदि

दिनांक: 11.11.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार कगयी गयी। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए।

पत्रावली आज सुनवाई हेतु नियत है। परन्तु विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना-पत्र 15 घ इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के सेवानिवृत्त होने के कारण आज तक शासन द्वारा किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पायी है, जिससे मुकदमा उपरोक्त में आपत्ति दाखिल कर पाना व बहस कर पाना सम्भव नहीं है। अतः आपत्ति व बहस हेतु कोई अन्य तिथि नियत की जाय। उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र का विरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है एवं यह कथन किया गया है कि यदि विवादित सम्पत्ति के संरक्षण के सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश पारित न किया गया तो अपील का मकसद विफल हो जाएगा।

मैंने उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र 15 घ पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का प्रस्तावपूर्वक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 22.05.2020 को ही अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के क्रियान्वयन व प्रभाव को स्थगित करने हेतु एक प्रार्थना-पत्र 5 ग प्रस्तुत किया गया था, परन्तु मेरे प्रभारी अधिकारी के द्वारा दिनांक 22.05.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के क्रियान्वयन व प्रभाव को इस आधार पर स्थगित नहीं किया गया था कि विपक्षीगण लोक अधिकारीगण हैं और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित होगा। अब विपक्षीगण पत्रावली में हाजिर आ चुके हैं और उनकी तरफ से आपत्ति व बहस न करके स्थगन प्रार्थना-पत्र 15 घ प्रस्तुत किया गया है। अतः न्यायहित में स्थगन प्रार्थना-पत्र 15 घ इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि उभय पक्ष दिनांक 30.11.2020 तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा नियत तिथि 30.11.2020 तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.02.2020 का क्रियान्वयन व प्रभाव स्थगित रहेगा।

पत्रावली वास्ते आपत्ति एवं निस्तारण दिनांक 30.11.2020 को पेश हो।

See
11.11.2020

21/11/2020 - 15.11.2020

जनपद न्यायाधीश
मिर्जापुर 11-20

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक

जनपद न्यायालय-मीरजापुर

आर० डी० प्रपत्र संख्या ३३७

प्रपत्र - ३



प्रपत्र संख्या १८५०
सूचना प्राप्त करने का आवेद
९९९७६९३६०१

(नियम १२६०) (ए)

मूल वाद मि० रि० १०००००११/२०

अपील

नं०

२०१

सम्बन्ध में

पुनरीक्षण

-आमालूम की मान विरोध -आमालूम की मान विरोध के न्यायालय में विचारधीन है।

ए० पी० पी० बनाम जन श्रेणी अधिकारी के

३९

प्रार्थी निम्नलिखित प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना चाहता है।

०३/५/२४

प्रश्न

उत्तर

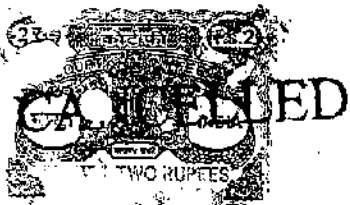
① क्या उपरोक्त अपील -आमालूम की मान विरोध
जज (सी० डी०) श्री लाल बहादूर
शर्मा ने ए० पी० पी० टेलिफोन बनाम
जन श्रेणी अधिकारी आदि में पारित
आदेश दिनांक ११/११/२० के विरुद्ध
द्वारिष्ठ किया गया है ?

श्रीमान जी,
जी हां
रिपोर्ट साबरसमंधी
०३/०५/२४

② क्या अपील उपरोक्त में स्वीकारणीय
द्वारा आलमारी निवेदना को
दिनांक ११/११/२० को पारित किया
गया है जो अगली रिक्ति दिनांक
०६/०२/२०२४ तक प्रभावी है ?



श्रीमान जी,
जी हां
रिपोर्ट साबरसमंधी
०३/०५/२४



आदेश
कार्यालय नियमानुसार अनुपालन करें

दिनांक ०३/५/२०२४

उत्तर देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर व पद

पक्ष या वकील का हस्ताक्षर

टिप्पणी- वह पत्र उत्तर के साथ उसी दिन लौटा दिया जायेगा। यदि अभिलेख कहीं बाहर है तो यह बात बता देना चाहिये और प्रार्थी से निर्दिष्ट दिनांक को फिर आने के लिये कह देना चाहिये।

(२) और एक से अधिक प्रश्न पूछे जाय तो प्रत्येक अतिरिक्त प्रश्न के लिए दो आने का अतिरिक्त शुल्क अवश्य लगा होना चाहिए।

नोटिस अन्तर्गत धारा- 61 बी(1) भारतीय वन अधिनियम -1927

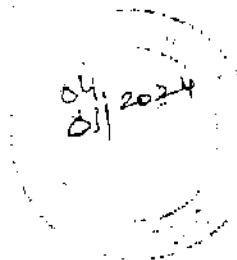
वाद संख्या-4 / 2024

सेवा में,

ए0सी0पी0टोल वेज,
(वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग)
ग्राम-बेलखरा, थाना-अहरौरा, तहसील-चुनार,
जिला-मीरजापुर।

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, चुनार रेंज ने अपने पत्रांक- 292/चुनार/10केस, दिनांक 01.04.2024 द्वारा संलग्न रेंज केस संख्या- 01/चुनार/2024-25, दिनांक 01.04.2024 द्वारा दर्ज वन अपराध में प्रदर्शित किया गया है कि आपने आरक्षित वन क्षेत्र में गाटा संख्या-827 मी0, रकबा-4.0 हेक्टरयर में ग्राम-बेलखरा, थाना-अहरौरा, तहसील-चुनार, मीरजापुर में अवैध कब्जा कर रखा है। वन अपराध की जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से मुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार है, कि आपने आरक्षित वन की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आपको सूचित किया जाता है, कि आप दिनांक 22.04.2024 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो समझा जायेगा, कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली का आदेश जारी कर दिया जायेगा।



प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
मीरजापुर

नोटिस अन्तर्गत धारा-61 बी (1) भारतीय वन अधिनियम- 1927

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक 974 / मीरजापुर / दिनांक, मीरजापुर सितम्बर, 16 2020।

सेवा में,

२०सी०पी०टोल देज
(धाराणसी-शक्तिनगर मार्ग)
ग्राम-बेलखरा, थाना-अहसौरा, तहसील-चुनार,
जिला-मीरजापुर ।

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज कार्यालय पत्रांक-68 / चुनार / 10 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आपने आरक्षित वन भूमि की गाटा सं०- 291 मि० रकबा 3.7940 हे० ग्राम-बेलखरा, तहसील- चुनार, जिला- मीरजापुर में अवैध कब्जा कर रखा है। जाँच के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से गुझे संतुष्ट होने के पर्याप्त आधार है कि आपने आरक्षित वन भूमि की वर्णित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है।

आप को सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 28.09.2020 को इस कार्यालय में स्वयं या किसी अधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध धारा-61 बी (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि वन भूमि पर अवैध अध्यासन के कारण बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाये। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ भी नहीं कहना है तथा विधि अनुरूप बेदखली के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

11/05/24

820

148

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर

प्रकीर्ण प्रा0प0 सं0 - 56 सन् - 2024

रख0 सहित पी0 डी0 वी0 ज0 - बनाम - क्षेत्रीय न्यायाधीश, मीरजापुर

आदेश पत्र

19/05/24

आज प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। मुंसरिम आख्या के अनुसार अंतर्गत क्षेत्राधिकार, उचित न्यायालय शुल्क पर अंतर्गत धारा 39 नियम 2(ए) जा0 दी0 प्रस्तुत है। वास्ते सुनवाई अंगीकरण के बिन्दु पर पेश होकर आदेश हुआ कि
Heard.

Register as miscellaneous case.

Notices be issued to the opposite parties. Steps be taken by the applicant within a week. Put up the file on 10.05.2024 for objection/hearing.

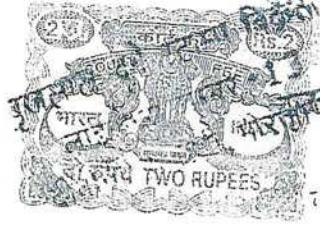


Conducted by 20/5/24
at 50

WJ
District Judge,
Mirzapur.

सत्य प्रतिलिपि
20-5-24
प्रमाण प्रतिलिपि
जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर

DOCUMENT D



न्यायालय जिला जज मीरजापुर

सिविल प्रकीर्ण अपील सं० - 11 सन् 2020

ए० सी० पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार आदि
प्रार्थना पत्र द्वारा ए० सी० पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड अपीलान्त स्वयं व
मार्फत श्री एस० एस० चतुर्वेदी एडवोकेट मीरजापुर।

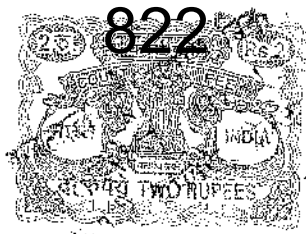
श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी ने किता प्रकीर्ण अपील श्रीमान् जी के न्यायालय में पारित आदेश दिनांकित 27.02.2020 पारित द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी० डि०)/ मीरजापुर अर्न्तगत वाद सं० 147 सन् 2017 ए० सी० पी० टोलवेज आदि बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी वगै० में अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र द्वारा हम अपीलान्त/वादी निरस्त किया गया है जिसके विरुद्ध दाखिल किया है। जिसमें सफल होने की पूर्ण उम्मीद हम अपीलान्त को है। अवर न्यायालय के आदेश को जिन आधारों पर हम अपीलान्त ने चुनौती दिया है उन आधारों को अपील हाजा में उल्लिखित किया गया है। यदि प्रतिपक्षीगण को उनके फेल व बेजा हरकत से न रोका गया तो वे अपने फेल व बेजा हरकत में कामयाब हो जायेंगे। जिससे सख्त हकतल्फी हम प्रार्थी को होगी जिसकी पूर्ति रुपये पैसे अन्यथा किसी अन्य तरीके से कदापि सम्भव नहीं होगी और उद्देश्य अपील भी बेसूद हो जायेगा। न्याय हित में प्रश्नगत आदेश का क्रियान्वयन व प्रभाव ताफैसला अपील स्थगित किया जाना जरूरी व न्याय संगत है। अवर न्यायालय में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदि प्रश्नगत आदेश के तिथि तक प्रभावी रहा।

अस्तु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से है कि प्रश्नगत आदेश का क्रियान्वयन व प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित किये जाने की कृपा करें।

दिनांक:-

27/2/20 प्रार्थी



न्यायालय जिला जज मीरजापुर

सिविल प्रकीर्ण अपील सं० —

सन् 2020

1— ए० सी० पी० टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय बी-9, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ उ० प्र० बजरिये प्रबन्धक श्री सोनू कुमार सिंह बउम्र 35 वर्ष पुत्र स्व० लाल साहब सिंह निवासी लोढ़ी टोल प्लाजा राबर्टसगंज सोनभद्र

2— मेसर्स चेतक इंटर प्राईजेज लिमिटेड द्वारा गोकुल पुत्र पंढरीनाथ चौधरी आयु 36 वर्ष निवासी पुराना आर० टी० ओ० आफिस के पीछे राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र पंजीकृत कार्यालय डाक बंगला के रोड पेंच एरिया निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

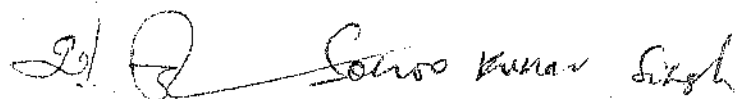
अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

- 1— क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेन्ज चुनार मीरजापुर
- 2— उपप्रभागीय वनाधिकारी चुनार रेन्ज चुनार मीरजापुर
- 3— वनाधिकारी जिला मीरजापुर

प्रतिपक्षीगण/प्रतिवादीगण

सिविल प्रकीर्ण अपील अर्न्तगत आदेश 43 नियम 1r सिविल प्रक्रिया संहिता विरुद्ध पारित आदेश दिनांकित 27.02.2020 पारित द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी० डि०)/मीरजापुर अर्न्तगत वाद सं० 147 सन् 2017

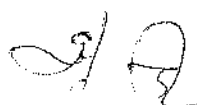
 Sonoo Kumar Singh

ए0 सी0 पी0 टोलवेज आदि बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी वगै0 में अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र द्वारा हम अपीलान्त/वादी निरस्त किया गया है जिसके विरुद्ध निम्न आधारों पर प्रकीर्ण अपील प्रस्तुत की जा रही है:-

मालियत-10,00,000 /-रु0

अपील के आधार

- दफा 1:- यह कि प्रश्नगत आदेश एकदम विधि विरुद्ध है। फलतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
- दफा 2:- यह कि प्रश्नगत आदेश अवर न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। फलतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
- दफा 3:- यह कि अवर न्यायालय ने पक्षगण के अभिवचनों व दस्तावेजीय स्वीकृतियों के विपरीत जाते हुये तथा पत्रावली पर उपलब्ध, तथ्यों व साक्ष्यों का मनमाना व कयासी विवेचन करते हुये मनमाना आदेश पारित किया है। फलतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
- दफा 4:- यह कि अवर न्यायालय ने सुसंगत साक्ष्यों को असंगत मानते हुये व अग्राह्यो साक्ष्यों के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है तथा अवर न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाते हुये प्रश्नगत आदेश पारित किया है। फलतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
- दफा 5:- यह कि अवर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस व प्रथम दृष्टया टाईटिल के स्थापित विधि सिद्धान्त को जो कि अस्थाई निषेधाज्ञा

 Sanjay Kumar Singh

प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय देखा जाना चाहिये दोनों में अन्तर करने में पूरी तरह विफल रही है। और अवर न्यायालय प्रथम दृष्टया केस का निस्तारण न कर प्रथम दृष्टया टाईटिल के निस्तारण के दृष्टिकोण से अपना अभिमत दिया है जो कि पूर्णतया विधि विरुद्ध है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्थापित विधि सिद्धान्त है कि प्रथम दृष्टया केस कर्त्ताई प्रथम दृष्टया टाईटिल के सम्बन्ध में न्यायालयों को भ्रम में नहीं रहना चाहिये लेकिन अवर न्यायालय ने इस विधि की अनदेखी करते हुये प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। फलतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

दफा 6:-

यह कि अवर न्यायालय ने मात्र इस आधार पर आ0 न0 291/2 यानी प्रश्नगत आराजी कहा स्थित है इसे स्पष्ट नहीं किया है। जबकि इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त स्थापित है कि बटटेजातो को जहाँ के राजस्व नक्शे में बटटेजात स्पष्ट न किये गये हो वह अन्य सुसंगत साक्ष्यों के जरिये जैसे कि वकील कमिश्नर/अमीन की आख्या दी गई चौहद्दी के आधार पर भी डिमारकेशन का प्रश्न निश्चित हो सकता है। जबकि मुकदमा हाजा में अमीन महोदय की आख्या 46ग के जरिये दी गई उसमें दी गई चौहद्दी और वाद पत्र के साथ दी गई चौहद्दी में कोई भिन्नता नहीं रही इस तरह वादी ने जिस चौहद्दी को अपनी प्रश्नगत सम्पत्ति होना कहा वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से ही स्थापित तथ्य रहा। अलावा इसके प्रार्थना पत्र 6ग के विरुद्ध दिये गये आपत्ति में भी प्रश्नगत सम्पत्ति की चौहद्दी को चुनौती नहीं दिया गया। इस तरह वाद पत्र में दी गई चौहद्दी को प्रतिवादी ने विवादित ही नहीं किया लेकिन अवर न्यायालय ने अपनी तरफ से नया केस निर्मित करते हुये प्रश्नगत आदेश

28/12/2019 Suro Kumar Singh

पारित किया है जो पूर्णतया विधि विरुद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व पक्षगण के अभिकथनो के विपरीत है।

दफा 7:— यह कि अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 18.01.2020 में यह स्पष्ट तौर पर अभिमत दिया है कि "इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी कागज सं० 29ग/1 दाखिल की गयी है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा आ० न० 291/2 के सम्बन्ध में अनुतोष मांगा गया है और खतौनी कागज सं० 29ग/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आ० न० 291/2 में सरस्वती देवी का नाम अंकित है तथा आ० न० 291 जो कि मिलजुमला नम्बर है के बाबत वन विभाग की सम्पत्ति होने की अंकना की गयी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी जिस सम्पत्ति 291 मि को वन विभाग की सम्पत्ति होना कथित कर रहा है। वह सम्पत्ति प्रस्तुत वाद की विषय वस्तु नहीं है बल्कि प्रस्तुत वाद की विवादित सम्पत्ति आ० सं० 291/2 है। अतः प्रतिवादी का यह कथन कि प्रस्तुत वाद की विवादित सम्पत्ति वन विभाग की भूमि है बिना उभय पक्ष का साक्ष्य आये इस स्तर पर माने जाने योग्य नहीं है।" इस तरह अवर न्यायालय के उक्त अभिमत जो कि आदेश दिनांक 18.01.2020 ई के जरिये दिया है वह अभिमत अन्तिम आदेश है उसके विरुद्ध कोई अपील/रिविजन प्रस्तुत नहीं किया गया और उक्त आदेश के जरिये अवर न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर यह अभिमत दिया कि आ० न० 291/2 और आ० न० 291मि दोनो के रकबे में और मालिकाना हक अलग अलग है और जब तक पक्षगण का अन्तिम साक्ष्य न आ जाये तब तक यह यह अभिमत नहीं दिया जा सकता कि 291मि जो कि वन विभाग की सम्पत्ति होना बताया जा रहा है वह प्रश्नगत सम्पत्ति का अंश है या नहीं। इस तरह अवर न्यायालय के खुद के अभिमत से प्रश्नगत

2/2 Sonoo Kumar Singh

आराजी का डिमारकेशन का बिन्दु कत्तई विवादित नहीं था। लेकिन अवर न्यायालय ने अपने ही अभिमत दिनांकित 18.01.2020 के विपरीत जाते हुये और अपने ही इस निर्णय के विपरीत जाते हुये कि उभय पक्षों के अन्तिम साक्ष्य आने के बाद ही यह तय होगा कि प्रश्नगत आराजी में 291 मि शामिल है या नहीं स्पष्ट रूप से स्थापित विधि व तथ्यों की भूल किया है। फलतः प्रश्नगत आदेश इस आधार पर निर्णय किया जाने योग्य है। अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 18.01.2020 को स्वीकार किया है कि सरस्वती देवी आ० न० 291/2 की मालिक काबिज है और वन विभाग आ० न० 291मि का और जो अन्तिम साक्ष्य आने के उपरान्त तय होगा कि वह कौन सी सम्पत्ति है लेकिन इसके बावजूद अवर न्यायालय ने अपने ही निर्णय व अभिमत के विपरीत जाते हुये प्रश्नगत आदेश पारित किया है जो स्पष्ट रूप से विधि विरुद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। फलतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

दफा 8:--

यह कि प्रतिपक्षीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र 6ग पर आपत्ति न देकर अव्वलन दावे की संर्धायता को प्रार्थना पत्र 26ग व 27ग के माध्यम से चुनौती दिया गया और उसकी सुनवाई पर बल दिया गया लेकिन अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 26ग व 27ग को निरस्त किये इस तरह अवर न्यायालय ने वादी के वाद को संर्धाय माना और जहा तक प्रथम दृष्टया केस का प्रश्न है उसे विधित व तथ्यात्मक रूप से स्वीकार किया क्योंकि प्रथम दृष्टया केस के सम्बन्ध में यह बिल्कुल स्थापित सिद्धान्त है कि वादी को यह दर्शाना है कि बोनाफाईडी आरग्येबुल प्रश्न जिस पर न्यायालय को यह लगे कि इस पर पक्षों को साक्ष्य दिया जाना चाहिये इतना ही प्रथम दृष्टया केस के लिये आवश्यक है। जहा तक वादी के बोनाफाईड होने का प्रश्न है तो अवर न्यायालय

S/O Suroo Kumar Singh

प्रार्थना पत्र 26ग व 27ग निरस्त कर वादी का मुकदमा बोनाफाईड स्वयं स्वीकार किया है क्योंकि अगर वादी का दावा बोनाफाईड नहीं होता तो वादी को उक्त दोनों प्रार्थना पत्र 26ग व 27ग स्वीकार करते हुये वादी के दावे को आदेश 7 नियम 11 सि० प्र० स० के तहत निरस्त करना चाहिये था लेकिन अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 26ग निस्तारित करते हुये यह माना कि उभय पक्षों को और भी साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिये और ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय ने दौरान मुकदमा प्रश्नगत सम्पत्ति का संरक्षण न कर विधि व तथ्य का तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिये गये निर्देश की जानबूझकर अवहेलना किया है जिसके अनुसार दौरान मुकदमा प्रश्नगत सम्पत्ति की प्रकृति का संरक्षण उसके मूल रूप में किया जाना आवश्यक है के विरुद्ध होने के कारण प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

दफा 9:— यह कि अवर न्यायालय के समक्ष एक सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि आ० न० 291 का रकबा काफी बड़ा है और उसके एक छोटे से रकबे को वनविभाग अपनी भूमि कहता है और यह स्वीकृत तथ्य पक्षगण का रहा है। लेकिन अवर न्यायालय ने इस सम्बन्ध में भी विधिक व तथ्यात्मक भूल करते हुये प्रश्नगत आदेश पारित किया है।

दफा 10:— यह कि मुकदमा उपरोक्त में अमीन महोदय की आख्या 46ग प्रस्तुत की गई जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया और उस आख्या में जो चौहद्दी दी गई, वह दावे की चौहद्दी के समान थी और अमीन महोदय की आख्या में जिन वृहद निर्माणों का जिक्र प्रश्नगत सम्पत्ति में होना कहा वह सभी निर्माण अमीन महोदय ने मौके पर पाये। इस तरह वादी द्वारा अभिकथित उसके सभी तामीरात मौजूद रहे

Dr. R. Suresh Kumar Singh

और प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं दो दो नोटिस वादी के कब्जे को स्वीकार करते हुये जो कि पत्रावली में कागज सं० 14ग व 15ग है के जरिये भेजी गई थी उसमें स्पष्ट रूप से प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादी का कब्जा व उसके निर्माणात होने का जिक्र किया गया जो अमीन महोदय की आख्या से पुष्ट होती रही लेकिन अवर न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित इस विधि सिद्धान्त की "भारतवर्ष में विधि का शासन है और किसी भी व्यक्ति को किसी कब्जेदार को जबरदस्ती बेदखल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती चाहे वह असल मालिक ही क्यों न हो असल मालिक को केवल कब्जा करते समय उसको रोकने का अधिकार है और एक बार स्थापित कब्जा हो जाने के बाद बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये किसी को भी जबरदस्ती बेदखल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।" अवर न्यायालय के समक्ष इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था प्रस्तुत किया गया था। लेकिन उक्त विधि व्यवस्था संज्ञान में आने के बावजूद भी अवर न्यायालय ने केवल मालिकना हक डिमारकेशन के प्रश्न को जो कि अन्तिम साक्ष्य दिये जाने के उपरान्त ही तय किया जा सकता था के आधार पर प्रार्थना पत्र 6ग को निरस्त कर विधि व तथ्य की भूल किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करने की भूल किया है। फलतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

दफा 11:- यह कि जिस चौहददी पर मुकदमा दाखिल किया गया उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादी का स्थापित कब्जा है स्वयं प्रतिवादी भी स्वीकार करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त कर प्रतिवादीगण को यह विधिक रूप से छूट दे दी कि वे हम वादी को चाहे जिस तरीके से बेदखल कर

S. S. Suroo Kumar Singh

दे जो स्पष्ट रूप से स्थापित विधि व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व अभिवचनो के विपरीत है।

दफा 12— यह कि अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 6ग के निस्तारण के स्टेज को मिनी ट्रायल के रूप में लिया जबकि प्रार्थना पत्र 26ग के निस्तारण में उन्होंने यह माना कि यह मिनी ट्रायल का स्टेज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रार्थना पत्र 6ग के निस्तारण को मिनी ट्रायल के रूप में लिया जो पूर्णतय विधि विरुद्ध है।

दफा 13:— यह कि इसी तरह सुविधा की तुला व अपूर्णनीय क्षति के सम्बन्ध में भी मनमाना विवेचन किया है प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादी का कब्जा स्थापित तथ्य है। प्रश्नगत सम्पत्ति की चौहददी स्थापित तथ्य है और प्रश्नगत सम्पत्ति व चौहददी पर वादी के वृहद तामीरात होना स्पष्ट तथ्य है। लेकिन इसके बावजूद भी अवर न्यायालय ने सुविधा की तुला व अपूर्णनीय क्षति वादी के पक्ष में न पाया जाना विधि तथ्य व साक्ष्यो की जानबूझकर अनदेखी किया है। हम वादी द्वारा अवर न्यायालय में संक्षिप्त रूप से इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया था कि सम्पत्ति जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है यानी आ0 न0 291/2 रकबा 3.7940 हे0 स्थित ग्राम बेलखड़ा परगना अहरौरा तहसील चुनार जिला मीरजापुर जिसकी चौहददी पूरब अहरौरा बौध, पश्चिम वाराणसी शक्तिनगर मार्ग उत्तर ग्राम सभा की भूमि दक्षिण वनविभाग पर वादी फर्म अपने फर्म का कार्यालय स्थापित कर वहा पर फर्म से सम्बन्धित तमाम तामीरात कर उस पर फर्म से सम्बन्धित व्यवसाय कई विगत वर्षों से चला आ रहा है और उसका व्यवसाय 10-15 वर्ष के पूर्व से ही हो रहा है। उसने प्रश्नगत सम्पत्ति का किराया लीज अनुबन्ध सरस्वती देवी पत्नी बिरजू से कराया है और उनको बराबर कानून के मुताबिक किराया अदा करता चला आ रहा है और उनके उक्त सम्पत्ति

Dr. Suresh Kumar Singh

के सम्बन्ध में लीजडिड को दिनांक 19.04.2012 और 11.05.2017 ई के है को कागज सं० 12ग व 13ग के जरिये दाखिल किया गया है। वादी फर्म के कथनानुसार प्रतिवादी वनविभाग के अधिकारीगण ने जब फर्म को नोटिस दिनांकित 17.07.2017 ई० को प्रेषित किया तो इसका सम्यक जवाब वादी फर्म द्वारा दिया गया और जब वे जबरजस्ती बेदखल करने के लिये अमादा हुये तब हम वादी फर्म मजबूर होकर उक्त वाद दाखिल किया। लेकिन अवर न्यायालय ने हम वादी के अभिवचनो व उसके सम्बन्ध में दिये गये साक्ष्यो की अनदेख करते हुये मानमानी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। फलतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

दफा 14:- यह कि अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 26 ग के निस्तारण के समय इस तथ्य को स्वयं स्वीकार किया है कि आ० न० 291/2 पर सरस्वती देवी का नाम अंकित है और वे उसकी मालिक है और उन्होंने यह भी लिखा कि उसमें दाखिल खतौनी से यह स्पष्ट है। लेकिन प्रार्थना पत्र 6ग निस्तारण करते समय अवर न्यायालय ने उसी खतौनी व तथ्य को जानबूझकर इग्नोर किया और इस तथ्य पर अपना अभिमत दिया कि वादी की तरफ से सरस्वती देवी के तरफ से कोई खतौनी दाखिल नहीं की गई जो कि एक हास्यास्पद तर्क है और स्पष्ट रूप से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो की अनदेखी करते हुये मनमानी तौर पर ऐसा पारित आदेश है जिसमें पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो की अनदेखी की गई है।

दफा 15:- यह कि हम वादी के निर्माण किसी तौर पर न तो अवैधानिक निर्माण है न ही अनाधिकृत है। वादी के किसी भी निर्माण तथाकथित नोटिस जारी होने के सालो पूर्व के है और काफी वृहद है। इस तरह वादी का स्थापित कब्जा रहा व है। न कि

 Sanoo Kumar Singh

अतिक्रमण व अवैध कब्जा है। लेकिन अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय उक्त तथ्यों की अनदेखी किया है। फलतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

दफा 16:— यह कि वादी ने स्पष्ट रूप से अवर न्यायालय के समक्ष यह कैसे रखा था कि वादी को विधि विरुद्ध ढंग से बेदखल न किया जाये। न उसके निर्माण को ध्वस्त किया जाये। क्योंकि वादी भी लोक सेवा के कार्यों में है। और वादी का निर्माण ध्वस्त करने से लोक सेवा के कार्यों में बाधा आयेगी। लेकिन अवर न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय में मुख्य विवादित प्रश्न की वादी का स्थापित कब्जा दावा दाखिल करने के पूर्व से है या नहीं। इस प्रश्नो का विवेचक किये बगैर मनमानी तौर पर स्वीकृत शिनाख्त होने के बावजूद प्रश्नगत आदेश पारित किया है। जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

दफा 17:— यह कि अन्य तमामतर कानूनन व वाक्यातन आधारों पर भी प्रश्नगत निर्णय व डिक्री अवर न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। कोर्ट-19 के अवर न्यायालय सुनते ही तत्काल अपील प्रस्तुत की जाती है।

अस्तु अपील प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से अनुरोध है कि अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश अवर न्यायालय निरस्त कर प्रार्थना पत्र 6ग हम अपीलान्त स्वीकार करने की कृपा करे।

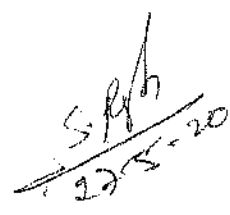
दिनांक:—

अपीलार्थी

अ. अ. लोको अवर अवर



केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application is made for copy accom- panied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
27.5.2020 लालधन मंड लाल धोका की	27.5.2020 लालधन मंड लाल धोका की	27.5.2020 लालधन मंड लाल धोका की	 27.5.20

27.5.20
आपाप्य लालधन मंड लाल धोका की
मुकीर्ण दिवस कोषाल 11/2020

ए० जी० पी० टाईमिंग प्र० लि० व००० लालधन मंड लाल धोका की



लालधन मंड 27.5.2020 लालधन मंड

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

प्रकीर्ण (विलम्ब) वाद सं० - — सन्-2020

प्रकीर्ण सिविल अपील सं० - 11 सन्-2020

ए०सी० पी० टोलवेज प्र० लि० वगै० - बनाम - क्षेत्रीय वनाधिकारी चुना हवाली

आदेश पत्र

प्रौढावली,

वा.सं०-147/2017
 ए०सी० पी० टोलवेज प्र० लि० वगै० बनाम क्षेत्रीय
 वनाधिकारी चुना हवाली
 प्रथमगत आदेश दि०-27/02/2020
 के सम्बन्ध में कैबिनेट वास्तु
 ना नहीं प्रेषित गया।
 रिपोर्ट सर्वोच्च

आज प्रकीर्ण सिविल अपील प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुई। जिसमें अपील
 के अनुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील उचित न्यायालय शुल्क
 पर 55 दिन विलम्ब से प्रस्तुत है। विलम्ब माफी हेतु कोई
 प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपितु अपील आधार में ही
 कोविड-19 का जिक्र है। प्रस्तुत प्रकीर्ण अपील प्रार्थनापत्र के साथ
 प्रार्थनापत्र सं० 05 के समर्थित शपथपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत
 है। वास्ते सुनवाई अंगीकरण के बिन्दु पर पेश होकर आदेश हुआ
 कि -

22/05/2020
 22/05/2020

आज यह प्रकीर्ण अपील मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि
 मूलवाद सं० 147/2017 ए०सी० पी० टोलवेज आदि बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी व अन्य के
 विरुद्ध निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है और अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन 6ग,
 27ग एवं आपत्ति 50ग का निस्तारण विद्वान सिविल जज (सी० डि०) द्वारा गुणावगुण पर
 करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया है।

यह प्रकीर्ण अपील विपक्षीगण सं० 1 लगायत 3 लोक अधिकारीगण के
 विरुद्ध योजित की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि
 मौके पर विवादित सम्पत्ति पर उनका कब्जा है।

न्यायहित में प्रकीर्ण अपील अंगीकृत की जाती है। पंजीकृत हो। विपक्षीगण को
 नोटिस जरिये वन विभाग के अधिवक्ता एवं पंजीकृत डाक से जारी हो। अपीलार्थीगण
 पैंरवी एक सप्ताह में करें।

प्रकीर्ण अपील आपत्ति व निस्तारण हेतु पत्रावली दिनांक 14.07.2020 को
 प्रस्तुत हो।

प्रार्थनापत्र 5ग समर्थित शपथपत्र 6ग अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर
 आलोच्य आदेश दिनांकित 27.02.2020 के कियान्वयन को स्थगित करने हेतु अनुरोध
 किया गया है।

विपक्षीगण लोक अधिकारीगण हैं, न्यायहित में विपक्षीगण को सुनवाई का
 अवसर दिया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार प्रकीर्ण अपील में नियत दि० 14.07.2020
 को प्रार्थनापत्र 5ग पर आपत्ति/निस्तारण हेतु प्रस्तुत हो।

सत्य प्रतिलिपि

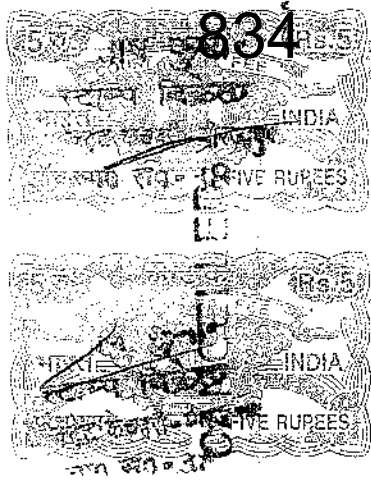
प्रभारी जनपद न्यायाधीश

मीरजापुर।

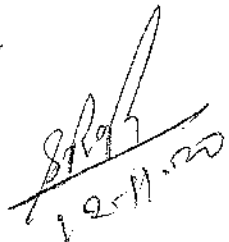
प्रधान/प्रतिलिपिक

जनपद न्यायालय-मीरजापुर





केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accom- -panied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
12/11/2020 बोरह नवम्बर जन को दफ्तर कीस	12/11/2020 बोरह नवम्बर जन को दफ्तर कीस	12/11/2020 बोरह नवम्बर जन को दफ्तर कीस	 12-11-20



12.11.20 - योमालम कीमान जनपद आमाचीस की जाया
प्रकीर्ति सिविल अफीकसे 11/ जन 2020
एव पीपीपी लेखन वनाम सेकीम वनाधिकारी
नकल को देस दि 11/11/2020 से लगन है।

प्रकीर्ण सिविल अपील सं०-11 सन् 2020
ए०सी०पी० टोलवेज बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी आदि

दिनांक: 11.11.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार कगयी गयी। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए।

पत्रावली आज सुनवाई हेतु नियत है, परन्तु विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना-पत्र 15 घ इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के सेवानिवृत्त होने के कारण आज तक शासन द्वारा किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पायी है, जिससे मुकदमा उपरोक्त में आपत्ति दाखिल कर पाना व बहस कर पाना सम्भव नहीं है। अतः आपत्ति व बहस हेतु कोई अन्य तिथि नियत की जाय। उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र का विरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है एवं यह कथन किया गया है कि यदि विवादित सम्पत्ति के संरक्षण के सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश पारित न किया गया तो अपील का मकसद विफल हो जाएगा।

मैंने उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र 15 घ पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 22.05.2020 को ही अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के क्रियान्वयन व प्रभाव को स्थगित करने हेतु एक प्रार्थना-पत्र 5 ग प्रस्तुत किया गया था, परन्तु मेरे प्रभारी अधिकारी के द्वारा दिनांक 22.05.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के क्रियान्वयन व प्रभाव को इस आधार पर स्थगित नहीं किया गया था कि विपक्षीगण लोक अधिकारीगण हैं और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित होगा। अब विपक्षीगण पत्रावली में हाजिर आ चुके हैं और उनकी तरफ से आपत्ति व बहस न करके स्थगन प्रार्थना-पत्र 15 घ प्रस्तुत किया गया है। अतः न्यायहित में स्थगन प्रार्थना-पत्र 15 घ इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि उभय पक्ष दिनांक 30.11.2020 तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा नियत तिथि 30.11.2020 तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.02.2020 का क्रियान्वयन व प्रभाव स्थगित रहेगा।

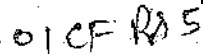
पत्रावली वास्ते आपत्ति एवं निस्तारण दिनांक 30.11.2020 को पेश हो।



Seal
11.11.2020

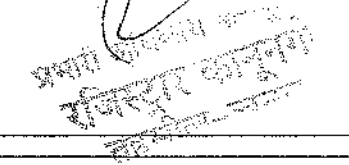
सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय-मीरजापुर

जनपद न्यायाधीश,
मीरजापुर
11.11.20



01 OF 122

24

								
उद्धरण खतौनी								
उद्धरण क्रमांक : 2128392024033								
ग्राम क्रमांक : 212839 ग्राम का नाम (परगना) : बेलखरा(अहतरौरा) तहसील : चुनार जनपद : मिर्जापुर फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1								
(1) खाता संख्या : 00174								
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधर्मे के अधिकार में हो								
खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
291/2	1) सरस्वती देवी/बिरजू/स्था.		1394फ	291/2(2128390291100212)	3.7940	1) 1/1	1) 3.7940	60.00
							3.7940	
कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- तीन दशमलव सात नौ चार शत (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - छः शत दशमलव शत शत रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - तीन दशमलव सात नौ चार शत (हेक्टेयर)								
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		
						 		
(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :								

JIOX

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) कार्यालय क्षेत्रिय कनाधिकारी चुनार रेंज पत्रांक 105/चुनार./0केश दि0 6-11-14 /तह0दि0 3-1-15 ग्राम बेलखरा पर0अहलौर तह0चुनार जिला मी.जापुर रिट याचिका सं0 19144/2004 सरस्वती देवी बनाम राज्य सरकार बजारीसे जिलाधिकारी व अन्व में भा0उच्च न्यायालय के आदेश दि0

2) 3-3-14 के अनुपालन में ग्राम बेलखरा पर0अहलौर के अत0सं0 291मि.जी पूर्व ने भी वन भूमि थी एवं चारा 20की भूमि को भा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का अनुपालन करते हुये वन विभाग के पक्ष में अंकित की जाती है। सं0 3-1-15

Data Digitally Signed by: SANJAY KUMAR (REGISTRAR KANOONGO)

दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2024 03:25:45 सहरील : चुनार

❶ यह अरण्य अंतर्गामी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित है।

मुद्रित कर्ता : RAM JI PAL सहरील : चुनार

मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2024 03:25:45

❶ Not Applicable For Online Prints ❷ आगे के उद्घरण खरीदारी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर जबकि QR Code Scan करके किया जा सकता है।



प्रभारी अधिकारी पत्रांक
रजिस्ट्रार कार्यालय
कानौल-चुनार

DOCUMENT E

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

INDEX

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

.....Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors.

..... Defendants/Respondents

Sr. No.	Particulars	Date	Annex. No.	Pages
1.	Events			1-3
2.	Memo of Appeal			4-11
3.	Certified copy of the judgment passed by Sri Talewar Singh, Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur in Civil Appeal no. 9 of 2012 - (Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.)	16.09.2022		12 - 50
4.	Formal Order / Decree			51-59
5.	Certified copy of the judgment passed by Sri Pawan Kumar Rai, learned	15.12.2011		60

	Civil Judge (Junior Division), Chunar, Mirzapur in Original Suit No. 305 of 1987 (Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors)			91
6.	Formal Order / Decree			92-96
7.	Stay application under Section 151, C.P.C.			97-100
8.	Supporting Affidavit with Photo I.D.			101 120
9.	Copy of the Order dated passed by the court of the Consolidation Officer, Chunar Mirzapur	10.02.1963	I	121 129
10.	Copy of the plaint in Original Suit No. 305 of 1987		II	130 134
11.	Copy of the application for temporary injunction filed by the appellant -plaintiff in Original Suit No. 305 of 1987		III	135 137
12.	Copy of the Commissioner's Report	07.07.1983	IV	138 140
13.	Copy of the Order passed by the learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur	10.09.1987	V	141 151
14.	Copy of the Order passed by the learned 4 th Additional District Judge, Mirzapur	16.02.1991	VI	152 154
15.	Copy of the Written Statement filed by the defendants-respondents in Original Suit No. 305 of 1987		VII	155 159
16.	Copy of the Order passed by the learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur	05.08.1999	VIII	160 161
17.	Copy of amendment application filed by the appellant-plaintiff	21.08.1999	IX	162 163

18.	Copy of the Order passed by the learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur	23.08.1999	X	164 165
19.	Copy of amendment application filed by the appellant-plaintiff	20.04.2001	XI	166 167
20.	Affidavit of Evidence of the witnesses of the plaintiff-appellant along with the cross-examination notes		XII	168 198
21.	Copy of the Order passed by the learned Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur	25.01.2012	XIII	~~199~~ 199-200
22.	Vakalatnama			201

(Utkarsh Srivastava)

Enr. No. MAH/4941/2016

(Kalpana Sinha)

Enr. No. UP 5688 / 2017

A/Roll No. A/K 1234 / 2017

Counsel for Plaintiffs Appellants

76, Lawyers Chamber, High Court,
Allahabad

Dated: November, /7/ 2022

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

LIST OF DATES AND EVENTS

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT :: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

..... Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors.

..... Defendants/Respondents

Sr. No.	Dates	Events
		Plaintiff - appellant is the sole owner of the plot bearing araji no. 291, admeasuring about 15 bighas. She has been in possession of the said Property since prior to the enactment of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and is the sole owner thereof
		In Case No. 58/30 of 1963 before the court of the Ld. Consolidation officer, Chunar, Mirzapur an Order dated 10.02.1963 was passed under Section 9 of the U.P. Consolidation of Land Holdings Act, 1953 in terms of which it was directed that the name of the plaintiff-appellant be added as 'Sirdar' in respect of the said Property which was earlier araji no. 827 after deleting the name of Gaon Sabha and "Son Van Khand"
		Respondents started interfering in the possession of the said Property and started threatening the plaintiff-appellant that they would dig and plant trees and on the said Property
		Original Suit No. 305 of 1987 before the court of the learned Civil Judge (Junior Division),

Sr. No.	Dates	Events
		Mirzapur seeking relief of permanent injunction
		Plaintiff-appellant filed an application before the learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur for appointment of a Commissioner for inspection of the said Property. The Commissioner so appointed submitted its report on 7 th July, 1983
	10 th September, 1987	The learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur was pleased to allow the '6 ga' application of the plaintiff-appellant and restrained the respondents from in any manner interfering in the said Property or plant any trees, pending the suit
	16 th February, 1991	Against the Order dated 10 th September, 1987, the respondents preferred an appeal before the learned 4 th Additional District Judge, Mirzapur being Appeal No. 82 of 1987. However, the learned 4 th Additional District Judge, Mirzapur was pleased to dismiss the appeal in terms of its Order dated 16 th February, 1991
	17 th November, 1987	The defendants-respondents filed their Written Statement in Original Suit No. 305 of 1987
	5 th August, 1999	The learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur framed the issues in the Suit
		The trial in Original Suit No. 305 of 1987 proceeded and evidence of witnesses of the plaintiff and defendants were recorded.
	15 th December, 2011	By its Judgment and Decree dated 15 th December, 2011, the learned Civil Judge (Junior Division), Chunar, Mirzapur dismissed the plaintiff's suit being Original Suit No. 305 of 1987 (<i>Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors</i>).
	2012	Aggrieved with the judgment and decree dated 15 th December, 2011 passed by the learned Civil Judge (Junior Division), Chunar, Mirzapur in Original Suit No. 305 of 1987 (<i>Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors</i>) the plaintiff-appellant preferred an appeal being Civil Appeal no. 9 of 2012 - (<i>Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors</i>)
	25 th January, 2012	By the Order dated 25 th January, 2012, the learned Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur was pleased to stay the

Sr. No.	Dates	Events
		effect and operation of the judgment and decree dated 15 th December, 2011
	16 th September, 2022,	By the impugned judgment and decree dated 16 th September, 2022, the Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur dismissed the Civil Appeal no. 9 of 2012 - (<i>Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors</i>)
		Hence this appeal

(Utkarsh Srivastava)
Enr. No. MAH/4941/2016

(Kalpana Sinha)
Enr. No. UP 5688 / 2017
A/Roll No. A/K 1234 / 2017
Counsel for Plaintiffs Appellants
76, Lawyers Chamber, High Court,
Allahabad

Dated: November, /7, 2022

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi, wife of Birju, Resident of Belkahra
Pargana Ahraura, Tahsil Chunar, District Mirzapur

..... PLAINTIFF/APPELLANT

VERSUS

1. Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van
Prabhag, Mirzapur
2. Uttar Pradesh Sarkar bajariye Shriman Ziladhikari
Mahoday, Mirzapur
3. Gaon Sabha, Belkhara bajariye Gram Pradhan,
Belkhara, Pargana Ahraura, Tahsil Chunar, Zila
Mirzapur

..... DEFENDANTS/RESPONDENTS

To,

The plaintiff / appellant abovenamed has
approached this Hon'ble Court of Judicature at Allahabad

against the judgment and decree dated 16th September, 2022 passed by Sri Talewar Singh, Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur in Civil Appeal no. 9 of 2012 - (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*) arising out of the judgment and decree dated 15th December, 2011 passed by Sri Pawan Kumar Rai, learned Civil Judge (Junior Division), Chunar, Mirzapur in Original Suit No. 305 of 1987 (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*).

Relief

The relief sought by this appeal is that this Hon'ble Court may very kindly be pleased to allow the present second appeal; set-aside the impugned judgment and decree dated 16th September, 2022 passed by Sri Talewar Singh, Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur, passed in Civil Appeal no. 9 of 2012 - (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*) and set aside judgment and decree dated 15th December, 2011 passed by Sri Pawan Kumar Rai, learned Civil Judge (Junior Division), Chunar, Mirzapur in Original Suit No. 305 of 1987 (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van*

Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.)
 and allow the suit being Original Suit No. 305 of 1987
(Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari
Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.) and / or
 to pass such other and further order/s as this Hon'ble
 court may deems fit and proper in the circumstances of
 the case.

The valuation of the suit for
 the purposes of Court fee and
 jurisdiction was Rs.

----- 200/-

The valuation of the appeal for
 the purposes of Court fee and
 jurisdiction is Rs.

----- 200/-

The Court fee paid is Rs.

----- 30/-

The plaintiffs appellants is filing the present second
 appeal *inter alia* on the following amongst many other
 grounds -

GROUND S

1. BECAUSE the impugned judgments are arbitrary
 and have been passed without application of
 judicial mind.
2. BECAUSE the impugned judgments failed to
 consider that the possession of the plaintiff-
 appellant on the said Property was clearly

established by the Commissioner's report dated 7th July, 1983.

3. BECAUSE the impugned Judgments failed to consider that the Commissioner's report dated 7th July, 1983 recorded that except a 'neem' tree there were no other trees located on the said Property; as such the Respondents-Defendants' submission that there were several trees on the said Property and was thus a forest area, was completely belied by the findings contained in the report.
4. BECAUSE the impugned Judgments wrongly discarded the Order dated 10.02.1963 passed in Case No. 58/30 of 1963 by the court of the Consolidation officer, Chunar, Mirzapur under U.P. Consolidation of Land Holdings Act, 1953
5. BECAUSE the impugned Judgments are patently erroneous inasmuch as it ignores the certified copy of the Order dated 10.02.1963 passed by the court of the Consolidation officer, Chunar, Mirzapur in Case No. 58/30 of 1963.

6. BECAUSE the learned trial court and the learned appellant court erred in dislodging the evidentiary value of the certified copy of the Order dated 10.02.1963 passed by the court of the Consolidation officer, Chunar, Mirzapur in Case No. 58/30 of 1963 by drawing negative inferences from oral testimonies.
7. BECAUSE both the learned trial court and the learned appellant court have disregarded certified copy of the Order dated 10.02.1963 passed by the court of the Consolidation officer, Chunar, Mirzapur in Case No. 58/30 of 1963 only on the basis that in response to the RTI application filed by the respondents-defendants it was informed by the officer of the consolidation officer that there is no entry of aforesaid case in their records. However, the courts below failed to consider that in response to the RTI application of the plaintiff-appellant it was specifically recorded by the officer of the consolidation officer that the said records were destroyed on 2nd September, 1976. Thus, the factum of Case No. 58/30 of 1963 was not in

dispute and the courts below have wrongly failed to consider such evidence.

8. BECAUSE while on the one hand the learned appellant court has held that the very fact as to whether any consolidation proceedings were held in the year 1963 was not proved, on the other hand, at paragraph 23 of the impugned judgment dated 16th September, 2022 it has held on the basis of documentary evidence that consolidation proceedings in respect of the said Property were held in the years 1963-64. There is thus an apparent contradiction in the findings of the learned court.
9. BECAUSE finding of the courts below disbelieving the certified copy of the Order dated 10.02.1963 passed by the court of the Consolidation officer, Chunar, Mirzapur in Case No. 58/30 of 1963 merely on the pleading of the defendants-respondents that they were not aware of such consolidation proceedings is perverse.
10. BECAUSE the finding of the learned courts below that the land bearing araji no. 827 was

transferred by the revenue department to the forest department on 5th November, 1966 is not supported by any evidence.

11. BECAUSE the learned courts below have disregarded the uncontroverted testimony of the witnesses led by the plaintiff-appellant about the plaintiff-appellant's possession of the said Property entirely on the basis of conjectures and surmises.
12. BECAUSE the defendants-respondents failed to prove their pleadings set out in the written statement,
13. BECAUSE the courts below failed to consider that the original suit was filed by the plaintiff-appellant on the basis of their possession over the said Property.
14. BECAUSE the courts below failed to consider that the plaintiff-appellant cannot be dispossessed in the absence of appropriate acquisition proceedings being initiated under the provisions of Section 11 of the Forest Act.

15. BECAUSE the findings of the court below are perverse inasmuch as they are IN stark contradiction of the evidence available on record.

On the above grounds following substantial question of law shall arise for adjudication before this Hon'ble Court.

Substantial Questions of Law

- i. Whether the evidentiary value of certified copy of a judicial order can be dislodged on the basis of oral testimonies?
- ii. Whether the report of the Commissioner appointed by the court in the suit proceedings can be used in evidence to corroborate the possession of the plaintiff
- iii. Whether unrebutted oral testimonies can be dislodged as evidence on the basis of improbabilities?

(Utkarsh Srivastava)

Enr. No. MAH/4941/2016

(Kalpana Sinha)

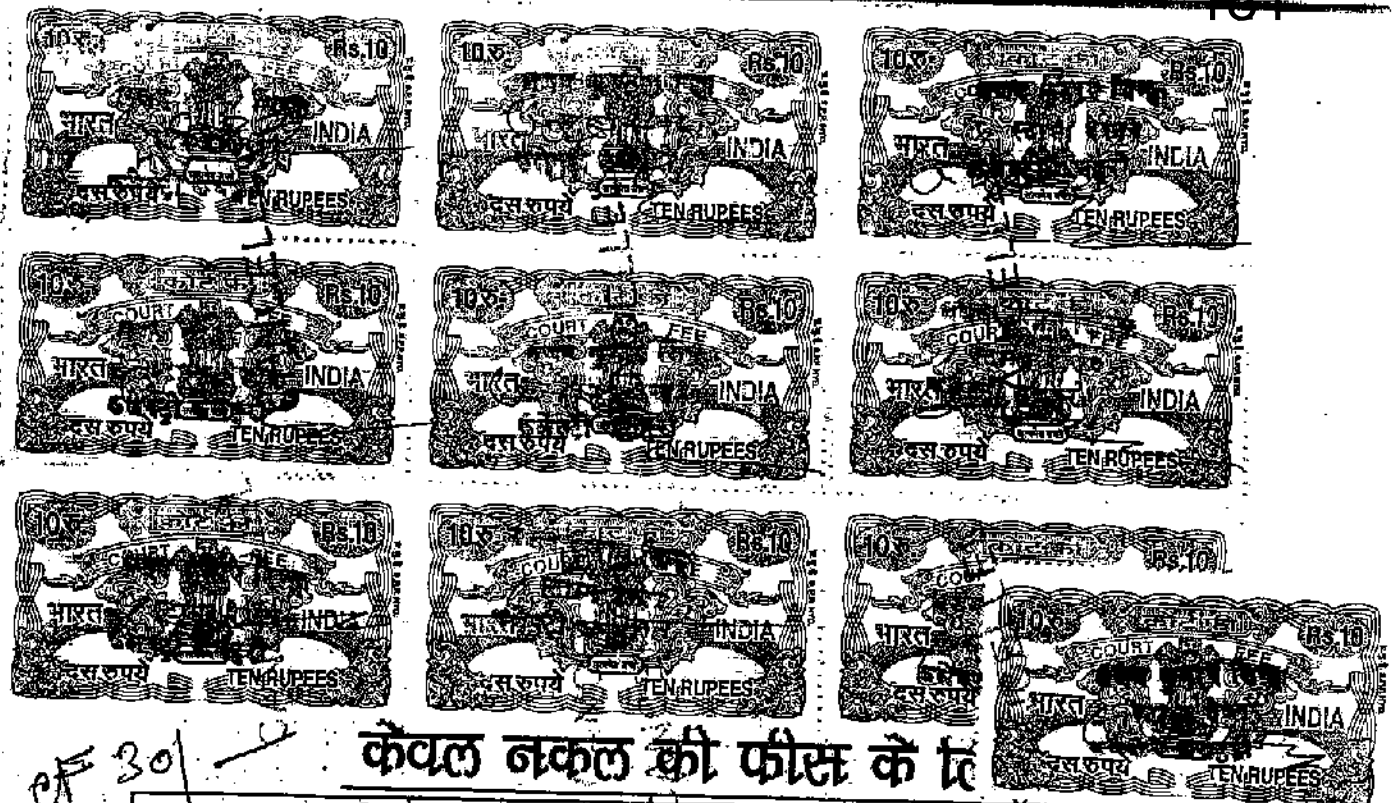
Enr. No. UP 5688 / 2017

A/Roll No. A/K 1234 / 2017

Counsel for Plaintiffs Appellants

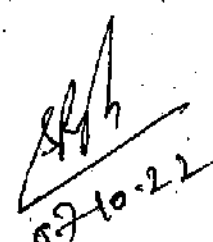
76, Lawyers Chamber, High Court,
Allahabad

Dated: November, 17 2022



CF 30

केवल नकल की फीस के त्र

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of which Application in-made for copy accomp- -anied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
07/10/22 साह अम्बर लनदो हमार बाइल	07/10/22 साह अम्बर लनदो हमार बाइल	07/10/22 साह अम्बर लनदो हमार बाइल	 07-10-22

07-10-22

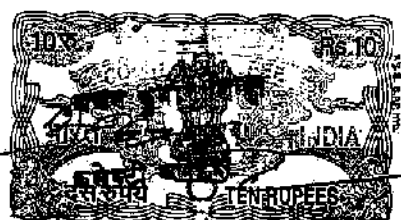
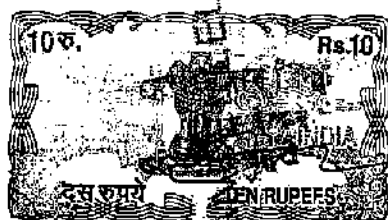
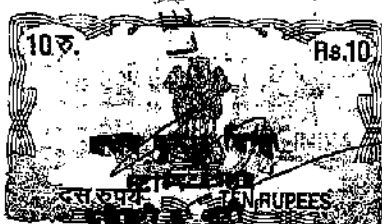
भाषाजय की भाषा अपर अनपद-भाषाजय अति-भाषाजय प्रामोस
की.



लिखित अपील 09/11/22

की गयी लालचरी देवी वनाम. क्वाचिफारी के.

नकल को देना निर्णय दि 16/9/22 लेल न हो





UPMCT0018672012

न्यायालय Additional District and Sessions Judge/POCSO Act,
Mirzapur

पीठासीन अधिकारी- (TALEWAR SINGH), (उच्चतर न्यायिक सेवा) -

UP06475

सिविल अपील संख्या- 09 सन 2012

1. श्रीमती सरस्वती देवी उम्र लगभग 72 वर्ष पत्नी बिरजू निवासी मौजा बेलखरा परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर।
.....अपीलार्थिनी/वादिनी।

बनाम-

1. श्रीमान् वन अधिकारी महोदय पूर्वी वन प्रयाग, मीरजापुर,
2. उत्तर प्रदेश सरकार बजरीये जिलाधिकारी, मीरजापुर,
3. गांव सभा बेलखरा बजरीये प्रधान/अध्यक्ष भू0प्र.स0 बेलखरा, परगना अहरौरा, तहसील चुनार जिला मीरजापुर।

.....प्रतिपक्षीगण/प्रतिवादीगण।

निर्णय

यह सिविल अपील अपीलार्थिनी श्रीमती सरस्वती देवी की ओर से न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), चुनार, मीरजापुर द्वारा मूल वाद संख्या 305 सन 1987 सरस्वती देवी बनाम श्रीमान् वन अधिकारी आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 15.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2. अपीलार्थिनी द्वारा अपने अपील में यह आधार लिया गया है कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांकित 15.12.2011 मुकदमें में निहित तथ्यों एवं विधि व्यवस्थाओं के विपरीत है। अपीलार्थिनी/वादिनी आ0नं0 291 मि0 रकबा 15 बीघा जिसे सलगन नक्शा बहुरूफ च,छ,ज,झ पर जमींदारी विनाश के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील चली आ रही है तथा बरामद अपने हल बैल से जोत बो कर फसल कास्त करती है। वादिनी पूरी जमीन को बगरज सुरक्षा पत्थर के टुकड़ों से फेन्सिंग किये हैं, अभिलेखों में भी वादिनी/अपीलार्थिनी का नाम दर्ज हो चुका है लेकिन प्रतिवादीगण के कुछ कर्मचारी अनुचित लाभ उठाने की दुर्भावना से वादिनी/अपीलार्थिनी के दुश्मनों के बहकावे में आकर वादिनी की भूमि की नवैयत गद्दटा खोदने व पेड़ लगाने की धमकी देने लगे जिसकी शिकायत की गयी बल्कि आप रेस्पान्डेन्ट ने ध्यान नहीं दिया तथा अपने कर्मचारियों

8/

को गलत तौर पर प्रोत्साहित किया। प्रतिवादीगण/रैरपॉडेंट वादिनी/अपीलार्थिनी के शांति पूर्वक कब्जा दखल से हटाना चाहते हैं और बार-बार शिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और दिनांक 01.04.1987 को आपके कर्मचारियों ने साफ साफ कर दिया कि वे सब साहब के निर्देश पर चल रहे हैं तथा वादिनी/अपीलार्थिनी को धमकी भी दी है। वादिनी/अपीलार्थिनी द्वारा दावा दाखिल करने के पूर्व प्रतिवादीगण को बजरिये रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 दंडप्रोसंहिता व 106 यू0प्र0प0राज एक्ट की नोटिस दे दी गयी, जिसका कोई जवाब नहीं दिया तब 60 दिनों के उपरान्त दावा दाखिल किया गया। पक्षों के बीच दौरान चकबन्दी प्रक्रिया विवाद चलकर अंतिम तौर पर निर्णीत व फाइनल हो चुका है। इस वाद कारण के बिनाय पर दुराशय पूर्ण मजाहिमत प्रतिवादी कानूनन बार्ड बाई लॉ है और डिफेन्स प्रतिवादी द्वारा 49 उ0प्र0 चकबन्दी अधिनियम से पूर्ण बाधित है। वादिनी द्वारा दिनांक 29.06.87 को वाद कारण उत्तपन्न होना व्यक्त करते हुए स्थानी निषेधाज्ञा के अनुलोष की याचना की गयी है।

3. प्रतिवादीगण की ओर से लिखित कथन का0सं0 32क प्रस्तुत कर वाद पत्र की दफा 1 ता 12 से इन्कार करते हुए कथन किया गया है कि हरगिज वादिनी भूमि संख्या 291 मि0 रकबा 15 बीघा पर जिस वादपत्र के नक्शे में च,छ,ज,झ से दिखाया गया है, पर जमींदारी विनाश के पूर्व से बहसियत मालिक काबिज दखील नहीं रही है न ही उसका कब्जा दखल उक्त भूमि पर है। वादपत्र में जो भूमि च,छ,ज,झ से दिखायी गयी है, वह भूमि संख्या 291 मि0 15 बीघा नहीं है। वादिनी ने कोई जायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0फौ0 दावा दाखिल करने के पूर्व नहीं दिया। वादिनी द्वारा कथित खसरा प्लॉट संख्या 291 मि0 मौके के अनुसार स0 खसरा प्लॉट संख्या 827 मि0 के अन्तर्गत पड़ता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 23(2)-95/14ख-87 दिनांक 22.02.88 द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं0 5924/14-2-20(47)-82 दिनांक 22.08.83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लॉट नं0 827 मि0 के कुल 305 बीघा 11 विस्वा क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में हैं जिसका वन विभाग की पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। वादिनी ने कागजात सरकारी प्रलेखीय साक्ष्य से एवं मौखिक साक्ष्य से अपने केस को बखूबी साबित व पुष्ट किया है जबकि प्रतिवादीगण ने सरकारी रेकार्ड की छायाप्रतियां विभागीय तौर पर प्रमाणित करके दाखिल किया है। उसके मौखिक



५ /

साक्षीगण का साक्ष्य मौका एवं कागजात सबूत से कतई साबित नहीं है फिर भी मातहत अदालत ने तथ्यों एवं अभिलेखों का गलत परीक्षण और तर्क करके निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत ने प्लीडिंग के आधार पर समुचित विन्दु विगचित नहीं किया और स्थापित विधि व्यवस्थाओं की अनदेखी करके वादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की व्याख्या न करके अन्यथा निष्कर्ष निकाला है। सम्पूर्ण संदर्भों में यहाँ वादिनी का साक्ष्य विश्वसनीय है, वहीं प्रतिवादीगण का साक्ष्य अविश्वसनीय एवं तर्कसंगत नहीं है। वाद विन्दु संख्या 1, 2 व 4 का भार वादिनी पर रहा है जो अभिलेखीय साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। जहाँ वादिनी का साक्ष्य पुष्ट है वहीं प्रतिवादीगण का अभिकथन व साक्ष्य स्वीकृत तथ्यों के विरोधाभासी है। वादग्रस्त सम्पत्ति साविक नं० 829 वहाल नम्बर 291 का अंश होना प्रतिवादीगण के साक्ष्यों से भी मूलतः बखूबी पुष्ट है फिर भी मातहत न्यायालय कानून संगत निष्कर्ष व निर्णय न करके आधारभूत त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री मातहत न्यायालय अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।



4. अपील में के समर्थन में फेहरिस्त सूची 7ग से मूल वाद संख्या-305/87 में पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2011 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या-8ग/1 लगायत 8ग/8 तथा नकल डिक्री की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या-9ग/1 लगायत 9ग/3 प्रस्तुत किया गया है।

5. अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल मूलवाद संख्या 305/87 में वादग्रह के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी आ० नं० 291मि० रकबा 15 बीघा जिसे नक्शा बहुरूफ च,छ,ज,झ पर वादिनी जमींदारी विनाश के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील चली आ रही है और बराबर अपने हल बैल से जोत बो कर फसल कास्त करती है। वादिनी पूरी जमीन को बगरज सुरक्षा पत्थर के टुकड़ों से फेंसिंग किये है, अभिलेखों में भी वादिनी का नाम दर्ज हो चुका है लेकिन प्रतिवादीगण के कुछ कर्मचारी अनुचित लाभ उठाने की दुर्भावना से वादी के दुश्मनों के बहकावे में आकर वादिनी की भूमि की नवैयत गड़ढा खोदने व पेड़ लगाने की धमकियां देने लगे जिसकी शिकायत की गयी जिस पर विपक्षी ने ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने कर्मचारियों को गलत और प्रोत्साहित किया। प्रतिवादीगण वादिनी की शांति पूर्वक कब्जा दखल से हटाना चाहते है और बार बार शिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे है और दिनांक 01.04.87 को कर्मचारियों ने साथ साफ कर दिया कि साहब के निर्देश पर हमलोग चल रहे है और धमकी भी दिये। प्रतिवादीगण अजराह जबरदस्ती बिला स्तहकात वादिनी

ई/

की जमीन पर खनने खोदने व पेड़ लगाने पर आमादा है। वादिनी ने स्वयं व अपने आदमी प्रतिवादीगण से सम्पर्क स्थापित कर गैर कानूनी कार्य करने से बाज आने की सिफारिस की लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। प्रतिवादीगण को बजरिये रजिस्टर्ड पोस्ट 80 दंडप्र0संहिता की नोटिस दी गयी जिसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसे 60 दिन से अधिक हो गया, दावा दाखिल किया जा रहा है। पक्षों के बीच दौरान चकबन्दी प्रक्रिया विवाद चलकर अन्तिम तौर पर निर्णीत व फाइनल हो चुका है। वाद कारण के बिनाय पर दुराशय पूर्ण मजाहिमत प्रतिवादी कानूनन बाई बाई लॉ है और डिफेन्स प्रतिवादी द्वारा 49 उ0प्र0 चकबन्दी अधिनियम से पूर्ण बाधित है, क्योंकि निर्णय चकबन्दी पक्षों पर बाध्य है। प्रतिवादीगण को रोक नहीं गया तो वे अपने फेल बेजा से बाज नहीं आयेंगे और जिससे वादिनी को अपर्णतीय क्षति होगी और वादिनी अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित हो जायेगी। वाद का नियमानुसार वादशुल्क अदा करते हुए निम्न प्रतिकारों की याचना की गयी है :-

1. बजरिये हुकुम इम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को मना किया जावे कि वे आराजी नं0 291 मि0 रकबा 15 बीघा बहलूफ च,छ,ज,झ मुन्दर्ज अर्जीनालिश समलूकहः मुकबूजः वादिनी के कब्जा दखल में, इस्तेमाल करने में प्रतिवादीगण स्वयं या अपने आदमियों द्वारा किसी प्रकार से रुकावट दखलंदाजी न करें न करावें न उसे खन खोद कर उसकी नवैयत तब्दील करें, न उसमें किसी प्रकार का कोई पेड़ लगवावें, न वादिनी के घेरे हुए पत्थर के फेन्सींग को हटावें, न ही वर्बाद करें
2. यह कि खर्च मुकदमा की डिक्री वादिनी के खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फर्माया जावे।
3. उपरोक्त दादरसी के अलावा वादिनी जिस अन्य दादरसी के मुस्तहक करार पाई जावे इसकी भी डिक्री बहक वादिनी के खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाये।
6. प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा कागज संख्या 32क दाखिल करते हुए वादपत्र के दफा-1 ता 12 से इंकार किया है और अतिरिक्त कथन किया है कि दावा वादिनी कानून व असली तथ्यों के विरुद्ध है तथा असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। हरगिज वादिनी भूमि सं0 291मि0 रकबा 15 बीघा पर जिसे वादपत्र के नक्शे में च,छ,ज,झ से दिखाया गया है, पर जमींदारी विनाश के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील नहीं रही है, न ही उसका कब्जा दखल उक्त भूमि पर है। हरगिज वादिनी या उसके पूर्व उसके पूर्वजों का



नाम कागजात माल में कभी दर्ज नहीं था न है। वादिनी ने कोई जायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0वन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादिनी हैं, धारा 34, 38 व 41 स्पेसिफिक डिलीफ्ट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वादिनी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की अधिकारिणी नहीं है। वादिनी का नाम कागजात माल में अंकित नहीं है। वादा वादिनी भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। उत्तर प्रदेश जा0वन अधिनियम की धारा 331 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को मुकदमा के सुनवाई का अधिकार हासिल नहीं है, वादिनी को दावा दाखिल करने का हक हासिल नहीं है। वादिनी द्वारा कथित खसरा प्लॉट सं0 291 मि0 मौके के अनुसार सा0 खसरा प्लॉट संख्या 827 मि0 के अन्तर्गत पड़ता है जो भा0वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 23(2)-95/14-ख-67 दिनांक 22.02.88 द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं0 5924/14-2-20(47) -82 दिनांक 22.08.83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लॉट संख्या 827 मि0 के कुल 305 बीघा 11 विस्वा क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है जिसका वन विभाग को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। धारा 23 भा0वन अधिनियम के अनुसार वादिनी को कोई हक हासिल नहीं है। वादिनी द्वारा नक्शा नजरी में अंकित क्षेत्र वन विभाग की भूमि है। वादिनी का उक्त भूमि से कोई वास्ता सरोकार न तो रहा है और न ही है। प्रश्नगत क्षेत्र वन विभाग की भूमि है जिसे पत्थर की दीवाल से घेरकर उसमें वर्ष 87 की वर्षा में वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। वादिनी द्वारा उक्त क्षेत्र में कोई पत्थर की दीवाल की घेरी नहीं गयी है। वादिनी ने इस मुकदमे में इन्तखाफ खतौनी 1394 फणली दाखिल किया, उसके आधार पर जानकारी हुयी कि तहसीलदार चुनार द्वारा कोई विविध वाद कायम करके गलत तौर पर वादिनी का नाम दर्ज करने का आदेश हो गया है जिसमें राज्य सरकार उत्तर प्रदेश या वन विभाग कोई पक्षकार नहीं था न ही नोटिस प्राप्त हुयी। उक्त आदेश बिला अख्तियार शून्य एक पक्षीय एवं फर्जी है। उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया है, जो विचाराधीन है। वादिनी ने भा0वन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 4 के प्रकाशन के बाद कोई आपत्ति पत्र या क्लेम दाखिल नहीं किया था। धारा 5, 9 व धारा 23 भा0वन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई हक किसी किस्म का पैदा नहीं हुआ है। तहसीलदार, चुनार को कोई अधिकार वन भूमि से वन विभाग का नाम काटने व वादिनी का नाम दर्ज करने का हासिल नहीं था। फारेस्ट कन्जरवेशन एक्ट 1980 के प्रावधानों के अनुसार



६

भी वादिनी को विवादित भूमि में कोई अधिकार हासिल नहीं है। उपरोक्त के आधार पर वादिनी के वाद को निरस्त किये जाने की याचना की है।

7. प्रतिवादीगण की ओर से अतिरिक्त जवाबदावा का 0 सं 89 का दाखिल करते हुए कथन किया है कि वादिनी द्वारा संस्थित चक्रवर्दी न्यायालय का निर्णय आदेश दिनांक 10.02.63 की कोई जानकारी वन विभाग को नहीं थी। दिनांक 27.09.2001 को श्रीमान् जी के यहाँ नकल दाखिल करने पर सर्व प्रथम आदेश दिनांक 10.02.63 की जानकारी हुयी। राजस्व अभिलेखों में उक्त आदेश का अमल दरामद भी नहीं हुआ है और नामान्तरण की कार्यवाही कालबाधित हो गयी है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चक्रवर्दी अधिकारी तृतीय अहरोश का मु 0 सं 58/30 सन् 1963 ता 0 फ 0 10.02.63 बिल्कुल फर्जी, मनगढ़न्त एवं न्यायालय को गुमराह करने की साजिश है। वादिनी द्वारा वाद पत्र में किये गये संशोधन के पश्चात् उ 0 प्र 0 सरकार को दफा-80 जा 0 दी 0 की नोटिस नियमानुसार पुनः देना आवश्यक हो गया है, वादिनी पुनः नोटिस देने से उनमुक्त नहीं की जा सकती है। वादिनी द्वारा 14 वर्षों के पश्चात् किये गये संशोधन से विवादित आराजी में स्थित वृक्षों की मालियत काफी बढ़ गयी है, जिस पर नियमानुसार वादिनी द्वारा न्यायशुल्क अदा किया जाना है। उक्त संशोधन से वाद हेतुक बदल गया है। इसी प्रकार वादिनी ने न्यायालय तहसीलदार, चुनार के यहाँ से एक पक्षीय आदेश दिनांक 18.02.87 पारित कराकर वन विभाग का नाम कागजात से कटवा दिया था जिसकी जानकारी होने पर वन विभाग की ओर से तहसीलदार चुनार के न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् आदेश दिनांक 23.01.89 के द्वारा आदेश दिनांक 18.02.87 को निरस्त कर दिया गया, जिससे वादिनी का नाम कागजात माल में कायम नहीं रह गया। विवादित आराजी सं 0 827 जमींदारी विनाश के पश्चात् (मुताबिक 1359 फ 0 खतौनी) बंजर दर्ज था जिसका कुल रकबा 313 बीघा विस्वा था। (1359 फ 0 के खतौनी खाता संख्या 233 बंजर खाते में 827 रकबा 7 विस्वा तथा खाता संख्या 354 पहाड़ पर आ 0 सं 0 827/1 रकबा बीघा 19 विस्वा दर्ज है) आराजी राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 05.11.66 को विभाग को हस्तान्तरित की गयी। 1372 फसली के वन एवं बंजर की सूची से पूर्णतया स्पष्ट है। हस्तान्तरण के पश्चात् विज्ञप्ति सं 0 1994/1-क-67 दिनांक 27.07.1967 द्वारा उपरोक्त आराजी की पुनः ग्रहण की विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी। विवादित आराजी दिनांक 10.09.67 को राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त विज्ञप्ति का हवाला देते हुए अमल दरामद कर दी गयी। 1369-71 फ 0



की उद्धरण खतौनी में वन विभाग दर्ज है। अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त बन्दोबस्त अधिकारी, मीरजापुर द्वारा आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत भा०व०अधि० की धारा 6 के अन्तर्गत (प्रोक्लेमेशन) घोषणा पत्र दिनांक 31.03.68 को जारी करके बेलखरा के ग्राम वासियों को सूचना दी गयी तथा उनसे दिनांक 07.12.68 तक आपत्तियों आमंत्रित की गयी। वादिनी द्वारा व०व०अ० के न्यायालय में विवादित आराजी के बावत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी जिसका उल्लेख व०व०अ० ने इस ग्राम की आरक्षित वन की विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते समय "रजिस्टर बी का उद्धरण" में किया है कि "कोई वाद प्रस्तुत नहीं है।" रजिस्टर बी का उद्धरण से स्पष्ट है। इस मध्य में चकबन्दी अधिकारी द्वारा इस ग्राम का रिकार्ड अपरेशन वर्ष 1968 बनुताबिक 1374-75 फसली में किया गया तथा विवादित पुरानी आराजी संख्या 827 की नई आराजी 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा बनाई गयी। (नकल जोत चकबन्दी आकार पत्र सं० 40) से साबित है। जो०च० आकार पत्र 41 के अनुसार विवादित नई आराजी संख्या 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा पुरानी आराजी सं० 827 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा से बनाई गयी है तथा विशेष विवरण कालम में जंगल विभाग दर्ज है। जो०च० आकार पत्र सं० 45 के अनुसार विवादित नई आराजी सं० 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा खाता सं० 198 पर उत्तरी मीरजापुर के नाम अंकित हैं भा०व०अधि० की धारा 20 के अन्तर्गत आराजी सं० 563/1 भी० तथा आराजी संख्या 827 का जो क्षेत्र कम प्रकाशित हुआ है, उसका उल्लेख व०व०अ० ने इस ग्राम के संक्षिप्त इतिहास के कालम संख्या-5 (बेलखरा) के कालम संख्या-7 में किया है।



अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित कुल 9 वाद विन्दु विरचित किये गये :-

1. क्या वादी विवादित भूमि का स्वामी है ?
 2. क्या वादी विवादित भूमि पर काबिज है ?
 3. क्या वाद अल्प मूल्यांकित एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
 4. क्या विवादित आराजी गाटा संख्या 291 का अंश है ?
 5. क्या वाद धारा 80 सी०पी०सी० के अन्तर्गत नोटिस देने का अभाव है ?
 6. क्या वाद धारा 34, 38 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है ?
 7. क्या वाद धारा 331 उ०प्र० जमींदारी विनाश अधि० से बाधित है ?
 8. क्या वाद धारा 4, 20 वन अधिनियम से बाधित है ?
 9. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?
- अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् उपरोक्त

५

वाद विन्दुओं का निस्तारण करते हुए यह पाया कि वादिनी अपना वाद साबित करने में असफल रही है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.12.2011 को वादिनी का वाद सब्य निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह सिविल अपील अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

10. अपीलार्थिनी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि विवादित सम्पत्ति पर मेरा कब्जा है, वन विभाग द्वारा किये गये नोटिफिकेशन विज्ञप्ति सं० 1994/1-क-67 दिनांक 27.07.1967 से काफी पहले जमींदारी विनाश अधिनियम से ही काबिज है और मैं लगातार काबिज चली आ रही हूँ।

11. अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दूसरा तर्क यह दिया गया कि दौरान चकबन्दी प्रक्रिया पुराना नम्बर खाता संख्या 827 बदलकर के खाता संख्या 291/1 व 291/2 हो गया था जो एक मिलजुमला नम्बर है। इसी मिलजुमला नम्बर में 291/2 के 15 बीघा जमीन पर मेरा कब्जा चला आ रहा है जो दर्ज कागजात है।

12. अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया कि वन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन विज्ञप्ति सं० 1994/1-क-67 दिनांक 27.07.1967 की आड़ में मुझे आवंटित 15 बीघा जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद मैं लगातार कब्जा में हूँ, आज भी मेरा कब्जा है। पत्थर की सिल्लियों से मैंने अपनी जमीन की केन्सिंग की हुयी है तथा चकबन्दी के बाद भी दर्ज सजख अमिलेखों में मेरा नाम और रकबा कब्जाधारी के रूप में लगातार चली आ रही है। अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस निम्नलिखित विधि निर्णय प्रस्तुत किये गये :-

1. Sunkamma (Dead) by L.Rs. Vs. S. Pushparaj(Dead) By L.Rs.
[2018(139)RD 565] (Supreme Court)

2. Ram Lal (Since Deceased and Substituted by Legal Heeirs) Vs.
Jokhan Prasad and others. (2018 All. C. J. 2192)

13. विपक्षीय की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 15.12.2011 बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार की अनियमिता एवं अवैधानिकता नहीं है। अपीलार्थिनी ने तथ्यों को छिपाकर अपील प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वादिनी द्वारा विवादित आराजी पर स्वयं को जमींदारी उन्मूलन के पहले से काबिज होना कहा है किन्तु



पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथन का समर्थन हो जबकि खतौनी में विवादित आराजी संख्या 291 मि0 का पुराना नम्बर 827 का सम्पूर्ण रकबा बंजर खाते में दर्ज है। यदि वादिनी जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से विवादित आराजी पर काबिज थी तो सन् 1359फ0 की खतौनी में विवादित आराजी के साबिक नम्बर पर वादिनी का नाम दर्ज होना चाहिये था किन्तु ऐसा नहीं है बल्कि इसके विपरीत आराजी नं0 291 में जिसका पुराना नं0 827 रकबा 313 बीघा जिस पर पहाड़ दर्ज है तथा जोत चकबन्दी आकार पत्र -45 में उत्तरी मीरजापुर वन विभाग नया सांटा संख्या 291 रकबा 313 बीघा दर्ज है। यदि वन विभाग द्वारा अपीलार्थिनी की जमीन पर अतिक्रमण कर उस पर कब्जा किया गया तो वन अधिनियम के अनुसार वरिष्ठ वन विभाग के अधिकारियों के यहाँ जाकर अपनी आपत्तियाँ दर्ज करानी चाहिए थी न कि चकबन्दी विभाग एवं राजस्व विभाग में। इस प्रकार उपरोक्त के आधार पर प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की सलाह दी गयी है। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस निम्न विधि निर्णय प्रस्तुत किये गये :-

1. Banwasi Seva Ashram Vs. State of U.P. Writ Petition (S) (Civil) No. 1061 of 1982
2. T.N. Godavarman Thirumulkpad etc. Vs Union of India and others. AIR 1997 Supreme Court 1228
3. Maharaja Sir Pateshwari Prasad Singh of Balrampur, Dharam Kanya Nidhi Vs. State of U.P. through Executive Engineer. Irrigation Division, Balrampur, and others. [1979 RD 142]
4. Ram Sakal (Deceased) and others Vs. Hindustan Aluminium Corporation Ltd., Mirzapur and others. [2002 All. C. J. 1271]
5. Hanuman Thappa Vs. Muninarayanappa [1997 (88) RD 41] (Supreme Court)
6. Indrapal Singh Vs State of U.P. Through Secretary U.P. State Government (Forest Department) and another. [2007(66)ALR 728] (Allahabad High Court)
7. Prabhagiya van Adhikari Awadh van Prabhag Vs. Arun Kumar Bhardwaj (Dead) Thr.Lrs. Civi Appeal No. 1707 of 2009 (Supreme Court)
14. मैंने उभय पक्ष के तर्कों को सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 15.12.2011, अपील मेमो व अधीनस्थ न्यायालय की



तलबशुदा पत्रावली में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया।

15. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त कथनों एवं तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित अवधार्य विन्दु निर्धारित किया जाता है -

अवधार्य विन्दु -

16. क्या अपीलार्थिनी विवादित सम्पत्ति पुराना नम्बर 827 नया नम्बर 291/1 व 291/2 दर्ज कागजात राजस्व अभिलेखों के आधार पर मालिक एवं काबिज है ?

17. इस वाद विन्दु को साबित करने का भार वादिनी/अपीलार्थिनी पर है। इस सम्बन्ध में वादिनी/अपीलार्थिनी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र के माध्यम से कहा गया है कि विवादित सम्पत्ति आराजी नं० 291 मि० रकबा 15 बीघा जिसे वादपत्र के नक्शा नजरी में अक्षर ब, छ, ज, झ से दिखाया गया है, पर जमींदारी विनाश अधिनियम के पहले से मालिक, काबिज व दखील है। उसने उक्त आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थर के ढोंको से चारों तरफ फेन्सिंग करा दिया है और उसमें फसल काशत करती है। प्रतिवादीगण के कर्मचारीगण दिनांक 29.06.1987 को उक्त आराजी में खन खोद करके वृक्षारोपण करने लगे, मना करने पर नहीं माने। इस पर वादिनी ने विपक्षीगण को नोटिस देने के पश्चात वाद दाखिल किये जाने की आवश्यकता हुयी। इस सम्बन्ध में वादिनी/अपीलार्थिनी की ओर से कहा गया है कि चकबन्दी न्यायालय अहरौरा, चुनार, जिला मीरजापुर की अदालत में चले वाद संख्या 58/109 सन् 1963 सरस्वती बनाम सोन वन खण्ड में चकबन्दी अधिकारी तृतीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.1963 और उक्त आदेश में ही परगनाधिकारी चुनार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.1959 के माध्यम से वादिनी को प्रश्नगत सम्पत्ति का सीरदार घोषित किया जाना दर्शित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि बादग्रस्त सम्पत्ति पर वादिनी का अध्यासन विधिपूर्ण तरीके से जमींदारी विनाश अधिनियम के पहले से अनवरत कायम व बरकरार चली आ रही है। वादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मूलवाद में सूची-9 में से खतौनी वर्ष 1393 से 1398 फसली खाता संख्या 65 एवं खसरा आराजी सं० 291/2 मि० रकबा 15 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह तथ्य उल्लिखित है कि मुकदमा सं० 28 विविध न्यायालय तहसीलदार, चुनार के आदेश दिनांकित 18.02.87 के द्वारा आराजी सं० 291 रकबा 15 बीघा पर से ग्राम सभा बेलखरा, परगना अहरौरा व पूर्वी वन विभाग का नाम निरस्त करके श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया जाय। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व अभिलेखों में

प्रविष्टि की गयी।

18. जबकि इस संदर्भ में प्रतिवादीगण/विवादीगण की ओर से कहा गया है कि विवादित सम्पत्ति वन विभाग की भूमि है, उससे वादिनी/अपीलार्थिनी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। विवादित भूमि को पत्थर की दीवार से घेर कर वर्ष 1987 से उसमें वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व है तथा उसी का कब्जा है। प्रतिवादीगण की ओर से सूची 21ग के माध्यम से प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 तथा धारा 20 से सम्बन्धित है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत खसरा प्लॉट संख्या 291 मि० मौके के अनुसार साविक खसरा प्लॉट नं० 827 मि० के अन्तर्गत आता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 23(2)-95/14-ख-67 दिनांक 22.02.88 के द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं० 5924/14-2-20(47)-82 दिनांक 22.08.83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लॉट सं० 827 मि० वन विभाग के कब्जे में है। उभय पक्षों के द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि आराजी संख्या 827 का ही नया नम्बर 291/1 व 291/2 है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत मानचित्र का०सं० 28म में आराजी नं० 827 का अधिग्रहण वन के रूप में उल्लिखित है तथा आ०नं० 827 व 825 पर ही सड़क निर्माण का उल्लेख किया गया है। का०सं० 25ग से स्पष्ट है कि आराजी नं० 827/1 रकबा 313 बीघा 11 विस्वा तथा आराजी नं० 827/2 रकबा 15 बीघा का०सं० 26ग खतौनी बेलखरा फसली वर्ष 1383 से 1386 से भी स्पष्ट है कि उक्त आराजी नम्बर से बने नये नम्बर आराजी सं० 291 रकबा 313 बीघा पर वन विभाग, मीरजापुर का नाम अंकित है तथा यह भी उल्लिखित है आदेश नोटिफिकेशन वन प्रभाग अधिकारी के द्वारा 827/4 पर पूर्वी वन विभाग प्रभाग दर्ज किया गया।



19. वादिनी/अपीलार्थिनी द्वारा कथन किया गया है कि वह जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पहले से वादग्रस्त सम्पत्ति पर काबिज दखील है। इस सम्बन्ध में 1359 फसली वर्ष का संज्ञक अभिलेख अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जमींदारी विनाश अधिनियम उसी वर्ष लागू हुआ था। का०सं० 91ग/2 खतौनी मौजा बेलखरा फसली वर्ष 1359 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आराजी सं० 827/1 रकबा 312 बीघा 11 विस्वा तथा आराजी संख्या 827/2 बंजर के रूप में दर्ज है। यदि वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादिनी जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व से

[Handwritten signature]

काबिज दखील होती तो उसके नाम की प्रविष्टि 1359 फसली वर्ष के राजस्व अभिलेखों में होती परन्तु उक्त अभिलेख पर वादिनी के नाम की कोई प्रविष्टि नहीं है।

20. जहाँ तक वादग्रस्त सम्पत्ति आ०न० 827 मि० रकबा 15 बीघा के सम्बन्ध में वादिनी/अपीलाथिनी का कथन है कि न्यायालय चकबन्दी तृतीय अहरौरा, तहसीलदार, चुनार मीरजापुर मु०न० 58/309, 1963 सरस्वती बनाम सोन वन खण्ड मीरजापुर (धारा-9) ज्ञेय चकबन्दी कानून में चकबन्दी अधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 10.02.63 पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी से गांव सभा व सोन वन खण्ड मीरजापुर का नाम काटकर श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर सिरदार अंकित किये जाने हेतु आदेशित किया गया। वन विभाग के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कोई भी आपत्ति दायित्व नहीं की गयी तथा वादग्रस्त संपत्ति पर स्वामित्व चकबन्दी न्यायालय के द्वारा अंतिम हो चुका है एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद धारा 49 चकबन्दी अधिनियम से बाधित है। इस सम्बन्ध में उक्त आदेश की मूल प्रति का०सं० 105ग/2 के प्ररिशीलन से स्पष्ट है कि श्रीमती सरस्वती देवी ग्राम बेलखरा पर आराजी न० 827 मि०/15 से जमींदार से पट्टा लेकर काबिज है और परगना अधिकारी चुनार ने दिनांक 02.02.59 को सिरदार दर्ज करने के लिए आदेश दिया है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा एवं वन विभाग का नाम काटकर वादिनी का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादिनी के द्वारा परगना अधिकारी के आदेश दिनांक 02.02.59 की कोई भी प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

21. प्रतिवादीगण/विपक्षीगण की ओर से का०सं० 92ग/1 के माध्यम से राजस्व अभिलेखागार मीरजापुर से चकबन्दी न्यायालय के वाद संख्या 58/309-1963 सरस्वती देवी बनाम सोन वन खण्ड उत्तरी की पत्रावली के संदर्भ में सूचना मांगी गयी है, जिसमें यह तथ्य अंकित किया गया है कि मौजूद बेलखरा परगना अहरौरा तहसील चुनार सरस्वती बनाम सोन वन खण्ड उत्तरी मीरजापुर मु०सं० 58/309 धारा 9अ ता० फैसला 10.02.63 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी अहरौरा की पत्रावली गौसवारा में दर्ज होगा नहीं पाया जाता है। उक्त अभिलेख के विरुद्ध वादिनी द्वारा का०सं० 104ग/1 के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र पर दफ्तर इंचार्ज मीरजापुर से इस आशय की सूचना मांगी गयी कि क्या चकबन्दी के उपरोक्त वर्णित मुकदमें की पत्रावली उपलब्ध है, जिस पर यह आख्या आयी कि उस मुकदमें की पत्रावली गौसवारा के



अनुसार 02.09.76 को विनष्ट हो चुकी है। उक्त दोनों अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में चकबन्दी न्यायालय का कथित आदेश दिनांक 10.02.63 संदिग्ध हो जाता है तथा वादिनी का यह दायित्व बनता था कि अपने कथन की पुष्टि राजस्व अभिलेखागार से सम्बन्धित गोंसवारे को तलब कराके करती किन्तु वादिनी द्वारा ऐसा नहीं किया है। वादिनी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके द्वारा आदेश दिनांक 10.02.63 का कियान्यवन लगभग 24 वर्ष उपरान्त वर्ष 1987 में तहसीलदार न्यायालय में इतने विलम्ब से किन परिस्थितियों में कराया गया।

22 पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थिनी की ओर से मूलवाद में प्रस्तुत किये गये साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया गया। वादिनी सरस्वती देवी ने बतौर पी०डब्लू०-1 अपने बयान में कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि इस विवादित जमीन का मुकदमा तहसील व चकबन्दी में चला कि नहीं, उसे नहीं मालूम कि तहसील या चकबन्दी में किस तरह का मुकदमा चलता है। उसे नहीं मालूम कि परगनाधिकारी चुनार के यहाँ इस बाबत कोई आदेश हुआ था या नहीं। साक्षी पी०डब्लू०-2 विश्राम ने अपने बयान में कहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि सरस्वती देवी ने इस जमीन के बाबत चकबन्दी में कोई मुकदमा दाखिल की थी कि नहीं। साक्षी पी०डब्लू०-3 जल्लो ने अपने बयान में कहा है कि चकबन्दी में कोई मुकदमा सरस्वती ने दाखिल किया था कि नहीं वह नहीं जानता। साक्षी पी०डब्लू०-4 श्रीराम ने अपने बयान में कहा है कि बेलखरा गांव में चकबन्दी हुए 30-35 साल हो गया। चकबन्दी के समय चकबन्दी में सरस्वती ने कोई मुकदमा चलाया था या नहीं, उसे नहीं मालूम। चकबन्दी न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसे यह जानकारी नहीं है कि एस०डी०एम० के न्यायालय में कोई मुकदमा चला था। इस प्रकार वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षीगण ने चकबन्दी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के होने के संदर्भ में अनभिज्ञता बतायी है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चकबन्दी अधिकारी अहरौरा का मुकदमा सं० 58/309 1963 ता०फै० 10.02.63 बिल्कुल फर्जी एवं मनगढ़न्त है तथा अविश्वनीय प्रतीत होता है। राजस्व अभिलेखागार, मीरजापुर की आख्या दि० 03.01.2002 का सं० 91ग/1 भी प्रतिवादीगण के कथनों का समर्थन करता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सं० 827 जमींदारी विनाश के पश्चात बंजर दर्ज थी, जिसका कुल रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा था एवं 1359 फसली की खतौनी खाता



संख्या 223 बंजर खाता में 827/2 रकबा 7 बीघा तथा खाता संख्या 354 पहाड़ पर आराजी संख्या 827/1 रकबा 313 बीघा 19 विस्वा दर्ज है। उपरोक्त आराजी राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 05.11.66 को वन विभाग को हस्तांतरित की गयी, जो 1372 फसली के वन एवं बंजर की सूची से स्पष्ट होती है। इस हस्तान्तरण के पश्चात् विज्ञप्ति सं० 1994/1-क 67 दिनांक 27.07.1967 द्वारा उपरोक्त आराजी की पुनः अधिग्रहण विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी तथा विवादित आराजी दिनांक 19.10.67 राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त विज्ञप्ति का संदर्भ देते हुए अमल दशमद कर दी गयी जो कि 1369 से 1371 फसली के खतौनी के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् राज्यपाल उ०प्र० द्वारा नियुक्त बन्दोबस्त अधिकारी, मीरजापुर द्वारा आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत घोषणा पत्र दिनांक 31.03.68 को जारी करके बेलखरा के ग्रामवासियों को सूचना दे दी गयी। वादिनी के द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में विवादित आराजी के बावत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी, जिसका उल्लेख बन्दोबस्त अधिकारी इस ग्राम आरक्षित वन के विज्ञप्ति राज पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते समय रजिस्टर बी का उद्धरण किया है कि कोई वाद प्रस्तुत नहीं है। उपरोक्त तथ्य सूची 21ग एवं 90ग के द्वारा दाखिल अभिलेखों से स्पष्ट होता है।

23. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसी दौरान चकबन्दी अधिकारी द्वारा ग्राम रेकार्ड आपरेशन 1968 व मुताबिक 1374-75 फसली में किया गया तथा विवादित पुरानी आराजी संख्या 827 की नयी आराजी संख्या 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा बनाया गया जो कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 40 कागज संख्या 91ग/2 से स्पष्ट होता है। जोत चकबन्दी आकारपत्र-41 का०सं० 91ग/2 के अनुसार विवादित नई आराजी सं० 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा पुरानी आराजी संख्या 827 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा से बनायी गयी है तथा विशेष विवरण कालम में जंगल विभाग का नाम दर्ज किया गया है, जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 का०सं० 91ग/4 के अनुसार विवादित आराजी नई आराजी सं० 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा खाता सं० 198 पर उत्तरी वन विभाग मीरजापुर का नाम अंकित है। भारतीय वन अधिनियम 1972 की धारा 4, 5, 8, 9, 11, 18, 20, 26 व 27 तथा फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की धारा 2 में ऐसी व्यवस्था है जो उपरोक्त वर्णित धाराओं की परिधि में आना सम्यक रूप से प्रभावी होगा तथा यदि कोई जमीन वन विभाग में निहित हो चुकी है तो वन के उपयोग के अलावा उस जमीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से नहीं किया जायेगा। वादिनी



का कथन कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति/आराजी पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व से बहसियत काबिज दखील चली आ रही है। प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा वर्ष 1987 में प्रस्तुत किया गया तथा वाद प्रस्तुत करते वक्त अपनी उम्र 48 वर्ष बतायी गयी है। इसको अनुसार वादिनी की जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के वर्ष 1952 में 13 वर्ष आती है। वादिनी 13 वर्ष की अल्पावस्था के पहले से ही वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज दखील होना अभिकथित करती है। वादिनी द्वारा सूची 156ग से जमींदार से द्वारा निर्गत रसीदों की मूल प्रति वर्ष 1946-47-48 व वर्ष 1952 की दाखिल की गयी है, जो का0सं0 157ग ता 157ग/4 के रूप में उपलब्ध है। उक्त अभिलेखों में इस तथ्य का उल्लेख है कि वादिनी सरस्वती देवी के द्वारा वर्ष 1946 से ही जमींदार श्रीमती राजकिशोरी को लगान अदा किया जाता रहा है अर्थात् वादिनी लगभग 8 वर्ष की उम्र से ही वादग्रस्त संपत्ति का लगान अदा कर रही है। वादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी पी0डब्लू0-2 विश्राम ने अपने बयान में कहा है कि विवादित जमीन को पहले सरस्वती के पिता जोतते थे, उसके बाद सरस्वती जोतती है। यह जोतने बोन की बात वह बहुत पहले से जानता है, ये लोग जमींदारी टूटने के पहले से जोतते बोते चले आ रहे हैं। साक्षी पी0डब्लू0-3 जल्लो ने जिसका बयान दिनांक 16.08.2002 को दर्ज किया गया है, ने अपने बयान में कहा है कि वह इस जमीन का 45-50 वर्ष से सरस्वती का कब्जा देख रहा है, अर्थात् साक्षी के अनुसार वह वादिनी को 14 वर्ष की अवस्था से जोतते बोते देख रहा है। साक्षी पी0डब्लू0-3 ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सरस्वती को यह जमीन उनके पिता के द्वारा मिली, वह उनके पिता का नाम नहीं जानता। साक्षी पी0डब्लू0-4 श्रीराम जो कि वादिनी के ससुर भी है, ने अपने बयान में कहा है कि वादिनी व उसके पिता विवादित जमीन पर काबिज दखील रह कर खेती बारी करते थे। उसकी जानकारी में विवादित जमीन पर सरस्वती देवी का कब्जा कम से कम 50 वर्षों से है। साक्षी पी0डब्लू0-4 श्रीराम ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सरस्वती के पिता का नाम हरिदास था। हरिदास के पास कुल 15 बीघा जमीन था। हरिदास के मरे 15 साल हो गया। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि साक्षी पी0डब्लू0-4 श्रीराम का बयान वर्ष 2002 में अंकित किया गया है अर्थात् मूलवाद प्रस्तुत करते वक्त वर्ष 1987 में तथा उसके पहले वादिनी के पिता हरिदास जीवित थे परन्तु किसी भी राजस्व अभिलेख में हरिदास के नाम की प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है जबकि साक्षी पी0डब्लू0-4 श्रीराम का कथन है कि उक्त

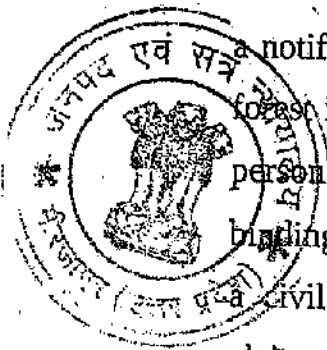


भूमि उसको उसके पिता के द्वारा प्राप्त हुयी थी। वादिनी द्वारा वर्ष 1987 में तहसीलदार के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना नाम अंकित कराये जाने का आदेश पारित कराया गया तथा उसी वर्ष में प्रस्तुत वाद दाखिल कर दिया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि उन व्यक्तियों को हक प्रदान नहीं करती जिनका नाम अधिकार अभिलेख में प्रतीत होती है तथा राजस्व अभिलेख या जमाबन्दी में प्रविष्टियाँ केवल वित्तीय प्रयोजन अर्थात् भूराजस्व के भुगतान के लिए है और कोई स्वामित्व ऐसे प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण की ओर से अपीलार्थिनी/वादिनी के इस कथन कि "मुकदमा सं० 28 विधि न्यायालय तहसीलदार, चुनार के आदेश दिनांकित 18.02.87 के द्वारा आराजी सं० 291 रकबा 15 बीघा पर सौ ग्राम सभा बेलखरा, परगना अहरौरा व पूर्वी वन विभाग का नाम निरस्त करके श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया जाय", के सम्बन्ध में कहा गया है कि उक्त आदेश के विरुद्ध वन विभाग की तरफ से रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 23.01.89 को तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांकित 18.02.87 रिकाल कर लिया गया। इस सम्बन्ध से रिकाल प्रार्थनापत्र कागज संख्या 29ग तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.01.89 की मूलप्रति कागज संख्या 28ग के रूप में मूलस्रोत में दाखिल की गयी है। इस प्रकार वादिनी/अपीलार्थिनी का नाम जिस आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ, उक्त आदेश के निरस्त हो जाने के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में वादिनी/अपीलार्थिनी के नाम का इन्द्राज अधिकार विहीन हो गयी जिसके कारण उसका लाभ वादिनी को नहीं मिल सकता। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रही है।

24. राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में विधि निर्णय- प्रहलाद प्रधान एवं अन्य बनाम सनू कुम्हार एवं अन्य (2019) 10 एस सी सी. 259 अति महत्वपूर्ण है। "The six yearly Khatauni for the fash year 1395 to 1400 is to the effect that the land is transferred according to the Forest Act as the reserved forest. Such revenue record is in respect of Khasra No. 1576. It is only in the revenue record for the period 1394 fash, name of the lessees find mention but without any basis. The revenue record is not a document of title. Therefore, even if the name of the lessee finds



mention in the revenue record but such entry without any supporting documents of creation of lease contemplated under the Forest Act is inconsequential and does not create any right, title or interest over 12 bighas of land claimed to be in possession of the lessee as a lessee of the Gaon Sabha." यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थिनी जिस विवादित सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व एवं कब्जा बताती है यदि उस सम्पत्ति को वन विभाग ने विज्ञप्ति संख्या 23(2)-95/14-ख-67 दिनांक 22.02.68 के द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं० 5924/14-2-20(47)-82 दिनांक 22.08.83 के द्वारा अपीलार्थिनी के स्वामित्व एवं कब्जे वाली विवादित सम्पत्ति को वन विभाग के लिए आरक्षित कर लिया था तो उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अनुसार वन विभाग के विरुद्ध फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर या सब-डिविजनल आफिसर के समक्ष आपत्ति देनी चाहिए थी लेकिन अपीलार्थिनी द्वारा इस प्रक्रिया को नही अपनाया गया। अन्तर्गत धारा 20 भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 4 भारतीय वन अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं "It is thus obvious that the Forest Settlement Officer has the powers of a civil court and his order is subject to appeal and finally revision before the the State Government. The Act is a complete code in itself and contains elaborate procedure for declaring and notifying a reserve forest. Once a notification under Section 20 of the Act declaring a land as reserve forest is published, then all the rights in the said land claimed by any person come to an end and are no longer available. The notification is binding on the consolidation authorities in the same way as a decree of civil court. The respondents could very well file objections and claims including objection regarding the nature of the land before the Forest Settlement Officer. They did not file any objection or claim before the authorities in the proceedings under the Act. After the notification under Section 20 of the Act, the respondents could not have raised any objections qua the said notification before the consolidation authorities. The consolidation authorities were bound by the notification which had achieved finality."



25. उपरोक्त के अतिरिक्त इस न्यायालय को इस विन्दु पर भी विचार करना है कि क्या वादिनी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा एवं दखल दौरान

विज्ञप्ति वन विभाग रहा है ? वादिनी का कथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर जोत बोककर फसल काइत करती है। वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण ने तथा स्वयं वादिनी ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि यह जमीन पहले से मेरे पिताजी की है। पिताजी के बाद मुझे मिली। हमारे गाँव में चकबन्दी कब हुयी मुझे नहीं मालूम। चकबन्दी न्यायालय में मैंने कोई मुकदमा नहीं किया था। गिरजा सिंह मेरे गाँव के प्रधान थे या न ही मैं नहीं बता सकती। वन बन्दोबस्त अधिकारी के समय कोई नोटिस मुझे नहीं मिली थी। मुझे यह नहीं मालूम कि मेरी जमीन के अगल बगल वन विभाग का पत्थर पड़ा है मुझे नहीं मालूम कि परगनाधिकारी, चुनार के यहाँ से इस जमीन के बावत कोई आदेश हुआ था कि नहीं। आरक्षित वन घोषित करने की सरकार ने किसे सूचना दी मुझे जानकारी नहीं है। साक्षी पी०डब्लू०-१ वादिनी के बयान से स्पष्ट है कि उसे विवादित संपत्ति के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। चकबन्दी विभाग एवं परगनाधिकारी, चुनार के समक्ष लम्बित एवं निर्णीत मुकदमों की भी जानकारी नहीं है। वादग्रस्त संपत्ति पर नीम, शीशम, सागौन, इमली, महुआ, डेलवरी व परास आदि के जंगली वृक्ष हैं वादिनी ने वादपत्र में ऐसा कहीं भी अभिकथन नहीं किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर वृक्षारोपड़ का भी कार्य किया गया है तथा वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में वादिनी के द्वारा मात्र एक नीम का पेड़ प्रदर्शित किया गया है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त संपत्ति के पूरब, उत्तर एवं दक्षिण जंगल हैं तथा पश्चिम दिशा में सड़क है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण डी०डब्लू०-१ कमलाशंकर एवं डी०डब्लू०-२ स्वयंवर प्रसाद ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि विवादित जमीन पर खेती नहीं होती है तथा जंगल विभाग के द्वारा वृक्षारोपड़ किया गया है। इसी प्रकार डी०डब्लू०-३ मो० मुर्तजा हुसैन, फारेस्ट रेंज आफिसर ने साक्षी डी०डब्लू०-१ व २ के कथनों का समर्थन किया है। पी०डब्लू०-४ ने कथन किया है कि विवादित जमीन लगभग १००-१२५ पेड़ हैं कुल ९-१० बीघे हैं। विवादित खेत के बीच में कोई रास्ता नहीं है। चकबन्दी न्यायालय के निर्णय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सरस्वती के पिता जानते होंगे, मुझे जानकारी नहीं है कि एस०डी०एम० के न्यायालय में कोई मुकदमा चला था। जब वन विभाग ने पेड़ लगाने के लिए खन खोद करने लगे, सरस्वती देवी पहुँची थी, उनके ही भदे बाद में भी गया था..... विवादित जमीन का पैमाइश सरस्वती देवी ने कभी करायी थी या नहीं मुझे नहीं मालूम।

26. उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी अपना वादग्रस्त संपत्ति पर

8



अध्यासन सिद्ध करने में अराफल रही है। तदनुसार अवधार्य विन्दु वादिनी/अपीलार्थिनी के विरुद्ध निर्णय किया जाता है।

27. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं विभिन्न विधि निर्णयों में पारित आवधारणाओं को दृष्टिगत रखते विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2011 में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है, उक्त निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2011 पुष्ट किये जाने योग्य है तथा प्रस्तुत सिविल अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रसंगगत निर्णय दिनांकित 15.12.2011 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि तलबशुदा मूलवाद की पत्रावली अविलम्ब वापस किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक-16.09.2022

(तलिवर सिंह) 09/022

अपर जनपद न्यायाधीश/
अति० न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
मीरजापुर।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-16.09.2022

(तलिवर सिंह) 09/022

अपर जनपद न्यायाधीश/
अति० न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
मीरजापुर।



सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक

जनपद न्यायालय-मीरजापुर

हुकूमत - 18

210 11-3 6001



UPMIO10015672012

न्यायालय Additional District and Sessions Judge/POCSO Act,
Mirzapur

पीठासीन अधिकारी- (TALEWAR SINGH), (उच्चतर न्यायिक सेवा) -

UP06475

सिविल अपील संख्या- 09 सन 2012

1. श्रीमती सरस्वती देवी उम्र लगभग 72 वर्ष पत्नी बिरजू, निवासी मौंजा बेलखरा परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर।
.....अपीलार्थिनी/वादिनी।

बनाम

1. श्रीमान् वन अधिकारी महोदय पूर्वी वन प्रयाग, मीरजापुर,
2. उत्तर प्रदेश सरकार बजरिये जिलाधिकारी, मीरजापुर,
3. गांव सभा बेलखरा बजरिये प्रधान/अध्यक्ष भू0प्र.स0 बेलखरा, परगना अहरौरा, तहसील चुनार जिला मीरजापुर।
.....प्रतिपक्षीगण/प्रतिवादीगण।

निर्णय

यह सिविल अपील अपीलार्थिनी श्रीमती सरस्वती देवी की ओर से न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), चुनार, मीरजापुर द्वारा मूल बांद संख्या 305 सन 1987 सरस्वती देवी बनाम श्रीमान् वन अधिकारी आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 15.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2. अपीलार्थिनी द्वारा अपने अपील में यह आधार लिया गया है कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांकित 15.12.2011 मुकदमें में निहित तथ्यों एवं विधि व्यवस्थाओं के विपरीत है। अपीलार्थिनी/वादिनी आ0नं0 291 मि0 रकबा 15 बीघा जिसे संलग्न नक्शा बहुरूफ च,छ,ज,झ पर जमींदारी विनाश के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील चली आ रही है तथा बरामद अपने हल बैल से जोत बो कर फसल कास्त करती है। वादिनी पूरी जमीन को बगरज सुरक्षा पत्थर के टुकड़ों से फेन्सिंग किये है, अभिलेखों में भी वादिनी/अपीलार्थिनी का नाम दर्ज हो चुका है लेकिन प्रतिवादीगण के कुछ कर्मचारी अनुचित लाभ उठाने की दुर्भावना से वादिनी/अपीलार्थिनी के दुश्मनों के बहकावे में आकर वादिनी की भूमि की नवैयत गड्ढा खोदने व पेड़ लगाने की धमकी देने लगे जिसकी शिकायत की गयी बल्कि आप रेस्पान्डेन्ट ने ध्यान नहीं दिया तथा अपने कर्मचारियों



को गलत तौर पर प्रोत्साहित किया। प्रतिवादीगण/रैरपॉडेंट वादिनी/अपीलार्थिनी के शांति पूर्वक कब्जा दखल से हटाना चाहते हैं और बार-बार शिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और दिनांक 01.04.1987 को आपके कर्मचारियों ने साफ साफ कर दिया कि वे सब साहब के निर्देश पर चल रहे हैं तथा वादिनी/अपीलार्थिनी को धमकी भी दिये। वादिनी/अपीलार्थिनी द्वारा दावा दाखिल करने के पूर्व प्रतिवादीगण को बजरिये रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 दंडप्रसंहिता व 106 यू0प्र0प0राज एक्ट की नोटिस दे दी गयी, जिसका कोई जवाब नहीं दिया तब 60 दिनों के उपरान्त दावा दाखिल किया गया। पक्षों के बीच दौरान चकबन्दी प्रक्रिया विवाद चलकर अंतिम तौर पर निर्णीत व फाईनल हो चुका है। इस वाद कारण के बिनाय पर दुराशय पूर्ण मजाहिमत प्रतिवादी कानूनन बार्ड बाई लॉ है और डिफेन्स प्रतिवादी द्वारा 49 उ0प्र0 चकबन्दी अधिनियम से पूर्ण बाधित है। वादिनी द्वारा दिनांक 29.06.87 को वाद कारण उत्तपन्न होना व्यक्त करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना की गयी है।

3. प्रतिवादीगण की ओर से लिखित कथन का0स0 32क प्रस्तुत कर वाद पत्र की दफा 1 ता 12 से इंकार करते हुए कथन किया गया है कि हरगिज वादिनी भूमि संख्या 291 मि0 रकबा 15 बीघा पर जिरा वादपत्र के नक्शे में च,छ,ज,झ से दिखाया गया है, पर जमींदारी विनाश के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील नहीं रही है न ही उसका कब्जा दखल उक्त भूमि पर है। वादपत्र में जो भूमि च,छ,ज,झ से दिखायी गयी है, वह भूमि संख्या 291 मि0 15 बीघा नहीं है। वादिनी ने कोई जायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0फौ0 दावा दाखिल करने के पूर्व नहीं दिया। वादिनी द्वारा कथित खसरा प्लॉट संख्या 291 मि0 मौके के अनुसार खसरा प्लॉट संख्या 827 मि0 के अन्तर्गत पड़ता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 23(2)-95/14ख-67 दिनांक 22.02.68 द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं0 5924/14-2-20(47)-82 दिनांक 22.08.83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लॉट नं0 827 मि0 के कुल 305 बीघा 11 बिस्वा क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है जिसका वन विभाग की पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। वादिनी ने कागजात सरकारी प्रलेखीय साक्ष्य से एवं मौखिक साक्ष्य से अपने केस को बखूबी साबित व पुष्ट किया है जबकि प्रतिवादीगण ने सरकारी रेकार्ड की छायाप्रतियां विभागीय तौर पर प्रमाणित करके दाखिल किया है। उसके मौखिक



साक्षीगण का साक्ष्य मौका एवं कागजात सबूत से कत्तई साबित नहीं है फिर भी मातहत अदालत ने तथ्यों एवं अभिलेखों का गलत परीक्षण और तर्क करके निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत ने प्लीडिंग के आधार पर समुचित विन्दु विगचित नहीं किया और स्थापित विधि व्यवस्थाओं की अनदेखी करके वादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की व्याख्या न करके अन्यथा निष्कर्ष निकाला है। सम्पूर्ण संदर्भों में यहाँ वादिनी का साक्ष्य विश्वसनीय है, वही प्रतिवादीगण का साक्ष्य अविश्वसनीय एवं तर्कसंगत नहीं है। वाद विन्दु संख्या 1, 2 व 4 का भार वादिनी पर रहा है जो अभिलेखीय साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। जहाँ वादिनी का साक्ष्य पुष्ट है वही प्रतिवादीगण का अभिकथन व साक्ष्य स्वीकृत तथ्यों के विरोधाभासी है। वादग्रस्त सम्पत्ति साविक नं० 829 वहाल नम्बर 291 का अंश होना प्रतिवादीगण के साक्ष्यों से भी मूलतः बखूबी पुष्ट है फिर भी मातहत न्यायालय कानून संगत निष्कर्ष व निर्णय न करके आधारभूत त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री मातहत न्यायालय अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

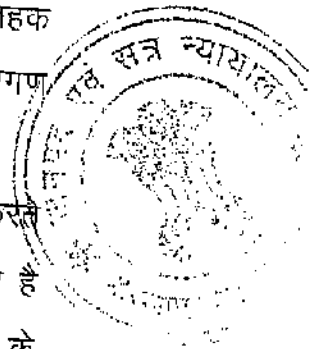


4. अपील मेमो के समर्थन में फेहरिस्त सूची 7ग से मूल वाद संख्या-305/87 में पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2011 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या-8ग/1 लगायत 8ग/8 तथा नकल डिक्री की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या-9ग/1 लगायत 9ग/3 प्रस्तुत किया गया है।

5. अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल मूलवाद संख्या 305/87 में वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी आ० नं० 291मि० रकबा 15 बीघा जिसे नक्शा बहरुफ च,छ,ज,झ पर वादिनी जमींदारी विनाश के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील चली आ रही है और बराबर अपने हल बैल से जोत बो कर फसल कास्त करती है। वादिनी पूरी जमीन को बगरज सुरक्षा पत्थर के टुकड़ों से फेसिंग किये है, अभिलेखों में भी वादिनी का नाम दर्ज हो चुका है लेकिन प्रतिवादीगण के कुछ कर्मचारी अनुचित लाभ उठाने की दुर्भावना से वादी के दुश्मनों के बहकावे में आकर वादिनी की भूमि की नवैयत गड्ढा खोदने व पेड़ लगाने की धमकियां देने लगे जिसकी शिकायत की गयी जिस पर विपक्षी ने ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने कर्मचारियों को गलत और प्रोत्साहित किया। प्रतिवादीगण वादिनी की शांति पूर्वक कब्जा दखल से हटाना चाहते हैं और बार बार शिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और दिनांक 01.04.87 को कर्मचारियों ने साथ साफ कर दिया कि साहब के निर्देश पर हमलोग चल रहे हैं और धमकी भी दिये। प्रतिवादीगण अजराह जबरदस्ती बिला स्तहकात वादिनी

की जमीन पर खनने खोदने व पेड़ लगाने पर आमादा है। वादिनी ने स्वयं व अपने आदमी प्रतिवादीगण से सम्पर्क स्थापित कर गैर कानूनी कार्य करने से बाज आने की सिफारिस की लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। प्रतिवादीगण को बजरिये रजिस्टर्ड पोस्ट 80 दंडप्रोसंहिता की नोटिस दी गयी जिसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसे 60 दिन से अधिक हो गया, दावा दाखिल किया जा रहा है। पक्षों के बीच दौरान चकबन्दी प्रक्रिया विवाद चलकर अन्तिम तौर पर निर्णित व फाईनल हो चुका है। वाद कारण के बिनाय पर दुराशय पूर्ण मजाहिमत प्रतिवादी कानूनन बार्ड बाई लॉ है और डिफेन्स प्रतिवादी द्वारा 49 उ०प्र० चकबन्दी अधिनियम से पूर्ण बाधित है, क्योंकि निर्णय चकबन्दी पक्षों पर बाध्य है। प्रतिवादीगण को रोका नहीं गया तो वे अपने फेल बेजा से बाज नहीं आयेगे और जिससे वादिनी को अपर्णनीय क्षति होगी और वादिनी अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित हो जायेगी। वाद का नियमानुसार वादशुल्क अदा करते हुए निम्न प्रतिकारों की याचना की गयी है :-

1. बजरिये हुकुम इस्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को मना किया जावे कि वे आराजी सं० 291 मि० रकबा 15 बीघा बहुरूफ च,छ,ज,झ मुन्दर्ज अर्जीनालिश ममलूकहः मकबूजः वादिनी के कब्जा दखल में, इस्तेमाल करने में प्रतिवादीगण स्वयं या अपने आदमियों द्वारा किसी प्रकार से रुकावट दखलदाजी न करें न करावें न उसे खन खोद कर उसकी नवैयत तब्दील करें, न उसमें किसी प्रकार का कोई पेड़ लगवावें, न वादिनी के घेरे हुए पत्थर के फेन्सींग को हटावें, न ही बर्बाद करें
2. यह कि खर्च मुकदमा की डिक्री वादिनी के खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फर्माया जावे।
3. उपरोक्त दादरसी के अलावा वादिनी जिस अन्य दादरसी के मुस्तहक करार पाई जावे इसकी भी डिक्री बहक वादिनी के खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाये।
6. प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा कागज संख्या 32क दाखिल करते हुए वादपत्र के दफा-1 ता 12 से इंकार किया है और अतिरिक्त कथन किया है कि दावा वादिनी कानून व असली तथ्यों के विरुद्ध है तथा असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। हरगिज वादिनी भूमि सं० 291मि० रकबा 15 बीघा पर जिसे वादपत्र के नक्शे में च,छ,ज,झ से दिखाया गया है, पर जमींदारी विनाश के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील नहीं रही है, न ही उसका कब्जा दखल उक्त भूमि पर है। हरगिज वादिनी या उसके पूर्व उसके पूर्वजों का



नाम कागजात माल में कभी दर्ज नहीं था न है। वादिनी ने कोई जायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० दावा दाखिल करने के पूर्व नहीं दिया है, धारा 34, 38 व 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वादिनी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्ली पाने की अधिकारिणी नहीं है। वादिनी का नाम कागजात माल में अंकित नहीं है। दावा वादिनी भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। उत्तर प्रदेश जा०उ०एक्ट की धारा 331 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को मुकदमा के सुनवाई का अधिकार हासिल नहीं है, वादिनी को दावा दाखिल करने का हक हासिल नहीं है। वादिनी द्वारा कथित खसरा प्लॉट सं० 291 मि० मौके के अनुसार सा० खसरा प्लॉट संख्या 827 मि० के अन्तर्गत पड़ता है जो भा०वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 23(2)-95/14-ख-67 दिनांक 22.02.68 द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं० 5924/14-2-20(47) -82 दिनांक 22.08.83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लॉट संख्या 827 मि० के कुल 305 बीघा 11 विस्वा क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है जिसका वन विभाग को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। धारा 23 भा०वन अधिनियम के अनुसार वादिनी को कोई हक हासिल नहीं है। वादिनी द्वारा नक्शा नजरी में अंकित क्षेत्र वन विभाग की भूमि है। वादिनी का उक्त भूमि से कोई वास्ता सरोकार न तो रहा है और न ही है। प्रश्नगत क्षेत्र वन विभाग की भूमि है जिसे पत्थर की दीवाल से घेरकर उसमें वर्ष 87 की वर्षा में वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। वादिनी द्वारा उक्त क्षेत्र में कोई पत्थर की दीवाल की घेरी नहीं गयी है। वादिनी ने इस मुकदमे में इन्तखाफ खतौनी 1394 फमली दाखिल किया, उसके आधार पर जानकारी हुयी कि तहसीलदार चुनार द्वारा कोई विविध वाद कायम करके गलत तौर पर वादिनी का नाम दर्ज करने का आदेश हो गया है जिसमें राज्य सरकार उत्तर प्रदेश या वन विभाग कोई पक्षकार नहीं था न ही नोटिस प्राप्त हुयी। उक्त आदेश बिला अख्तियार शून्य एक पक्षीय एवं फर्जी है। उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया है, जो विचाराधीन है। वादिनी ने भा०वन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 4 के प्रकाशन के बाद कोई आपत्ति पत्र या क्लेम दाखिल नहीं किया था। धारा 5, 9 व धारा 23 भा०वन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई हक किसी किस्म का पैदा नहीं हुआ है। तहसीलदार, चुनार को कोई अधिकार वन भूमि से वन विभाग का नाम काटने व वादिनी का नाम दर्ज करने का हासिल नहीं था। फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 के प्रावधानों के अनुसार



भी वादिनी को विवादित भूमि में कोई अधिकार हासिल नहीं है। उपरोक्त के आधार पर वादिनी के वाद को निरस्त किये जाने की याचना की है।

7. प्रतिवादीगण की ओर से अतिरिक्त जवाबदावा का 0 सं 89 क दाखिल करते हुए कथन किया है कि वादिनी द्वारा संस्थित चकबन्दी न्यायालय का निर्णय आदेश दिनांक 10.02.63 की कोई जानकारी वन विभाग को नहीं थी। दिनांक 27.09.2001 को श्रीमान् जी के यहाँ नकल दाखिल करने पर सर्व प्रथम आदेश दिनांक 10.02.63 की जानकारी हुयी। राजस्व अभिलेखों में उक्त आदेश का अमल दरामद भी नहीं हुआ है और नामान्तरण की कार्यवाही कालबाधित हो गयी है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चकबन्दी अधिकारी तृतीय अहरौरा का मु 0 सं 58/30 सन् 1963 ता 0 फै 0 10.02.63 बिल्कुल फर्जी, मनगढ़न्त एवं न्यायालय को गुमराह करने की साजिश है। वादिनी द्वारा वाद पत्र में किये गये संशोधन के पश्चात उ 0 प्र 0 सरकार को दफा-80 जा 0 दी 0 की नोटिस नियमानुसार पुनः देना आवश्यक हो गया है, वादिनी पुनः नोटिस देने से उनमुक्त नहीं की जा सकती है। वादिनी द्वारा 14 वर्षों के पश्चात किये गये संशोधन से विवादित आराजी में स्थित वृक्षों की मालियत काफी बढ़ गयी है, जिस पर नियमानुसार वादिनी द्वारा न्यायशुल्क अदा किया जाना है। उक्त संशोधन से वाद हेतुक बदल गया है। इसी प्रकार वादिनी ने न्यायालय तहसीलदार, चुनार के यहाँ से एक पक्षीय आदेश दिनांक 18.02.87 पारित कराकर वन विभाग का नाम कागजात से कटवा दिया था जिसकी जानकारी होने पर वन विभाग की ओर से तहसीलदार चुनार के न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 23.01.89 के द्वारा आदेश दिनांक 18.02.87 को निरस्त कर दिया गया, जिससे वादिनी का नाम कागजात माल में कायम नहीं रह गया। विवादित आराजी सं 0 827 जमींदारी विनाश के पश्चात (मुताबिक 1359 फ 0 खतौनी) बंजर दर्ज था जिसका कुल रकबा 313 बीघा विस्वा था। (1359 फ 0 के खतौनी खाता संख्या 233 वंजर खाते में 827 रकबा 7 विस्वा तथा खाता संख्या 354 पहाड़ पर आ 0 सं 0 827/1 रकबा बीघा 19 विस्वा दर्ज है) आराजी राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 05.11.66 को वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी। 1372 फसली के वन एवं बंजर की सूची से पूर्णतया स्पष्ट है। हस्तान्तरण के पश्चात विज्ञप्ति सं 0 1994/1-क-67 दिनांक 27.07.1967 द्वारा उपरोक्त आराजी की पुनः ग्रहण की विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी। विवादित आराजी दिनांक 10.09.67 को राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त विज्ञप्ति का हवाला देते हुए अमल दरामद कर दी गयी। 1369-71 फ 0



की उद्घरण खतौनी में वन विभाग दर्ज है। अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त बन्दोबस्त अधिकारी, मीरजापुर द्वारा आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत भा०व०अधि० की धारा 6 के अन्तर्गत (प्रोक्लेमेशन) घोषणा पत्र दिनांक 31.03.68 को जारी करके बेलखरा के ग्राम वासियों को सूचना दी गयी तथा उनसे दिनांक 07.12.68 तक आपत्तियों आमंत्रित की गयी। वादिनी द्वारा व०व०अ० के न्यायालय में विवादित आराजी के बावत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी जिसका उल्लेख व०व०अ० ने इस ग्राम की आरक्षित वन की विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते समय "रजिस्टर बी का उद्घरण" में किया है कि "कोई वाद प्रस्तुत नहीं है।" रजिस्टर बी का उद्घरण से स्पष्ट है। इस मध्य में चकबन्दी अधिकारी द्वारा इस ग्राम का रिकार्ड आपरेशन वर्ष 1968 बमुताबिक 1374-75 फसली में किया गया तथा विवादित पुरानी आराजी संख्या 827 की नई आराजी 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा बनाई गयी। (नकल जोत चकबन्दी आकार पत्र सं० 40) से साबित है। जो०च० आकार पत्र 41 के अनुसार विवादित नई आराजी संख्या 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा पुरानी आराजी सं० 827 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा से बनाई गयी है तथा विशेष विवरण कालम में जंगल विभाग दर्ज है। जो०च० आकार पत्र सं० 45 के अनुसार विवादित नई आराजी सं० 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा खाता सं० 198 पर उत्तरी मीरजापुर के नाम अंकित हैं भा०व०अधि० की धारा 20 के अन्तर्गत आराजी सं० 563/1 भी० तथा आराजी संख्या 827 का जो क्षेत्र कम प्रकाशित हुआ है, उसका उल्लेख व०व०अ० ने इस ग्राम के संक्षिप्त इतिहास के कालम संख्या-5 (बेलखरा) के कालम संख्या-7 में किया है।



अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर लिखित कुल 9 वाद विन्दु विरचित किये गये :-

1. क्या वादी विवादित भूमि का स्वामी है ?
 2. क्या वादी विवादित भूमि पर काबिज है ?
 3. क्या वाद अल्प मूल्यांकित एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
 4. क्या विवादित आराजी गाटा संख्या 291 का अंश हैं ?
 5. क्या वाद धारा 80 सी०पी०सी० के अन्तर्गत नोटिस देने का अभाव है ?
 6. क्या वाद धारा 34, 38 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है ?
 7. क्या वाद धारा 331 उ०प्र० जमींदारी विनाश अधि० से बाधित है ?
 8. क्या वाद धारा 4, 20 वन अधिनियम से बाधित है ?
 9. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?
- अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् उपरोक्त

वाद विन्दुओं का निस्तारण करते हुए यह पाया कि वादिनी अपना वाद साबित करने में असफल रही है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.12.2011 को वादिनी का वाद सव्यय निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह सिविल अपील अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

10. अपीलार्थिनी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि विवादित सम्पत्ति पर मेरा कब्जा है, वन विभाग द्वारा किये गये नोटिफिकेशन विज्ञप्ति सं० 1994/1-क-67 दिनांक 27.07.1967 से काफी पहले जमींदारी विनाश अधिनियम से ही काबिज है और मैं लगातार काबिज चली आ रही हूँ।

11. अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दूसरा तर्क यह दिया गया कि दौरान चकबन्दी प्रक्रिया पुराना नम्बर खाता संख्या 827 बदलेकर के खाता संख्या 291/1 व 291/2 हो गया था जो एक मिलजुमला नम्बर है। इसी मिलजुमला नम्बर में 291/2 के 15 बीघा जमीन पर मेरा कब्जा चला आ रहा है जो दर्ज कागजात है।

12. अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया कि वन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन विज्ञप्ति सं० 1994/1-क-67 दिनांक 27.07.1967 की आड़ में मुझे आवंटित 15 बीघा जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद मैं लगातार कब्जा में हूँ, आज भी मेरा कब्जा है। पत्थर की सिल्लियों से मैंने अपनी जमीन की फेन्सिंग की हुयी है तथा चकबन्दी के बाद भी दर्ज राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम और रकबा कब्जाधारी के रूप में लगातार चली आ रही है। अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस निम्नलिखित विधि निर्णय प्रस्तुत किये गये :-

1. Sunkamma (Dead) by L.Rs. Vs. S. Pushparaj(Dead) By L.Rs.
[2018(139)RD 565] (Supreme Court)

2. Ram Lal (Since Deceased and Substituted by Legal Heeirs) Vs.
Jokhan Prasad and others. (2018 Ail. C. J. 2192)

13. विपक्षीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्ररनगत निर्णय दिनांकित 15.12.2011 बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार की अनियमिता एवं अवैधानिकता नहीं है। अपीलार्थिनी ने तथ्यों को छिपकर अपील प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वादिनी द्वारा विवादित आराजी पर स्वयं को जमींदारी उन्मूलन के पहले से काबिज होना कहा है किन्तु



पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथन का समर्थन हो जबकि खतौनी में विवादित आराजी संख्या 291 मि० का पुराना नम्बर 827 का सम्पूर्ण रकबा बंजर खाते में दर्ज है। यदि वादिनी जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से विवादित आराजी पर काबिज थी तो सन् 1359फ० की खतौनी में विवादित आराजी के साबिक नम्बर पर वादिनी का नाम दर्ज होना चाहिये था किन्तु ऐसा नहीं है बल्कि इसके विपरीत आराजी नं० 291 में जिसका पुराना नं० 827 रकबा 313 बीघा जिस पर पहाड़ दर्ज है तथा जोत चकबन्दी आकार पत्र -45 में उत्तरी मीरजापुर वन विभाग नया गाटा संख्या 291 रकबा 313 बीघा दर्ज है। यदि वन विभाग द्वारा अपीलार्थिनी की जमीन पर अतिक्रमण कर उस पर कब्जा किया गया तो वन अधिनियम के अनुसार वरिष्ठ वन विभाग के अधिकारियों के यहाँ जाकर अपनी आपत्तियों दर्ज करानी चाहिए थी न कि चकबन्दी विभाग एवं राजस्व विभाग में। इस प्रकार उपरोक्त के आधार पर प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। विपक्षीय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस निम्न विधि निर्णय प्रस्तुत किये गये :-

1. Banwasi Seva Ashram Vs. State of U.P. Writ Petition (S) (Civil) No. 1061 of 1982
2. T.N. Godavarman Thirumulkpad etc. Vs Union of India and others. AIR 1997 Supreme Court 1228
3. Maharaja Sir Pateshwari Prasad Singh of Balrampur, Dharam Kanya Nidhi Vs. State of U.P. through Executive Engineer, Irrigation Division, Balrampur, and others. [1979 RD 142]
4. Ram Sakal (Deceased) and others Vs. Hindustan Aluminium Corporation Ltd., Mirzapur and others. [2002 All. C. J. 1271]
5. Hanuman Thappa Vs. Muninarayanappa [1997 (88) RD 41] (Supreme Court)
6. Indrapal Singh Vs State of U.P. Through Secretary U.P. State Government (Forest Department) and another. [2007(66)ALR 728] (Allahabad High Court)
7. Prabhagiya van Adhikari Awach van Prabhag Vs. Arun Kumar Bhardwaj (Dead) Thr.Lrs. Civi Appeal No. 1707 of 2009 (Supreme Court)
14. मैंने उभय पक्ष के तर्कों को सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 15.12.2011, अपील मेमो व अधीनस्थ न्यायालय की



तलबशुदा पत्रावली में उपलब्ध कागजातों का परीक्षण किया।

15. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त कथनों एवं तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित अवधार्य विन्दु निर्धारित किया जाता है -

अवधार्य विन्दु -

16. क्या अपीलार्थिनी विवादित सम्पत्ति पुराना नम्बर 827 नया नम्बर 291/1 व 291/2 दर्ज कागजात राजस्व अभिलेखों के आधार पर मालिक एवं काबिज है ?

17. इस वाद विन्दु को साबित करने का भार वादिनी/अपीलार्थिनी पर है। इस सम्बन्ध में वादिनी/अपीलार्थिनी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र के माध्यम से कहा गया है कि विवादित सम्पत्ति आराजी नं० 291 मि० रकबा 15 बीघा जिसे वादपत्र के नक्शा नजरी में अक्षर च, छ, ज, झ से दिखाया गया है, पर जमींदारी विनाश अधिनियम के पहले से मालिक, काबिज व दखील है। उसने उक्त आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थर के ढोको से चारों तरफ फेन्सिंग करा दिया है और उसमें फसल काशत करती है। प्रतिवादीगण के कर्मचारीगण दिनांक 29.06.1987 को उक्त आराजी में खन खांद करके वृक्षारोपण करने लगे, मना करने पर नहीं माने। इस पर वादिनी ने विपक्षीगण को नोटिस देने के पश्चात वाद दाखिल किये जाने की आवश्यकता हुयी। इस सम्बन्ध में वादिनी/अपीलार्थिनी की ओर से कहा गया है कि चकबन्दी न्यायालय अहरौरा, चुनार, जिला मीरजापुर की अदालत में चले वाद संख्या 58/109 सन् 1963 सरस्वती बनाम सोन वन खण्ड में चकबन्दी अधिकारी तृतीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.1963 और उक्त आदेश में ही परगनाधिकारी चुनार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.1959 के माध्यम से वादिनी को प्रश्नगत सम्पत्ति का सीरदार घोषित किया जाना दर्शित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादिनी का अध्यासन विधिपूर्ण तरीके से जमींदारी विनाश अधिनियम के पहले से अनवरत कायम व बरकरार चली आ रही है। वादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मूलवाद में सूची 9 में खतौनी वर्ष 1393 से 1398 फसली खाता संख्या 65 एवं खसरा आराजी सं० 291/2 मि० रकबा 15 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह तथ्य उल्लिखित है कि मुकदमा सं० 28 विविध न्यायालय तहसीलदार, चुनार के आदेश दिनांकित 18.02.87 के द्वारा आराजी सं० 291 रकबा 15 बीघा पर से ग्राम सभा बेलखरा, परगना अहरौरा व पूर्वी वन विभाग का नाम निरस्त करके श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर भूनिधर दर्ज किया जाय। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व अभिलेखों में



प्रविष्टि की गयी।

18. जबकि इस संदर्भ में प्रतिवादीगण/विवादियों की ओर से कहा गया है कि विवादित संपत्ति वन विभाग की भूमि है, उससे वादिनी/अपीलार्थिनी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। विवादित भूमि को पत्थर की दीवार से घेर कर वर्ष 1987 से उसमें वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, उक्त भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व है तथा उसी का कब्जा है। प्रतिवादीगण की ओर से सूची 21ग के माध्यम से प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 तथा धारा 20 से सम्बन्धित है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत खसरा प्लॉट संख्या 291 मि० मौके के अनुसार साविक खसरा प्लॉट नं० 827 मि० के अन्तर्गत आता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 23(2)-95/14-ख-67 दिनांक 22.02.68 के द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं० 5924/14-2-20(47)-82 दिनांक 22.08.83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लॉट सं० 827 मि० वन विभाग के कब्जे में है। उभय पक्षों के द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि आराजी संख्या 827 का ही नया नम्बर 291/1 व 291/2 है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नानवित्र का०सं० 28ग में आराजी नं० 827 का अधिग्रहण वन के रूप में उल्लिखित है तथा आ०नं० 827 व 825 पर ही सड़क निर्माण का उल्लेख किया गया है। का०सं० 25ग से स्पष्ट है कि आराजी नं० 827/1 रकबा 313 बीघा 11 विस्वा तथा आराजी नं० 827/2 रकबा 15 बीघा का०सं० 26ग खतौनी बेलखरा फसली वर्ष 1383 से 1386 से भी स्पष्ट है कि उक्त आराजी नम्बर से बने नये नम्बर आराजी सं० 291 रकबा 313 बीघा पर वन विभाग, मीरजापुर का नाम अंकित है तथा यह भी उल्लिखित है आदेश नोटिफिकेशन वन प्रभाग अधिकारी के द्वारा 827/1 पर पूर्वी वन विभाग प्रभाग दर्ज किया गया।

19. वादिनी/अपीलार्थिनी द्वारा कथित किया गया है कि वह जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पहले से वादग्रस्त सम्पत्ति पर काबिज दखील है। इस सम्बन्ध में 1359 फसली वर्ष का राजस्व अभिलेख अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जमींदारी विनाश अधिनियम उसी वर्ष लागू हुआ था। का०सं० 91ग/2 खतौनी मौजा बेलखरा फसली वर्ष 1359 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आराजी सं० 827/1 रकबा 312 बीघा 11 विस्वा तथा आराजी संख्या 827/2 बंजर के रूप में दर्ज है। यदि वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादिनी जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व से

काबिज दखील होती तो उसके नाम की प्रविष्टि 1359 फसली वर्ष के राजस्व अभिलेखों में होती परन्तु उक्त अभिलेख पर वादिनी के नाम की कोई प्रविष्टि नहीं है।

20. जहाँ तक वादग्रस्त संपत्ति आ0नं0 827 मि0 रकबा 15 बीघा के सम्बन्ध में वादिनी/अपीलाथिनी का कथन है कि न्यायालय चकबन्दी तृतीय अहरौरा, तहसीलदार, चुनार मीरजापुर मु0नं0 58/309 1963 सरस्वती बनाम सोन वन खण्ड भोरजापुर (धारा-9) जोत चकबन्दी कानून में चकबन्दी अधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 10.02.63 पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी से गांव सभा व सोन वन खण्ड मीरजापुर का नाम काटकर श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर सिरदार अंकित किये जाने हेतु आदेशित किया गया। वन विभाग के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील दाखिल नहीं की गयी तथा वादग्रस्त संपत्ति पर स्वामित्व चकबन्दी न्यायालय के द्वारा अंतिम हो चुका है एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद धारा 49 चकबन्दी अधिनियम से बाधित है। इस सम्बन्ध में उक्त आदेश की मूल प्रति का0सं0 105ग/2 के परिशीलन से स्पष्ट है कि श्रीमती सरस्वती देवी ग्राम बेलखरा पर आराजी नं0 827 मि0/15 से जमींदार से पट्टा लेकर काबिज है और परगना अधिकारी चुनार ने दिनांक 02.02.59 को सिरदार दर्ज करने के लिए आदेश दिया है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा एवं वन विभाग का नाम काटकर वादिनी का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादिनी के द्वारा परगना अधिकारी के आदेश दिनांक 02.02.59 की कोई भी प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

21. प्रतिवादीगण/विपक्षीगण की ओर से का0सं0 92ग/1 के माध्यम से राजस्व अभिलेखागार मीरजापुर से चकबन्दी न्यायालय के बाद संख्या 58/309-1963 सरस्वती देवी बनाम सोन वन खण्ड उत्तरी की पत्रावली के संदर्भ में सूचना मांगी गयी है, जिसमें यह तथ्य अंकित किया गया है कि मौजूद बेलखरा परगना अहरौरा तहसील चुनार सरस्वती बनाम सोन वन खण्ड उत्तरी मीरजापुर मु0सं0 58/309 धारा 9अ ता0 फैसला 10.02.63 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी अहरौरा की पत्रावली गोंसवारा में दर्ज होना नहीं पाया जाता है। उक्त अभिलेख के विरुद्ध वादिनी द्वारा का0सं0 104ग/1 के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र पर दफ्तर इंचार्ज मीरजापुर से इस आशय की सूचना मांगी गयी कि क्या चकबन्दी के उपरोक्त वर्णित मुकदमें की पत्रावली उपलब्ध है, जिस पर यह आख्या आयी कि उस मुकदमें की पत्रावली गोंसवारा के



अनुसार 02.09.76 को विनष्ट हो चुकी है। उक्त दोनों अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में चकबन्दी न्यायालय का कथित आदेश दिनांक 10.02.63 संदिग्ध हो जाता है तथा वादिनी का यह दायित्व बनता था कि अपने कथन की पुष्टि राजस्व अभिलेखागार से सम्बन्धित गोंसवारे को तलब कराके करती किन्तु वादिनी द्वारा ऐसा नहीं किया है। वादिनी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके द्वारा आदेश दिनांक 10.02.63 का कियान्ययन लगभग 24 वर्ष उपरान्त वर्ष 1987 में तहसीलदार न्यायालय में इतने विलम्ब से किन परिस्थितियों में कराया गया।

22. पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थिनी की ओर से मूलवाद में प्रस्तुत किये गये साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया गया। वादिनी सरस्वती देवी ने बतौर पी०डब्ल्यू०-1 अपने बयान में कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि इस विवादित जमीन का मुकदमा तहसील व चकबन्दी में चला कि नहीं, उसे नहीं मालूम कि तहसील या चकबन्दी में किस तरह का मुकदमा चलता है। उसे नहीं मालूम कि परगनाधिकारी चुनार के यहाँ इस बाबत कोई आदेश हुआ था या नहीं। साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 विश्राम ने अपने बयान में कहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि सरस्वती देवी ने इस जमीन के बाबत चकबन्दी में कोई मुकदमा दाखिल की थी कि नहीं। साक्षी पी०डब्ल्यू०-3 जल्लो ने अपने बयान में कहा है कि चकबन्दी में कोई मुकदमा सरस्वती ने दाखिल किया था कि नहीं वह नहीं जानता। साक्षी पी०डब्ल्यू०-4 श्रीराम ने अपने बयान में कहा है कि बेलखरा गांव में चकबन्दी हुए 30-35 साल हो गया। चकबन्दी के समय चकबन्दी में सरस्वती ने कोई मुकदमा चलाया था या न ही, उसे नहीं मालूम। चकबन्दी न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसे यह जानकारी नहीं है कि एस०डी०एम० के न्यायालय में कोई मुकदमा चला था। इस प्रकार वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षीगण ने चकबन्दी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के होने के संदर्भ में अनभिज्ञता बतायी है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चकबन्दी अधिकारी अहरौरा का मुकदमा सं० 58/309 1963 ता०फै० 10.02.63 बिल्कुल फर्जी एवं मनगढ़न्त है तथा अविश्वनीय प्रतीत होता है। राजस्व अभिलेखागार, मीरजापुर की आख्या दि० 03.01.2002 का सं० 91ग/1 भी प्रतिवादीगण के कथनों का समर्थन करता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सं० 827 जमींदारी विनाश के पश्चात बंजर दर्ज थी, जिसका कुल रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा था एवं 1359 फसली की खतौनी खाता



संख्या 223 बंजर खाता में 827/2 रकबा 7 बीघा तथा खाता संख्या 354 पहाड़ पर आराजी संख्या 827/1 रकबा 313 बीघा 19 विस्वा दर्ज है। उपरोक्त आराजी राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 05.11.66 को वन विभाग को हस्तांतरित की गयी, जो 1372 फसली के वन एवं बंजर की सूची से स्पष्ट होती है। इस हस्तान्तरण के पश्चात विज्ञप्ति सं० 1994/1-क 67 दिनांक 27.07.1967 द्वारा उपरोक्त आराजी की पुनः अधिग्रहण विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी तथा विवादित आराजी दिनांक 19.10.67 राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त विज्ञप्ति का संदर्भ देते हुए अमल दरामद कर दी गयी जो कि 1369 से 1371 फसली के खतौनी के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात राज्यपाल उ०प्र० द्वारा नियुक्त बन्दोबस्त अधिकारी, मीरजापुर द्वारा आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत घोषणा पत्र दिनांक 31.03.68 को जारी करके बेलखरा के ग्रामवासियों को सूचना दे दी गयी। वादिनी के द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में विवादित आराजी के बावत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी, जिसका उल्लेख बन्दोबस्त अधिकारी इस ग्राम आरक्षित वन के विज्ञप्ति राज पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते समय रजिस्टर बी का उद्धरण किया है कि कोई वाद प्रस्तुत नहीं है। उपरोक्त तथ्य सूची 21ग एवं 90ग के द्वारा दाखिल अभिलेखों से स्पष्ट होता है।

23. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसी दौरान चकबन्दी अधिकारी द्वारा ग्राम रेकार्ड आपरेशन 1968 व मुताबिक 1374-75 फसली में किया गया तथा विवादित पुरानी आराजी संख्या 827 की नयी आराजी संख्या 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा बनाया गया जो कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 40 कागज संख्या 91ग/2 से स्पष्ट होता है। जोत चकबन्दी आकारपत्र-41 का०सं० 91ग/2 के अनुसार विवादित नई आराजी सं० 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा पुरानी आराजी संख्या 827 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा से बनाया गयी है तथा विशेष विवरण कालम में जंगल विभाग का नाम दर्ज किया गया है, जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 का०सं० 91ग/4 के अनुसार विवादित आराजी नई आराजी सं० 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा खाता सं० 198 पर उत्तरी वन विभाग मीरजापुर का नाम अंकित है। भारतीय वन अधिनियम 1972 की धारा 4, 5, 8, 9, 11, 18, 20, 26 व 27 तथा फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 की धारा 2 में ऐसी व्यवस्था है जो उपरोक्त वर्णित धाराओं की परिधि में आना सम्यक रूप से प्रमाणी होगा तथा यदि कोई जमीन वन विभाग में निहित हो चुकी है तो वन के उपयोग के अलावा उस जमीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से नहीं किया जायेगा। वादिनी



का कथन कि वादिनी वादग्रस्त सम्पत्ति/आराजी पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व से बहिरीयत मालिक काबिज दखील चली आ रही है। प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा वर्ष 1987 में प्रस्तुत किया गया तथा वाद प्रस्तुत करते वक्त अपनी उम्र 48 वर्ष बतायी गयी है। उसके अनुसार वादिनी की जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के वर्ष 1952 में 13 वर्ष आती है। वादिनी 13 वर्ष की अल्पावस्था के पहले से ही वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज दखील होना अभिकथित करती है। वादिनी द्वारा सूची 156ग से जमींदार से द्वारा निर्गत रसीदों की मूल प्रति वर्ष 1946-47-48 व वर्ष 1952 की दाखिल की गयी है, जो का0सं0 157ग ता 157ग/4 के रूप में उपलब्ध है। उक्त अभिलेखों में इस तथ्य का उल्लेख है कि वादिनी सरस्वती देवी के द्वारा वर्ष 1946 से ही जमींदार श्रीमती राजकिशोरी को लगान अदा किया जाता रहा है अर्थात् वादिनी लगभग 8 वर्ष की उम्र से ही वादग्रस्त संपत्ति का लगान अदा कर रही है। वादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी पी0डब्लू0-2 विश्राम ने अपने बयान में कहा है कि विवादित जमीन को पहले सरस्वती के पिता जोतते थे, उसके बाद सरस्वती जोतती है। यह जोतने बोन की बात वह बहुत पहले से जानता है, ये लोग जमींदारी टूटने के पहले से जोतते बोते चले आ रहे हैं। साक्षी पी0डब्लू0-3 जल्लो ने जिसका बयान दिनांक 16.08.2002 को दर्ज किया गया है, ने अपने बयान में कहा है कि वह इस जमीन का 45-50 वर्ष से सरस्वती का कब्जा देख रहा है, अर्थात् साक्षी के अनुसार वह वादिनी को 14 वर्ष की अवस्था से जोतते बोते देख रहा है। साक्षी पी0डब्लू0-3 ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सरस्वती को यह जमीन उनके पिता के द्वारा मिली, वह उनके पिता का नाम नहीं जानता। साक्षी पी0डब्लू0-4 श्रीराम जो कि वादिनी के ससुर भी है, ने अपने बयान में कहा है कि वादिनी व उसके पिता विवादित जमीन पर काबिज दखील रह कर खेती बारी करते थे। उसकी जानकारी में विवादित जमीन पर सरस्वती देवी का कब्जा कम से कम 50 वर्षों से है। साक्षी पी0डब्लू0-4 श्रीराम ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सरस्वती के पिता का नाम हरिदास था। हरिदास के पास कुल 15 बीघा जमीन था। हरिदास के मरे 15 साल हो गया। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि साक्षी पी0डब्लू0-4 श्रीराम का बयान वर्ष 2002 में अंकित किया गया है अर्थात् मूलवाद प्रस्तुत करते वक्त वर्ष 1987 में तथा उसके पहले वादिनी के पिता हरिदास जीवित थे परन्तु किसी भी राजस्व अभिलेख में हरिदास के नाम की प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है जबकि साक्षी पी0डब्लू0-4 श्रीराम का कथन है कि उक्त

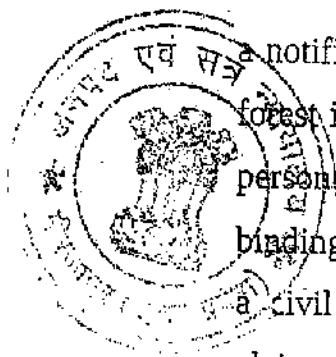


भूमि उसको उसके पिता के द्वारा प्राप्त हुयी थी। वादिनी द्वारा वर्ष 1987 में तहसीलदार के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना नाम अंकित कराये जाने का आदेश पारित कराया गया तथा उसी वर्ष में प्रस्तुत वाद दाखिल कर दिया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि उन व्यक्तियों को हक प्रदान नहीं करती जिनका नाम अधिकार अभिलेख में प्रतीत होती है तथा राजस्व अभिलेख या जमाबन्दी में प्रविष्टियों केवल वित्तीय प्रयोजन अर्थात् भू0 राजस्व के भुगतान के लिए है और कोई स्वामित्व ऐसे प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण की ओर से अपीलार्थिनी/वादिनी के इस कथन कि "मुकदमा सं0 28 विविध न्यायालय तहसीलदार, चुनार के आदेश दिनांकित 18.02.87 के द्वारा आराजी सं0 291 रकबा 15 बीघा पर से ग्राम सभा बेलखरा, परगना अहरौरा व पूर्वी वन विभाग का नाम निरस्त करके श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया जाय", के सम्बन्ध में कहा गया है कि उक्त आदेश के विरुद्ध वन विभाग की तरफ से रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 23.01.89 को तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांकित 18.02.87 रिकाल कर लिया गया। इस सम्बन्ध में रिकाल प्रार्थनापत्र कागज संख्या 29ग तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.01.89 की मूलप्रति कागज संख्या 28ग के रूप में मूलवाद में दाखिल की गयी है। इस प्रकार वादिनी/अपीलार्थिनी का नाम जिस आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ, उक्त आदेश के निरस्त हो जाने के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में वादिनी/अपीलार्थिनी के नाम का इन्द्राज अधिकार विहीन हो गयी जिसके कारण उसका लाभ वादिनी को नहीं मिल सकता। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रही है।

24. राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में विधि निर्णय- प्रहलाद प्रधान एवं अन्य बनाम खेतू कुम्हार एवं अन्य (2010) 10 एस सी सी 259 अति महत्वपूर्ण है। "The six yearly khatauni for the fasli year 1395 to 1400 is to the effect that the land stands transferred according to the Forest Act as the reserved forest. Such revenue record is in respect of Khasra No. 1576. It is only in the revenue record for the period 1394 fasli, name of the lessees find mention but without any basis. The revenue record is not a document of title. Therefore, even if the name of the lessee finds



mention in the revenue record but such entry without any supporting documents of creation of lease contemplated under the Forest Act is inconsequential and does not create any right, title or interest over 12 bighas of land claimed to be in possession of the lessee as a lessee of the Gaon Sabha." यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थिनी जिस विवादित सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व एवं कब्जा बताती है यदि उस सम्पत्ति को वन विभाग ने विज्ञप्ति संख्या 23(2)-95/14-ख-67 दिनांक 22.02.68 के द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं० 5924/14-2-20(47)-82 दिनांक 22.08.83 के द्वारा अपीलार्थिनी के स्वामित्व एवं कब्जे वाली विवादित सम्पत्ति को वन विभाग के लिए आरक्षित कर लिया था तो उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अनुसार वन विभाग के विरुद्ध फॉरेस्ट सेटलमेंट आफिसर या सब-डिविजनल आफिसर के समक्ष आपत्ति देनी चाहिए थी लेकिन अपीलार्थिनी द्वारा इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। अन्तर्गत धारा 20 भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 4 भारतीय वन अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं "It is thus obvious that the Forest Settlement Officer has the powers of a civil court and his order is subject to appeal and finally revision before the the State Government. The Act is a complete code in itself and contains elaborate procedure for declaring and notifying a reserve forest. Once a notification under Section 20 of the Act declaring a land as reserve forest is published, then all the rights in the said land claimed by any person come to an end and are no longer available. The notification is binding on the consolidation authorities in the same way as a decree of a civil court. The respondents could very well file objections and claims including objection regarding the nature of the land before the Forest Settlement Officer. They did not file any objection or claim before the authorities in the proceedings under the Act. After the notification under Section 20 of the Act, the respondents could not have raised any objections qua the said notification before the consolidation authorities. The consolidation authorities were bound by the notification which had achieved finality."



25. उपरोक्त के अतिरिक्त इस न्यायालय को इस बिन्दु पर भी विचार करना है कि क्या वादिनी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा एवं दखल दौरान

विज्ञप्ति वन विभाग रहा है ? वादिनी का कथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर जोत बोकल फसल काश्त करती है। वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण ने तथा स्वयं वादिनी ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि यह जमीन पहले से मेरे पिताजी की है। पिताजी के बाद मुझे मिली। हमारे गाँव में चकबन्दी कब हुयी मुझे नहीं मालूम। चकबन्दी न्यायालय में मैंने कोई मुकदमा नहीं किया था। गिरजा सिंह मेरे गाँव के प्रधान थे या नहीं मैं नहीं बता सकती। वन बन्दोबस्त अधिकारी के समय कोई नोटिस मुझे नहीं मिली थी। मुझे यह नहीं मालूम कि मेरी जमीन के अगल बगल वन विभाग का पत्थर पड़ा है मुझे नहीं मालूम कि परगनाधिकारी, चुनार के यहाँ से इस जमीन के बावत कोई आदेश हुआ था कि नहीं। आरक्षित वन घोषित करने की सरकार ने किसे सूचना दी मुझे जानकारी नहीं है। साक्षी पी०डब्लू०-१ वादिनी के बयान से स्पष्ट है कि उसे विवादित संपत्ति के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। चकबन्दी विभाग एवं परगनाधिकारी, चुनार के समक्ष लम्बित एवं निर्णीत मुकदमों की भी जानकारी नहीं है। वादग्रस्त संपत्ति पर नीम, शीशम, सागौन, इमली, महुआ, डेलवरी व परास आदि के जंगली वृक्ष हैं वादिनी ने वादपत्र में ऐसा कहीं भी अभिकथन नहीं किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया है तथा वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में वादिनी के द्वारा मात्र एक नीम का पेड़ प्रदर्शित किया गया है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त संपत्ति के पूरब, उत्तर एवं दक्षिण जंगल है तथा पश्चिम दिशा में सड़क है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण डी०डब्लू०-१ कमलशंकर एवं डी०डब्लू०-२ स्वयंवर प्रसाद ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि विवादित जमीन पर खेती नहीं होती है तथा जंगल विभाग के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। इसी प्रकार डी०डब्लू०-३ मो० मुर्तजा हुसैन, फारेस्ट रेंज आफिसर ने साक्षी डी०डब्लू०-१ व २ के कथनों का समर्थन किया है। डी०डब्लू०-४ ने कथन किया है कि विवादित जमीन लगभग १००-१२५ पेड़ है कुल ९-१० बीघे है। विवादित खेत के बीच में कोई रास्ता नहीं है। चकबन्दी न्यायालय के निर्णय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सरस्वती के पिता जानते होंगे, मुझे जानकारी नहीं है कि एस०डी०एम० के न्यायालय में कोई मुकदमा चला था। जब वन विभाग ने पेड़ लगाने के लिए खन खोद करने लगे, सरस्वती देवी पड़ुची थी, उनके दो घंटे बाद मैं भी गया था..... विवादित जमीन का पैमाईश सरस्वती देवी ने कभी करायी थी या नहीं मुझे नहीं मालूम।

26. उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी अपना वादग्रस्त संपत्ति पर

१८



अध्यासन सिद्ध करने में अराफल रही है। तदनुसार अवधार्य विन्दु वादिनी/अपीलार्थिनी के विरुद्ध निर्णय किया जाता है।

27. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं विभिन्न विधि निर्णयों में पारित आवधारणाओं को दृष्टिगत रखते विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2011 में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है, उक्त निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2011 पुष्ट किये जाने योग्य है तथा प्रस्तुत सिविल अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 15.12.2011 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि तलबशुदा मूलवाद की पत्रावली अविलम्ब वापस किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक-16.09.2022

(तलिवर सिंह) 09/02/22
अपर जनपद न्यायाधीश /
अति० न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
मीरजापुर।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-16.09.2022

(तलिवर सिंह) 09/02/22
अपर जनपद न्यायाधीश /
अति० न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
मीरजापुर।

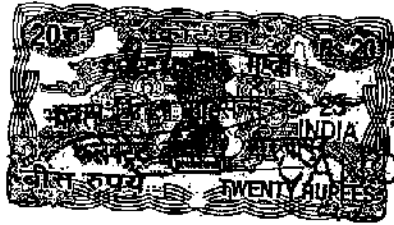
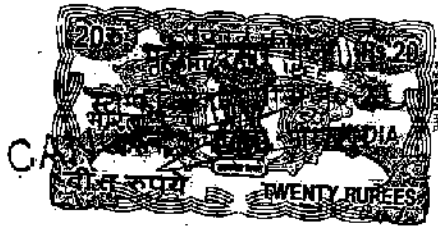
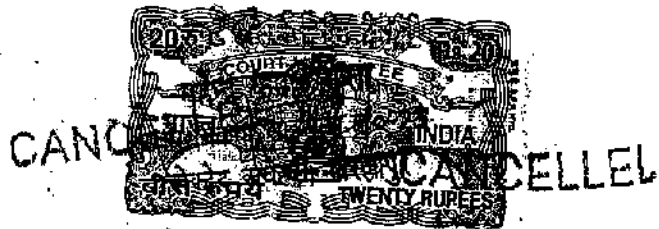


(Signature)
16/9/22

मुद्रांक - 16

210 मर 36001

सत्य प्रतिलिपि
(Signature) 09/02/22
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय-मीरजापुर



आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application is made for copy accom- panied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
14 27/9/22 सहायक सिलेब्ररी अन बाइस	01/10/22 एक अक्टूबर अन बाइस	01/10/22 एक अक्टूबर अन बाइस	 01/10/2022

14
27.9.22

न्यायालय की मान्य अतिरिक्त जज (पार्स का एक्ट) / अपर जनरल न्यायाधीश

विशेष अपील सं. 9 अक्टूबर 2022 ई. मीरजापुर

संरक्षणी दस्तावेज — बनाह — पत्राधिकारी वर्ग



नकल विक्री

(संलग्न है)

अपील में आज्ञाप्ति

(आदेश 41, नियम 35)

न्यायालय ADJ/Judge (P.S.O. Act)
स्थान

जिला Mirzapur

मूलवाद संख्या 305 सन 2019 ई०

20 11 ई० के 12 के 15 दिवस की तारीख वाली
की आज्ञाप्ति की अपील संख्या CA. 09 सन 20 12 ई०

न्यायालय CJ (JD)
पुनार

अपील का ज्ञापन

श्रीमती सरस्वती देवी उक्त लगभग 72 वर्ष पत्नी विरज निवासी
गाँव - बलरघरा परगना सदर जिला पुनार जिला मिर्जापुर। - अपीलार्थ

श्रीमान बनसिधारी महोदय पुर्वी वन प्रयाग मीरजापुर।
उत्तर प्रदेश सरकार सदर जिला मिर्जापुर।
गाँव मन्ना बलरघरा सदर जिला मिर्जापुर। प्रतिवादी

प्रतिवादीगण

विषय - जो पत्र ऊपर दिये गये हैं वह पक्षकारों ने
से दाखिल किये हैं। को छोड़कर जो उपस्थित नहीं हुये तामील के प्रयोजन
उपरिनामांकित 305/87 उक्त वाद में की 20 11 ई० के 12 के 15
दिवस की तारीख वाली की आज्ञाप्ति की अपील CA/9/12
से न्यायालय में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात्

पृष्ठा 1- यह कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्ली दिनांकित 15.12.2011
मुकदमे में निहित तथ्यों एवं विधि अवस्थाओं के विपरीत हैं।
परा डान्तर्गत अपील दस्तावेजों पर उक्त खण्डित किसे जाने योग्य हैं।

पीएसओपीओ(वा०)-11 एचओपीओ-19.01.2012-40,000 फॉर्म (डीपीपीओ/आफसेट)।



(2)

यह अपील 20 22 ई0 के 09 के 16 दिवस को अपीलार्थी के
 लिये की ओर प्रत्युत्तरदाता के लिये की
 उपस्थिति में के समक्ष सुनवाई के लिये पेश होने पर यह आदिष्ट किया जाता है कि—
सादर।

अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील निरस्त की जाती है। विद्वान
 डायर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 15/12/11 पुष्ट
 किया जाता है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि मूलवाद
 मूलवाद की फतावली डाकिसम्बत वापस किया जाता सुनिश्चित करें।

इस अपील के खर्च, जिनका व्यौरा नीचे दिया गया है, और जो रुपये
 होते हैं द्वारा दिये जाने हैं। मूलवाद के खर्च द्वारा दिये जाने हैं।



आज दिनांक 27
 और न्यायालय की मुद्रा सहित दी गई।

मास 09

सन् 2022 ई0 को मेरे हस्ताक्षर



न्यायाधीश

ADDL. DISTRICT & SESSION JUDGE
 MIRZAPUR

27-09-22

अपील के खर्चे

अपीलार्थी	रकम		प्रत्युत्तरदाता	रकम	
	रु०	पै०		रु०	पै०
1-अपील के ज्ञापन के लिये मुद्रांक	28	००	शक्ति पत्र के लिये मुद्रांक		
2-शक्ति पत्र के लिये मुद्रांक	०4	००	याचिका के लिये मुद्रांक		
3- रुपये पर अभिवक्ता की फीस			आदेशिकाओं की तामील		
4-आदेशिकाओं की तामील			रुपये अभिवक्ता की फीस		
 प्रा० पत्र 30 ०० शक्ति पत्र 30 ००					
जोड़-	92	००	जोड़-		



मुत्सरिम के हस्ताक्षर

प्रत्युत्तरदाता के अभिवक्ता के हस्ताक्षर

अधीन हस्तक्षेपीय और छिड़कत किये जाने योग्य है ।

दफा 2- यह कि वादिनी/अपीलान्ट आराजी नं० 29 मि० रकता

15 बीघहा जिते सलग्न नक्शा बहस्प, घ, छ, ज, झ, पर वादिनी /अपीलान्ट जमीन्दारी विन्यास के पूर्व से चहैसियत मालिक का विज दखील चली आ रही है पर वरावर अपने हल बैल से जोत बो कर फसल कास्त करती है । वादिनी पूरी जमीन को बगरज सुरक्षा पत्थर के छेदों से फेन्सींग किये है अभिलेखों में भी वादिनी/अपीलान्ट का नाम दर्ज हो चुका है लेकिन प्रीतवादी गणा के कुछ कर्मचारी अनधिकृत लाभ उठाने की कुर्यावना से वादिनी/अपीलान्ट के दुपमनों के बहकावे में आकर वादिनी को भूमि की नवैयत ~~अच्छ~~ गड़हा खोदने

व पेड़ लगाने की धमकी देने लगे जिसकी शिकायत की गयी बल्कि आप

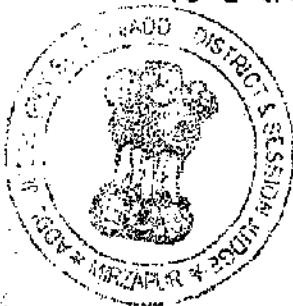
रिस्पान्डेन्ट ने ध्यान नहीं दिया तथा अपने कर्मचारियों को गलत तौर पर प्रोत्साहित किया ।



दफा 3- यह कि प्रीतवादी गणा / रिस्पान्डेन्ट वादिनी/अपीलान्ट

के शांति पूर्वक कटना दखल से हटाना चाहते हैं और बार - बार शिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और दिनांक 1-4-87 को आपके

कर्मचारियों ने साफ - साफ कह दिया कि वे सब साहब के निर्देश पर चल रहे हैं तथा वादिनी/अपीलान्ट को धमकी भी दिये ।



18/7/87
श्री ~~...~~ देवी

[Handwritten signature]

दफा 4- यह कि वादिनी/अपीलान्ट द्वारा दावा दाखिल करने के पूर्व प्रतिवादी गणा/रिस्पान्डेन्ट को बज्रिस् रजिस्टर्ड पोस्ट धारा 80 सी 0पी 0सी व धारा 106 अ 0प्र 0प 0राज स्कट की नोटिस दे दी गयी जिसका कोई जवाब नहीं दिया तब 80 दिनों के उपरान्त दावा दाखिल किया गया। पक्षों के बीच दौरान चकवन्दी प्रक्रिया विवाद चलकर अंतिम तौर पर निनिर्णत व फाइनल हो चुका है।

दफा 5- यह कि पक्ष वाद कारण के विनाय पर दुराशय पूर्ण मजारीहम प्रतिवादी कानूनन बाड़े बाड़े ला है और डिफेन्स प्रतिवादी/रिस्पान्डेन्ट धारा 49 अ 0प्र 0प 0क वन्दी अधीनयम से पूर्ण बाधित है। वादिनी/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29-6-87 को वाद कारण उत्पन्न होना व्यक्त करते हुए क स्थान निवेधाना के अनुतोष की याचना की गयी है।



दफा 6- यह कि प्रतिवादी गणा की ओर से लिखित कथन 32क प्रस्तुत कर वाद पत्र की दफा 1 ता 12 से इन्कार करते हुए कथन किया गया कि हरगिज वादिनी भूमि सं 29। मि 0 रकबा 15 बीघा पर जिसे वाद पत्र के नक्शे में च, छ, ज, झ, से दिखाया गया है पर जमीन्दारी विनाश पूर्व से बहैसय मालिक काबिज दखील नहीं रही है न ही उसका कटजा दखल उक्त भूमि पर है। वाद पत्र में जो भूमि च, छ, ज, झ, से दिखायी गयी है वह भूमि सं 29। मि 0 15 बीघा नहीं है। वादिनी/अपीलान्ट ने कोई जायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा 0 के दी 0 दावा दाखिल करने के पूर्व नहीं दिए। वादिनी द्वारा कथित खसरा प्लॉट सं 29। मि 0 मौके के अनुसार सं 0 खसरा



12-11-87
12-11-87
12-11-87

4 -

प्लॉट नं० 827 मी० के अन्तर्गत ~~अ~~ ^{प्रमाणित} पड़ता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा -4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति नं० 23 128-95/146-67 दिनांक 22-2-68 द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था विज्ञप्ति नं० - 5924/14-2-208478-82 दिनांक 22-8-83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लॉट नं० 827 मी० के कुल 305 बीघा ¹ विस्तार क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है जिसका वन विभाग को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अन्य कथनों के आधार पर भी वादिनी/अपीलान्त का दावा निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।



दफा 7- यह कि वादिनी/अपीलान्त ने कागजात सरकारी प्रतिलिपि साक्ष्य से एवं मौखिक साक्ष्य से अपने केस को बखूबी साबित व पुष्ट किया है। जब कि प्रतिवादीगण / रैस्पान्डेन्ट ने सरकारी रेकार्ड की छायाप्रति विभागीय तौर पर प्रमाणित करके दाखिल किया है। उसके मौखिक साक्ष्य का साक्ष्य मौका एवं कागजात सबूत से कतई साबित नहीं है फिर भी मातहत अदालत ने तथ्यों एवं अभिलेखों का गलत परिनिरीक्षण और तर्क करके निर्णय पारित किया है जो कानूनन वाक्यातन त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो अन्तर्गत अपील हस्तक्षेपिय है और खीण्डत किये जाने योग्य है।

दफा 8- यह कि मातहत अदालत ने प्लीडिंग के आधार पर समुचित

[Handwritten signature and stamp]

5 -

वाद बिन्दु विवरित नहीं किया है और और स्थापित विधि व्यवस्थाओं की अनदेखी करके वादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की व्याख्या न करके अशुद्ध अन्वया निकर्ष निकाला है जिससे वास्तविक न्याय प्रभावित हुआ है। जो खण्डित किये जाने योग्य है।

दफा 9- यह कि सम्पूर्ण सन्दर्भों में यहां वादिनी/ अपीलान्ट का साक्ष्य विश्वसनीय है वहीं प्रतिवादी गणा / रिस्पान्डेन्ट का साक्ष्य अविश्वसनीय एवं तर्क संगत नहीं है।

दफा 10- यह कि प्रतिवादी गणा अपने प्लेडिंग के विना पर विरचित वाद बिन्दुओं जिनके साबित करने का भार उनके उपर रहा उसे कतई साबित नहीं कर पाये है।



दफा 11- यह कि वाद बिन्दु सं01, 2, व 4 का भार

वादिनी पर रहा है। जो अभिलेखीय साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों से बहुवी साबित किया है जहां वादिनी का साक्ष्य पुष्ट है वहीं प्रतिवादी का अभिकथन व साक्ष्य स्वीकृत तथ्यों के विरोधाभासी है। वादग्रस्त सम्पत्ति साबिक नम्बर 829 बहाल नम्बर 291 का अंश होना प्रतिवादी गणा के साक्ष्यों से भी मूलतः बहुवी पुष्ट है फिर भी मातहत न्यायालय



[Handwritten signature and stamp]

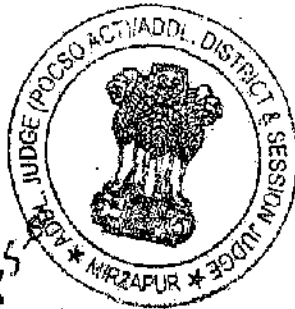
6 -

कानून संगत निष्कर्ष व निर्णय न करके आधारभूत त्रुटि की है।

दफा 12- यह कि अन्य कानूनी एवं तट्यगत आधारों पर

भी निर्णय व डिफ़ी मातहत न्यायालय सम्पूर्ण सन्दर्भों में हस्तक्षेपीय

है और छिपकत किये जाने योग्य है।



प्रार्थना

=====



अतः अपील हाजा दाखिल कर निवेदन है कि अपील

स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिफ़ी मातहत न्यायालय छिपकत किया

जाकर दावा वादिनी/अपीलान्ट सव्यय डिफ़ी किये जाने की आज्ञा प्रदत्त

हो, ताकि न्याय हो।

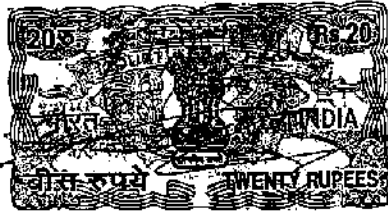
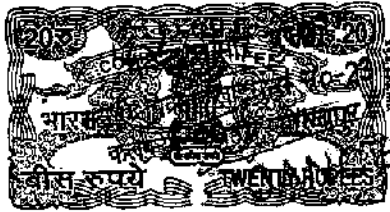
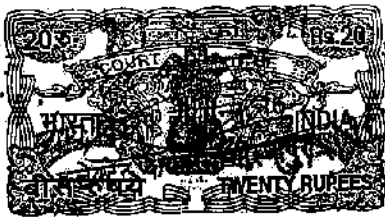
दिनांक 25-01-2012 ई0

वादिनी/अपीलान्ट

[Signature]
शुल्क-1000

सत्य प्रतिलिपि
01-10-2012
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय-मीरजापुर

[Signature]
01-10-2012



नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accom- panied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
14 27/9/22 व्यवस्था अधिकारी सुन बाइस	01/10/22 एक अक्टूबर सुन बाइस	01/10/22 एक अक्टूबर सुन बाइस	SPH 01/10/22

व्यवस्था अधिकारी अतिरिक्त जल (पास्कॉ सुकट) / अपर जनरल व्यवस्थापक
सीरकापुर

सिविल अपील नं० ०९ सुन २०।२ ई

व्यवस्थापक दफ्तर — बजाऊ — वनाधिकारी कोर

नकल निशान दि. 15-12-2011 ई

(व्यवस्थापक)



(व्यवस्थापक)

न्यायालय सिविल जज ३०६६३१ धुनार- मिर्जापुर।

उपास्यतः श्री पवन कुमार राय, पीठ सी० एस०जे०

मूलवाद सं०: 305/ 87

श्रीमती भरस्वती देवी उम्र 48 वर्ष स्त्री विरजू सा०बेलवरा अहरीरा तहसील
धुनार जिला मिर्जापुर।

..... वादिनी।

-: बनाम:-

- 1- श्री मान वन अधिकारी महोदय पूर्वी वन प्रणाल मिर्जापुर।
- 2- उत्तर प्रदेश सरकार वजरिश्रीमान जिलाधिकारी महोदय मिर्जापुर।
- 3- गांव सभा बेलवरा वजरिश ग्राम प्रधान बेलवरा परगना अहरीरा तहसील
धुनार जिला मिर्जापुर।

..... प्रतिवादीगण।



निर्णय

वादिनी ने यह वाद प्रतिवादीगणके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष
हेतु योजित किया है।

वादिनी के वाद पत्र का संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि वादिनी
आराजोनं०-291 मि० रकबा 15 विंगडा जिसे सलग्न नक्शा बहसक व उ ज ह
पर वादिनी जमौदारोदिनाश के पूर्व से बहसियत मालीके काबिज दखौत खली
आ रहें हैं। और बराबर अपने हल बैल से जोत बौकर फसलकास्त करता है। वादिनी
पूरी जमीन को अगरज सुरक्षा पत्थर कटुकड़ो से छु फेन्सींग किये है अभिलेखों में भी
वादिनी का नाम दर्ज हो चुका है लेकिन प्रतिवादीगण के कुछ कर्म चाराअनुचित
ताम उठाते ही दुमविना से वादिनी के दुश्मनों केबहकावे में आकर वादिनी की
भूमिको नदेखत गडा जोसे व पेड़ लगाने को धमकने देने लगे जिसकी शिकायत
गयी बल्कि आपविपक्षी ने ध्यान नहीं दिया तथा अपने कर्मचारियों को गलत तरी
का पर और फिर प्रावधानित किया। प्रतिवादीगण वादिनी के शांति पूर्वक कब्जा

(Signature)

-2-

इसल से हटाना चाहते हैं और बार-बार शिक्षित करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और दिनांक- 1.4.87 को आप के कर्मचारियों ने आप को यह दिया कि वे सब सब साहब को निर्दोष पर चल रहे हैं तथा वादियों को धमकी भी दी है। वादी द्वारा दावा दाखिल करने के पूर्व प्रतिवादीगण को बजरिज रजिस्टर्ड पोस्ट धारा 80 सी० प्री० सी० की नोटिस दे दी गयी जिसका कोई जबाब नहीं दिया सब 60 दिनों के उपरान्त दावा दाखिल किया गया। पक्षों के बीच दौरान चकबन्दी प्रक्रिया विवाद चलकर अंतिम तौर पर निर्णित बफाइनल हो चुका है। पर वाद कारण के विनाय पर दुराशय पूर्ण मजाहिमत प्रतिवादी कानूनन बिलाई और डिफेन्स प्रतिवादी धारा-49 उ० प्र० चकबन्दी अधिनियम से पूर्णतः बाधित है। वादियों द्वारा दिनांक- 29.6.87 को वाद कारण उल्लंघन होना व्यक्त करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना की गयी है।



प्रतिवादीगण को और से अनन्त 32क प्रस्तुत कर वाद पत्र को बफा- 1 ता 12 से इंकार कृत करते हुए कथन किया है कि हरिजन वादियों भूमि सी०- 291 मि० कबा 15 बीघा पर जिसे वाद पत्र के नम्बो में च उ ज झ से दिखाया गया है पर जमींदारी विनाश पूर्व से बहैसियत मालिक काब्ज दफ्तार नहीं रही है न ही उसका कब्जा इसल उक्त भूमिपर है। वाद पत्र में जो भूमि च उ ज झ से दिखाई गयी है वह भूमि सी०- 291 मि० 15 बीघा नहीं है। वादियों ने कोई जायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा- 80 जा० प्री० दावा दाखिल करने के पूर्व नहीं दिया। वादियों द्वारा कथित इसरा प्लाट नं० सी०- 291 मि० मोंके के अनुसार सी० उतरा प्लाट सी०- 832 न मि० के अन्तर्गत पड़ता है जो भारतीय बन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति सी०- 238 238- 95/14 ड- 67 दि० 22-2-68 द्वारा आरक्षित बन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था का विज्ञप्ति सी०- 5924/14-2-208 478-32 दिनांक- 22.8.83 द्वारा आरक्षित बन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के

- 3 -

अनुसार कथित बसरा प्लॉट नं० 827 मी० के कुल 305 बीघा 11 सिसवा क्षेत्र बन विभाग के कब्जे में है जिसका बन विभागको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अन्य कथनों के आधार पर भी वादिनी का वाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगणकी ओरसे अतिरिक्त जबाबदावा 89क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादिनी द्वारा संस्थित चकबन्दी न्यायालय का निर्णय आदेश दिनांक- 10.2.63 को कोई जानकारी बन विभाग को नहीं थी। दिनांक- 27.9.01 को श्रीमान् जी के यहां नकल दाखिल करने पर सर्वप्रथम आदेश दिनांक- 10.2.63 की जानकारी हुई। ~~स्वा. राजस्व अभिलेखों में उक्त~~ आदेश का अमल दरामद भी नहीं हुआ है और नामान्तरण की कार्यवाही का बाधित हो गयी है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चकबन्दी ~~अधिकारी~~ अधिकारी तृतीय अहमदाबाद मु० सी०-58/309सन् 1963 ता फ० 10-2. 63 बिलकुल फर्जी मनगढ़न्त है। वादिनी द्वारा वाद पत्र में किये गये आरोपन के पश्चात उ० प्र० सरकार को दफा -80 जायता दीकर ~~दीवानों~~ दीवानों की नोटिस नियमानुसार पुनः देना आवश्यक हो गया है। वादिनी पुनः नोटिस देने से उन्मुक्त नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अन्य कथनों के आधार पर भी वादिनी का वाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।



उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद विन्दु विरचित किये ~~जस्तै हैं~~ गये हैं:-

- 1: क्या वादी विवादित भूमिका स्वामी है?
- 2: क्या वादी विवादित भूमि पर काब्ज़ है?
- 3: क्या वाद अल्प मूल्यार्जित एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?
- 4: क्या विवादित आराजी गाटा सी०- 291 का अंश है?
- 5: क्या विवाद धारा- 80 सी० बी० सी० के अन्तर्गत नोटिस देने क अभाव है?

6-क्या वाद धारा- 3438 एवं 4। विशिष्ट अनुतीय अधिनियम से बाधित है?

7- क्या वाद धारा- 33। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम से बाधित है?

8: क्या वाद धारा- 4, 20बन अधिनियम से बाधित है?

9: क्या वादी किसी अन्य अनुतीय को पाने का अधिकारी है?

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पीछलू-1 सरस्वती देवी, पीछलू-2 विश्राम, पीछलू-3 जल्लो, पीछलू-4 श्रीराम को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची अ 99 से खमोनी, वसरा व रजिस्ट्री रसीद की छाया प्रतियां सूची 3। ग से न्यायालय तहसीलदार महीदय बुनार के आदेश दिनांकित-4। 10.89 की सत्यापित प्रतिलिपि, सूची 99ग/1 व 99ग/2 से एक अद्व ह असल मानचित्र मोजा बैलखरा, 9अद्व वसरा सिमिन्न फसली वर्ष की प्रतियां व दो अद्व प्रश्नोत्तरी बन्दीबस्त अधिकारी दिनांक- क्रमा: 12-7-94 व 20. 11. 88 की सत्यापित प्रतिलिपि, एक अद्व सत्य प्रतिलिपि प्रश्नोत्तरी श्रीमान/इन्चार्ज मिर्जापुर। दिनांक-24-7-89की सत्यापितप्रतिलिपि, दो बन्द सत्यापित नकल आदेश 10. 2. 63 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, खमोनी, वसरा व एक अद्व लगानी

रसीदा सूची 156ग से 4 अद्व पक्की रसीद व वसरा - खमोनी दाखिल किया गया है।

* प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पीछलू-1 कमलाशंकर, पीछलू-2 स्वयंवर प्रसाद को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 2। ग से धारा-20 प्रमाणितप्रति सत्य प्रतिलिपि, 3090 गजट

10 दिसम्बर, 1983 ई0 अधिश्रवण, 19। 955 शक सम्बत भाग 1 की प्रमाणित प्रतिलिपि, धारा- 48 प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि 3090 गजट 25 मई 1968 की प्रमाणितप्रतिलिपि, ग्राम बैलखरा पर0 अडरीरा त0 बुनार जिला मिर्जापुर का नक्शे की सत्य प्रतिलिपि, वन तथा बैजर आदि क्षेत्रों की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणितउद्घरण खमोनी, तथा सूची से न्यायालय तहसीलदार बुनार



-5-

मु० सं०- 28 28/87-88 सरस्वती बनाम वन विभाग तहसीदार बुनर आदेश
दिनांकित- 23. 1. 89 को सत्यापित प्रति लिपि तथा उपरोक्त न्यायालय में
दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित- 18. 9. 87 को सत्यापित प्रतिलिपि सूची
909 से 917/1 प्रमहरी अधिकारी राजस्व अभिलेखांगार सूचना मणि जाने का
प्रार्थना पत्र की छाया प्रति व अन्य कागजात वापिस किया गया है।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति
संवत्ति आराजी सं०- 21 मी० क्षेत्रफल 15 बीघा क्षेत्र पर जमींदारी विनाश
अधिनियम लागू होने के पहले से काबिज दखील है तथा वादिनी के नाम की
प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में हो चुकी है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का यह
भी तर्क है कि अधिवक्ता आयुक्त की आज्ञा के द्वारा भी वादिनी अधिनियम की
पुष्टि होती है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादग्रस्त
संवत्ति के संदर्भ में मालिकाना हक बकबन्दी न्यायालय से अंतिम रूप से निर्णीत
हो चुका है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-
49 से बाधित है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादिनी
ने वाद पत्र में किये गये अभिकथन को अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य के द्वारा पूर्ण
स्वेष सिद्ध किया है तथा वादिनी का वाद आज्ञापित किये जाने आदेश की
वाचना की गयी है।



प्रतिवादीगण को और से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
का तर्क है कि वाद ग्रस्त संवत्ति वन विभाग की संवत्ति है तथा उक्त संवत्ति
पर वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। विद्वान सहायक जिला
शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू
होने वाले फसली व वर्ष 1352/93 में वृक्ष वादग्रस्त संवत्ति बंजर के रूप में दर्ज थी तथा
उक्त संवत्ति को वन विभाग हेतु आरक्षित कर दिया गया था। उक्त संवत्ति के
संदर्भ में बकबन्दी न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त था तथा वादिनी
के द्वारा बकबन्दी न्यायालय का प्रस्तुत आदेश दिनांकित- 10. 2. 63 एक कूट

- 6 -

रचित अभिप्राय है। विद्वान जिज्ञासु शास्त्रीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि

बादिनी के द्वारा बाधिल धारिज की प्रक्रिया उक्त आदेश के लम्बे 24

वर्ष के बाद करायी गयी तथा उक्त आदेश के बारे में इसके पहले कभी भी कोई

मानकारी नहीं थी तथा उक्त आदेश के सम्बन्धित मुकदमे की बहाली

को के गीस्वारे में दर्ज भी नहीं पाया गया है। विज्ञान सहायक जिला

शासकीय अधिकता का यह भी तर्क है कि वादिनी ने अपने बयान में स्वयं

स्वीकार किया है किउन्ने चक्रवर्ती न्यायालय तथा तबसोलदार के न्यायालय

में कोई कार्यवाहियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा वादियों

के द्वारा राजस्व अभिलेखों में कूटरचित आदेश के आधार पर प्रविष्टियाँ

करा लि यथे। विद्वांश सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी

तर्क है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियाँ केवल वित्तीय प्रयोजन अर्थात्

म० राजस्व के मुगलान के लिए होता है आरैसी परिस्थिति प्रविष्टि

के आधार पर किसी को कोई स्वाभिव्यक्ति नहीं प्रदान किया जा सकता।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादग्रस्त

संपत्ति को सार्वजनिक राज्य पाल महोदय राजकीय गजट में शिक्षा विज्ञापित

के द्वारा आरक्षित बन घोषित कर दिया थापरन्तु वादिनी के हक द्वारा

उस पर कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। विद्वान जिला शासकीय

अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रतिवादीगण ने अपना प्रतिवाद अभिलेखीय

साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया है तथा वादिनी का बयान बाद

निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रति उभय पक्ष के विद्वत् अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन

कियाँ।



निस्तारण वाद वि० सं० १२ व ४

आद विन्दु सं०-। इस आशय का विरहित

Handwritten signature

-7-

किया गया है कि क्या वादी विवादित भूमि का स्वामी है वाद विन्दु सं० 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित भूमि पर काब्ज है तथा वाद विन्दु सं० 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विवादित आराजी गाटा सं० 291 का अंश है। उपरोक्त वाद विन्दु एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए उक्त वाद विन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

वादिनी का अभिकथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति आराजी सं० 291 मी० क्षेत्रफल 15 बीघा जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर च घ ज झ से प्रदर्शित किया गया है, की जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के पहले से मालिक व काब्ज है।

प्रतिवादीगण का अभिकथन है कि बिबई विवादित जमीन वन विभाग की जमीन है तथा उससे वादिनी का कोई सम्बन्ध नहीं है। विवादित जमीन को पत्थर के दीवार से घेर कर उसमें वर्ष 1987 से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। विवादित जमीन पर स्वामित्व वन विभाग का है तथा कब्जा भी है। वादिनी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 9 ग से नकल इंतबाष बतौनी 1393 से 1398 फसली खाता सं० 65 तथा नकल इंतबाष बतौरा आराजी सं० 291/2 मि० रकबा 15 बीघा का प्रस्तुत किया गया है। कामज सं० 10 गब 11 ग में यह तथ्य उल्लिखित किया है कि मुकदमा सं० 28 विविध विविध न्यायालय तहसीलदार चुनार के आवेग दिनांकित 18-2-87 के द्वारा आराजी सं० 291/2 रकबा 15 बीघा पर से ग्राम सभा बेलवरा परगना जहरीरा के पर्वी वन विभाग का नाम निरस्त करके श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया जाय। इस आवेग के अनुपालन में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की गयी।

प्रतिवादीगण के द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 21 ग से 5 अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त अभिलेख भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 तथा धारा-8 20 से संबंधित है। वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया बतौरा



- 8 -

प्लॉट नं०- 291 मी.मी.के के अनुसार साबिक खसरा प्लॉट नं०- 827 मि० के अन्तर्गत पड़ता है जो भारतीय बन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत रीस विज्ञप्ति सं०- 23/2 - 95 / 14/ब-67 दिनांक- 22-2-68 के द्वारा आरक्षित बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था विज्ञप्ति सं०-5924/14-2- 20/47-82 दिनांक- 22-8-83 द्वारा आरक्षित बन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा 827 मि० कुल बन बी विभाग के कब्जे में है दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमति है कि आराजी सं०- 827 का ही नया नम्बर 291/1 व 291/2 पड़ता है। प्रतिवादीगण के द्वारा कागज सं०- 28 ग मानचित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें आराजी सं०- 827 का अधिग्रहण बन के रूप में उल्लेख है। 827 व 825 पर ही सड़क निर्माण का उल्लेख किया गया है। कागज सं०-25 ग में आराजी सं०- 827/1 312 बीघा 11 शिव विस्वा तथा आराजी सं०- 827/2 15 बीघा उल्लिखित है। कागज सं०- 26 ग दूधरण खतीनी बेलखरा परगना अहरोरा फसली व वर्ष 1383 से 1386 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त नम्बर से बने नये नम्बर आराजी सं०-291 रकबा 313 बीघा पर उत्तरी बन विभाग मिर्जापुर का नाम अंकित है तथा इस उक्त अभिलेख पर इस लेख का भी उल्लेख है कि आदेश नौटीफिकेशन वन प्रभाग अधिकारी के द्वारा 827/1 पर पूर्वी बन विभाग प्रभाग दर्ज किया गया। वादिनी का अभिकथन है कि वादिनी जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पहले से वादग्रस्त संपत्ति पर काब्ज रखी है। इस सन्दर्भ में 1359 फसली वर्ष का राजस्व अभिलेख अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जमींदारी विनाश अधिनियम उसी वर्ष में लागू हुआ था। पत्रावली पर कागज सं०- 91/2 नकल खतीनी मौजा बेलखरा परगना अहरोरा फसली वर्ष 1359 की सत्यापित प्रतीति उपलब्ध है। उक्त



-9-

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आराजी सौ-827/1 क्षेत्रफल 312 बीघा 11 विस्वा तथा आराजी सौ- 827/2 बंजर के रूप में दर्ज है। यदि वादिनी जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व बाद ग्रस्तसंपत्ति पर काबिज दबील होती तो 1359 फरवरी वर्ष के राजस्व अभिलेखों में उसके नाम की प्रविष्टि होनी चाहिए थी परन्तु उक्त अभिलेख पर वादिनी के नाम की कोई प्रविष्टि नहीं है। वादिनी का यह अभियोग है कि वादग्रस्त आराजी 827 मी० रकबा 15 बीघा के संदर्भ में न्यायालय बल चकबन्दी अधिकारी सुतीय अहरोरा तहसीलदार बुनार मिर्जापुर मुख्यालय मुकदमा नं०- 58/309 1963 सरस्वती बनाम सोन बन बण्ड मिर्जापुर धारा-9 अंतर्गत चकबन्दी कानून में चकबन्दी अधिकारी ने आदेश दिनांकित 10-2-63 के द्वारा वादग्रस्त आराजी से गांवसभा व सोन बन बण्ड मिर्जापुर का नाम काटकर श्रीमती सरस्वती देवी वादिनी का नाम बतौर सिरदार अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया था तथा बन विभाग के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी तथा वादग्रस्त संपत्ति पर स्वामित्व चकबन्दी न्यायालय के द्वारा अंतिम हो चुका है। प्रतिवादीगण का प्रतिवाद धारा- 49 चकबन्दी अधिनियम से बाधित है। उक्त आदेश की मूल सत्यापित प्रतिलिपि कागज सौ- 109म/2 पर यह तथ्य उल्लिखित है कि श्रीमती सरस्वती देवी ग्राम बेलवारा पर आराजी नं०- 827 मी०/15 से जमींदार से पट्टा लेकर काबिज है और परगना अधिकारी बुनार ने ता. 2.2.59 को सिरदार दर्ज करने के लिए आदेश दिया है तथा उक्त आदेश के आधार पर ग्राम सभा बन एवं बन विभाग का नाम काटकर वादिनी का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। वादिनी के द्वारा परगना अधिकारी के आदेश दिनांक 2.2.59 की कोई भी प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रतिवादीगण के द्वारा कागज सौ- 91म/1 के माध्यम से राजस्व अभिलेखागार मिर्जापुर से चकबन्दी न्यायालय के वाद सौ- 58/309 - 1963 सरस्वती देवी बनाम सोन बन बण्ड उत्तरी की पत्रावली के सन्दर्भ में सूचना मांगी गयी है तथा कागज सौ- 91म/1 पर



- 10 -

यह तथ्य उल्लिखित किया गया है कि मोजा बेलवरा परगना अहरोरा तहसील
बुनार सरस्वती बनाम शैल बन खण्ड उत्तरी मिर्जापुर मुकदमा सी०- 58/309

धारा- 9अ ता० 10-2-63 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी अहरोरा

की पत्रावली गौस्वारा में दर्ज होना नहीं पाया जाता है। उक्त अभिलेख के

विरुद्ध वादिनी के द्वारा कागज सी०- 104ग/१ के माध्यम से सूचना प्राप्त करने

के आवेदन पत्र पर दफ्तर ईकाजी महोदय मिर्जापुर से इस आशय की सूचना मांगी

गयी है कि क्या चकबन्दी के उपरोक्त वर्णित मुकदमे की पत्रावली उपलब्ध है।

कागज सी०- 104ग पर यह तथ्य उल्लिखित है कि उस मुकदमे की पत्रावली गौस्वारा

के अनुसार 2-9-76 को विनिष्ट हो चुकी है। उपरोक्त दोनों अभिलेखों के प्रकाश

में कथित चकबन्दी न्यायालय का कथित आदेश दिनांकित- 10-2-63 संदिग्ध हो

जाता है तथा वादिनी का यह दावित्व बनता था कि वादिनी अपने कथन की

स्पष्ट राजस्व अभिलेखागार से संबंधित गौस्वारे को तलब कराके करती परन्तु

वादिनी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। वादिनी के द्वारा यह भी स्पष्ट

नहीं किया गया कि उसके द्वारा आदेश दिनांकित- 10-2-63 का क्रियान्वयन

लगभग 24 वर्ष उपरान्त वर्ष 1987 में सत्राध्यक्ष तहसीलदार न्यायालय में

इस विषय से किन परिस्थितियों में कराया गया।

वादिनी सरस्वती देवी साक्षी पी० डब्लू-१ ने अपने बयान में अभिकथित

किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि इस विवादित जमीन का मुकदमा तहसील

व न चकबन्दी में चला कि नहीं, यह उसे नहीं मालूम कि तहसील या चकबन्दी

में किस तरह का मुकदमा चलता है। उसे नहीं मालूम कि परमनाधिकारी बुनार

के यहाँ इस बाबत कोई आदेश हुआ था या नहीं। साक्षी पी० डब्लू-२ विग्राम ने

अपने बयान में अभिकथित किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि सरस्वती देवी

ने इस जमीन के बाबत चकबन्दी में मुकदमा कोई दाखिल की थी कि नहीं।

साक्षी पी० डब्लू-३ जल्लो ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि चकबन्दी में कोई

मुकदमा सरस्वती ने दाखिल किया था कि नहीं वह नहीं जानती।



-11-

साक्षी पी०डब्लू-५ श्रीमश्री श्रीराम ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि बेलबरा गाँव में चकबन्दी हुआ 30-35 साल हो गया। चकबन्दी के समय चकबन्दी में सरस्वती ने कोई मुकदमा चलाया था या नहीं उसे नहीं मालूम। चकबन्दी न्यायालय के निर्णय के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है उसे यह जानकारी नहीं है कि एस०डी० एम० के न्यायालय में कोई मुकदमा चला था। इस प्रकार वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षीगण ने चकबन्दी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के होने के सन्दर्भ में अनभिज्ञता बताई है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिवादीगण का यह अभिकथन है कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चकबन्दी अधिकारी अहरीरा का मुकदमा सं०- 58/309/1963 ता 10.2.63 बिलकुल फर्जी एवं मनगढ़न्त है, सत्य विदित होता है। राजस्व अभिलेखागार मिर्जापुर की आख्या दिनांकित-3-1-02 कागज सं०- 9-ग/1 भी प्रतिवादीगण के कथन का समर्थन करता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सं०- 827 जमींदारी विनाश के पश्चात बँजर वर्ज थी, जिसका कुल रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा था। 359 फसली की खेती खाता सं०- 223 बँजर खाता में 827/2 रकबा 7 बीघा तथा खाता सं०- 354 पहाड़ पर आराजी सं०- 827/1 रकबा 313 बीघा 19 बिस्वा वर्ज है। उपरोक्त आराजी राजस्व अभिलेख विभाग द्वारा दिनांक-5.11.66 को वन विभाग को हस्तांतरित की गयी जो 1372 फसली के वन एवं बँजर की सूची से स्पष्ट होती है। इस हस्तांतरण के पश्चात विज्ञप्ति सं०- 1994/1-क67 दिनांकित- 27-7-66 द्वारा उपरोक्त आराजी की पुनः अधिग्रहण विज्ञप्ति प्रकाशित कर रखी गयी तथा विवादित आराजी दिनांक-19-10-67 राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त विज्ञप्ति का सन्दर्भ देते हुए अमल दर्तामद कर दी गयी जो कि 1369 से 1371 फसली के खेती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त अधिग्रहित अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात राज्यपाल उ० प्र० द्वारा नियुक्त बन्दोबस्त अधिकारी मिर्जापुर द्वारा आरक्षित बन बनाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत भारतीय बन अधिनियम की धारा- 6 के अन्तर्गत घोषणा पत्र दिनांक- 31-3-68 को



-12-

जारी करके बेलखरा के ग्रामवासियों को सूचना दे दी गयी। वादिनी के द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में विवादित आराजी के बाबत कोई

आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी जिसका उल्लेख बन्दोबस्त अधिकारी इस

ग्राम आरक्षितबन के विज्ञप्ति राज पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते समय

~~आदिनी~~ का उद्घरण किया है कि कोई वाद प्रस्तुत नहीं है।

उपरोक्त तथ्य सूची 21 ग एवं 90 ग के द्वारा दाखिल अभिलेखों से स्पष्ट

होता है। इसी दौरान चकबन्दी अधिकारी द्वारा ग्राम रिकार्ड आपरेशन

1968 व मुताबिक 1374-75 फसली में किया गया तथा विवादित पुरानी

आराजी सौ- 827 की नयी आराजी सौ- 291 रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा

बनाया गया जो कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 40 कागज सौ-91 ग/2 से

स्पष्ट होता है कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 कागज सौ-91 ग/3 के

अनुसार विवादित नई आराजी सौ 291 रकबा 333/313 बीघा 6 बिस्वा

पुरानी आराजी सौ- 827 रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा से बनायी गयी है।

विशेष विवरण कालम में जंगल वंश विभाग का नाम दर्ज किया गया है। जोत चकबन्दी

आकार पत्र 45 कागज सौ- 91 ग/4 के अनुसार विवादित आराजी नयी

आराजी सौ- 291 रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा खाता सौ- 198 पर उत्तरी

बन विभाग मिर्जापुर का नाम अंकित है। भारतीय बन अधिनियम 1972

की धारा- 4, 5, 9, 8, 11, 18, 20, 26 व 27 तथा फारेस्ट कंजरवेशन

एक्ट 1980 की धारा- 2 में ऐसी व्यवस्था है जो उपरोक्त वर्णित धाराओं

पर की परिधि में आना सम्यक रूप से प्रभावी होगा तथा यदि कोई जमीन

बन विभाग में निहित हो चुकी है तो बन के उपयोग के अलावा उस जमीन पर

जमीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से नहीं किया जायेगा। वादिनी का अभिकथन

है कि वादिनी वादग्रस्त आपत्ति/ आराजी पर जमींदारी विनाश अधिनियम

लागू होने के पूर्व से वहेस्थित मालिक कार्रवाज देखित चली आ रही है। प्रस्तुत

वाद वादिनी के द्वारा वर्ष 1987 में प्रस्तुत किया गया है तथा बचद प्रस्तुत



करते वक्त अपनी उम्र 48 वर्ष बताई गयी है, उक्त के अनुसार वादिनी की जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के वाले वर्ष 1952 में उम्र 13 वर्ष आती है। वादिनी 13 वर्ष की अवस्था के हूँ पहले से ही वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज दखील होना अभिकथित करती है। वादिनी के द्वारा सूची 156 ग से जमींदारी के द्वारा निर्गत रसीदों की मूल प्रति वर्ष 1946-47-48 व वर्ष 1952 की दाखिल की गयी है जो पत्रावली पर कागज सं० 157 ग ता 157/4 के रूप में उपलब्ध है। उक्त अभिलेखों के इस तथ्य का उल्लेख है कि वादिनी सरस्वती देवी के द्वारा वर्ष 1946 से ही जमींदार श्रीमती राजकियारी को लगान अदा किया जाता रहा है अर्थात् वादिनी लगभग 8 वर्ष की मूल उम्र से ही वादग्रस्त संपत्ति का लगान अदा कर रही है। वादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी पी०डब्लू-2 श्रीराम ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि विवादित जमीन को पहले सरस्वती के पिता जोतते थे उसके बाद सरस्वती जोतती है यह जोतने - बोलने की बात वह बहुत पहले से जानता है ये लोग जमींदारी बूझ टूटने के पहले से जोतते बोलते चले आ रहे हैं। साक्षी पी०डब्लू-3 जल्लू ने जिसका बयान दिनांक 16-8-02 को दर्ज किया गया है, ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि वह इस जमीन का 45-50 वर्ष से सरस्वती का कब्जा देख रहा है अर्थात् इस साक्षी के अनुसार वह वादिनी को 13-14 वर्ष की अवस्था से जोतते बोलते देख रहा है। साक्षी पी०डब्लू-3 ने अपने बयान में यह भी अभिकथित किया है कि सरस्वती की यह जमीन उनके पिता के द्वारा मिली, वह उनके पिता का नाम नहीं जानता। साक्षी पी०डब्लू-4 श्रीराम जो कि वादिनी के ससुर भी है, ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि वादिनी व उसके पिता विवादित जमीन पर काबिज दखील रह कर बेती बारी करते थे। उसकी जानकारी में विवादित जमीन पर सरस्वती देवी का कब्जा कम से कम 50 वर्षों से है। साक्षी पी०डब्लू-4 श्रीराम ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि सरस्वती सरस्वती के पिता का नाम हरिदास था। हरिदास के पास कुल 15 बीघा जमीन था। हरिदास के मरे 15 साल हो गये। यहाँ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि साक्षी पी०डब्लू-4 श्रीराम का बयान वर्ष 2002 में अंकित किया गया है अर्थात् प्रस्तुत



करते वर्तमान वर्ष 1987 में तथा उसके पहले वादिनी के पिता हरिदास जीवित थे परन्तु किसी भी राजस्व अभिलेख में हरिदास के नाम की प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है जबकि साक्षी बी०डब्ल्यू-4 श्रीराम का अभिकथन है कि उक्त भूमि उसको उसके पिता के द्वारा प्राप्त हुई थी। वादिनी के द्वारा वर्ष 1987 में तहसीदार के द्वारा वादग्रस्त आस्तजी पर अपना नाम अंकित करावे जाने का आदेश पारित कराया गया तथा उसी वर्ष में प्रस्तुत वद दाखिल कर दिया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि उन व्यक्तियों को हक प्रदान नहीं करती जिनकी नाम अभिलेख में प्रतीत होती है तथा राजस्व अभिलेख या जमाबन्दी में प्रविष्टियाँ केवल वित्तीय प्रयोजन अर्थात् भू-राजस्व के भुगतान के लिए हैं और कोई स्वामित्व ऐसे प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व का सिद्ध करने में पूर्णतया असफल



है। सब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या वादिनी को वादग्रस्त संपत्ति पर कब्जा दबल है। वादिनी का अभिकथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर जोत डीकर फसल कांस्टे रख करती है। वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण ने तथा स्वयं वादिनी ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त संपत्ति पर नीम, शिशम, सागौन, इमली, महुआ, डेजवरी व परास आदिके जंगली वृक्ष हैं। वादिनी ने वाद पत्र में ऐसा कहीं भी अभिकथन नहीं किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया है तथा वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में वादिनी के द्वारा मात्र एक नीम का पेड़ प्रदर्शित किया गया है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त संपत्ति के पूरब, उत्तर एवं दक्षिण जंगल है तथा पूरब दिशा में सड़क है। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण डी०डब्ल्यू-1 कमलाशंकर एवं डी०डब्ल्यू-2 स्वयंवर प्रसाद ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर अभिकथित किया है कि विवादित जमीन पर वृक्ष नहीं होती है तथा जंगल विभाग के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है।

-15-

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी अपनी वादग्रस्तसमिति पर अध्यासन सिद्ध करने में असफल रही है। तदनुसार वाद विन्दु सं० 1, 2 व 4 वादिनी के विरुद्धनकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद विन्दु सं०-3

यह वाद विन्दु मूल्यीकरण व न्यायालय शुल्क से संबंधित है जिसका निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांक- 1-9-99 से किया जा चुका है जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

निस्तारण वाद विन्दु सं०-5

यह वाद विन्दु वाद को धारा- 80 सी० पी० सी से बाधित होने के सम्बन्ध में है। इस वाद विन्दु पर प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। अतः वाद विन्दु सं०- 5 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद विन्दु सं० 6

यह वाद विन्दु वाद को धारा- 34, 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित होने के सम्बन्ध में है। इस वाद विन्दु पर प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। अतः उक्त वाद विन्दु प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद विन्दु सं०- 7

यह वाद विन्दु धारा- 33। उत्तर प्रदेश जमीन विनाश अधिनियम से बाधित होने के सम्बन्ध में है। इस वाद विन्दु पर भी प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। अतः वाद विन्दु सं०- 7 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद विन्दु सं०-8

यह वाद विन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद धारा- 4, 20 वन अधिनियम से बाधित है। इस वाद पर भी प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। अतः वाद विन्दु सं०- 8 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद विन्दु सं०-8

यह वाद विन्दु वादिनी को प्राप्त होने व



- 176 -

हो चुका है कि वादिनी वादपत्र में किसी भी वांछित अनुतोष को प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। तदनुसार वाद बिन्दु सं०- 9 व वादिनी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णय किया जाता है।

~~निरस्त वाद वादपत्र बिन्दु सं० 9~~

उपरोक्त तथ्य परिस्थितियाँ मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय की विवेचना से न्यायालय इस अभिमत पर पहुँचती है कि वादिनी अपना वाद साबित करने में अक्षम रही है। अतः वादिनी का वाद संवय निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी का वाद संवय निरस्त किया जाता है।

दिनांक- 15.12.2011

Rai
15/12/11
पवन कुमार राय
सिविल जज जू० डि०
मुनार- मिर्जापुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हुने न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

दिनांक- 15.12.2011

Rai
15/12/11
पवन कुमार राय
सिविल जज जू० डि०
मुनार- मिर्जापुर।



सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक

जनपद न्यायालय-मीरजापुर

01-10-2022

2443000

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) चुनार मिर्जापुर।

उपस्थित: श्री पवन कुमार राय, पी०सी०एस०(जे०)

मूलवाद सं०: 305/87

श्रीमती सरस्तवती देवी उम्र 48 वर्ष स्त्री बिरजू सा० बेलखरा

अहरौरा तहसील चुनार जिला मिर्जापुर।

.....वादिनी।

बनाम

1. श्रीमान वन अधिकारी महोदय पूर्वी वन प्रभाग मिर्जापुर।

2. उत्तर प्रदेश बजरिए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
मिर्जापुर।

3. गांव सभा बेलखरा बजरिए ग्राम प्रधान बेलखरा परगना
अहरौरा तहसील चुनार जिला मिर्जापुर।

.....प्रतिवादिनी।

निर्णय

वादिनी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया है।

वादिनी के वाद पत्र का संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि वादिनी आराजी नं० 291 मि० रकबा 15 बिगहा जिसे संलग्न नक्शा बहरुफ च छ ज झ पर वादिनी जमींदारी विनाश के पूर्व बहैसियत मालीके काबिज दखील चली आ रहा है। और बराबर अपने हल बैल से जोतकर बोकर फसलकास्त करता है। वादिनी पूरी जमीन को बगरज सुरक्षा पत्थर के टुकड़ों से फेन्सींग किये है अभिलेखों में भी वादिनी का नाम दर्ज हो चुका है लेकिन प्रतिवादीगण के कुछ कर्मचारी अनुचित लाभ उठाने की दुर्भावना से वादिनी के दुश्मनों के बहकावे में आकर वादिनी की भूमि की नवैयत गढ़ा खोदने व पेड़ लगाने की धमकी देने लगे जिसकी शिकायत की गयी बल्कि आप विपक्षी ने ध्यान नहीं दिया तथा अपने कर्मचारियों को गलती पर और प्रोत्साहित किया। प्रतिवादीगण वादिनी के शांतिपूर्वक कब्जा दखल से हटाना चाहते हैं और बार बार शिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और दिनांक 01.09.87 को आप के कर्मचारियों ने साफ साफ कह दिया कि वे सब साहब के निर्देश पर चल रहे हैं तथा वादिनी को धमकी भी दिये। वादी द्वारा दाखिल करने

के पूर्व प्रतिवादीगण को बजरिए रजिस्टर्ड पोस्ट धारा 80 सी०पी०सी० की नोटिस दे दी गयी जिसका कोई जवाब नहीं दिया तब 60 दिन के उपरान्त दावा दाखिल किया गया। पक्षों के बीच दौरान चकबन्दी प्रक्रिया विवाद चलकर अंतिम तौर पर निर्णीत व फाइनल हो चुका है। पक्ष वाद कारण के विनाय पर दुराशय पूर्ण मजाहिमत प्रतिवादी कानूनन बिलाई और डिफेन्स प्रतिवादी धारा- 49 उ०प्र० चकबन्दी अधिनियम से पूर्णतः बाधित है। वादिनी द्वारा दिनांक 29.06.87 को वाद कारण उत्पन्न होना व्यक्ति करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बयान 32क प्रस्तुत कर वाद पत्र की दफा-1 ता 12 से इन्कार कल करते हुए कथन किया गया है कि हरगिज वादिनी भूमि सं० 291 मि०रकबा 15 बीघा पर जिसे वाद पत्र के नक्शे में च छ ज झ से दिखाया गया है पर जमींदारी विनाश पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दाखिल नहीं रही है न ही उसका कब्जा दखल उक्त भूमि पर है। वाद पत्रमें जो भूमि च छ ज झ से दिखाई गयी है वह भूमि सं० 291 मि० 15 बीघा नहीं है। वादिनी ने कोई जायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा०वि० दावा दाखिल करने के पूर्व नहीं दिया। वादिनी द्वारा कथित खसरा प्लॉट सं० 291 मि० मौके के अनुसार सं० खतरा प्लॉट सं० 327 मि० के अन्तर्गत पड़ता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति सं० 23(2)-95/14 ख-67 दि० 22-2-68 द्वारा आरक्षित बन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था विज्ञप्ति सं० 5924/14.02.20(47)-82 दिनांक 22.08.83 द्वारा आरक्षितबन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लॉट नं० 827 मी० के कुल 305 बीघा 11 बिस्वा क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है जिसका वन विभाग को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है इसके अतिरिक्त अन्य कथनों के आधार पर भी वादिनी का वाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रतिवादीगण की ओर से अतिरिक्त जवाब दावा 89क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादिनी द्वारा संस्थित

चकबन्दी न्यायालय का निर्णय आदेश दिनांक 10.02.63 की कोई जानकारी वन विभाग को नहीं थी। दिनांक 27.09.01 को श्रीमानजी के यहाँ नकल दाखिल करने पर सर्वप्रथम आदेश दिनांक 10.02.63 की जानकारी हुई। राजस्व अभिलेखों में उक्त आदेश का अमलदरामद भी नहीं हुआ है और नामान्तरण की कार्यवाही का बाधित हो गयी है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चकबन्दी अधिकारी तृतीय अहरोराका मु० सं० 58/309 सन् 1963 ता०फै० 10.02.63 बिलकुल फर्जी मनगढ़न्त है। वादिनी द्वारा वाद पत्रमें किये गये संशोधन के पश्चात् उ० प्र० सरकार को दफा- 80 जाप्ता दीवानी की नोटिस नियमानुसार पुनः देना आवश्यक हो गया हो। वादिनी पुनः नोटिस नियमानुसार पुनः देना आवश्यक हो गया है। वादिनी पुनः नोटिस देने से उन्मुक्त नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अन्यकथनों के आधार पर भी वादिनी का वाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं:-

1. क्या वादी विवादित भूमि का स्वामी है?
2. क्या वादी विवादित भूमि पर काबिज है?
3. क्या वाद अल्प मूल्यांकित एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या विवादित आराजी गाटा सं० 291 का अंश है?
5. क्या वपद धारा 80 सी०पी०सी० के अन्तर्गत नोटिस देने का अभाव है?
6. क्या वाद धारा- 3438 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
7. क्या वाद धारा- 331 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम से बाधित है।
8. क्या वाद धारा-4, 20 बन अधिनियम से बाधित है?
9. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

वादी की ओर से मौखित साक्ष्य के रूप में पी०डब्ल्यू 1 सरस्तवती देवी, पी०डब्ल्यू 2 विश्राम, पी०डब्ल्यू 3 जल्ली, पी०डब्ल्यू 4 श्रीराम को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी

साक्ष्य के रूप में सूची 9ग से खतौनी, खसरा व रजिस्ट्री रसीद की छाया प्रतियां सूची 31ग से न्यायालय तहसीलदार महोदय चुनार के आदेश दिनांकित 04.11.89 की सत्यापित प्रतिलिपि, सूची 99ग/1 व 99ग/2 से एक अदद असल मानचित्र मौजा बेलखरा, 9 अदद खसरा विभिन्न फसली वर्ष की प्रतियां व दो अदद प्रश्नोत्तरी बन्दोबस्त अधिकारी दिनांक क्रमशः 12.07.94 व 20.11.88 की सत्यापित प्रतिलिपि, एक अदद सत्य प्रतिलिपि प्रश्नोत्तरी श्रीमान/दफ्तर इंचार्ज मिर्जापुर। दिनांक 24.07.89 की सत्यापित प्रतिलिपि, दो बन्द सत्यापित नकल आदेश 10.02.63 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, अमीन, खसरा व एक अदद लगानी रसीद। सूची 156ग से 4 अदद पक्की रसीद व खसरा-खतौनी दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्ल्यू-1 कमलाशंकर, डी०डब्ल्यू-2 स्वयंवर प्रसाद को परीक्षित कराया गया है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 21ग से धारा-20 प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, उ०प्र० गजट 10 दिसम्बर, 1983 ई० अधिग्रहण, 191955 शक सम्बत भाग 1 की प्रमाणित प्रतिलिपि, धारा-4 प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि उ०प्र० गजट मई 1963 की प्रमाणित प्रतिलिपि, ग्राम बेलखरा पर अहरौरा त० चुनार जिला मिर्जापुर का नक्शे की सत्यप्रतिलिपि, वन तथा बंजर आदि क्षेत्रों की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणित उद्धरण खतौनी, तथा सूची से न्यायालय तहसीलदार चुनार मु० सं० 28 28/87-88 सरस्तवती बनाम वन विभाग तहसीलदार चुनार आदेश दिनांकित 23.01.89 को सत्यापित प्रतिलिपि तथा उपरोक्त न्यायालय में दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.09.87 की सत्यापित प्रतिलिपि सूची 90ग से 91ग/1 प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार सूचना मांगे जाने का प्रार्थना पत्र की छाया प्रति व अन्य कागजात दाखिल किया गया है।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति आराजीसं० 81मी० क्षेत्रफल 15 बीघा पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पहले से काबिज दखील है तथा वादिनी के नाम की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में

हो चुकी है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधिवक्ता आयुक्त की आख्या के द्वारा भी वादिनी के कथनों की पुष्टि होती है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादग्रस्त संपत्ति के सन्दर्भ में मालिकाना हक चकबन्दी न्यायालय से अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-49 से बाधित है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादिनी ने वाद पत्र में किये गये अभिकथन को अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य के द्वारा पूर्ण रूपेण सिद्ध किया है तथा वादिनी का वाद आजप्ति किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि वाद ग्रस्त संपत्ति वन विभाग की संपत्ति है तथा उक्त संपत्ति पर वन विभाग के द्वार वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने वाले फसली वर्ष 1359फ में वादग्रस्त संपत्ति बंजर के रूप में दर्ज थी तथा उक्त संपत्ति को वन विभाग हेतु आरक्षित कर दिया गया था। उक्त संपत्ति के संदर्भ में चकबन्दी न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त था तथा वादिनी के द्वारा चकबन्दी न्यायालय का प्रस्तुत आदेश दिनांकित 10.02.63 एक कूट रचित अभिलेख है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादिनी के द्वारा दाखिल खारिज की प्रक्रिया उक्त आदेश के लगभग 24 वर्ष बाद करायी गयी तथा उक्त आदेश के बारे में इसके पहले कभी भी कोई जानकारी नहीं थी तथा उक्त आदेश के सम्बन्धित मुकदमें की पत्रावली को गोस्वारे में दर्ज भी नहीं पाया गया है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादविनी ने अपने बयान में स्वयं स्वीकार किया है कि उसे चकबन्दी न्यायालय तथा तहसीलदार के न्यायालय में कोई कार्यवाहियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा वादिनी के द्वारा राजस्व अभिलेखों में कूटरचित आदेश के आधारपर प्रविष्टियां करा लि गयी। विद्वान सहायक जिला

शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि केवल वित्तीय प्रयोजन अर्थात् भू० राजस्व के भुगतान के लिए होता है ऐसी प्रविष्टि के आधार पर किसी को कोई स्वामित्व नहीं प्रदान किया जा सकता। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादग्रस्त संपत्ति को माननीय राज्यपाल महोदय राजकीय गजट में विज्ञप्ति के द्वारा आरक्षित बन घोषित कर दिया था परन्तु वादिनी के द्वारा उस पर कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रतिवादीगण ने अपना प्रतिवाद अभिलेखीय साक्ष्यवमौखिक साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया है तथा वादिनी का वाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 1, 2 व 4 वाद बिन्दु सं० 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित भूमिका स्वामी है। वाद बिन्दु सं० 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित भूमि पर काबिज है तथा वाद बिन्दु सं०- 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विवादित आराजी गाटा सं० 291 का अंश है। उपरोक्त वाद बिन्दु एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए उक्त वाद बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

वादिनी का अभिकथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति आराजी सं० 291मी० क्षेत्रफल 15 बीघा जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर च छ ज झ से प्रदर्शित किया गया है, की जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के पहले से मालिक व काबिज है।

प्रतिवादीगण का अभिकथन है कि विवादित जमीन वन विभाग की जमीन है तथा उससे वादिनी का कोई सम्बन्ध नहीं है। विवादित जमीन को पत्थर के दीवार से घेर कर उसमें वर्ष 1987 से वृक्षरोपण का कार्य किया जा रहा है। विवादित जमीन पर स्वामित्व बन विभाग का है तथा कब्जा भी है। वादिनी के

द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग से नकल इंतखाप खतौनी 1393 से 1398 फसली खाता सं० 65 तथा नकल इंतखाप खसरा आराजी सं० 291/2मि० रकबा 15बीघा का प्रस्तुत किया गया है। कागज सं० 10गव 11ग में यह तथ्य उल्लिखित है कि मुकदमा सं० 28 विविध न्यायालय तहसीलदार चुनार के आदेश दिनांकित 18.02.87 के द्वारा आराजी सं० 291 रकबा 15 बीघा पर से ग्राम सभा बेलसरा परगना अहरौरा पूर्वी बन विभाग का नाम निरस्त करके श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर भूमिधरी दर्ज किया जाय। इस आदेश के अनुपालन में राजस्वअभिलेखों में प्रविष्टि की गयी।

प्रतिवादीगण के द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 21ग से 5 अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त अभिलेख भारतीय बन अधिनियम की धारा- 4 तथा धारा 20 से संबंधित है। वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया खसरा प्लाट सं० 291 मी० मौके के अनुसार साबिक खसरा प्लाट नं० 827 मि० के अन्तर्गत पड़ता है जो भारतीय बन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति सं० 23-2-95/14-10-67 दिनांक 22.02.68 के द्वारा आरक्षित बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था विज्ञप्ति सं० 5924/14-02-20/47/-82 दिनांक 22.08.83 द्वारा आरक्षित बन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा 827 मि० कुल बन विभाग के कब्जे में है दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमति हैं कि आराजी सं० 827 का ही नया नम्बर 291/1 व 291/2 पड़ा है। प्रतिवादीगण के द्वारा कागज सं०-28ग मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आराजी सं० 827 का अधिग्रहण बन के रूप में उल्लेख है। 827 व 825 पर ही सड़क निर्माण का उल्लेख किया गया है कागज सं० 25ग में आराजी सं० 827/3/2 बीघा 11बिस्वा तथा आराजी सं० 827/2 15 बीघा उल्लिखित है। कागज सं०- 26ग उद्धरण खतौनी बेलसरा परगना अहरौरा फसली व वर्ष 1383 से 1386 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त नम्बर से बने गये नम्बर आराजी सं०- 291 रकबा 313 बीघा पर उत्तरी बन विभाग मिर्जापुर का नाम अंकित है तथा उक्त अभिलेख पर इस तथ्य का भी

उल्लेख है कि आदेश नोटिफिकेशन वन प्रभाग अधिकारी के द्वारा 827/1 पर पूर्वी वन विभाग प्रभाग दर्ज किया गया। वादिनी का अभिकथन है कि वादिनी जमींदारी विनाश अधिनियम लागू लाने के पहने से वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज दखील है। इस सन्दर्भ में 1359 फसली वर्ष का राजस्व अभिलेख अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जमींदारी विनाश अधिनियम उसी वर्ष में लागू हुआ था। पत्रावली पर कागज सं० 91ग/2 नकल खतौनी मौजा बेलखरा परगना अहरौरा फसलीवर्ष 1359 की सत्यापित प्रति उपलब्ध है। उक्त अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आराजी सं० 827/1 क्षेत्रफल 312 बीघा 11 बिस्वा तथा आराजी सं० 827/2 बंजर के रूप में दर्ज है। यदि वादिनी जमींदार विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व वाद ग्रस्त संपत्ति पर काबिज दखील होती तो 1359 फसली वर्ष के राजस्व अभिलेखों में उसके नाम की प्रविष्टि होनी चाहिए थी परन्तु उक्त अभिलेखों पर वादिनी के नाम की कोई प्रविष्टि नहीं है। वादिनी का यह अभिकथन है कि वादग्रस्त आराजी 827मी० रकबा 15 बीघा के संदर्भ में न्यायालय चकबन्दी अधिकारी तृतीयअहरौरा तहसील चुनार मिर्जापुर मुकदमा नं० 58/309 1963 सरस्वती बनाम सोन बन खण्ड मिर्जापुर धारा 9अ जोत चकबन्दी कानून में चकबन्दी अधिकारी ने आदेश दिनांकित 10.02.63 के द्वारा वादग्रस्त आराजी से गांवसभा व सोन वन खण्ड मिर्जापुर का नाम काटकर श्रीमती सरस्वती देवी वादिनी का नाम बतौर सिरदार अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया था तथा वन विभाग के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी तथा वादग्रस्त संपत्ति पर स्वामित्व चकबन्दी अधिनियम से बाधित है। उक्त आदेश की मूल सत्यापित प्रतिलिपि कागजसं० 10ग/2 पर यह तथ्य उल्लिखित है कि श्रीमति सरस्वती देवी ग्राम बेलखरा पर आराजी नं० 827 मी०/15 से जमींदार से पट्टा लेकर काबिज है और परगना अधिकारी चुनार ने ता० 2.2.59 को सिरदार दर्ज करने के लिए आदेश दिया है तथा उक्त आदेश के आधार पर ग्राम सभा एवं वन विभाग का नाम काटकर वादिनी का नाम अंकित

किये जाने का आदेश पारित किया गया है। वादिनी के द्वारा परगना अधिकारी के आदेश दिनांक 2.2.59 की कोई भी प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रतिवादीगण के द्वारा कागज सं० 91ग/1 के माध्यम से राजस्व अभिलेखागारमिर्जापुर से चकबन्दी न्यायालय के वाद सं० 58/309- 1963 सरस्वती देवी बनाम सोन बन खण्ड उत्तरी की पत्रावली के सन्दर्भ में सूचना मांगी गयी है तथा कागज सं० 91ग/1 पर यह तथ्य उल्लिखित किया गया है कि मौजा बेलखरा परगना अहरौरा तहसील चुनार सरस्वती बनाम सोन बन खण्ड उत्तरी मिर्जापुर मुकदमा सं० 58/309 धारा 9अ ता० फैसला 10.02.63 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी अहरौरा की पत्रावली गोस्वारा में दर्ज होना नहीं पाया जाता है। उक्त अभिलेख के विरुद्ध वादिनी के द्वारा कागज सं० 104ग/1 के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र पर दफ्तर इंचार्ज महोदय मिर्जापुर से इस आशय की सूचना मांगी गयी है कि क्या चकबन्दी के उपरोक्त वर्णित मुकदमें की पत्रावली उपलब्ध है। कागज सं० 104ग पर यह तथ्य उल्लिखित है कि उस मुकदमें की पत्रावली गोस्वारा के अनुसार 02.09.76 को विनिष्ट हो चुकी है। उपरोक्त दोनों अभिलेखों के प्रकाश में चकबन्दी न्यायालय का कथित आदेश दिनांकित 10.02.63 संदिग्ध हो जाता है तथा वादिनी का यह दायित्व बनता था कि वादिनी अपने कथन की पुष्टि राजस्व अभिलेखागार से सम्बन्धित गोस्वारे को तलब कराके करती परन्तु वादिनी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। वादिनी के द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उसके द्वारा आदेश दिनांकित 10.02.63 का क्रियान्वयन लगभग 24 वर्ष उपरान्त वर्ष 1987 में तहसीलदार न्यायालय में इतने विलम्ब से किन परिस्थितियों में कराया गया।

वादिनी सरस्वती देवी साक्षी पी०डब्ल्यू-1 ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि इस विवादित जमीन का मुकदमा तहसील व चकबन्दी में चला कि नहीं, यह उसके नहीं मालूम कि परगनाधिकारी चुनार के यहां इस बाबत कोई आदेश हुआ था या नहीं। साक्षी पी०डब्ल्यू-2 विश्राम ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि उसे उसे

जानकारी नहीं है कि सरस्वती देवी ने इस जमीन के बाबत चकबन्दी में मुकदमा कोई दाखिल की थी कि नहीं।

साक्षी पी०डब्ल्यू-3 जल्ली ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि चकबन्दी में कोई मुकदमा सरस्वती ने दाखिल किया था किनही व नहीं जानता साक्षी पी०डब्ल्यू-4 श्रीराम ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि बेलखरा गांव में चकबन्दी हुए 30-35 साल हो गया। चकबन्दी के समय चकबन्दी में सरस्वती ने कोई मुकदमा चलाया था या नहीं उसे नहीं मालूम। चकबन्दी न्यायालय के निर्णय के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है उसे यह जानकारी नहीं है कि एस०डी०एम० के न्यायालयमें कोई मुकदमा चला था। इस प्रकार वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षीगण ने चकबन्दी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के होने के सन्दर्भ में अनभिज्ञता बताई है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिवादीगण का यह अभिकथन है कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चकबन्दी अधिकारी अहरोरा का मुकदमा सं०- 58/309 1963 ता० 10.02.63 बिलकुल फर्जी एवं मनगढन्त है, सत्य विदित होता है। राजस्व अभिलेखागार मिर्जापुर की आख्या दिनांकित 03.01.02 कागज सं० 91ग/1 भी प्रतिवादीगण के कथन का समर्थन करता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सं० 827 जमींदारी विनाश के पश्चात बंजर दर्ज थी, जिसका कुल रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा था 1359 फसली की खतौनी खाता सं० 223 बंजर खाता में 827/2 रकबा 7 बीघा तथा खाता सं० 354 पहाड़ पर आराजी सं० 827/1 रकबा 313 बीघा 19 बिस्वा दर्ज है। उपरोक्त आराजी राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 05.11.66 को वन विभाग को हस्तांतरित की गयी जो 1372 फसली के वन एवं बंजर की सूची से स्पष्ट होती है। इस हस्तांतरण के पश्चात विज्ञप्ति सं० 1994/1-क67 दिनांकित 27.7.1667 द्वारा उपरोक्त आराजी की पुनः अधिग्रहण की विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी तथा विवादित आराजी दिनांक 19.10.67 राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त विज्ञप्ति का सन्दर्भ देते हुए अमलदरामद कर दी गयी जो कि 1369 से 1371

फसली के खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात राज्यपाल उ०प्र० द्वारा नियुक्त बन्दोबस्त अधिकारी मिर्जापुर द्वारा आरक्षितबन बनाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत घोषणा पत्र दिनांक 31.03.63 को जारी करके बेलखरा के ग्रामवासियों को सूचना दे दी गयी। वादिनी के द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में विवादित न्यायालय में विवादित आराजी के बाबत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी जिसका उल्लेख बन्दोबस्त अधिकारी इस ग्राम आरक्षितबन के विज्ञप्ति राज पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते समय रजिस्टर बी का उद्धरण किया है कि कोई वाद प्रस्तुत नहीं है उपरोक्त तथ्य सूची 21ग व 90ग के द्वारा दाखिल अभिलेखों से स्पष्ट होता है। इसी दौरान चकबन्दी अधिकारी द्वारा ग्राम रिकार्ड आपरेशन 1967 व मुताबिक 1374-75 फसली में किया गया तथा विवादित पुरानी आराजी सं० 827 की नयी आराजी सं० 291 रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा बनाया गया जो कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 कागज सं० 91ग/2 से स्पष्ट होता है कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 4 कागज सं० 91ग/3 के अनुसार विवादित नई आराजी सं० 291 रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा पुरानी आराजी संख्या 827 रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा से बनायी गयी है तभी विशेष वितरण कालम में जंगल विभाग का नाम दर्ज किया गया है। जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 कागज सं० 91ग/4 के अनुसार विवादित आराजी नयी आराजी सं० 291 रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा खाता सं० 198 पर उत्तरी वन विभाग मिर्जापुर का नाम अंकित है। भारतीय वन अधिनियम 1972 की धारा 4, 5, 9, 8, 11, 18, 20, 26 व 27 तथा फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 की धारा-2 में ऐसी व्यवस्था है जो उपरोक्त वर्णित धाराओं की परिधि में आना सम्यक रूप से प्रभावी होगा तथा यदि कोई जमीन वन विभाग में निहित हो चुकी है तो वन के उपयोग के अलावा उस जमीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से नहीं किया जायेगा। वादिनी का अभिकथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति/आराजी पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व से बहसियत मालिक काबिज

दखील चली आ रही है। प्रस्तुत वाद वादिनी के द्वारा वर्ष 1987 में प्रस्तुत किया गया है तथा वाद प्रस्तुत वक्त अपनी उम्र 48 वर्ष बताई गयी है, उक्त के अनुसार वादिनी की जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के वाले वर्ष 1952 में उम्र 13 वर्ष आती है। वादिनी 13 वर्ष की अल्पावस्था के पहले से ही वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज दखील होना अभिकथित करती है। वादिनी के द्वारा सूची 156ग से जमींदार के द्वारा निर्गत रसीदों की मूल प्रतिवर्ष वर्ष 1946-47-48 व वर्ष 1952 की दाखिल की गयी है जो पत्रावली पर काजग सं० 157ग ता 157/4 के रूप में उपलब्ध है। उक्त अभिलेखों के इस तथ्य का उल्लेख है कि वादिनी सरस्वती के द्वारा वर्ष 1946 से ही जमींदार श्रीमती राजकिशोरी को लगान अदा किया जाता रहा है अर्थात् वादिनी लगभग 8 वर्ष की उम्र से ही वादग्रस्त संपत्ति का लगान अदा कर रही है। वादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 विश्राम ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि विवादित जमीन को पहले सरस्वती के पिता जोतते थे उसके बाद सरस्वती जोतती है यह जोतने बोते चले आ रहे हैं। साक्षी पी०डब्ल्यू०-3 जल्ली ने जिसका बयान दिनांक 16.08.02 को दर्ज किया गया है, जो अपने बयान में अभिकथित किया है कि वह इस जमीन का 45-50 वर्ष से सरस्वती का कब्जा देख रहा है अर्थात् इस साक्षी के अनुसार वह वादिनी को 13-14 वर्ष की अवस्था से जोतते बोते देख रहा है। साक्षी पी०डब्ल्यू०-3 ने अपने बयान में यह भी अभिकथित किया है कि सरस्वती को यह जमीन उनके पिता के द्वारा मिली, वह उनके पिता का नाम नहीं जानता। साक्षी पी०डब्ल्यू०-4 श्रीराम जी की वादिनी के ससुर भी है, ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि वादिनी व उसके पिता विवादित जमीन पर काबिज दखील रह कर खेती बारी करते थे। उसकी जानकारी में विवादित जमीन पर सरस्वती देवी का कब्जा कम से कम 50 वर्षों से है। साक्षी पी०डब्ल्यू०-4 श्रीराम ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि सरस्वती के पिता का नाम हरिदास था। हरिदास के पास कुल 15 बीघा जमीन था। हरिदास के मरे 15 साल हो गया। यहां यह भी तथ्य उल्लेखनीय

है कि साक्षी पी०डब्ल्यू-4 श्रीराम का बयान वर्ष 2002 में अंकित किया गया है अर्थात् प्रस्तुत करते वक्त वर्ष 1987 में तथा उसके पहले वादिनी के पिता हरिदास जीवित थे, परन्तु किसी भी राजस्व अभिलेख में हरिदास के नाम की प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है जबकि साक्षी पी०डब्ल्यू-4 श्रीराम का अभिकथन है कि उक्त भूमि उसको उसके पिता के द्वारा प्राप्त हुई थी। वादिनी के द्वारा वर्ष 1987 में तहसीलदार के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना नाम अंकित कराये जाने का आदेश पारित कराया गया तथा उसी वर्ष में प्रस्तुत वाद दाखिल कर दिया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि उन व्यक्तियों को हक प्रदान नहीं करती जिनका नाम अधिकारी अभिलेख में प्रतीत होती है तथा राजस्व अभिलेख या जमाबन्दी में प्रविष्टियां केवल वित्तीय प्रयोजन अर्थात् भू० राजस्व के भुगतान के लिए है और कोई स्वामित्व ऐसे प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रही है।

अब न्यायालयको यह विचार करना है कि क्या वादिनी को वादग्रस्त संपत्ति पर कब्जा दखल है। वादिनी का अभिकथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर जोत बोकर फसल कास्त करती है। वादिनी के द्वारा प्रस्तुत में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त संपत्ति पर नीम, शीशम, सागौन, इमली, महुआ, डेलवरी व परास आदि के जंगली वृक्ष हैं। वादिनी ने वाद पत्र में ऐसा कहीं भी अभिकथन नहीं किया है कि उसके वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में वादिनी के द्वारा मात्र एक नीम का पेड़ प्रदर्शित किया गया है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त संपत्ति के पूरब, उत्तर एवं दक्षिण जंगल है तथा पश्चिम दिशा में सड़क है। प्रति के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण डी०डब्ल्यू-1 कमलाशंकर एवं डी०डब्ल्यू-2 स्वयंवर प्रसाद ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर अभिकथित किया है कि विवादित जमीन पर खेती नहीं होती है तथा जंगल विभाग के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी अपना वाद ग्रस्त संपत्ति पर अध्यासन सिद्ध

करनेमें असफल रही है। तदनुसार वाद बिन्दु सं० 1, 2 व 4 वादिनी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०- 3 यह वाद बिन्दु मूल्यांकन व न्यायालय शुल्क से संबंधित है जिसका निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.99 से किया जा चुका है जो इस निर्णय का अभिन्न अंश होगा।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०- 5 यह वाद बिन्दु को धारा 80 सी०पी०सी० बाधित होने के सम्बन्ध है। इस वाद बिन्दु पर प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। अतः वाद बिन्दु सं०-5 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०-6 यह वाद की धारा- 34, 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित होने के सम्बन्ध में है। इस वाद बिन्दु पर प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। अतः उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०-7 यह वाद बिन्दु धारा 331 उत्तर प्रदेश जर्मीन विनाश अधिनियम से बाधित होने के सम्बन्ध में है। इस बात बिन्दु पर भी प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। अतः वाद बिन्दु सं०- 7 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०-8 यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद धारा-4, 20 बन अधिनियम से बाधित है। इस वाद पर भी प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। अतः वाद बिन्दु सं०-8 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०- 8 यह वाद बिन्दु वादिनी को प्राप्त होने वा अनुभाष से संबंधित है। चूंकि वाद बिन्दु सं० 1, 2 व 4 के निस्तारण से स्पष्ट हो चुका है कि वादिनी वादपत्र में किसी भी वांछित अनुतोष को प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। तदनुसार वाद बिन्दु सं० 9 व वादिनी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

उपरोक्त तथ्य परिस्थियां मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय की विवेचना से न्यायालय इस अभिमत पर पहुँचती है कि वादिनी अपना वाद साबित करने में असफल रही है। अतः वादिनी का वाद निरस्तकिये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी का वाद सव्यय निरस्त किया जाता है।

दिनांक- 15.12.2011

ह०अ०

15.12.11

पवन कुमार राय

सिविल जज (जू०डि०)

चुनार मिर्जापुर

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

दिनांक- 15.12.2011

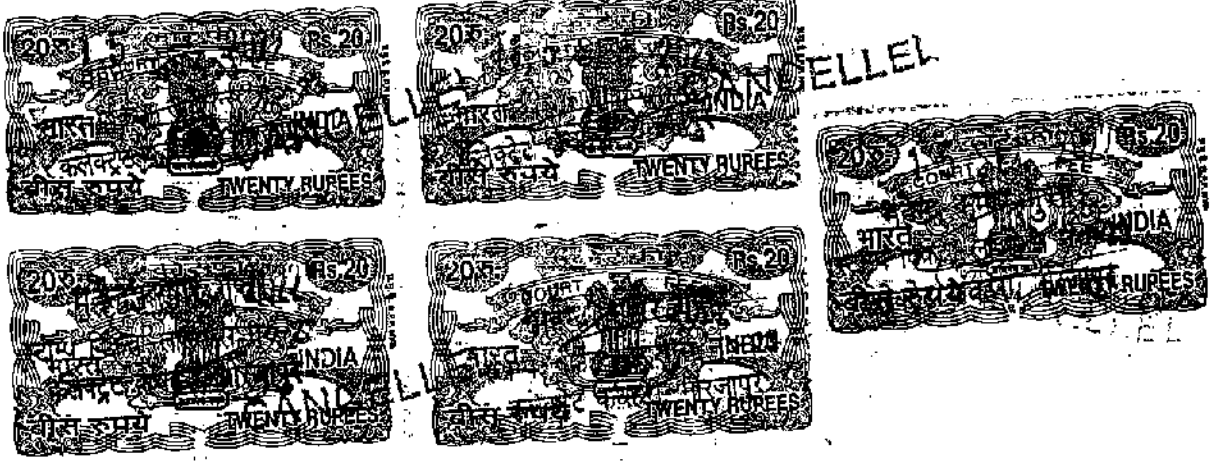
ह०अ०

15.12.11

पवन कुमार राय

सिविल जज (जू०डि०)

चुनार मिर्जापुर



केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accom- panied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
14 27/9/22 सुलतान सिंह सुन बाइस	01/10/22 एक दस दस सुन बाइस	01/10/22 एक दस दस सुन बाइस	10/10/22

19
27/9/22

भारत सरकार, न्याय विभाग (पास्का सफ्ट) / अपर जनपद न्यायाधीश

सिविल अपील नं० 09 सन 2012 ई. मीरजापुर
08.09.87

अपरस्वही देवी — बखान — तलाधिकारी कोरट



नकल दिष्टी (अवर न्यायालय)

संलग्न है

मूलवाद में अज्ञप्ति

(आदेश 20 नियम 7-6)

न्यायालय मिडिल-पेज प्रोसेसिंग स्थान जुम

जिला इतिहास

मूलवाच संख्या ३०५ | ६७

भत-दिनांक

मास

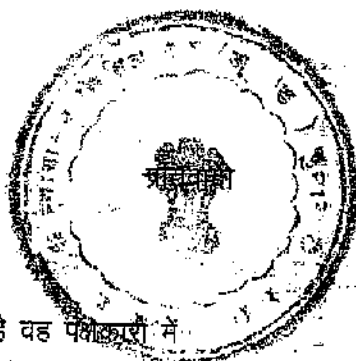
सन 200

लक्ष्मील पुनः चित्ता मीरजापुर

वैष्णव विनाय

प्रधान वन अधिकारी महोदय इले वन प्रभाग, जोरहाट

(इ) काँय सभा केतखरा बजारिपे ^{वस्नाम} शम स्याय केतखरा परगना ^{नाम} ^{नाम}



को छोड़कर:

टिप्पणी—जो पते ऊपर दिये गये हैं वह पेशेवरी में
जो उपस्थित नहीं हुए तामील के प्रयोजन से दाखिल किये हैं।

निषेधात्मक। सुत्पादन ४३-४४ के लिये दावा

(अ) यह कि तबरीय हूय उस्तायि कता की शक्ति दी वषा को मना मिया जाते हो वषा को
 न० २१। श्री० कला। १२ विजया वल्लभ चम दा जोडा ग्रन्थ में ह ३४४ विमानोद प्रकाश
 प्रकाश हूय लाहरी के मंडल वल्लभ में इलो शास मने में लाहरी ही उस्तायि कता
 मने में लाहरी ही उस्तायि कता मने में लाहरी ही उस्तायि कता मने में लाहरी ही उस्तायि कता

शारी के लिये श्री मदन सिंह (2) २०५०
और प्रतिवादी के लिये श्री नन्दलाल २०५०
को उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक १५-१२-०१/२०

अ. जा. को
अभिवक्तता

के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर यह आदिष्ट और अज्ञात किया जाता है कि—

चुनार मीरजापुर

आदेश

वादिनी का वाद सत्यम निरस्त किया जाता है।



और इस वाद के खर्च मददे
पर
द्वारा

रुपये की प्राप्ति आज की तारीख से ज्ञापन की तारीख
तक इस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित
की दो जाये।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के सहित आज दिनांक
को दी गई।

मास सन् २०० ई०
न्यायाधीश

आदेश दिनांक १५-१२-०१/२०

रिक्ती प्रिविजि दिनांक २१/१२/११

१६ मदनस्य का हस्ताक्षर २२/१२/११

(०२/१२/११)

(पवन कुमार राय)

२२/१२/११

1645

जोड़

जोड़

मुन्सरिम हस्ताक्षर

211244

वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

श्री जगन्नाथ राय
प्रतिवादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

पी०एस०यू०पी० (वा०) १ एच०सी०जे०-०९.०९.०९-१,००,००० (कम्प्यूटर/आफसेट)।

जैसे जलवायु बदलती है, आलावा हम जानें कि अन्य वास्तवों के
अनुसार भी हमें इसकी भी धारणा रखनी चाहिए। वास्तव में वास्तवों के
अनुसार ही हमें जानना है।

—उत्तरा १५ वि० ॥

जगत्

विभाग

जंमल वि.



सत्य प्रतिष्ठिति

प्रधान प्रतिलिपिक

जनसंघ न्यायालय-मीरजापुर

01-10-2022

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

(Under Section 151 of Code of Civil Procedure)

On behalf of

Smt. Saraswati Devi, wife of Birju, Resident of Belkahra
Pargana Ahraura, Tahsil Chunar, District Mirzapur

..... APPLICANT

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2021

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi, wife of Birju, Resident of Belkahra
Pargana Ahraura, Tahsil Chunar, District Mirzapur

..... PLAINTIFF/APPELLANT

VERSUS

1. Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van
Prabhag, Mirzapur
2. Uttar Pradesh Sarkar bajariye Shriman
Ziladhikari Mahoday, Mirzapur

3. Gaon Sabha, Belkhara bajariye Gram Pradhan,
Belkhara, Pargana Ahraura, Tahsil Chunar, Zila
Mirzapur

..... DEFENDANTS/RESPONDENTS

To,

The Hon'ble the Chief Justice and his other
Companion Judges of the aforesaid Court.

The humble application of the above named
applicants / plaintiffs, appellants

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the facts and circumstances of the case have been given in the accompanying affidavit, which forms a part of this Civil Miscellaneous Stay Application.
2. That in view of the facts and circumstances of the case given in the accompanying affidavit it is expedient in the interest of justice that during the pendency of the present appeal, this Hon'ble Court be pleased to stay: [a] the effect and

operation of the impugned judgment and decree impugned judgment and decree dated 16th September, 2022 passed by Sri Talewar Singh, Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur, passed in Civil Appeal no. 9 of 2012 - (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors*); and [b] the effect and operation of the judgment and decree dated dated 15th December, 2011 passed by Sri Pawan Kumar Rai, learned Civil Judge (Junior Division), Chunar, Mirzapur in Original Suit No. 305 of 1987 (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*) as otherwise the applicant (plaintiff / appellant) shall suffer irreparable loss and injury-.

P R A Y E R

It is, therefore, most respectfully and humbly prayed that during the pendency of the appeal above noted before this Hon'ble Court be pleased to stay: [a] the effect and operation of the impugned judgment and decree impugned judgment and decree dated 16th September, 2022 passed by Sri Talewar Singh, Additional District and Sessions

Judge / POCSO Act, Mirzapur, passed in Civil Appeal no. 9 of 2012 - (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*); and [b] the effect and operation of the judgment and decree dated dated 15th December, 2011 passed by Sri Pawan Kumar Rai, learned Civil Judge (Junior Division), Chunar, Mirzapur in Original Suit No. 305 of 1987 (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*), as otherwise the applicant (plaintiffs appellants) shall suffer irreparable loss and injury.

(Utkarsh Srivastava)

Enr. No. MAH/4941/2016

(Kalpana Sinha)

Enr. No. UP 5688 / 2017

A/Roll No. A/K 1234 / 2017

Counsel for Plaintiffs Appellants

76, Lawyers Chamber, High Court,
Allahabad

Dated: November/7/2022

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO.
OF 2022

(Under Section 151 of Code of Civil Procedure)

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2021

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: BAREILLY

Smt. Saraswati Devi, wife of Birju, Resident of Belkahra
Pargana Ahraura, Tahsil Chunar, District Mirzapur

..... PLAINTIFF/APPELLANT

VERSUS

1. Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van
Prabhag, Mirzapur
2. Uttar Pradesh Sarkar bajariye Shriman Ziladhikari
Mahoday, Mirzapur
3. Gaon Sabha, Belkhara bajariye Gram Pradhan,
Belkhara, Pargana Ahraura, Tahsil Chunar, Zila
Mirzapur

Vinod Kumar

..... DEFENDANTS/RESPONDENTS

AFFIDAVIT of Sri Vinod Kumar, aged
about 30 years, son of Viraju Ram, ,
resident of Ward No. 9, Ghampur,
Village Ahraura, District Mirzapur,
P.O. Ahraura, 231301.

Religion : Hindu

Profession : Agriculture.

Aadhar No. : 9906 9806 8080

(Deponent)

I the deponent named above do hereby
solemnly affirm and state on oath as under.

1. That the deponent is son of the plaintiff /
appellant and is doing pairvi on her behalf and
as such is well acquainted with the facts of the
case deposed to here in below.
2. That this is the first second appeal filed by the
plaintiff ./ appellant on the present cause of
action. The plaintiff / appellant has not filed any
other second appeal on the present cause of

Vinod Kumar

action either before this Hon'ble Court or before any other court.

3. That it is also being humbly submitted that the plaintiff / appellant has not been served with any notice of caveat on behalf of any of the defendants / respondents till date to oppose the prayer sought for in the present second appeal.

4. That by means of the present Second Appeal, the plaintiff / appellant (herein) seeks to challenge the impugned judgment and decree dated 16th September, 2022 passed by Sri Talewar Singh, Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur, passed in Civil Appeal no. 9 of 2012 - (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*) arising out of the judgment and decree dated 15th December, 2011 passed by Sri Pawan Kumar Rai, learned Civil Judge (Junior Division), Chunar, Mirzapur in Original Suit No. 305 of 1987 (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*) and allow the suit being Original Suit No. 305 of 1987 (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman*

Vinod Kumar

Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.).

5. That Original Suit No. 305 of 1987 was filed by the plaintiff *inter alia* seeking for a decree of permanent prohibitory injunction against the defendants respondents and / or their servants restraining them interfering with the possession of the plaintiff of the disputed Property or digging and changing the nature of the disputed Property or from planting trees or from removing the stone fencing erected by the plaintiff-appellant around the disputed Property.
6. That the facts giving rise to the above noted second appeal are as follows.
7. That the plaintiff - appellant is the sole owner of the plot bearing araji no. 291, admeasuring about 15 bighas ("**said Property**") and situated as demarcated in the map by "cha" "chha" "ja" "jha" which is hereto annexed and marked as Annexure No. 1 to the affidavit.

Nimrod Kumar

8. That the plaintiff - appellant has been in possession of the said Property since prior to the enactment of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and is the sole owner thereof. The said land used for agriculture purpose.
9. That in the proceedings being Case No. 58/30 of 1963 before the court of the Ld. Consolidation officer, Chunar, Mirzapur an Order dated 10.02.1963 was passed under Section 9 of the U.P. Consolidation of Land Holdings Act, 1953 in terms of which it was directed that the name of the plaintiff-appellant be added as 'Sirdar' in respect of the said Property which was earlier araji no. 827 after deleting the name of Gaon Sabha and "Son Van Khand".
10. That the Order dated 10.02.1963 passed by the Ld. Consolidation officer also referred to the earlier Order dated 02.02.1959 of the Parganadhikari, Chunar which had also directed that the name of the plaintiff-appellant be recorded as the 'Sirdar' of the said Property. A copy of the Order dated 10.02.1963 was passed by the court of the Consolidation Officer, Chunar

Mirzapur is hereto annexed and marked as
Annexure No. 1.

11. That thereafter, even in the revenue records, the name of the plaintiff-appellant was mutated in respect of the said Property.
12. That moreover, to properly demarcate the said Property and to prevent any interference / encroachment thereupon, the plaintiff-appellant had constructed a stone fencing around the said Property.
13. That however, the Respondents started interfering in the possession of the said Property and started threatening the plaintiff-appellant that they would dig and plant trees and on the said Property and even incited its officials to do the same.
14. That it was clear to the plaintiff-appellant that the respondents were attempting to dispossess her from the peaceful possession of the said Property as all complaints lodged by the

Niraj Kumar

plaintiff-appellant with the respondents went unheard.

15. That the attempt of the respondents to interfere with the plaintiff-appellant's possession and authority to use the said Property was entirely illegal.
16. That accordingly, notices under Section 80 of the Civil Procedure Code was issued to the respondents to which no response was received. After waiting for a period of 60 days thereafter, the was constrained to file the Original Suit No. 305 of 1987 before the court of the learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur. A copy of the plaint in Original Suit No. 305 of 1987 is hereto annexed and marked as Annexure No. 2.
17. That along with the suit, the plaintiff-appellant also filed an application under Order 39 Rule 1 for temporary injunction against the respondents (6 ga). A copy of the application for temporary injunction is hereto annexed and marked as Annexure No. 3.

Vinod Kumar

18. That further, the plaintiff-appellant filed an application before the learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur for appointment of a Commissioner for inspection of the said Property. The Commissioner so appointed submitted its report on 7th July, 1983. A perusal of the Commissioner's report dated 7th July, 1983 would reveal that except a neem tree there were no other trees located on the said Property. Further, it was also affirmed that the plaintiff-appellant was in possession of the said Property. A copy of the Commissioner's Report dated 7th July, 1983 is hereto annexed and marked as Annexure No. 4.

19. That by its Order, dated 10th September, 1987, the learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur was pleased to allow the '6 ga' application of the plaintiff-appellant and restrained the respondents from in any manner interfering in the said Property or plant any trees, pending the suit. A copy of the Order dated 10th September, 1987 passed by the learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur is hereto annexed and marked as Annexure No. 5.

Amud Kumar

20. That against the Order dated 10th September, 1987, the respondents preferred an appeal before the learned 4th Additional District Judge, Mirzapur being Appeal No. 82 of 1987. However, the learned 4th Additional District Judge, Mirzapur was pleased to dismiss the appeal in terms of its Order dated 16th February, 1991. A copy of the Order dated 16th February, 1991 passed by the learned 4th Additional District Judge, Mirzapur is hereto annexed and marked as Annexure No. 6.
21. That on 17th November, 1987, the defendants-respondents filed their Written Statement in Original Suit No. 305 of 1987. A copy of the Written Statement is hereto annexed and marked as Annexure No. 7.
22. That by its Order dated 5th August, 1999, the learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur framed the issues in the Suit. A copy of the Order dated 5th August, 1999 is hereto annexed and marked as Annexure No. 8.

Subscribed & sworn

23. That on 21st August, 1999 the plaintiff-appellant filed an application seeking amendment of the plaint which came to be allowed by the learned Civil Judge (Junior Division), Mirzapur in terms of its Order dated 23rd August, 1999. A copy of application dated 21st August, 1999 along with a copy of the Order dated 23rd August, 1999 are hereto annexed and marked as Annexure Nos. 9 and 10, respectively.
24. That the plaintiff-appellant moved another application for amendment of the plaint on 20th April, 2001 which was also allowed by the trial court. A copy of the amendment application dated 20th April, 2001 is hereto annexed and marked as Annexure No 11.
25. That thereafter, the trial in Original Suit No. 305 of 1987 proceeded and the appellant-plaintiff filed her affidavit of evidence as P.W. 1. Moreover evidence of 3 more witnesses were filed. The witnesses were thereafter cross-examined. The Affidavit of Evidence of the witnesses of the plaintiff-appellant along with the cross-examination notes is hereto annexed and collectively marked as Annexure No. 12.

attm. 1.

26. That evidence as led by the defendants-respondents and two witnesses were examined.
27. That the plaintiff-appellant preferred an application to bring on record agricultural receipts which came to be allowed by the learned court in terms of its 24th October, 2011.
28. That however, by its Judgment and Decree dated 15th December, 2011, the learned Civil Judge (Junior Division), Chunar, Mirzapur dismissed the plaintiff's suit being Original Suit No. 305 of 1987 (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*). Copy of the impugned judgment and decree has been annexed with the memo of appeal.
29. That aggrieved with the judgment and decree dated 15th December, 2011 passed by the learned Civil Judge (Junior Division), Chunar, Mirzapur in Original Suit No. 305 of 1987 (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*), the

plaintiff-appellant preferred an appeal being Civil Appeal no. 9 of 2012 - (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*) before the learned Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur.

30. That by the Order dated 25th January, 2012, the learned Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur was pleased to stay the effect and operation of the judgment and decree dated 15th December, 2011. A copy of the Order dated 25th January, 2012 is hereto annexed and marked as Annexure No. 13.

31. That however, by the impugned judgment and decree dated 16th September, 2022, the Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur dismissed the Civil Appeal no. 9 of 2012 - (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*). Copy of the impugned judgment and decree has been annexed with the memo of appeal.

Vinod Kumar

15. That the impugned judgments are arbitrary and have been passed without application of judicial mind.
16. That the impugned judgments failed to consider that the possession of the plaintiff-appellant on the said Property was clearly established by the Commissioner's report dated 7th July, 1983.
17. That the impugned judgments failed to consider that the Commissioner's report dated 7th July, 1983 recorded that except a 'neem' tree there were no other trees located on the said Property; as such the Respondents-Defendants' submission that there were several trees on the said Property and was thus a forest area, was completely belied by the findings contained in the report.
18. That the impugned judgments wrongly discarded the Order dated 10.02.1963 passed in Case No. 58/30 of 1963 by the court of the Consolidation officer, Chunar, Mirzapur under U.P. Consolidation of Land Holdings Act, 1953

Vinod Kumar

19. That the impugned Judgments are patently erroneous inasmuch as it ignores the certified copy of the Order dated 10.02.1963 passed by the court of the Consolidation officer, Chunar, Mirzapur in Case No. 58/30 of 1963.
20. That the learned trial court and the learned appellant court erred in dislodging the evidentiary value of the certified copy of the Order dated 10.02.1963 passed by the court of the Consolidation officer, Chunar, Mirzapur in Case No. 58/30 of 1963 by drawing negative inferences from oral testimonies.
21. That both the learned trial court and the learned appellant court have disregarded certified copy of the Order dated 10.02.1963 passed by the court of the Consolidation officer, Chunar, Mirzapur in Case No. 58/30 of 1963 only on the basis that in response to the RTI application filed by the respondents-defendants it was informed by the officer of the consolidation officer that there is no entry of aforesaid case in their records. However, the courts below failed to consider that in response to the RTI

Shri K. K. Sharma

application of the plaintiff-appellant it was specifically recorded by the officer of the consolidation officer that the said records were destroyed on 2nd September, 1976. Thus, the factum of Case No. 58/30 of 1963 was not in dispute and the courts below have wrongly failed to consider such evidence.

22. That while on the one hand the learned appellant court has held that the very fact as to whether any consolidation proceedings were held in the year 1963 was not proved, on the other hand, at paragraph 23 of the impugned judgment dated 16th September, 2022 it has held on the basis of documentary evidence that consolidation proceedings in respect of the said Property were held in the years 1963-64. There is thus an apparent contradiction in the findings of the learned court.

23. That finding of the courts below disbelieving the certified copy of the Order dated 10.02.1963 passed by the court of the Consolidation officer, Chunar, Mirzapur in Case No. 58/30 of 1963 merely on the pleading of the defendants-

Shri Anand Kumar

respondents that they were not aware of such consolidation proceedings is perverse.

24. That the finding of the learned courts below that the land bearing araji no. 827 was transferred by the revenue department to the forest department on 5th November, 1966 is not supported by any evidence.
25. That the learned courts below have disregarded the uncontroverted testimony of the witnesses led by the plaintiff-appellant about the plaintiff-appellant's possession of the said Property entirely on the basis of conjectures and surmises.
26. That the defendants-respondents failed to prove their pleadings set out in the written statement,
27. That the courts below failed to consider that the original suit was filed by the plaintiff-appellant on the basis of their possession over the said Property.

28. That the courts below failed to consider that the plaintiff-appellant cannot be dispossessed in the absence of appropriate acquisition proceedings being initiated under the provisions of Section 11 of the Forest Act.

32. That in view of the facts and circumstances of the case stated herein above it is expedient in the interest of justice that during the pendency of the present appeal, this Hon'ble Court be pleased to stay: [a] the effect and operation of the impugned judgment and decree impugned judgment and decree dated 16th September, 2022 passed by Sri Talewar Singh, Additional District and Sessions Judge / POCSO Act, Mirzapur, passed in Civil Appeal no. 9 of 2012 - (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*); and [b] the effect and operation of the judgment and decree dated 15th December, 2011 passed by Sri Pawan Kumar Rai, learned Civil Judge (Junior Division), Chunar, Mirzapur in Original Suit No. 305 of 1987 (*Smt. Saraswati Devi versus Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag, Mirzapur & Ors.*), as

otherwise the applicant (plaintiffs appellants)
shall suffer irreparable loss and injury.

I the deponent named above do
hereby solemnly affirm and verify that the content
of paragraph nos.
Of this affidavit are true to my personal knowledge;
those of contents of paragraph
nos.
..... of this affidavit are based on
perusal of papers on record; those of contents of
paragraph nos.
..... of this affidavit are based on legal advice which
the deponent verily believes to be true; those of
contents of paragraph nos.
..... of this affidavit are based
on information received which the deponent verily
believes to be true.

That no part of this affidavit is
false and nothing material has been concealed in it.

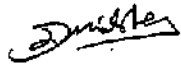
So help me God.

Vinod Kumar

Deponent

Vinod Kumar

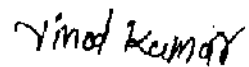
I, Laldhar Mishra, Clerk to Ms. Kalpana Sinha do hereby declare that the person making this affidavit is the same person and is known to me from the papers of the case

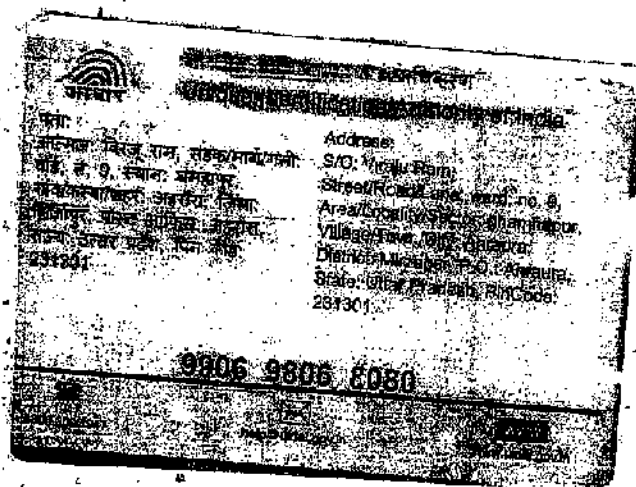
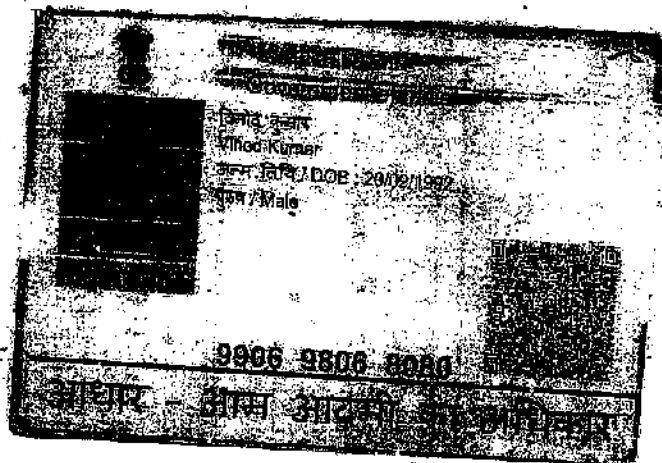

(Laldhar Mishra),
Clerk
Regd. No. L9/2009

Solemnly affirmed before me on that day 16 of November, 2022, at about 3:18 am/pm by the deponent who have been identified by the aforesaid advocate.

I, have satisfied myself be examined the deponent that he have understood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

OATH COMMISSICNER





Vinod Kumar

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - I

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

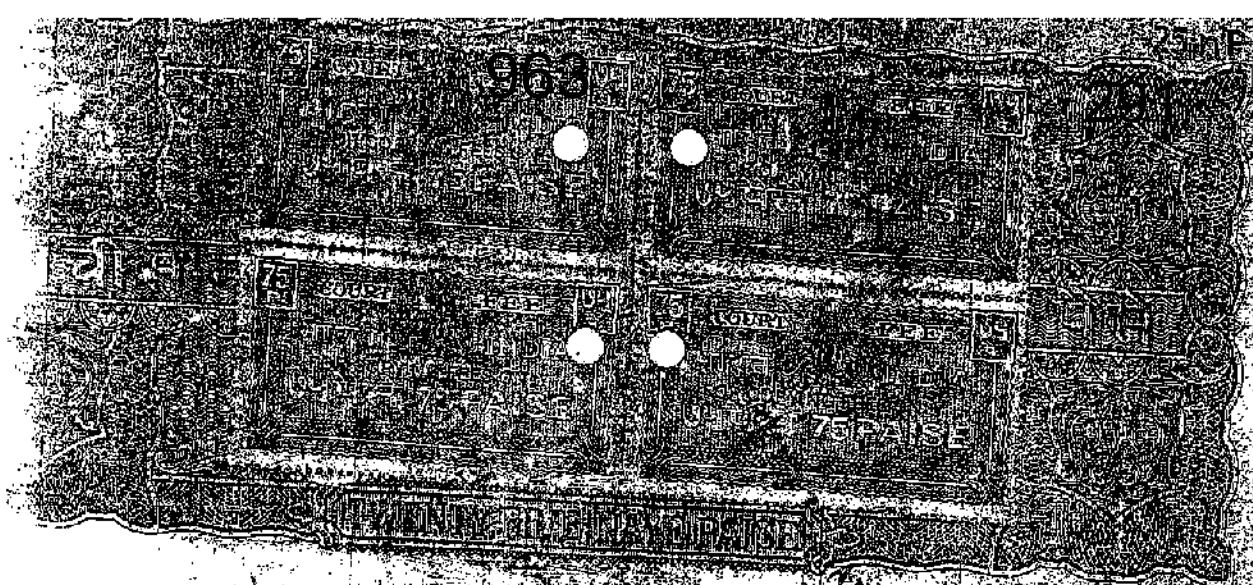
..... Plaintiff/Appellant

versus

*Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,
Mirzapur & Ors*

..... Defendants/Respondents

Atish Kumar

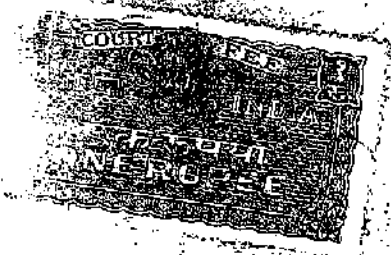


केवल नकल को पोस्ट के लिए

4.00 3.00
19/2/63

For what application for copy of notice by the applicant	For what notice by the notice board	Date of delivery of copy	Signature of official deliver- ing copy
किसके लिए नकल को पोस्ट के लिए	नोटिस बोर्ड पर नकल को पोस्ट के लिए	नकल पोस्ट दिवस नकल को पोस्ट	नकल पोस्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
12/1/63	19/2/63	19/2/63	

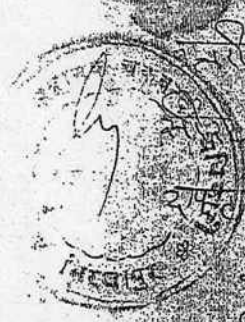
आचार्य - नकल आधीकारी के लिए अहमदाबाद चुगाट विधि
मु: न: 44/1/63 मद्र: 1/63
सरकारी नकल को नकल अहमदाबाद चुगाट विधि
द्वारा नकल पोस्ट करने के लिए नकल नकल
नकल पोस्ट अहमदाबाद चुगाट विधि
नकल अहमदाबाद 19/2/63



Vinod Kumar

आदेश नमूने में है। श्री विरजू साह बेहलकरा परगना अहमदाबाद जिले में आदेश नमूने में है कि जमिन बेहलकरा की आ-म-ह-द-र-म-द-न-री
 तगान 3/62 पर जमिनदा से परचा लेना कार्रवाई दायित्व है और
 परचा अधिकारी सुनाए जाय 2-2-53 को सीरदार दर्ज करने के
 लिए आदेश दिया है। परचु आदेश की अमल दरमद नरी
 हुआ है। उसे अमल दरमद करमा जाय। प्रधान व
 सौत वन यमुदहरी गीरजापुर को दिया गया। प्रधान व वन
 विभाग के अधिकारी को 3 आयसि नरी किया और बादी की
 बाए से बाए जीता बंला गया गया किया न 3 आयसि
 दायित्व नरी किया। इसी स्थिति में आदेश ल. 2-2-53
 को पालन करमा जयित है।

अति आदेश हुआ कि जमिन बेहलकरा परगना अहमदाबाद
 जिले में 3/62 तगान 3/62 से गोंय सया व सौत वन यमुद
 हरी गीरजापुर को जम 3/62 नरी आयसि नरी किया। श्री विरजू
 साह परचु नरी किया जाय। अमल दरमद के परचा दायित्व
 दायित्व है।



नकल जारी
 मिहमती - 2-2-53
 सब - 150

ह. अमल
 60 म.
 1-2-53

सत्यप्रतिपि
 पेशाकार
 A.C.O. III
 1-2-53

Vinod Kumar

24

उपरोक्त उद्धरण के खोजों की अनुसार शुद्ध एवं

हस्ताक्षर लेखपाल
श्रेष्ठ
दिवांक.....
५/८/८५

Vinod Kumar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
खेत की सं.	अंशफुल एकड़ में या बराबर	खेतों की संख्या	खेतों के माफ १ के वर्गीकरण के अनुसार खातेदारों के नाम	खेतों को माफ २ के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिवाई के रीति और कुर	खरीफ	रबि	जायद	करीब	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा
259	2-658	766	सरस्वती देवी	X	-	करीफ	रबि	जायद	करीब	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा	मौसमी खेती के अनुसार अंशफुल भूमि का व्योरा
19																				

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सच है अनुसार सुद्ध एवं सही है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कक्षरूप वसरा के अनुसार शुद्ध एवं सही है।

दिनांक

हस्ताक्षर लेखपात्र

क्षेत्र

2121

Wind Kennel

Ex - 21

A black and white photograph of a heavily worn, textured Indian one-rupee banknote. The note is tilted and shows significant signs of age and use, with the words 'INDIA' and 'ONE RUPEE' clearly visible. The texture is grainy and the colors are dark and mottled.

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सुनौती के अनुसार शुद्ध एवं सही है।

हस्तधर लेखपाल

६५

दिनांक 24-03-2024

2131v-c

Alfred Kubler

Vinod Kumar

Vinod Kumar

आदेश

प्रार्थना पत्र श्रीमती सरस्वती सा० बेलखरा परगना अहरौरा ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बेलखरा की आ०न० 827/15 मि० लगान 3/75 पर जमीनदार से पट्टा लेकर काबिज दाखिल है और परगनाधिकारी चुनार ने ता० 02.02.59 को सौरदार दर्ज करने के लिए आदेश दिया है परन्तु आदेश की अमलदमरद नहीं हुआ है। उसके अमलदमरद कराया जाय। प्रधान व सोन वन खण्ड उत्तरी मीरजापुर को दिया गया। प्रधान व वन विभागके अधिकारी ने कोई आपत्ति नहीं किया और वादिनी द्वारा फसल जोता बोया पाया गया किसी ने कोई आपत्ति दाखिल नहीं किया। ऐसी स्थिति में आदेश ता० 02.02.59 का पालन करना उचित है।

अतः आदेश हुआ कि ग्राम बेलखरा परगना अहरौरा खण्ड उत्तरी मीरजापुर का नाम काटकर श्रीमती सरस्वती देवी स्त्री बिरजू सौरदार अंकित किया जावे। अमलदरमाद के पश्चात् दाखिल दफ्तर हो।

नकल कर्ता- अ०

मिलानकर्ता-अ०

शब्द -150

ह०अस्पष्ट

C.O.III

10.02.63

//////सत्यप्रतिलिपि//////

Michael Kennedy

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - II

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

[Under Section 100 of Civil Procedure Code]

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

..... Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors.

..... Defendants/Respondents

Nihad Karmar

और प्रोस्टोटीत किया बदनीयती से आप हम वादनी के ममलूक: मकबूज: मिलितियत में दखलन दाजी दस्तन दाजी केले खल पैदा करना चाहते हैं

दफा 4- यह कि प्रतिवादी गण हम वादनी का सान्ती पूर्वक कब्जा दखल से हटाना चाहते हैं और बार बार तिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं । और दिनांक 1-4-87 को आप के कर्म चारीयों ने साफ साफ कह दिया कि स्वयं साहब के निर्देश पर हम लोग चल रहे हैं । और धमकी भी दिये ।

दफा 5- यह कि प्रतिवादी गण का यह काम अवैध है । कमी भी किसी प्रकार का कौअधीकार हम वादनी की जमीन मजकूरके इस्तेमाल करने में रूकावट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

दफा 6- यह कि प्रतिवादी गण अजराह जबरजस्ती बिना स्तहकात हम वादनी की जमीन पर खने खोदने व पेड लगाने पर अमादा है ।

और हम वादनी के कब्जा दखल में दखलन दाजी दस्तन दाजी करने में अमादा है इस लिये आप लोगों के खिलाफ अदालत दिवानी में वाबद

हू कुम इन्तनाई दवादी दावा दाखील करना अपरीहार्य हो गया है ।

क्यों कि बिना हुकुम अदालत के माने क ये नहीं ।

दफा 7- यह कि वादनी ने स्वयं व अपने आदमी प्रतिवादी गण हुक्म से सम्पर्क अस्थापित कर के गैर कानूनी व गैर कानूनी कार्य करने से बाज आने कि सिरासीस कि लेकीन वे मानने को तैयार नहीं हुये पर उनके खिलाफ दिवानी में दावा अपरीहार्य हुके*अ है ।

दफा 8- यह कि दावा दाखील करने के पूर्व प्रतिवादी गण को बजरीये 4/8-87 C.P.C. रजिस्टर्ड पोस्ट इसी आकृष की नोटीस दे दो गई जिसका कोई जबाब नहीं दिया

जिसे 60 दिन से अधिक होगया दावा दाखील किया जा रहा है ।

Ninod Kumar

दवा १- यह कि प्रतिवादीगण को विरुद्ध हुकुम इस्तनाई दवामी का

पृष्ठा 10. कह कि दिना-मुखासिमत नातिश हाजा वतारिख

जब वे लोग खरिदें कर्मचारी हम धादनी की जमीन पर खाने छोड़ने

को धमती देने लगे। दिनांक २४-६-८७ पादहु कर ~~सबसे~~ बतारील। देने

23/3/99 को समुकाम पेलखरा वा अहरोरा वा धुनार जिला मीरजापुर को पैदा हुई

य अदालत होना को शकx समायत का हक हासील है।

[illegible]

दफा 12- यादनी निम्न लिखित प्रतिकारों की याचना करती है।

अ- यह कि वजरीये हुकुम इम्तनाई दवाओ प्रतिवादी गण को मना किया जावे

पिन को वे आराजी नं० 291 मी० रकबा 15 बिगहा बहलु च छ ज झ ,

सुन्दरार्थ अर्चनालिस सु गमल्लकहः मकल्लः हम वादनी के कब्जा पत्रा मे हस्तेमाल

करने में प्रतिवादी गण ~~इस~~ स्वयं या अपने आदीनों द्वारा किसी प्रकार

से काबट दखन दाजी दस्तान दाजी नक़रे न करावे. न उसे खन खोद कर

उत्तको नपैयत बढ्दील करे न उत्तमे किछी प्रकार का कोई पेय लगावावे न हय

वादनी के घरे हुये पत्थर के फेन्चिल को हटाये न ही खर्चा करे ।

ब- यह कि खर्व मुकदमा की गरीब वादनी के खिलाफ प्रतिवादों गण बर्खास्त किए जायें।
साक्षिदर फर्माया जावे।

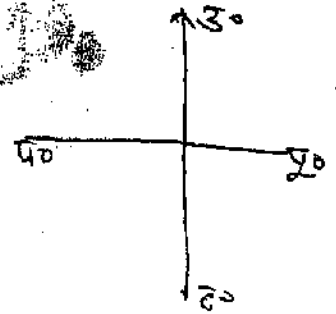
स- यह कि उपरोक्त दायित्वों का अभाव हम वादनी जोत

Vinod Kumar

141

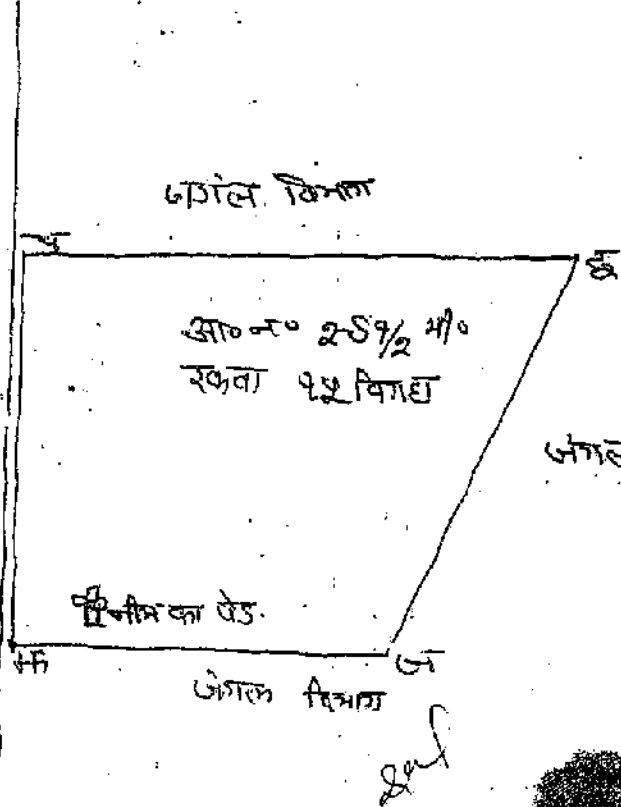
बादलों के मुस्तहक करार पाई जावे इसकी भी ठीगरी बहक वादनी के लीलाफ प्रतिवादी गण सादीर को नक़्शे में

नक़्शा नज़री



महाराष्ट्र के राज्य सरकार के

अधीनस्थ से शक्तिशाली के



हमारे प्राचीन इल्म में अर्द्ध नालीस हाजा का कुल मजसुन दफात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, का सब व सही है । लिख ता मुकाम दिवानी कचहरी मीरजापुर।
दिनांक 1891-7-07

लिखता

लिखता

mod summary

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - III

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

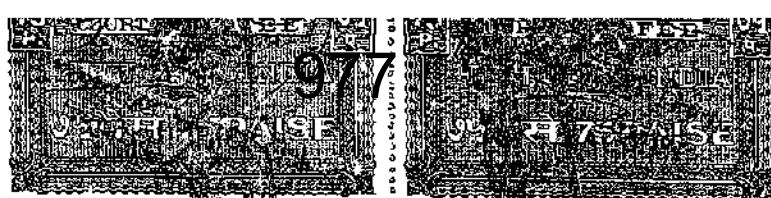
..... Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors

..... Defendants/Respondents



श्री भगनमान मुसिफ महोदय मीरजापुर

मु० नं०

सन् 87

श्री माहि सरस्वती देवी बनाम

पूर्वी वन-प्रभु मीरजापुर

दख्खान्त मीनजानिब श्री माहि सरस्वती देवी वादनी मार्फत श्री शोभनाच नि
रडोकेट ।

श्री मानू जी

साधन्य निवेदन है कि हम वादनी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा वापत हुकुम इम्तनाई दवामी वापत न करने मजारीहत मदाखिल हम वादनी के आ० नं० 291 मि 0 स्कबा 15 वि० ग व० स० च० ज० इ० इस आ० का दाखिल किया है कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने आदमीयो द्वारा किसी भी प्रकार का खन खोद कर उसकी नवैयत को न बदले व नही किसी भी प्रकार का पेड लगावे व नही वादनी द्वारा पत्थर के टुकड़ो द्वारा किये गये फेसिंग को तोड़ फोड़ कर नष्ट ही करे । प्रतिवादीगण सरकारी कर्मचारी हैं उनको दावा दाखिल करने की पूरा जानकारी हो गयी है । इसलिये वे-जल्द ही उस जमीन की नवैयत का तवदील कर देना चाहते हैं यदि वे अपने फेल वेजा मे सफल हो गये तो मुकदमा नक्सद ही चसुदहो जाये गा । ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण के खिलाफ दौरान मुकदमा मुकदमा वा फैसला हुकुम इत्तनाई दवामी का जारी होना जरूरी एवं लागूमी है । वैलेन्स आफ कीन्वेयन्स भी हम वादनी के पक्ष में है ।

अतः श्री मानू जी से निवेदन है कि दौरान मुकदमा वा फैसला मुकदमा प्रतिवादीगण को जारीये हुकुम इम्तनाई दवामी मना किया जाये कि वे स्वयं या अपने एजेन्टो द्वारा आ० नं० 291 मि 0 स्कबा 15 वि० ग व० स० च० ज० इ० मे किसी भी प्रकार का खन खोद न करे व नही उसमे किसी भी प्रकार का पेड हो लगावे व नही

Nimod Kumar

306

1-7-87 ई०

402

सदर
गजरी

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ

आ. नं. २०१/२ गी.
रकवा १५ कि.मी.

अंगुलि विमोचन

पि-मि-का-पु

पुणे जिल्हा विभाग

Feb 20 1944
H. B. 144

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - IV

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT :: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

..... Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors

..... Defendants/Respondents

Vinod Kumar

न्यायालय मुन्सिफ मी लापुरा

वाद सं. ३०४

सन् १९८७ ई०

श्रीमती स स्वामी देवी— बनाम— बन व विकास, पूर्वी प्रसाद मी लापुरा

रिपोर्ट अधिवक्ता वायुक्त :-

श्रीमान्जी,

सविनय निवेदन है कि उपरोक्त वाद में श्रीमान् जी के आदेशानुसार वकील कामेशन नियुक्त होकर दिनांक २-७-८७ ई० को १० अजे टिम वादिनी के प्रति बिस्व के साथ विवादित स्थल का निरीक्षण एवं नोटिस ताकिनी का कार्य किया। विवादित स्थल को नक्शा नजरी में बहाल-फ-क, ह, ग, व, कदारों से प्रदर्शित किया गया है जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है। विवादित स्थल के पश्चिम उतर एवं दूरत एक लगभग तीन फिट ऊंचा कौरे पत्थर की बुनाई की गयी है। विवादित स्थल में वदिना तरफ से दो तिहाई हिस्से में छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कलें गाटा बन्दी की गयी है। कौरे उतर तरफ एक तिहाई हिस्से में जमीन कुछ ऊंची नीची है। विवादित स्थल में एक पेड़ भी है। इसके अतिरिक्त दो तीन वृक्ष उबरी हिस्से में हैं। हरफा क से लगभग ३७५ फिट पर पश्चिमी तरफ ५ फिट का रास्ता है मौके पर बहुत से उपरिक्त लोगों में बतलाया कि रास्ता बन्दी का है।

अतः रिपोर्ट भग्न नक्शा नजरी के श्रीमान् जी की सेवा में अवलोकनाय प्रेषित है।

संलग्नक कागजात

१- नक्शा नजरी

२- रिट

३- नोटिस की तीन प्रति

४- प्राथमा पत्र द ग

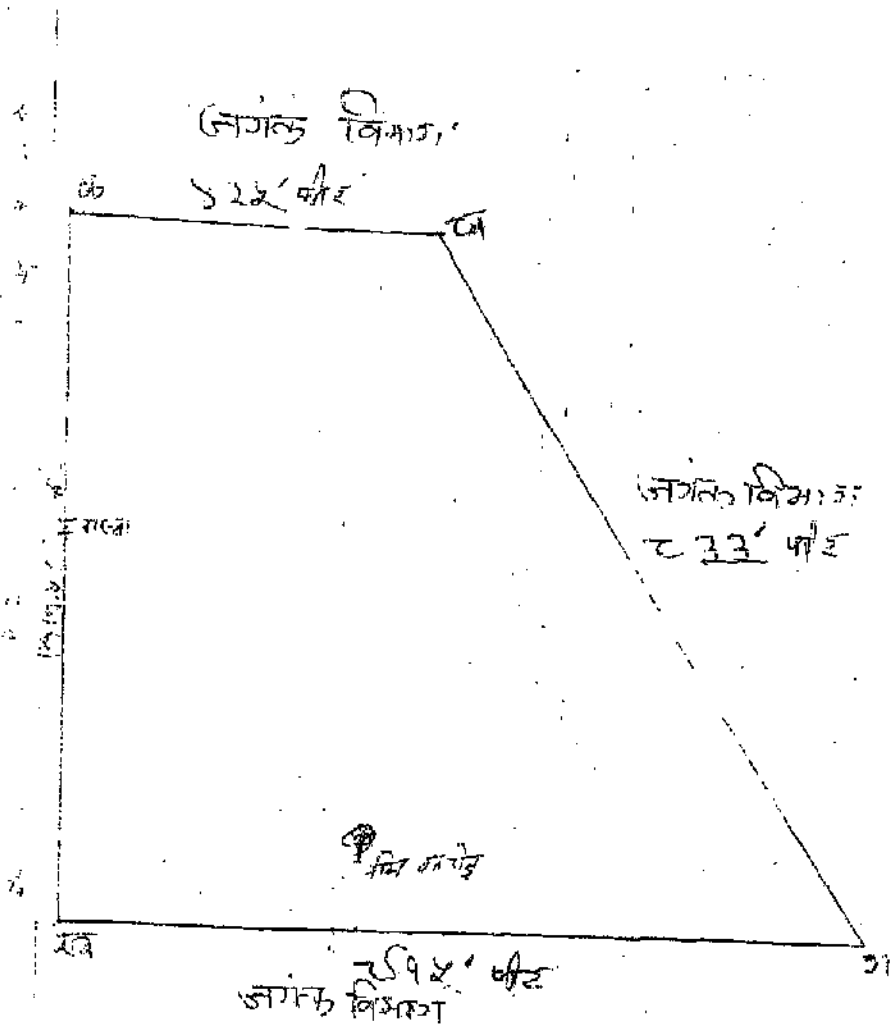
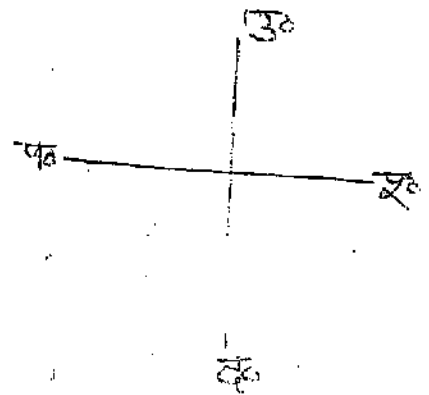
M. S. Khan
7/7/87

मस्त राम यादव रहवायेटा।

Nihal Kumar

नाद सा. ३०५ पृ. २७५.

जो माते सरस्वती देवी बनाम बन हांदिनाई २००३ मिलाई



आधिन्याय आबुन 7/2/05

Vinod Kumar

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - V

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

..... Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors

..... Defendants/Respondents

Vinod Kumar

जयप्रियमय मुद्रिक मिर्जापुर।

प्रीतिदीन - श्री आरंभोत्तम, मुद्रिक

कुल बाद ६० ३०५ म ८७

श्रीमती सरस्वती देवी

बनारस

बन आदिआरी व अन्य

आदेश प्रार्थनापत्र ६ म

६ म प्रार्थनापत्र श्रीमती सरस्वती देवी की तरफ से इस आशय का दिया गया है कि उक्त यह बाद प्रार्थनादीन का के विरुद्ध रखाई निर्याता प्रार्थना करने के प्रस्तुत किया है। प्रार्थना का कहना है कि आरंभ ६० २९१/२ मिन्नुमना रखा १५ बीटा जो वास्तव के साथ संलग्न नदर में व, उ, न, र के रूप में दिखाया गया है जो का वह मातृक व काव्य है। प्रार्थना का कहना है कि प्रार्थनादीन के विरुद्ध रखाई निर्याता प्रार्थना कर दिया जाय जिससे वह स्वयं प्रार्थना अपेक्षादीन का हारा किमी मां प्रारंभ में उपरोक्त जमीन पर जान बांध न करे न उसके विरुद्ध में पारवर्तन करे न पेशावे लगावे। वादिनी द्वारा बनाई गई अस्थाई बीहदनी प्रार्थना को नोट कर न करे। प्रार्थना ने यह मां कहा है कि प्रार्थनादीन शासकीय कर्मचारी हैदराबाद देवदानी जमीन प्रार्थना जमीन पर जान बांध करके कब्जा कर लेना चाहते हैं।

प्रार्थनादीन को नोट कर दिया गया। प्रार्थनादीन

उपरोक्त आदेश तथा उक्तों के आधार पर प्रस्तुत किया। आधार १९ म मय बापटा पर २० म तथा उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आधार २८ म प्रस्तुत की गयी है।

वादिनी ने अपने कटान के समर्पण में 6 न प्रदर्शनापत्र के साथ 7 न
 शपथ पत्र तथा लिस्ट 9 न में नकल इस्तिलाफ आतीनी 1393 से 1398
 तक की आता नं० 165 तथा नकल इस्तिलाफ आता आताजी नं० 291/2
 मिश्रित रकवा 15 बीटा का प्रस्तुत किया।

काम नं० 10 न व 11 न में यह तथ्य उल्लिखित है कि मुनं० 28
 विनिर्देश न्यायालय तहसीलदार आता के आदेश दिनांक 18-2-87
 आता आताजी नं० 291 रकवा 15 बीटा परसे नाम सभ्य के आता
 परमना आताजी से प्रकीर्ण विनिर्देश का नाम निरस्त करके श्रीमती
 सरस्वती देवी का नाम बतौर आता दर्ज किया जाय। इस आदेश
 के अनुपालनमें रावस्व आता के में प्रविष्ट की गयी तथा आता के
 आता आताजी नं० 291/2 रकवा 15 बीटा आता नं० 165 पर
 श्रीमती सरस्वती देवी का कला रचनाया तथा 15 बीटा आताजी
 में बजरी की फल बोई गई दिखती है।

इन प्रलेखों को ध्यान में प्रतिवादीगण की तरफ से 19 न
 नय शपथ पत्र 20 न के साथ जो आपत्ति प्रस्तुत की गयी है, उसके
 समर्पण में 21 न लिस्ट से पांच प्रलेख प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी
 गण का कहना है कि प्रदर्शनापत्र 6 न का नकल के विरुद्ध है। प्रदर्शनी
 का कोई प्रमाण इसी प्रलेख में नहीं है बलवत् है, सुविद्या का आता भी
 वादिनी के पक्ष में नहीं है और न ही अस्तित्व निष्पत्ति जारी न
 करने से प्रदर्शनी को कोई आपूर्णनीय हानि होगी। प्रतिवादीगण का

Vinod K.

-3-

कि यह भी कहना है कि एट्टर 80 जटोवीओ अटिगियम के अक्षर
प्रतिनिधि के देहा नोटिच दावा प्रस्तुत करने के पूर्व नहीं दिया है
नएट्ट अदेश 27 नियम 5 एजटोवीओ अटिगियम के प्रतिवेष्टान के
अक्षर राज्य सरकार को पहा मुकदमा नहीं बताया गया है ।

अदेश 27 नियम 5 ए जटोवीओ अटिगियम के अक्षरान में
वादिना के अपने वाद को संशोधित कर लिया है तथा राज्य सरकार
को पहा मुकदमा बताया जा चुका है। अतः यह तथ्य बलवीन हो जाता
है । एट्टर 80 जटोवीओ अटिगियम के सम्बन्ध में प्रतिनिधि लिस्ट
12 व से रसीद पोस्ट ऑफिस प्रस्तुत किया है जिसके अक्षर जिल्लाधिक
निर्वाह को रजिस्टर्ड पर का भोजा जाता प्रारम्भिक रूप से लिख है ।
प्रतिवादीगण का यह भी कहना है कि भारतीय वन अटिगियम के
प्रतिवेष्टान तथा उद्योगजीवदारी उन्मूलन अटिगियम की एट्टर 33
के प्रतिवेष्टान के अक्षर इसलवालय को वाद के श्रवण का अधिकार
नहीं है।

वादिना द्वारा प्रस्तुत की गयी अक्षरान नं० 291 निम्नलिखित
मौके के अक्षरानाधिक अक्षरान नं० 827 निम्नलिखित के अक्षरान
पहा है जो भारतीय वन अटिगियम की एट्टर 4 के अक्षरान विनियम
नं० 23:2:-95/14-51-67 दिनांकित 22-2-68 द्वारा अक्षरान
वन वनयोजना के प्रस्तावित एट्ट तथा विनियम नं० 3924/14-2-20/
47-82 दिनांकित 22-8-83 अक्षरान वन एटिगियम को पहा

Amal Kumar

जा चुका है। उपरोक्त विधायक के अनुसार कटित उत्तरा पत्र

नं० 827 मिन्जुमता के क्रम 305 बांटा 11 विस्वा होन बन विभागा

के कले में है। विवादिता जमीन बन विभागा की जमीन है और

उससे वादिनी का कोई सम्बन्ध नहीं है। विवादिता जमीन बन विभागा

की हैनटा पट्टर की दीवार से और कर उसी वर्ग 87 में बुहारोपण

का कार्य किया जा रहा है। वादिनी ने कोई सम्बन्ध होना नहीं बताया है।

विवादिता जमीन पर स्वामित्व बन विभागा का है तथा कले

की है। अतः अदालत विवादिता का प्रमाणपत्र 6 न निरस्त कर

दिया गया।

प्रतिवादीगण ने लिस्ट 21 न से जो पाँच प्रलेख प्रस्तुत किया है

वह प्रारम्भिक बन अधिनियम की धारा 4 तथा धारा 20 जो

धारा 20 से सम्बन्धित है जिसका कि पूर्णविवरण आपत्तपत्र में

दिया जा चुका है और जिसके सम्बन्धमें कुछ किया जा चुका है।

कागज नं० 22 न में आराजी नं० 827 मिन्जुमता 305 बांटा 11 विस्वा बन

विभागा में निहित होने का उल्लेख है। दोनों ही पक्ष इस बात पर

सहमत हैं कि आराजी नं० 827 का ही नया नं० 291/1 तथा 291/2

पक्ष है। प्रतिवादीगण ने कागज नं० 28 न प्रस्तुत किया है जिसमें

आराजी नं० 827 का उल्लेख है लेकिन यह उल्लेख नहीं है कि आराजी

827 का अधिनियम समग्र रूप से किया गया है। आराजी नं० 827

Vinod Kumar

-5-

37

अंतर 825 पर ही सड़क विभाजन का उल्लेख अंक-2 प्रस्तुत किया गया है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि 827 तथा 825 व 824 नम्बर से सम्बन्धित विभाजन हुआ। जमाना नं० 25 व नं० आराजगी नं० 827/1 312 विद्वत् 11 विद्वत् तथा आराजगी नं० 827/2 15 बीघा उत्पन्नित है। यह प्रकृत एवं प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत किया है। जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि आराजगी नं० 827 के दो भाग हुए। 827/1 तथा 827/2। यदि नं० 827/2 परतत नम्बर और नया नम्बर 291/2 15 बीघा पर अपना स्वामित्व सिद्ध करता बताती है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकृत से यह सिद्ध है कि आराजगी नं० 827/2 नया नम्बर 291/2, 15 बीघा से बल विभाजन को छोड़कर उत्तराधिकार नहीं है।

इस मुकदमे में न्यायालय के आदेशानुसार जमीन काटा किया गया। कमिश्नर महोदय ने अपनी रिपोर्ट 17 व नया नम्बर 17/2 प्रस्तुत किया। कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार विवादित जगह में पश्चिम उत्तर एवं पूर्व तरफ लगभग 3 फीट ऊँचाई पर पट्टार का खुदाई की गयी है तथा दक्षिण तरफ 2/3 हिस्से में छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित करके गाटा बन्दों की गयी है और उत्तर तरफ की जमीन उँची की गयी है। विवादित स्थान पर एक पेड़ भी तट्टा उत्तरी हिस्से में 2,3 फीट और है।

कमिश्नर की रिपोर्ट से यह तथ्य सिद्ध है कि विवादित जमीन पर

वादिनी का कब्जा है और वह विभाग की तरफसे पुनर्प्राप्ति से

सम्बन्धित कोई कार्य न तो प्रारम्भ किया गया है और न ही इसका

कोई प्रमाण है ।

6. प्रादेशीय न्याय अदालत के सम्बन्ध में वादिनी के विरुद्ध

अधिवक्ता न्याय राज्य की तरफसे जिला शासकीय अधिवक्ता की लम्बी

बहस सुनी गयी ।

राज्य की तरफसे ए०एस० न० 1979, पेज 54 इसीबगुफ का बिलान सेवक

आदेश अती के मान्य निर्णय का उद्धरण प्रस्तुत किया गया। मैंने मान्य

निर्णयको पूर्णस्वीकृत पठा । तथ्य की भिन्नता के कारण उपरोक्त

मान्य निर्णय प्रस्तुत प्रसंग में प्रभावी नहीं है। माननीय न्यायालय

ने अस्थाई निर्णयों का आदेश पारित करने के सम्बन्ध में एक सिद्धान्त

प्रतिपादित किया है । वह सिद्धान्त सम्पूर्ण रूप से मान्य है लेकिन

वर्तमान प्रकरण में तथ्य भिन्न हैं ।

पुनः प्रतिवादीगण की तरफसे ए०आई० न० 1965 पेज 310

लक्ष्मीबनन यातकी का मान्य निर्णय भी प्रस्तुत किया । उपरोक्त मान्य

निर्णय में भी आदेश 39 नियम 2 सी०पी०सी० के सम्बन्ध में कए

सिद्धान्त की व्याख्या की गयी है। यह उपरोक्त तथ्य प्रस्तुत प्रकरण

में विचारणीय है । तथ्यों के सम्बन्ध में व्याख्या के समय उपरोक्त

Nhood Kumar

-7-

उपरोक्त मान्य निर्णय प्रमाणिक होगा ।

शुभ: इंडियन कार्बेट ऐक्ट 1972 की धारा 4, धारा 5 तथा
धारा 9 धारा 11 धारा 18 तथा धारा 20 और धारा 26
व धारा 27 तथा कार्बेट कन्जर्वेशन ऐक्ट 1980 की धारा 2

का भी उल्लेख प्रस्तुत किया गया । जैसे उपरोक्त धाराओं को पूर्ण
खुला पड़ा है। यह एक विरिध व्यवस्था है जो उपरोक्त धाराओं

धाराओं के विरिध में होने पर सम्यक रूप से प्रभावित होगा । इसी प्र
कार कार्बेट कन्जर्वेशन ऐक्ट 1980 की धारा 2 के अन्वय में भी

यह न्याय निर्णय करता है कि यदि कोई जमीन बन विभाग में

निर्दिष्ट हो चुकी है तो बन के उपयोग के अभाव में जमीन का
उपयोग प्रभाव प्रकार से नहीं किया गया।

वाणिज्य की तरफ से आल इंडिया रिपोर्ट 1982 वाल्यूम

17 पेज 742 पर उक्त मन्त्रालय मन्त्राली बनाम वातावरण के मान्य
निर्णय का उद्धरण प्रस्तुत किया गया ।

यह भी आदेश 39 नियम । सी.पी.सी.ओ.के प्रसंग में
है। माननीय उच्चतम न्यायालय यह अवधारणा व्यक्त किया
है कि यदि किसी जमीन पर दोनो पक्षों का कब्जा दिखता है
और एक पक्ष सम्पूर्ण जमीन पर कब्जा करके निर्माण करता रहता
है उस विरिध में अदालत निर्णय प्रदान कर दिया जाता है।
अन्यथा यदि केवल निर्माण तक बड़ा ही दायीय व

Arvind Kumar

प्रासंगिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

उपरोक्त मान्य विनियमों के परिप्रेक्ष्य में तथ्य के सम्बन्ध से चर्चा करना आवश्यक है। सर्वप्रथम तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आराजी नं० 291/2

15 बीघा जिसका कि पुराना नम्बर 872/2 हटा से प्रतिवादीगण का कोईवास्तव सरोकार नहीं है। ऐसा उन्हीं के प्रदेष्टा 25 न तहसील अथवा प्रदेष्टा से रिक्र है। ऐसी स्थिति में आराजी नं० 291/2 के स्वाधित्व व कब्जा के सम्बन्धों वादियों का कब्जा स्वाभाविक व सत्य है।

प्रतिवादीगणों को तत्काल यह तर्क दिया गया कि कानून नं० 10 न से जो तहसीलदार चुनार का आदेश है वह अवैत है। अतः उसे साक्ष्य में नहीं पठा जाय।

मे जिन्हा शासकीय अधिकारों के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ।

कारण कि कानून नं० 165 पर पूर्वा बम विभाग का नाम दर्ज हटा

होकि तहसीलदार ने अपने आदेश में आराजी नं० 291 पर से नाम सनाम

का नाम कट कर वादियों का नाम दर्ज करने का आदेश दिया।

स्पष्ट है कि 291 नम्बरों 15 बीघा छोड़कर शेष पर पूर्वा बम विभाग

का नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित जमीन से प्रतिवादीगण

का कोई सम्बन्ध नहीं निकलता। तदनुसार वादियों का कब्जा प्रमाण

दस्तावेजों के आधार पर स्वाधित्व के सम्बन्धों

रिक्त होता है।

दूसरा तथ्य जो विचारणीय है वह यह है कि मुविहटा का हटार

Vinod Kumar

-9-

My 11

39

किस पक्ष में है।

यदि विवादिता जमीन के स्वामित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण
वादिनी के पक्ष में है ऐसी स्थिति में सुविष्टा का प्रतिर वादिनी के
पक्ष में ही है।

अतः प्रतिवादी गण का यह कहना है कि अटर्नी नं. 291/
विवादिता जमीन नहीं है बल्कि वह कहीं और है वह सम्पूर्ण साक्ष्य के
अटर्नी पर निष्कर्ष का बात है। तबरेन डंग से इस कथन पर
विश्वास करके वादिनी के प्रत्यक्ष साक्ष्य को अविवशत नहीं माना
जा सकता।

नीचे तर्क यह विचारणीय है कि क्या अटर्नी ही निष्कर्षात्
प्रमाणित न किसे जाने से वादिनी को अपूर्णनीय बताने होगी।

इस सम्बन्ध में प्रतिवादी गण का यह तर्क है कि विवादिता
जमीन पर वे कूटारोपण कर रहे हैं। यदि यह बात वादिनी के पक्ष
में प्रमाणित हुआ तब वे अपने बूझ बाट लेंगे। ऐसी स्थिति में
वादिनी को अपूर्णनीय बताने नहीं होगी।

यह कोई तर्क नहीं है। वादिनी अतीर प्रामाणिक है। अतः
उसके स्वामित्व और कब्जा से उसे विवादिता कब्जा का सीधा मतलब
है कि उसे अपूर्णनीय बताने हो और अपूर्णनीय बताने के सम्बन्ध में
यह नहीं कहा जा सकता कि अपूर्णनीय बताने अवश्य मतलब के ही

Arvind Kumar

10 -

रूप में हो । यदि वादिनी को कब्जा से बाधित किया जाता है तब उसे प्रत्यक्षा और परोक्षा दोनों ही रूप में अपूर्णनीय क्षति होगी । कारण कि विवादित जमीन के उपयोग से वह बाधित रहेगी । ऐसी स्थिति में यहतथ्य भी वादिनी के पक्ष में ही ज्यादा है।

उपरोक्त वधि अदालत पर मेरा यह निष्कर्ष है कि विवादित जमीन के सम्बन्ध में अदालत निष्पक्षता प्रदर्शित किया जाना न्यायोचित है।

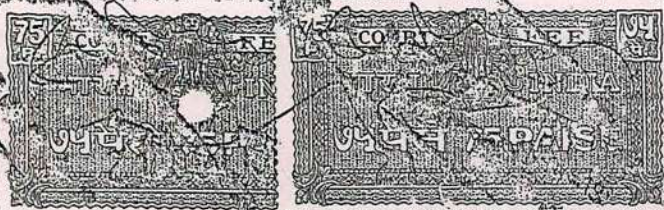
आदेश

माहानामा 6 न स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि दरमियान मुकदमा के विवादित जमीन पर किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप न करें और न वृक्षारोपण करें ।

दि० 10-9-87

Sd/-
आरोक्षी मिश्र
मुन्सिफ, मिर्जापुर।

प्रमाण स्वीकृत संजीव विमल
लाभा शुल्क :- ₹ 1500



vinod Kumar

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - VI

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

..... Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors

..... Defendants/Respondents

Vinod Kumar

न्यायालय जलथी अतिरिक्त जलप्रद न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थित: श्री आर०डी०सिंह "एव०जे०एस०"

उत्तर प्रदेश सरकार अपीलार्थी/प्रतिवादीगण।

बनाम

श्रीमती सरस्वती देवी व अन्य रेस्पान्डेन्ट/वादिनी।

प्रकीर्ण अपील संख्या - 82 सन् 1987।

निर्णय

यह प्रकीर्ण अपील उत्तर प्रदेश सरकार एवं डिप्टी जनरल कमरेस्ट अपसर पूर्वी वन विभाग, मीरजापुर की तरफ से अन्तर्गत आदेश-43 नियम-1(आर०) सी०पी०सी० विद्वान् मुन्सिफ, मीरजापुर के आदेश दिनांकित- 10.9.1987, के बिबद्ध प्रस्तुत की गयी है। विद्वान् मुन्सिफ, मीरजापुर अपने आदेश के अन्तर्गत 6-ग प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है।

6-ग प्रार्थना पत्रमें श्रीमती सरस्वती देवी की तरफ से क है और उसमें प्रतिवादीगण के बिबद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प प्रार्थना की गयी है। वादिनी/रेस्पान्डेन्ट के तरफ से कहा गया कि आराजी नम्बर-291/2, मिलजुमिला जिसका रकम 15 डि जौ जादपत्र में अक्षर च छ ज छ से दिखाया गया कि वह है और उस पर काबिज है और यह प्रार्थना की गयी है कि प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण व उनके आदिमियों को कर द्वारा रोक दिया जाय कि वे इस जमीन पर न खाते ह कोई पेड़ लगावें। प्रतिवादीगण की तरफ से इनमें की गयी है। आपत्ति 19-ग है जिसका सपथ प उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपत्ति 28-ग पर वादिनी/रेस्पान्डेन्ट अपने प्रार्थना पत्र 6-ग के साथ पत्र और लिस्ट 9-ग से इन्तखाना फातौनी 1393

16/11/87

Vinod Kumar

:3:

22/10/91
20

इस रिपोर्ट के अनुसार बिनादित जगह में उसके परिचय उत्तर और
पूरब तरफ 3 फिट पूरे पत्थर की चुनाई की गयी है और दक्षिण
तरफ छोटे-छोटे टुकड़े में गाटाबन्दी की गयी है और उत्तर तरफ
की जमीन उंची नीची है। बिनादित स्थल पर एक पेड़ नीम व एक
पेड़ आम है। रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि बिनादित जमीन
पर वादिनी का कब्जा है और वन विभाग की तरफ से कोई इसमें
वृक्षारोपण का कार्य प्रारम्भ नहीं है। रेस्पान्डेन्ट/वादिनी
की तरफ से जो ^{कगजात} ~~पुनर्जाति~~ दाखिल किया गया है उससे स्पष्ट
है कि आराजी नम्बर 29 1/2 15 बिगहा पर उसका स्वामित्व और
कब्जा है। तहसीलदार ने आराजी नम्बर- 29 1/2 पर से ~~आराजी~~ ^{आराजी}
का नाम काट करके वादिनी/रेस्पान्डेन्ट का नाम दर्ज करने का आदेश
दिया है और कगजात से यह भी स्पष्ट है कि 29 1/2 नम्बर पर
15 बिगहा छोड़ करके शेष पर वन विभाग का नाम दर्ज है। इन सब
कगजातों से यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला रेस्पान्डेन्ट/वादि-
नी के पक्ष में बनता है। दूसरी तरफ यह देखना है कि सुब्बा का
सन्तुलन किसके पक्ष में है। मेरे विचार से इस आराजी पर चूक
कब्जा वादिनी/रेस्पान्डेन्ट का है और अगर प्रतिवादीगण को
अस्थायी रूप से रोक नहीं जायेगा तो ज्यादा क्षति वादिनी/रेस्पान्डेन्ट
को होगी। इस तरह से सुब्बा का सन्तुलन वादिनी/रेस्पान्डेन्ट के
पक्ष में है। जहां तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है वह भी वादिनी/
रेस्पान्डेन्ट के पक्ष में है क्योंकि अगर अस्थायी तौर पर वादिनी को
कब्जे से अचित किया जायेगा तो उससे स्थाविक रूप से अपूर्णनीय
क्षति वादिनी/रेस्पान्डेन्ट को होगी। ऐसी परिस्थिति में अपील में
कोई जल नहीं है और अपील खारिज होने योग्य है।

आदेश:-

अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।
दिनांक- 16.10.91.

Ram
16/10/91

आराजी 0डी 0 सिंह
चतुर्थ अति 0 जनपद न्यायाधीश
मोहरा पुरा

Vinod Kumar

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - VII

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

..... Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors

..... Defendants/Respondents

Yimod Kumar

न्यायालय मुम्बई-मिरजापुर

बाद सं० 305/87

तरखती बनाम बन बिभाग व अन्य

लिखित जिवेदन मिर्जापूर राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा भू-भागों
बनाधिकारी भूमी मिरजापुर व भू-भागीय बनाधिकारी भूमी मिरजापुर
वन भू-भाग मिरजापुर प्रतिवादोंगा मार्फत श्री विजय बहादुर सिंह
ओ०जी०सी० सिविल मिरजापुर।

दषन-1- यह कि दषन 1 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।
यह कि दषन 2 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।
यह कि दषन 3 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।
यह कि दषन 4 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।
यह कि दषन 5 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।
यह कि दषन 6 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।
यह कि दषन 7 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।
यह कि दषन 8 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।
यह कि दषन 9 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।
यह कि दषन 10 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।
यह कि दषन 11 बाद पत्र का कथन अस्वीकार है।
यह कि दषन 12 बाद पत्र का कथन मय मागे गये
प्रतिकारों के पूर्णतया अस्वीकार है। बादिनी किसी
भाँति प्रतिकार के जाने की अधिकारिणी नहीं है,
दबा बादिनी मय छार्चों के निरस्त होने योग्य है।

अतिरिक्त कथन

दषन-2- यह कि दावा बादिनी कानून-ब-असली तथ्यों के बिना
है। तथा अतः कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया
है जो मय छार्चों के निरस्त होने योग्य है।

दषन-3- यह कि हरगिज बादिनी भूमि अध्या 29। मि० ख०
की धारा 47 के अन्तर्गत नवरो 4 व 5 के अन्तर्गत
गया है मय जमीन्दारी विनोद के पूर्व से बतौर मय मागे गये

[Signature]

कमरा-2

Alfred Kumar

[2]

काबिज दखाल नहीं रही है, न ही उसका कच्चा दखाल उक्त भूमि पर है।

दफा-4- यह कि बादिनी या उसके पूर्व उसके पूर्वजों का नाम कागजात माल में कभी दर्ज नहीं था न ही। बादिनी का कथन मुन्दजे दफा 1 व 2 बादबन्धन के अन्तर्गत निराधार है।

दफा-5- यह कि बादबन्धन के नक्शों में जो भूमि च, क, ज, झ, ञ ने दिखाई गई है वह हरगिज भूमि संख्या 291 सि० 15 बीटा नहीं है। बादी का कथन असत्य एवं निराधार है।

दफा-6- यह कि बादिनी को कोई धारणी किसी प्रकार की नहीं दी गई। बादिनी ने सरकारी वन-भूमि को हड़पने की नियत से कागजात में वर्गीकृत करके असत्य-थनों के आधार पर दावा दाखिल कर दिया है जो मय खार्च के निरस्त होने योग्य है।

दफा-7- यह कि बादिनी ने कोई जायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा० द० दावा दाखिल करने के पूर्व नहीं दिया है। दावा बादिनी इस आधार पर निरस्त होने योग्य है।

दफा-8- यह कि धारा 34, 38 व 41 स्पेशल रिजर्व ऐक्ट के प्राविधानों के अनुसार बादिनी कभी निषेधाज्ञा की डिग्री बाने की जाहिकारिफ्त नहीं है। दावा बादिनी मय खार्च के निरस्त होने योग्य है।

दफा-9- यह कि बादिनी का नाम कागजात माल में नहीं है। दावा बादिनी भारतीय वन अधिनियम के प्राविधानों से बाधित है।

दफा-10- यह कि तत्पर प्रोजेक्ट की धारा 33 के प्राविधानों के अनुसार न्यायालय की मुदना के सुनवाई का अधिकार हासिल नहीं है।

दफा-11- यह कि बादिनी बिबादित भूमि की मालिक व काबिज नहीं है, उसे कोई दावा दाखिल करने का हासिल नहीं है।

दफा-12- यह कि बादिनी द्वारा कथित खासरा प्लॉट सं० 291 सि० माके अनुसार सं० खासरा प्लॉट सं० 827 सि० के अन्तर्गत पड़ता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विनियमित सं० 23/2 - 95/14-ख-67 दि० 22-8-68 द्वारा आरक्षित वन आये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विनियमित सं० 5924/14-2-20/47 - 82 दि० 22-8-83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विनियमित के अनुसार कथित खासरा प्लॉट सं० 827 सि० के कुल 305 बीटा 11 बिस्वा क्षेत्र-वन बिभाग के कब्जे में है जिसका वन विभाग को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। धारा 2 भारतीय वन अधिनियम के अनुसार बादिनी को कोई दावा हासिल नहीं है।

दफा-13- यह कि बादिनी द्वारा नक्शों नक्शा में अंकित क्षेत्र वन विभाग की भूमि है। बादिनी का उक्त भूमि से कोई दावा सरकारी न तो रहा है न ही है।

vinod kumar

320/3

33

दण-14- यह कि प्रश्नगत क्षेत्र बन बिभाग की भूमि है जिसे बत्थर की दीबाज से छोड़कर उसमें बर्षा 87 की बर्षा में बुझासोवण कार्य किया जा रहा है। बादिनी द्वारा उक्त क्षेत्र में कोई बत्थर की दीबाज की छोड़ना नहीं की गई है। बादिनी का कथन असत्य व निराधार है।

दण-15- यह कि बन बिभाग को प्रश्नगत क्षेत्र का भू-स्वामित्व प्राप्त है तथा उसी आधार पर काबिज दखल रखकर शांतिपूर्ण ढंग से बुझासोवण कर रहा है। बादिनी का उक्त भूमि से कोई वास्ता सरोवर नहीं है। बादिनी ने गलत तौर पर प्राथमिक पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का दाखिल करके न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करके उन बिभाग के कब्जा दखल में अवरोध कर रही है। न्यायालय के अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के विरुद्ध पोल की जा चुकी है जो विचाराधीन है।

दण-16- यह कि बादिनी ने इस मुद्दे में इन्तखाम आतानी 1394 यो

दाखिल किया उसके आधार पर यह जानकारी तहसिलदार चनार द्वारा कोई विविधा बाद आयम करके गलत तौर पर बादिनी का नाम दर्ज करने का आदेश हो गया है जिसमें राज्य सरकार उत्तर प्रदेश या उन बिभाग कोई बकायार नहीं आ न हो नोटिफ प्राप्त हुई। उक्त आदेश बिना अख्तियार राज्य एक बकायार एवं धर्मी है जिसके आधार बादिनी को कोई हक पैदा नहीं हो सकता। बिभाग को और से न्यायालय तहसीलदार के उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु प्राथमिक दिये गए है जो विचाराधीन है।

दण-17- यह कि बादिनी ने दावा की मास्त्रियत कम दिखाई है दावा को ने अबमूल्यन दोष है तथा कोई भी कम अदा किया गया है।

दण-18- यह कि बादिनी ने भारतीय उन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार धारा 4 के प्रकाशन के बाद कोई जाबस्ति पत्र या क्लेम दाखिल नहीं किया था। धारा 5, 9, व धारा 23 भाओवओ के प्राविधानों के अनुसार कोई हक किसी किस का पैदा नहीं हुआ है। तहसीलदार चनार को कोई अधिकार बन भूमि से बनबिभाग का न करने व बादिनी का नाम दर्ज करने का दाखिल नहीं आ। बादिनी नाम कोई बंधानिक इन्दराज कागजात माल में नहीं है। दावा का निरस्त होने योग्य है।

दण-19- यह कि बर्रेट कन्जरवेशन ऐक्ट 1980 के प्राविधानों के अनुसार बादिनी को बिबादित भूमि में कोई अधिकार दाखिल नहीं है। दावा की मय छर्च के निरस्त होने योग्य है।

प्रवर्ग 05/03/10 श्री वास्तव
बिभागीय बन अधिकार
पूजा मिश्र वरुण का प्रमाण, सिव

Nirhod Kumar

3285

मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त लिखित
विषयों का कथन दण-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,अंशतः
16,17, अंशतः 18 अभिलेख रिपोर्ट व अंशतः 16 अंशतः 18 व 19 कानून
अनुसार के आधार पर मेरे बिशवास में सत्य है।

स्थान - मीरजापुर

दिनांक - 17-11-87

12/11/87
किशोर बिहादुर सिंह
महानगरपालिका अधिकारी
सि.वे. मीरजापुर

एच.एम.जी. श्रीवास्तव
महानगरपालिका अधिकारी
महानगरपालिका वन विभाग, मीरजापुर

Vinay Kati

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - VIII

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

.....Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors

..... Defendants/Respondents

Vinod Kumar

वाद सं०- 305/87

सरस्वती देवी

बनाम

वन अधिकारी।

5.8.99

आज पेश हुआ।

पक्षकार हाजिर आये।

पक्षकारों के अग्रिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

- 1:- क्या वादो विवादित भूमि का स्वामी हैं?
- 2:- क्या वादो विवादित भूमि पर काबिज हैं?
- 3:- क्या वाद अमूल्यार्पित एवं प्रदत्त, न्याय शुल्क अवसाम्त हैं?
- 4:- क्या विवादित आराजो गाराटा सं० 291 का अंश हैं?
- 5:- क्या वाद धारा 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत नोटिस न देने का अभाव हैं?
- 6:- क्या वाद धारा 34, 38 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधि० से बांधित हैं।
- 7:- क्या वाद धारा 331 उत्तर प्रदेश जमीनदारी विनाश अधिनियम से बांधित हैं?
- 8:- क्या वाद धारा 4, 20 बन अधिनियम से बांधित हैं?
- 9:- क्या वादो किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी हैं।

अन्य किसी वाद बिन्दु पर बल नहीं दिया गया।

पत्रावली वाद बिन्दु सं० 3 के निस्तारण हेतु दिनांक 10-8-99 को पेश हो।

प्रथम अपर सिविलज.जु.डि।

मोरजापुर।

Vinod Kumar

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - IX

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

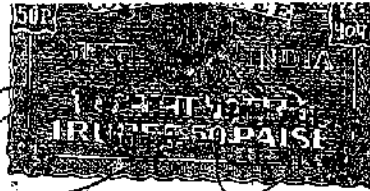
DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari, Mahoday, Poorvi Van Prabhag,
Mirzapur & Ors Defendants/Respondents

Atul Kumar



न्यायालय श्रीमानसिविल जज जू० डि० मीरजापुर।

वादसं० — 305/ 87

सरस्वती देवी बनाम वनविभाग आदि

संशोधन विनया निब सरस्वती देवी वादिनी हाद व मारफत श्री
जांगुर सिंह रडकोकेट।

श्रीमानजी

निवेदन है कि दौरान सुनवाई नं० 3 जाहिर हुआ कि दफा
1। दादपत्र में बालियत दावा का आधार भूमात्मक है। स्पष्ट
नहीं चूँकि दावाआराजी नम्बर 29। मि० का दावा किन्तु है।
वित्तका लगान राजस्व अभिलेखा में सरकार द्वारा निश्चित है।

यह कानूनन कोर्टपीस सकट औरबाद मूल्यांकन अधिनियम में विहित है
अनुसार दफा 1। दाद पत्र संशोधित किया जाना आवश्यक हो
नया है। संशोधन से न्यायालयको वादविन्दु के निस्तारण में सहूलियत
होगी।

अतः दावा में निम्नतौर पर संशोधनीय जानेकी आज्ञा प्रदान
करें।

दफा - 1 यह कि दफा 1। दादपत्रमें राजस्व 200 रुपये लगायत
22-50 रुपये कम जद किया जाकर उसके स्थान पर राजस्व " दादपत्र
आराजी की राजस्व अभिलेखा में निर्दिष्ट सालाना लगान 60 रुपये
के लिये मुना 1800 रुपये निर्धारित किया जाना है व उसमें
1/5 यानी 360 रुपये पर कुल 44 रुपये न्याय शुल्क अदा किया जाता है
आफा किया जावे।

दिनांक- 21-8-99 ई०

उपरोक्त संशोधनमेरी जाती जानकारीव कानूनी रायमें सब वक्तही है
मिठा मुकाम कचहरी दिवानोमीरजापुरदिनांक 21-8-99 ई०।

ह० वादिनी-

हरिनाथ देवी,

21-8-99

Nihad Kumar

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - X

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT :: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

.....Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors

..... Defendants/Respondents

Vinod Kumar

22.8.77

आज पेड हुआ ।

पक्षकार हाजिर आये ।

संशोधन प्रार्थना पत्र 12 क-1 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन
संशोधन प्रार्थना पत्र कलाज संशोधन हेतु दिया गया है । संशोधन से
को पत्रित में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है । अतः संशोधन पत्र
20 रु0 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अदेश

संशोधन प्रार्थना पत्र 20 रु0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है ^{9/7/77} ~~मध्यम~~
पत्रावली बाद विन्दु सं0 3 हेतु दिनांक 1-9-77 को पेश हो ।

प्रथम अपर सिविल जज जू0
मिर्जापुर ।

Vinod Kumar

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - XI

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

..... Plaintiff/Appellant

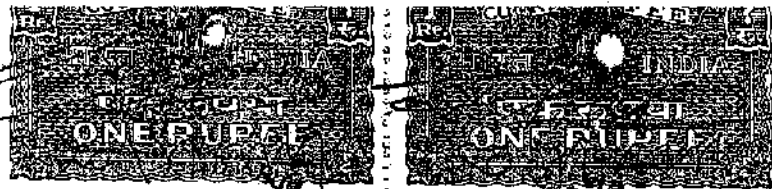
versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors

..... Defendants/Respondents

Vinod Kumar



858

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज ॥ बू ० डि ० ॥ बनार, मीरजापुर

वाद सं ० ३०५

सन १९८७/१०/१

सरस्वती देवी बनाम स्टेट उ० प्र०

संशोधन प्रार्थना पत्र द्वारा वादिनी मार्फत रुद्र व श्री छांगुर सिंह खचोकेट व भोमकारनाथ सिंह खचोकेट ।

श्रीमान् जौ,

निवेदन है कि मुकदमा में दौरान तैयारी जात हुआ कि दावा में दोषात्मक व ऊंच कानूनी वजूदात खू करने से छूट गया है जिसके वाजत प्लीडिंग वादी में आवश्यक संशोधन कराना आवश्यक हो गया है । प्रस्तावित संशोधन मुकदमा में पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के निस्तारण में न्यायालय को बेहद सहूलियत होगी । प्रस्तुत संशोधन से वाद की प्रकृति व पक्षों के बीच विवाद अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है ।

अतः दावा वादिनी में निम्न संशोधन किए जाने की आज्ञा प्रदा करें, ताकि न्याय होवे ।

दफा १- यह कि दावा के दफा ८ के बाद एक मजबूत दफा ८ अ निम्नलिखित होगा ।

दफा ८ अ यह कि पक्षों के बीच दौरान कबन्दी प्रक्रिया विवाद चलकर अन्तिम तौर पर निर्णित व फाइनल हो चुका है पर वाद कारण के बिना पर दुरासयपूर्ण मजाहिमत, मदाखिल प्रतिवादी कानूनन बेजा है और डिपेन्स प्रति धारा ५९ उ० प्र० कबन्दी अधिनियम से पूर्णतः बाधित है क्योंकि निर्णय कब पक्षों पर बाध्यकारी है ।

दिनांक २०.४.२००१

द० वादिनी

मेरे जातीय इल्म व जानकारी में संशोधन पत्र का कुल मजसूम दफा १ सच व स है कोई बात छिपाई नहीं गयी है । लिखा मुकाम दीवानी कचहरी बनार ।

दिनांक २०.४.२००१

द० वादिनी

Vinod Kumar

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - XII

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,
Mirzapur & Ors Defendants/Respondents

Vinod Kumar

Vinod Kumar

To be continued

Ar. 2, (2) 1/2 1/2 1/2

100-100000

17/5/20

Vinod Kumar

$\frac{\text{Output (VTV)}}{P_{in}}$

10 14 2 2 1

[illegible]

विशेषतः जमीन पर सीमा अंकन है। उनका कुछ किताबें
हैं जो बहुत ही बड़ा भूखण्ड हैं। मालगी-मालगी
बाग़ों में, वे प्रयत्न करते हैं कि सब चीजें बना
कर रख दें। यह भी एक तरह का धर्म है जो लोग

1. प्राचीन काल में भी जलवायु की भी जलवायु
 2. प्राचीन काल में भी जलवायु की भी जलवायु
 3. प्राचीन काल में भी जलवायु की भी जलवायु
 4. प्राचीन काल में भी जलवायु की भी जलवायु
 5. प्राचीन काल में भी जलवायु की भी जलवायु
 6. प्राचीन काल में भी जलवायु की भी जलवायु
 7. प्राचीन काल में भी जलवायु की भी जलवायु
 8. प्राचीन काल में भी जलवायु की भी जलवायु
 9. प्राचीन काल में भी जलवायु की भी जलवायु
 10. प्राचीन काल में भी जलवायु की भी जलवायु

मार्ग पर उतरा हुआ। यह बगीचा का
सबसे बड़ा है जो तमिलनाडु राज्य के पहाड़ों
पर फैला हुआ है। यह प्रकृति के कलाकृत है
जो देखने में बहुत ही सुन्दर है। यह प्रकृति की कृपा
है जो हमें इस सुन्दर बगीचे को दे रही है।

[illegible]

(जिसे) काला बेजाल के पत्ते वली गठारा
 की नकल लिख 291 दिखाना रामा है
 पालिका कि 2 शरी प्रकाश जाला 1350 फर०

1357 का 1363, 1362, 1368, 1367 का
1366 का 1365 का 1364 का जी कदादि निरुक्त
1357 का 1363, 1362, 1368, 1367 का
1366 का 1365 का 1364 का जी कदादि निरुक्त

$\frac{10129}{9}$

कि नरक मन्त्र (१५७२)

Yinal Kurneg

इसके अन्तर्गत $\frac{102.5}{2}$ प्रयोग की एक मात्र $\frac{103.5}{1}$ ठीक है।
 $\frac{103.5}{2}$ जहाँ 104.5 प्रयोग ~~अब~~ ~~एक~~ मात्र ~~ही~~ ~~मिल~~ ~~सक~~ ~~ता~~ ~~है~~।
 105.5 ~~अब~~ ~~मिल~~ ~~सक~~ ~~ता~~ ~~है~~ ~~क्यों~~ ~~की~~ 106.5 ~~अब~~ ~~ही~~ ~~मिल~~ ~~सक~~ ~~ता~~ ~~है~~।
 $\frac{106.5}{2}$ जहाँ 107.5 मात्र प्रयोग की ~~मिल~~ ~~सक~~ ~~ता~~ ~~है~~।
 दाखिल किए हैं असल असल विभाग में है
 कि यह सभी असल विभाग की है कि असल
 यह सभी में है यह प्रयोग ~~नहीं~~ ~~है~~।
 है कि असल विभाग का असल एक है कि यह
 असल विभाग की सभी है

x x x x
 यह जमीन पहले ही दोरे जेता थी
 वी जेता थी के बाद पुके मिली । तभी जो
 के चकवदी कक इन्ही से पुके रही माछन
 चकवदी - माछन के मरे मरे पुकायन -
 किम का गिला सिह में जोर के उछा
 कि रही है रही जरा रहली । का
 के जाम मरे जेति पुके रही जेता के
 पुके यह रही माछन के भी जमीन के
 जाम का जेता के पायार गड़ा है का
 जेता के बाद है भी जोर का माछ
 उत जाम मरे जमीन जोर के जोर के
 जेता के माछ है माछ जेता का । कर्म
 जेता के बाद माछ जेता के बाद है
 माछ माछ के माछ के माछ के
 माछ जेता है मरे जमीन के जमीन
 जेता जमीन जेता है जेता के जेता
 (मरे रही उछा है) उछा जमीन के माछ
 का के - माछन के जोर के पुकायन
 माछ जेता जेता - जमीन का जेता
 - माछ जमीन जमीन यह पुके माछन रही
 माछन जेता है

Vineel Kumar

न्यायालय CI(J.D.) चुनार मीरजापुर

PW-1

OS 305/87

सरस्वती देवी- DFO

17.05.02 मेरा नाम सरस्वती देवी 60 वर्ष w/o बिरजू r/o बेलखरा अहरौरा तह चुनार मीरजापुर है।

सशपथ बयान किया कि-

मैं गृहणी हूँ। यह मुकदमा मैंने ही दाखिल किया है यह मुकदमा जंगल विभाग व गांव सभा के खिलाफ दाखिल किया है यह मुकदमा मीरजापुर में बनवाकर मीरजापुर में ही दाखिल किया। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। विवादित खेत 15 बीघे का है। मैं अनपढ़ हूँ अपने खेत का नम्बर नहीं बता सकती। यह खेत मेरे नाम से ही यह खेत 50-60 साल से हमारा ही विवादित खेत एक ही जगह है जिसे पत्थर की बाऊन्डी से घिरवाया है। विवादित खेत में खेती घान सरसों तीसी भी होती है तथा पेड़ आम महुआ युकुलिष्टिस गोलमोहर सागौन निठोर आदि का ही पेड़ों में कुछ जंगली कुछ फलदार वृक्ष है। मेरे जमीन में सरकारी विभाग के लोग हस्तक्षेप करने लगे तो मैंने मुकदमा दाखिल किया मेरे जमीन में जंगल विभाग वाले गड़ढा खोद कर पेड़ लगाना चाहते थे। तब हम लोगो ने रोका नहीं माने तो दावा दाखिल किया।

यह मैं नहीं बता सकती कि गड़ढा खोदने छोटे अधिकारी थे या बड़े अधिकारी। यह मुकदमा दाखिल करते समय मेरे ससुर भी आये थे। यह मुकदमा दाखिल हुए लगभ 15 साल हुआ। इस मुकदमे के अलावा विवादित भूमि से सम्बन्धित सभी मुकदमों की पैरवी मेरे ससुर करते हैं। विवादित जमीन से जंगल विभाग या गांव सभा से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उसे दाखिल करने के पूर्व जंगल विभाग गांव सभा की नोटिस आदि कि कार्यवाही मेरे ससुर ने कराई लेकिन उनके साथ आकर मैंने नियुक्त किया था। यह मैं नहीं बता सकती कि उस विवादित जमीन का मुकदमा तहसील व चकबन्दी में चस्था किया। यह मुझे नहीं मालूम कि तहसील चकबन्दी में किस तरह का मुकदमा चलता है यह सही है कि मैं नहीं दाखिल करती है जंगल विभाग मेरी जमीन पर कब्जा कर लिये। जमीन पर

Vinod Kumar

कब्जा कर लिये। पहले कायमे मुकदमे की पैरवी मेरे ससुर ही करते हैं यह तमीला रखने के लिए मेरा अंगूठा निशान लगवाते थे।

विवादित खेती की चौहद्दी में उत्तर-सड़क बादहूँ जमीन जंगल विभाग, दक्षिण जमीन जंगल विभाग पूरब-जमीन जंगल विभाग पश्चिम- सड़क अहरौरा मुकरिस गंज चौड़ी सड़क है। मेरी जमीन समतल है तथा कई गाटो में है कई मेंढे है मुकदमा दाखिल करने के लिए वकील साहब को विवादित जमीन का कागज दिया था। जितने कागजात उस मुकदमे में दाखिल हैं उन्हें मैं देखकर पढ़ नहीं सकती। कागज सं० 10ग उद्धरण खतौनी पर प्रदर्श-1 तथा 11ग खसरा पर प्रदर्श -2 तथा कागज सं० 65ग/2 नकल आदेश तहसीलदार चुनार के आदेश की प्रमाणित प्रति है। कागज सं० 12ग मूल रजि० रसीद दि० 01.07.87 जिलाधिकारी मीरजापुर 13ग मूल रजि० रसीद दि० 01.07.87 जिला वन अधिकारी वन प्रभाग मीरजापुर 14ग मूल रजि० रसीद दि० 01.07.87 प्रधान गांव सभा बेलखरा दि० 01.07.87 है। सूची सबूत 99ग/1999ग/2 से कागजात सरकारी अभिलेख से प्रमाणित नक्शा है।

सरस्वती देवी ने सशपथ बयान जारी-

विवादित जमन पर मेरा कब्जा है। उसका कुल रकबा 15 बीघा है। चौहद्दी बता सकती हूँ। आराजी नम्बर नहीं बता सकती। मैं पुराना नम्बर व नया नम्बर नहीं बता सकती। मेरा पूरा खेत चारों तरफ से पत्थे से ढोको से घिरा हुआ है। मेरी जानकारी में मेरी जमीन पर कभी भी वन विभाग का कब्जा नहीं था। इस प्रकार गांव सभा बेलखरा से ही मेरी जमीन से कोई मतलब नहीं है यह मुकदमा मुझे दाखिल करना पड़ा क्योंकि वन विभाग गड़ढा खोदकर पेड़ लगाने के फिराक में ही गये। मना करने पर नहीं माने। करीब 15 साल पहले वन विभाग जबरिया करने पर उतारू हुआ। इस जमीन का मुकदमा चकबन्दी में तहसीलदार के यहाँ भी चला था। इस मुकदमा में अदालत ने स्थगन आदेश पारित किया दौरान मुकदमा वादिनी के कब्जा दखल में प्रतिवादी कोई हस्तक्षेप न करे। इस मुकदमे में मेरे अलावा मेरे ससुर भी पैरवी करते हैं। मैंने अपनी वकील

Vinod Kumar

साहब से मुकममल से कागज 99ग फेहरिस्त से कुल 19 कागजात दाखिल कराया है। जिसमें मौजा बेलखरा के बन्दोबस्ती नगला की नकल जिसमें 291/2 दिखाया गया है। दाखिल किया है इसी प्रकार खसरा 1358 फ० 1357फ०, 1363, 1362, 1368, 1367 फ०, 1366फ०, 1365फ० 1364 फ० जो कागज संख्या 101ग लगायत, 101ग/9 है।

इसके अलावा 102ग/2 प्रश्नोत्तर की मूल प्रति 103ग/1 खेतों की 103ग/2 खसरा 104ग प्रश्नोत्तर दफ्तर इंचार्ज मिर्जापुर 105ग नकल फैसला चकबन्दी अधिकारी 106ग/1 खतौनी 106ग/2 खसरा 107ग मालगुजारी की रसीद वर्ष 1988 दाखिल किया है। अगर जंगल विभाग यह कहे कि यह जमीन जंगल विभाग की है तो गलत है यह जमीन मेरी है। यह मुझे जानकारी नहीं है कि जंगल विभाग का गवाह हुआ है कि यह जंगल विभाग की जमीन है।

X-----X-----X-----X-----X

यह जमीन पहल से मेरे पिता जी की है। पिता जी के बाद मुझे मिली। हमारे गांव में चकबन्दी कब हुयी थी मुझे नहीं मालूम। चकबन्दी न्यायालय में मैंने कोई मुकदमा नहीं किया था। गिरजा सिंह मेरे गांव के प्रधान थे कि नहीं मैं नहीं बता सकती। चकबन्दी के समय कोई नोटिस मुझे नहीं मिली थी। मुझे यह नहीं मालूम कि मेरे जमीन के बगल वन विभाग का पत्थर गड़ा है। वकील कमिश्नर साहब के साथ मैं भी मौके पर गयी। उस समय मेरी जमीन जोती बोई गयी कमिश्नर साहब ने नापा जोखा था। अहरौरा मार्ग के पूरब तरफ विवादित स्थल है। उस तरफ मेरा खेत की डाढ़ें की लम्बाई कम है तरफ ज्यादा है। मेरे जमीन में करीब उक्त पेड़ आदि लगे हैं। विवादित स्थल से कोई रास्ता नहीं गया है। इस जमीन के बाबत मैं न्यायालय में कोई मुकदमा चला था। विवादित जमीन पर वन विभाग का नाम कभी दर्ज था मुझे मालूम नहीं है। मुझे यह नहीं मालूम कि तहसीलदार के आदेश से वन विभाग का नाम निरस्त करने आदेश हुआ था। वह आदेश पुनः निरस्त हो गया मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम है कि चकबन्दी के

Vinod Kumar

1963 के बाद उस आदेश से मेरा नाम चकबन्दी पर चढ़ा कि नहीं। वन विभाग वाले मेरे जमीन में गड़ढा खोद रहे थे। इसलिए यह मुकदमा दाखिल किया। कोई गड़ढा खोद नहीं पाये थे। गड़ढा खोदने 2-4 लोग गये थे मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि मामला जिलाधिकारी चुनार के यहाँ से इस जमीन के बाबत कोई आदेश हुआ था कि नहीं। आरक्षित वन घोषित करने की सरकार ने किसी सूचना की जानकारी मुझे नहीं है। मेरे उपर या मेरे पति के उपर वन विभाग का कोई मुकदमा मेरी जानकारी में नहीं चला। पक्की पैमाइश मैंने कराया है। कब कराया है याद नहं है। मेरी जमीन 15 बीघा है। कमिश्नर साहब ने जो तामिला नाप किया है वह गलत है। कमिश्नर के निरक्षण के समय प्रधान भी थे कि नहीं मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि यह जमीन मेरी नहीं है वन विभाग की है।

सुनकर तस्दीक किया।

नि०अंगूठा

सरस्वती देवी

$$P_{H_2O_2}$$
[illegible]

✓ ✓ ✓



OS305/87

सरस्वती Vs Dfo

PW2

विश्राम s/o हरिनन्दन उम्र 80-85 सा० बड़की पट्टी परगना
अहरौरा तह० चुनार मीरजापुर पेशाखेती ने बहलफ बयान किया
कि

मेरा घर विवादित भूमि से एक किमी दूर है। बेलखरा गांव भी उतनी ही दूर पर है। मेरा गांव से विवादित आराजी वाला गांव सटा है। मैं सरस्वती w/o बिरजू वादिनी को जानता हूँ। विवादित जमीन मैंने देखा है। यह 15 बीघा है। विवादित जमीन की चौहद्दी- उत्तर वन विभाग की जमीन है। दक्षिण तरफ भी वन विभाग की जमीन। पूरब भी वन विभाग की जमीन है। पश्चिम सड़क है। यह सड़क बनारस से शान्ति नगर जाती है। विवादित जमीन को पहले से सरस्वती के पिता जोतते थे। उसके बाद सरस्वती जोतती है। मैं यह जोतते बोते मैं बहुत पहले से देखा हूँ। ये लोग जमींदारी टूटने से पहले से जोतते बोते चले आ रहे हैं। इस जमीन में धान की खेती होती है खेती में मसूर ससुरों की खेती होती है। इस जमीन में लगभग 70-75 कुछ छोटे बड़े किस्म के पेड़ हैं। इन लोगों ने महुआ नीम इमली आदि लगाया है। मेरी जानकारी से वन विभाग का इस जमीन से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा। बेलखरा गांव में चकबन्दी हुई है। मेरे गांव में चकबन्दी नहीं हुई है। मेरा शहरी क्षेत्र पड़ता है। जब जंगल विभाग इस जमीन पर खोद करने लगा तब सरस्वती ने मुकदमा दाखिल किया।

यह मुकदमा 10-15 साल पहले दाखिल हुआ था। इस मुकदमे की पैरवी वादिनी के अलावा श्री भगत करते हैं जो वादिनी के ससुर हैं।

मैं वादिनी के ससुर के साथ मुकदमे में गवाही देने आया हूँ।

X-----X-----X-----X

सरस्वती देवी के पिता का नाम हरिदास था। उनके कोई लड़का नहीं था। तीन लड़कियां थी। शेष दोनों का नाम मैं नहीं जानता। जब सरस्वती देवी यह मुकदमा दाखिल कर रही थी तो मैं साथ में था। वो लड़कियों को गांव में दिया है। बेलखरा गांव में चकबन्दी यह मुकदमा दाखिल करने के बाद हुई। मुझे

Yinod Kumar

जानकारी नहीं है कि सरस्वती देवी ने इस जमीन के बाबत चकबन्दीके बाबत में मुकदमा कोई दाखिल की भी थी कि नहीं। बेलखरा गांव से मेरा घर एक किमी दूर है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा नोटिस की तामिला बेलखरा गांव में करायी गयी थी। गिरीजा सिंह बेलखरा गांव के प्रधान रह चुके हैं। मैं बराबर विवादित जमीन पर आता जाता रहता हूँ क्योंकि वही हम लोगों का रास्ता है। विवादित जमीन के अगल बगल वन विभाग का पिलर नहीं गड़ा है। जब वकील कमिशनर मौका देखने गये थे तब मैं वहाँ नहीं था विवादि जमीन बनारस सिंगरौली मौर्य के पूरब है। विवादित जमीन का पूरब पश्चिम झाड़ा लम्बा है। विवादित जमीन में इमली, नीम, पलास व अन्य जंगली पेड़ हैं विवादित खेत में कोई रास्ता नहीं गया है। विवादित जमीन में थोड़ा सा जंगल झाड़ी हैं शेष रकबे में धान बोया जाता है। सरस्वती देवी ने इस जमीन के बाबत तहसीलदार के यहाँ भी मुकदमा दाखिल किया है।

तहसीलदार के यहाँ सरस्वती देवी के पक्ष में फैसला हुआ। वहाँ क्या हुआ मुझे इसकी जानकारी नहीं है। परगनाधिकारी के यहाँ भी इस जमीन के बाबत मुकदमा चला था। धारा 20 व 4 में विसंगती की जानकारी मुझे है। वन बन्दोबस्त अधिकारी के यहाँ कोई आपत्ति दाखिल किया है। सरस्वती देवी ने पंचायत बना विवादित जमीन की नाप जोख कराया है। विवादित आराजी कभी बंजर के रूप में दर्ज नहीं थी। विवादित आराजी का नम्बर मैं नहीं जानता। विवादित आराजी चारों तरफ से सरस्वती देवी के पत्थर से घेरा गया है। यह जब से वह खेत जोत रही है तभी से घेरा है।

सरस्वती देवी मेरी कुछ नहीं लगती। वह दूसरी बिरादरी की है मैं दूसरी बिरादरी का हूँ। यह कहना गलत है कि विवादित जमीन पर सरस्वती देवी का कोई अधिकार नहीं है।

सुनकर तस्दीक किया।

नि०अ०

विश्राम

OS305/87

PW3

Vinod Kumar

[illegible]

Vinod Kumar

साक्षी जल्ली पुत्र उमर उम्र 65-70 साल पेशा खेती नि० बेलखरा परगना अतरौरा तह० चुनार मीरजापुर ने सशपथ बयान किया कि-

सरस्वती देवी वादिनी मुकदमा को जानता हूँ। विवादित जमीन मैंने देखा है। यह जमीन 15 बीघा है। इस जमीन को सरस्वती देवी जोतती बोती है। चौहद्दी-पूरब वन विभाग, पश्चिम बनारस रामनगर लेन उत्तर वन विभाग दक्षिण वन विभाग है। इस जमीन में लगभग 60-65 पेड़ होंगे। इस जमीन में महुआ इमली नीम व सागवनी लकड़ियों के पेड़ हैं। इन पेड़ों का फल फूल लकड़ी का उपयोग वादिनी करती है। इस जमीन से जंगल विभाग का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। इस जमीन पर मैं 45-50 वर्षों से सरस्वती देवी का कब्जा देख रहा हूँ। जब से मैंने होश सम्भाला है उधर आते जाते सरस्वती देवी का ही कब्जा देख रहा हूँ। विवादित जमीन को वादिनी ने ढोके से लगभग 3 फिट ऊँचा चारों तरफ से घेर रखा है। मेरे गांव बेलखरा में चकबन्दी हुई है। चकबन्दी के समय भी सरस्वती का कब्जा था।

x-----x-----x-----x
विवादित जमीन मैं जो फसल लगाया जाता है उसकी सिंचाई बरसात के पान से होती है। करीब 60-70 मन पक्के धान होता है। सरस्वती देवी के पति की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। उनका नाम बिरजू है।

विवादित आराजी पर सरस्वती खेती करती है। सरस्वती को दो या तीन लड़के हैं। सरस्वती देवी को यह जमीन उनके पिता द्वारा मिली है। उनके पिता जी का नाम मैं नहीं जानता। सरस्वती देवी चार बहने थी। एक मर चुकी है तीन जिन्दा हैं। विवादित जमीन केवल सरस्वती देवी को मिली है और लोग का हिस्सा गांव कल्याणीपुर में मिला है। वनविभाग जब गड़दा करने उस पर खोदने को हुआ तो सरस्वती देवी ने यह मुकदमा दाखिल किया। विवादित जमीन पर गड़दा खोदते समय मैं नहीं था। बेलखरा गांव में चकबन्दी 30-35 साल पहले हुई थी। चकबन्दी में कोई मुकदमा सरस्वती ने दाखिल किया था कि नहीं मैं नहीं जानता। गिरजा सिंह बेलखरा गांव के प्रधान थे।

Omprakash Kumar

वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा बन्दोबस्त के समय नोटिस भेजा गया था कि नहीं मैं नहीं जानता। विवादित जमीन से फेंस पर एक किमी० दूर विवादित जमीन के अगल बगल वन विभाग का पिलर नहीं गड़ा है। यह जमीन बनारस रामनगर मार्ग के पूरब है। विवादित जमीन के खेत का कोई सा डांडा सबसे लम्बा है। मैं नहीं बता सकता। विवादित जमीन में कोई रास्ता नहीं गया है। तहसीलदार के यहाँ इस जमीन के बाबत कोई मुकदमा चला था कि नहीं मैं नहीं जानता।

SDM साहब चुनार के यहाँ कोई मुकदमा चला था कि नहीं मैं नहीं जानता। मुझे आरक्षितवन के विस्तरती की जानकारी नहीं है। मेरी जानकारीमें सरस्वती देवी या उसके पति का वन अधिनियम के तहत कभी चालान नहीं हुआ। सरस्वती देवी ने की बार अपनी जमीन की नाप जोख लेखपाल से कराया है। यह जमीन कभी विवादित आराजी बंजर के रूप में दर्ज थी कि नहीं मैं नहीं बता सकता। विवादित आराजी का नम्बर मैं नहीं बता सकता। विवादित जमीन में कुछ दूर परथरीली है। शेष भाग पर खेती होती है। इसमें कुल 60-65 पेड़ हैं। विवादित जमीन से पहाड़ लगभग लगा हुआ है। यह कहना गलत है कि सरस्वती देवी गलत रूप से वन विभाग की जमीन पर कब्जा है।

सुनकर तस्दीक किया

ह० जल्ली

Vinod Kumar

[illegible]

Ans
2/21

Vinod Kumar

2

X

Vinod Kumar

10. 10.00

Vinod Kumar

OS305/87

सरस्वती vs DFO

PW4

श्रीराम s/o देवननन्द उम्र 80 वर्ष पेशा खेती नि० बेलखरा घाटमपुर परगना अतरौरा तह चुनार मीरजापुर ने सशपथ बयान किया कि

सरस्वती देवी ने वन विभाग के उपर मुकदमा दाखिल किया है। सरस्वती देवी मेरी पतोहू लगती है। मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अंगूठा लगाता हूँ। किसी तरह दस्तखत भी कर लेता हूँ। विवादित जमीन मैंने देखा है। इस पर सरस्वती देवी के पिता हरिदास पहले खेती करते थे। उसके बाद सरस्वती करती है मेरे लड़के से वादिनी की शादी के पहले से वादिनी व उसके पिता विवादित जमीन पर काबिज दाखिल रह कर खेती बाड़ी करते थे। मड़ई भी लगा कर रहते थे। विवादित जमीन चारों तरफ से ढोके से चारों फीट के लगभग घेरा है। यह सरस्वती ने फेरा है। विवादित जमीन में खेती के अलावा नीम का, इमली का, महुआ का, पलास का, डिढोहरी का पेड़ और कुछ जंगली पेड़ हैं। यह सभी पेड़ सरस्वती देवी ने लगाया है। इन पेड़ों का उपयोग सरस्वती देवी करती है। विवादित जमीन में बरसात के समय धान की खेती होती है। चैती में सरसों, टमाटर, तीसी आदि की खेती होती है। मेरी जानकारी में विवादित जमीन पर सरस्वती देवीका कम से कम 50 साल से कब्जा है। इस मुकदमे की पैरवी पहले सरस्वती करती थी उसके बाद 10-12 साल से मैं करता हूँ। इस दीवानी मुकदमा के पहले सरस्वती देवी व उनके पिता चकबन्दी अदालत में मुकदमा लड़ते थे। मेरे जानकारी में सरस्वती देवी को आये इस समय 40 वर्ष हो गया। विवादित जमीन की चौहद्दी- पूरब वन विभाग की जमीन, पश्चिम सरकारी रोड़, मक्की। उत्तर वन विभाग की जमीन, दक्षिण तरफ वन विभाग की जमीन है। विवादित जमीन 15 बीघा की है। वन विभाग वाले विवादित जमीन को वृक्ष लगाने के लिए गड़ढा खोदने लगे तब मैं व सरस्वती देवी ने जाकर रोका तो वन विभाग वाले उस समय काम रोक दिया लेकिन फिर से वन लगाने की धमकी देते गये। तब यह मुकदमा वादिनी के आकर दाखिल किया। आज यह मुकदमा

Vinod Kumar

दाखिल न होता तो वन विभाग जबरजस्ती का काम कर कब्जा कर लेता। अगर यह मुकदमा छोड़ दाखिल न होता तो वन विभाग जबरजस्ती वन लगा कर कब्जा कर लेता। इस मुकदमे का 14-15 वर्ष पहले पैदा हुआ। कागजात माल से सरस्वती देवी का नाम और उस पर B60/- लगान लिया जाता है। मुकदमा में दाखिल कागजात सरस्वती देवी ने स्वयं प्राप्त कर दाखिल किया है। सरस्वती देवी ने दावा दाखिल करने से पहले सरकार उ०प्र० व गांव सभा को नोटिस दिया था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस लिये मैं देखकर भी नहीं बता सकता।

मेरी उम्र जब 20 वर्ष की थी उस समय भी मेरी जानकारी में इस जमीनपर वन विभाग या गांव सभा का कभी कब्जा नहीं रहा जंगल विभाग यदि यह बात कहे कि विवादित जमीन वन विभाग की है तो यह बात गलत होगी।

X-----X-----X-----X

मैं दो वर्ष पूर्व अहरौरा नगर पालिका में चेयरमैन पाँच वर्ष तक था। सरस्वती देवी के पिता का नाम हरिदास था हरिदास के पास कुल 15 बीघा जमीन थी उसके अलावा गांव पर भी चार बीघा के करी था गांव का मकान कल्याणीपुर में है। इस 15 बीघा व 4 बीघा के अलावा और कोई जमीन नहीं थी। बेलखरा व कल्याणीपुर में उनकी जमीन थी। हरिदास को मरे 15 साल हो गये। हरिदास की चार लड़किया थी। एक मर गयी तीन हैं। मैं सरस्वती के अलावा अन्य का नाम नहीं जानता। जो एक लड़की मर गयी है उसकी शादी नान्हूपुर में हुयी थी। उसके एक लड़का है। हरिदास का कोई लड़का नहीं है। विवादित जमीन पर सरस्वती देवी के पहले उनके पिता का नाम दर्ज था कि नहीं मुझे नहीं मालूम। सरस्वती देवी को यह जमीन उनके पिताजी ने दिया है। इस जमीन पर सरस्वती देवी का नाम कब दर्ज हुआ मैं नहीं बता सकता।

यह मैं नहीं बता सकता कि यह जमीन सरस्वती देवी की वसीयतनामा, यह बैनामा पर मिलि या वरासत मिली मैं नहीं बता सकता, कल्याणीपुर में चार बीघा अन्य लड़कियों को दिया है। सरस्वती देवी की शादी को लगभग 40 वर्ष हुआ। विवादित जमीन के लगे पेड़ उनकी शादी के पहले से है। विवादित जमीन

Vinod Kumar

की चहार दीवारी शादी के बाद की गयी है। जोताई भी हल से होती थी। अब ट्रैक्टर से है। इस समय सरस्वती देवी की उम्र 60 वर्ष है जब यह मुकदमा सरस्वती देवी ने दाखिल किया तब मैं साथ में कचहरी नहीं गया था। गांव में चकबन्दी हुए 30-35 साल हुआ। चकबन्दी के समय चकबन्दी में सरस्वती देवी ने कोई मुकदमा चलाया था कि नहीं मुझे नहीं मालूम। चकबन्दी में बन्दोबस्त के समय बन्दोबस्त अधिकारी मीरजापुर प्रधान कोई नोटिस तामील नहीं करायी। गिरजा सिंह बेलखरा गांव के प्रधान करीब 30 साल के ऊपर थे। विवादित जमीन से सरस्वती देवी का घर करीब 1-1½km है। विवादित जमीन के आसपास वन विभाग का पत्थर-नहीं गडे. है। मुकदमा दाखिल होने पर वकील कमिश्नर जब मुआयना के लिए गये थे तब मैं उपस्थित नहीं था। सरस्वती देवी 15 बीघा काशत करती है। जब यह मुकदमा दाखिल हुआ था तो उस समय सरस्वती देवी ने धान बोया था।

यह जमीन अहरौरा राबर्ट्सगंज मार्ग के पूरब दिशा में है। सरस्वती देवीके खेत उत्तर पश्चिम लटका है मैंने नापा नहीं है। इसलिये नहीं बता सकता कि किधर ज्यादा लटका है। विवादित जमीन में लगभग 100-125 मेढ है। कुल 9-10 बीघा धान की खेती होती है। इस विवादित खेत के बीच में कोई रास्ता नहीं जाता है। विवादित जमीन के विषय में तहसीलदार साहब ने यही मुकदमा चलाया था जिसमें सरस्वती देवी के पक्ष में फैसला हुआ था। सरस्वती का नाम काटने का कोई आदेश नहीं हुआ। चकबन्दी न्यायालय के निर्णय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि SDM के न्यायालय में कोई मुकदमा चला था। जब वन विभाग वाले वृक्ष लगाने के लिए खन खोद करने लगे तो सरस्वती देवी पहले पहुंची उनेक बुलाने पर करीब 2 घंटे बाद मैं भी पहुँचा उस समय वन विभाग वाले मौजूद थे। वन विभाग के 5-6 लोग थे बाकी सब मजदूर थे। वन विभाग का धारा 4-20 का आरक्षित वन का गजट हुआ उसकी कोई नोटिस वादिनी को नहीं मिला था न मुझे ही जानकारी है। वन अधिनियम के तहत कभी भी सरस्वती देवी या उसके पति का

Vinod Kumar

चालान नहीं हुआ था। मेरी जानकारी में विवादित जमीन पर कभी भी वन विभाग का कब्जा नहीं था।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विवादित जमीन कभी बंजर दर्ज थी। मुकदमा दाखिल होने के वक्त उस समय प्रधान गांव कौन था मुझे नहीं मालूम। विवादित जमीन का अ० नम्बर मुझे नहीं मालूम। विवादित जमीन में कोई पहाड़ पत्थर नहीं है। समतल खेती लायक जमीन है। जमीन के उत्तर तरफ वन विभाग है। पूरब वन विभाग है। दक्षिण भी वन विभाग है। दक्षिण तरफ राबर्ट्स गंज रोड। धान की पैदावार लगभग 60-70 मन होता है। यह कहना गलत है कि विवादित भूमी आरक्षित वन है या सरस्वती देवी की कोई मालूम नहीं है। यह कहना गलत है कि सरस्वती देवी ने जो चकबन्दी पैमाइश का जो नक्शा दाखिल किया है वह गलत है उसका कोई रिकार्ड नहीं है। यह गलत कहना गलत है कि तहसील दार साहब ने सरस्वती देवी का नाम काटकर विभाग का नाम दर्जकर दिया हो।

ह०अ०

सुनकर तस्दीक किया।

Vinod Kumar

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE - XIII

IN

AFFIDAVIT

IN

CIVIL MISC. STAY APPLICATION NO. OF 2022

IN

SECOND APPEAL NO. OF 2022

(Under Section 100 of Civil Procedure Code)

DISTRICT ::: MIRZAPUR

Smt. Saraswati Devi

..... Plaintiff/Appellant

versus

Shriman Van Adhikari Mahoday, Poorvi Van Prabhag,

Mirzapur & Ors

..... Defendants/Respondents

Anand Kumar

25.01.2012

सुना । प्रस्तुत सिविल अपील अंगीकृत की जाती है । पंजीकृत हो । विपक्षीय को नोटिस जारी की जाय । पैरवी दोनों प्रकार अविलम्ब की जाय । मूल पत्रावली तलब हो । बास्ते बहस दिनांक- 27.02.2012 को पेश हो । इस बीच अवर न्यायालय के डिक्री एवं निर्णय का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा ।

0-20


प्रभारी जनपद न्यायाधीश
मिर्जापुर :

Vinod Kumar

**BEFORE THE CHIEF CONSERVATOR OF FOREST,
MIRZAPUR CIRCLE, MIRZAPUR**

APPELLATE AUTHORITY

Appeal Under Section 61-B (4) of the Indian Forest Act, 1927

APPEAL NO. OF 2024

M/s ACP Tollways Private Ltd.

...Appellant

Versus

State of Uttar Pradesh & others

...Respondents

WRITTEN SUBMISSIONS ON BEHALF OF THE APPELLANT

The Appellant named above, most respectfully begs to submit as under:-

1. The present appeal has been preferred challenging the impugned order dated 16.07.2024, served to the appellant on 26.07.2024, passed by the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone, Mirzapur under section 61-B (1) of the Indian Forest Act, 1927. By means of the impugned order the appellant has been allegedly found to be in illegal possession over 7.79 hectares of land situated at Araj No. 827 Minjumla situated at Village Belkhera, Pargana - Ahraura, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur. It was mentioned that out of the total land alleged to be in illegal occupation of the appellant, leaving the area admeasuring 3.79 hectare (the map demarcating the same) in suit no. 147/2017, the appellant was directed to vacate the remaining 4 hectare of land within 15 days of receipt of the order. (**Annexure No.1 to the instant appeal**).
2. That the impugned order has been passed in the most arbitrary and whimsical manner in utter violation of Principles of Natural Justice as he has acted to be the judge of his own cause. Further, the impugned order is also bad in the

eyes of law as the same has been passed relying upon a preliminary report without completing the process of survey/inspection. The impugned order has also been passed placing reliance upon adverse / extraneous material which was never served upon the appellant. The impugned order contrary to the settled principle of law has reversed the burden of proof requiring the appellant to produce evidence to prove the validity of its occupation over the property in dispute.

RELEVANT FACTS

3. That the UPSHA proposed to develop Four Laning / Six Laning (with paved shoulders) of Varanasi – Shaktinagar road up to Hathi Nala (SH-5A) from km 0.00 to km 117.65 in the State of Uttar Pradesh to be executed on DBFOT basis (hereinafter referred to as “Project”). The Project Road SH-5A starts from Narayanpur near Varanasi and passes through seven major settlements of Adalhat, Sukrat, Ahraura, Robertsganj, Markundi, Chopan and Dala before ending at the junction leading to Hathinala Forest Area.
4. That in pursuance thereto, the UPSHA invited proposals by way of its Request for Qualification No. 197, dated 31.05.2011 (hereinafter referred to as “RFQ”) for shortlisting of bidders for the Project development on DBFOT basis in accordance with the terms and conditions set out in the Concessionaire Agreement. The UPSHA had accordingly shortlisted certain bidders including, inter alia, the consortium of M/s Apco Infratech Limited, M/s Chetak Enterprises Limited and Patel Engineering Limited (JV) having M/s Apco Infratech Limited as the lead member of the Consortium. Thereafter the appellant was incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 for the above mentioned work.
5. That the UPSHA had prescribed technical and commercial terms and conditions while inviting the bids or Request for Proposals ("RFP") from the bidders shortlisted by the applicant after submission of the RFQs. On

evaluating the RFPs, the UPSHA accepted the bid of the appellant and issued a Letter of Award dated 15.11.2011 ("LOA") to the appellant (**Annexure No.2 to the instant appeal**).

6. That the appellant hence entered into a Concessionaire Agreement with the UPSHA on 08.12.2011 to undertake and implement the Project on DBFOT basis, in accordance with the terms and conditions as provided in the Concessionaire Agreement (CA) (**Annexure No.3 to the instant appeal**).
7. That the appellant established its office at Village Belkhera, Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur for execution of the above mentioned work awarded to the appellant. The office was set up at Arazi No.291 / 2, admeasuring 3.7940 hectares, situated at Mauja Belkhera, Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur.
8. That the property mentioned in the above mentioned paragraph was firstly in possession of M/s Chetak Enterprises Limited since the year 2011 which is one of the members of the appellant.
9. That thereafter, on 11.05.2017 the appellant had entered into a lease agreement with one Ms. Saraswati Devi over the parcel of land bearing Araj No.291/2 admeasuring 3.7940 hectare, situated at Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur. Ms. Saraswati Devi was the owner of the land bearing Araj No.291/2 admeasuring 3.7940 hectare. The possession of the abovementioned land was provided to the appellant on 11.05.2017 (**Annexure No.4 to the instant appeal**).
10. That on 24.09.2017, M/s Chetak Enterprises received a notice issued by Regional Forest Officer, Chunar Range, Chunar, Mirzapur alleging that the property over which the appellant had possession was allegedly a forest area which was registered under the name of the Forest Department. It was specifically provided that the property be vacated by the appellant at the

earliest. M/s Chetak Enterprises duly replied to the notice dated 24.09.2017 specifically bringing to their knowledge that the property in question vested with Ms. Saraswati Devi and it had possession over the property through a lease agreement, but the officials of the Forest Department visited the property in question on 28.09.2017 and started asserting their claim over the property and coerced the employees of the appellant to vacate the property in question and threatened to demolish the establishment constructed over it.

11. That being aggrieved by the notice dated 24.09.2017 and the actions of the representatives of the department on 28.09.2017, the appellant alongwith M/s Chetak Enterprises preferred a suit bearing no.147 of 2017 before the court of Civil Judge (Senior Division), Mirzapur seeking injunction against the forest department from being evicted forcefully from the property in question. The appellant alongwith the suit had filed a map showing the details of the property in question and the same were marked as A, B, C, D, E, F. The map clearly showed that it contained a hotmix plant, cement godown, plant operator room, casting yard, borewell, drivers block, engineers block, washing unit, amongst other things. The map also showed that from the property in question a nala was flowing just before the casting yard and just after the washing unit (**Annexure No.5 to the instant appeal**).
12. That by means of an order dated 21.11.2017, the learned court passed an injunction order against the forest authorities restraining them from dispossessing the appellant from the 3.7940 hectare land situated at Araj No.291/2 Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur and further directed that status quo be maintained (**Annexure No.6 to the instant appeal**).
13. That the learned court thereafter appointed a local commissioner to inspect the property in question, to submit a map with respect to the structures present over the property in question and to demarcate the above-mentioned property.

14. That the local commissioner carried out the inspection on 10.05.2018 over the property in question and submitted a report before the learned court. In the report of the commissioner, it was specifically mentioned that the demarcation A, B, C, D, E, F contained office, lab, guest house, staff room, store room, Karkhana, welding workshop, diesel tank, hotmix plant etc. The local commissioner annexed a map alongwith the report which contained the demarcation of the property and all the respective establishment over the same. The map drawn by the local commissioner was identical to the map annexed by the appellant alongwith its suit (**Annexure No.7 to the instant appeal**).
15. That the interim order dated 21.11.2017 granted in favour of the appellant remained in effect till 27.02.2020 and the same was vacated by the court concerned only by means of order dated 27.02.2020 (**Annexure No.8 to the instant appeal**).
16. That being aggrieved by the order dated 27.02.2020, the appellant preferred an appeal bearing no.11 of 2020 before the Court of District Judge, Mirzapur.
17. That the respondent on 10.09.2020 issued a notice to the appellant under section 61 B (1) of the Indian Forest Act, 1927 alleging that the appellant had illegally occupied the property in question which was a reserve forest land. The notice dated 10.09.2020 specifically asked the appellant to show cause as to why the appellant be not evicted from the property in question as the same fell within the forest reserve area (**Annexure No.10 to the instant appeal**).
18. That the appellant in reply to the notice dated 10.09.2020 specifically denied the allegations made by the forest officials by means of a letter dated 26.09.2020. It was specifically stated that an appeal against the order dated

27.02.2020 was pending before the Court of District Judge, Mirzapur. It was requested that the notice dated 10.09.2020 be kept in abeyance till a decision is taken by the competent court (Annexure No.11 to the instant appeal).

19. That thereafter the appeal was listed on 11.11.2020 and on that date again an adjournment application had been preferred by the officers of the forest department, which was duly opposed by the appellant. The learned court taking note of the order dated 22.05.2020 passed an order on the interim relief sought by the appellant and directed the parties that status quo be maintained over the property in question till the next date of listing i.e. 30.11.2020 **(Annexure No.12 to the instant appeal)**.
20. That thereafter, the appeal was listed before the concerned court on various dates and the matter was last listed on 01.08.2024. The ad-interim injunction order in favour of the appellant is continuing till date. **(Annexure No.13 to the instant appeal)**.
21. That the khatauni shows name of Saraswati Devi being in possession of land No. 291/2 which makes it apparent that 291/1 and 291/2 were two distinct parcel of land. Furthermore, it pertinent to mention that the gata no. 827 consisted of 313 bighas whereas the gata no. 827 minjumla contains 305 bighas which is the forest area. **(Annexure No.14, 15 and 16 to the instant appeal)**.
22. That despite there being an order dated 11.11.2020, the respondent issued a notice under section 61-B (1) of the Indian Forest Act, 1927 alleging that the appellant was in possession of a land that fell within the reserve forest area. The notice now stated that the appellant was in possession of 4 hectares of land situated at Gata No.827 Minjumla **(Annexure No.17 to the instant appeal)**.

23. That the appellant denied all the allegations made by the Divisional Forest officer and further demanded copies of the documents based upon which the notice dated 01.04.2024 under section 61-B (1) had been issued to the appellant. It was also brought notice that the proceedings initiated by the Divisional Forest Officer were in teeth of the order dated 11.11.2020 and therefore were contemptuous (**Annexure No.18 to the instant appeal**).
24. That the above-mentioned notice has been issued to the appellant in furtherance of proceedings initiated by one Chaudhary Yashwant Singh in original application no.112 of 2024 before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi. Relevant orders passed in original application no.112 of 2024 have been annexed as **Annexure No.19** to the instant appeal.
25. That the appellant has also preferred contempt proceedings bearing No.56 of 2024 against the respondent, in which notices have been issued to the respondent. (Ordersheet annexed as Annexure No.20 to the instant appeal).
26. That the appellant also denied allegations by means of letter dated 21.06.2024 specifically stating that the area over which the appellant was in possession of is not a reserve forest area and the Gata No.827 admeasured 313 Beegha whereas the land that vests in the forest department is only 305 Beeghas in the Gata No.827 Minjumla. (**Annexure no.21 to the instant appeal**).
27. That the impugned order has been passed in the most arbitrary and whimsical manner in utter violation of Principles of Natural Justice as he has acted to be the judge of his own cause. Further, the impugned order is also bad in the eyes of law as the same has been passed relying upon a preliminary report without completing the process of survey/inspection. The impugned order has also been passed placing reliance upon adverse / extraneous material

which was never served upon the appellant. The impugned order contrary to the settled principle of law has reversed the burden of proof requiring the appellant to produce evidence to prove the validity of its occupation over the property in dispute.

GROUND OF CHALLENGE

DIVISIONAL FOREST OFFICER HAS ACTED AS A JUDGE IN HIS OWN CASE

28. The Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest zone was the presiding member (**Annexure 1, Page 35 of the appeal and Annexure 22, Page 158 of the instant appeal**) of the committee constituted in furtherance of the order dated 02.02.2024. (**Annexure 19, Page 137 of the instant appeal**).
29. The Divisional Forest Officer has filed a report before the National Green Tribunal, Principal Bench Delhi on 10.04.2024 stating illegal construction on 7.79 hectares of reserved forest land and a mention of notice dated 01.04.2024 has also been made in the above mentioned order (**Annexure 19, Page 139 of the instant appeal**)
30. The Divisional Forest Officer, Mirzapur could not have issued any show cause notice under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 as he was the presiding member of the committee who had allegedly submitted a report which gave categorical findings of encroachment over the property in question.
31. It has been held in A.U. Kureshi Vs. High Court of Gujarat and another reported in (2009) 11 SCC 84 that it is an accepted principle of natural justice that a person should not be a judge of his or her own cause. A reasonable permutation of the latin maxim *nemo debet esse judex in propria sua causa* is that no judge should adjudicate a dispute which he or she has dealt with in

any capacity, other than a purely judicial one. The failure to adhere to this principle creates an apprehension of bias on the part of the said judge.

32. It has also been held in *Ashok Kumar Yadav Vs. State of Haryana* reported in (1985) 4 SCC 417 that the question is not whether the judge is actually biased or has infact decided partially but whether the circumstances are such as to create a reasonable apprehension in the mind of others that there is a likelihood of bias affecting the decision. If there is a reasonable likelihood of bias it is 'in accordance with natural justice and common sense that the judge likely to be so biased should be incapacitated from sitting'. The basic principles underlying this rule is that justice must not only be done but must also appear to be done.
33. Furthermore, the above ratio has been followed by the Hon'ble Supreme Court in *Mohd. Yunus Khan Vs. State of Uttar Pradesh and others* reported in (2010) 10 SCC 539 wherein it has been categorically held that the legal maxim *nemo debet esse judex in propria sua causa* is required to be observed by all judicial and quasi judicial authorities as non-observance of the principle is treated as a violation of the principles of natural justice. The existence of an element of bias renders the entire disciplinary proceedings as void which cannot be cured even at an appellate stage even if the fairness of the appellate authority is beyond dispute. The judgment further goes on to state that no person could be a Judge in his own cause and no witness could certify that his own testimony was true, anyone who had a personal stack in an enquiry must have kept himself aloof from the enquiry.
34. That from the perusal of the documents mentioned above, it is apparent that the Divisional Forest Officer had been the presiding member of the team constituted in furtherance of the order dated 02.02.2024 of the NGT, Delhi whose scope was to determine alleged encroachments of the appellant over the Gata No.827 Minjumla. **(Ground D).**

35. The Divisional Forest Officer has submitted a report to the NGT, Delhi as well as to the Chief Conservator of Forest giving categorical findings of encroachment by the appellant over 7.79 hectares of land in Gata No.827 Minjumla. **(Ground B).**
36. After giving such categorical findings against the appellant and issuance of the show cause notice by the Divisional Forest Officer on the basis of such findings, the Divisional Forest Officer becomes a Judge of its own findings and apparently falls within the parameters of bias as provided in the maxim *nemo debet esse judex in propria sua causa.***(Ground A).**

CONTENTION OF THE RESPONDENT

37. Any Divisional Forest Officer is competent to issue notice under section 61-B (1) of Indian Forest Act if he is of the opinion that any person is in unauthorized occupation of any land in areas constituted as reserved or protected forest under section 20 or section 29 of the Indian Forest Act, 1927.
38. The appeal filed by the appellant is liable to be dismissed because the appellant has carried out encroachments over 4 hectares of reserved forest land beyond 3.79 hectares of land.
39. The construction over the property is more than what has been portrayed in the map annexed to suit no.147 of 2017 which means constructions were carried out after passing of the order dated 02.11.2017.

REJOINDER

40. The case of the appellant is not that a Divisional Forest Officer does not have power to issue notice under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927.

Rather, the case of the appellant is that the incumbent Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone, Mirzapur was the presiding member of a committee which had furnished a report to the NGT, Delhi and the Chief Conservator of Forest. As such, the Divisional Forest Officer Mirzapur Forest Zone, Mirzapur could not have issued notice under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 as he then becomes a judge of his own findings and falls within the parameters of bias as provided in the maxim *nemo debet esse judex in propria sua causa*.

41. The Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone, Mirzapur while passing the impugned order has certified his own testimony (report) by which he has relied upon its own report, upheld the same and thereafter has passed an order against the appellant. Such a conduct is in violation of the maxim *nemo debet esse judex in propria sua causa*.
42. The Divisional Forest Officer was an authority who had personal stake in the enquiry made against the appellant as he was the presiding officer of the committee which made a report alleging encroachments over forest reserve land. In such a scenario, the Divisional Forest Officer must have kept himself aloof from the proceedings under section 61-B in order to nullify the aspect of bias in the instant proceedings.

THE SHOW CAUSE NOTICE HAS BEEN ISSUED WITH A PREMEDITATED MIND

43. The Divisional Forest Officer had issued a show cause notice dated 01.04.2024 under section 61-B (1) of the Indian Forest Act, 1927 with a premeditated mind and therefore, the entire proceedings arising out of the same were merely a formality as the Divisional Forest Officer had already determined that the appellant had encroached over 7.79 hectares of forest area.

44. The Divisional Forest Officer submitted an alleged report before the NGT, Delhi on 10.04.2024 making categorical averments that the appellant had carried out illegal constructions on 7.79 hectares of reserve forest land. **(Annexure 19, Page 139 of the instant appeal).**
45. The Divisional Forest Officer has addressed a letter to the Chief Conservator of Forest, Mirzapur Circle, Mirzapur which bears no date but makes a categorical averment that under his supervision a 4 member committee has furnished a report which has given a categorical finding that the appellant is under illegal possession of 7.79 hectares of reserved forest land. **(Annexure 22, Page 158 of the instant appeal).**
46. The show cause notice issued under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 has already given conclusions stating that the appellant was in illegal possession over 4 hectares of reserve forest land. The notice categorically mentions that the Divisional Forest Officer already has sufficient material to be satisfied that illegal constructions exist over 4 hectares of reserve forest land situated at Gata No.827 Minjumla. **(Annexure 17, Page 120 of the instant appeal).**
47. It has been categorically laid down by Hon'ble Supreme Court in Siemens Limited Vs. State of Maharashtra and others reported in (2006) 12 SCC 33 that once a show cause notice has been issued with premeditation any representation or reply to the same shall not yield any fruitful purpose as an authority has a tendency to uphold the same once a decision has already been made.
48. Similarly, in Oryx Fishiries Private Limited Vs. Union of India and others reported in (2010) 13 SCC 427 it has been categorically laid down that it is true that show cause notice cannot be read hypertechnically and the same is to be read reasonably. But one thing is clear that while reading a show cause

notice the person who is subject to it must get an impression that he will get an effective opportunity to revert the allegation contained in the show cause notice and prove his innocence. In case, upon reasonable reading a person of ordinary prudence gets the feeling that his reply to the show cause notice will be an empty formality and he would merely knock his head against the prejudged opinion, such a show cause notice does not fall within the parameters of fair procedure specially when the same has been issued by the quasi judicial authority under any statutory prescriptions which further promises to give the person proceeded against a reasonable opportunity of defense.

49. Furthermore, it has also been laid down that while issuing a chargesheet to a delinquent employee cannot confront him with definite conclusions and the same has to be restricted to mere charges.
50. From the reading of the show cause notice, it is apparent that the Divisional Forest Officer had already made up his mind and had reached to definite conclusions in respect of the alleged encroachments by the appellant over Gata no.827 Minjumla. Such premeditated conclusions are further strengthened by the perusal of the order dated 10.04.2024 of the NGT, Delhi and the undated letter addressed to the Chief Conservator of Forest by the Divisional Forest Officer which categorically mentions that the appellant was in illegal possession of 7.79 hectares of forest reserve land falling in Gata No.827 Minjumla.

CONTENTION OF THE RESPONDENT

51. The grounds raised by the appellant are in stark contrast to reality and made up and has no backing. From the perusal of the report given in the above mentioned paragraphs it is clear that the ground is liable to be rejected.

REJOINDER

52. The ground C raised by the appellant is in respect of show cause notice being issued with premeditated mind, the same can be supported from the perusal of the show cause notice issued under section 61-B, order dated 10.04.2024 issued by the NGT, Delhi and the undated letter sent by the Divisional Forest Officer to the Chief Conservator Officer, Mirzapur Circle, Mirzapur.

THE IMPUGNED ORDER HAS BEEN ISSUED WITHOUT CARRYING OUT A PROPER DETERMINATION AND IDENTIFICATION OF THE PROPERTY IN DISPUTE.

53. The appellant was served with a show cause notice under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927 wherein categorical averment has been made that the appellant is in illegal encroachment over 4 hectares of forest reserve land situated at Gata No.827 Minjumla.
54. The appellant was also served with a show cause notice under section 61-B dated 10.09.2020 which was in respect of encroachments over 3.79 hectare of forest reserve land situated at Gata No.827 minjumla.
55. The appellant had preferred a suit against the respondent bearing no.147 of 2017 seeking injunction from being evicted forcefully from the property in dispute i.e. 3.79 hectares of land. The same is pending consideration before the competent court and an interim order maintaining status quo is already operative.
56. The respondent in order to circumvent the proceedings and the order dated 11.11.2020 have again sent the show cause notice to the appellant in respect of 4 hectares of land. The impugned order has given a categorical finding that the appellant is in illegal occupation over 7.79 hectare of land falling within the forest reserve area situated at Gata No.827 Minjumla.

57. The appellant claim right over Gata No.291/2 admeasuring 3.79 hectare of land through a lease deed executed in favour of the appellant by one Saraswati Devi.
58. The case of the respondent is that Gata No.827 Minjumla is now renumbered as 291 and the entire Gata falls within the Forest reserve land whereas the case of the appellant is that Gata No.827 Minjumla that falls within the share of the forest department is only admeasuring 305 Beegha 11 Biswa whereas the entire Gata 827 is more than 305 Beegha and 11 Biswa.
59. The appellant further submits that the land upon which it has occupation falls within the area that has not been categorized as forest reserve land and is in occupation over Gata No.291/2 and not Gata No.291/1 which is the land of the forest department.
60. The original Gata No.827 (now 291) before the same had been bifurcated into forest reserve land and non-forest reserve land admeasured in the year 1983 comprised of 313 Beegha whereas the area which has been notified as forest reserve land only admeasures 305 Beegha and 11 Biswansi.
61. The appellant has never been served with the report of the committee by which it has been determined that the appellant was in illegal possession over 7.79 hectares of land. Furthermore, the only report the appellant is aware of which has been annexed as Annexure No.22, Page 159 nowhere makes a mention of any identification of the land or the manner in which such identification was done. The report is merely a preliminary report without any measurement or demarcation.
62. In absence of any identification of the alleged encroached land, the show cause notice and the impugned order are liable to be set aside for this ground alone as the same failed to firstly identify where the land exists, secondly failed to carry out demarcations as per procedure prescribed by law.

63. Not only does the survey report fail to show the exact measurements, location, boundaries of the lands in question, it also does not show any fixed points.
64. The main dispute between the appellant and the forest authorities is regarding the true identity and location of the property in dispute which has not been decided till date.
65. The Divisional Forest Officer could not have arrived at a finding that the property in dispute lies within forest reserve area in the absence of proper inspection/survey of the property in dispute and its adjoining land.
66. No demarcation proceedings were ever conducted by the respondents over the property in question either in presence of the appellant or in its absence thereby making it clear that the entire proceeding arising out of case no.04/2024 were merely to evict the appellant from a property over which the appellant has a legitimate claim.
67. The respondent failed to bring on record any document by means of which it could be proved that the appellant was allegedly in illegal possession / had carried out constructions over 7.79 hectares of land.
68. By means of the impugned order, the respondent have failed to discharge its burden of proving that the appellant had encroached 4 hectares of land over the property in dispute and rather have cursorily assumed that the appellant was encroaching upon forest reserve area merely because the appellant failed to provide any document to substantiate its claim over the alleged encroachment.

69. The impugned order dated 16.07.2024 erroneously reverses the burden of proof by requiring the appellant to produce evidence to prove the validity of its occupation over the property in dispute, instead of requiring the respondents to conduct a proper survey to establish that the appellant has encroached upon forest reserve area.
70. Neither the report submitted by the committee nor the show cause notice issued to the appellant under section 61-B of the Indian Forest Act, 1927, makes any reference to any survey/inspection which was mandatory for the purposes of identifying the exact location of the property in dispute.
71. From the perusal of the impugned order, it is clear that a direction has been issued to the appellant to handover possession of 4 hectares of land which allegedly is in possession of the appellant leaving aside the area i.e. 3.79 hectares which has been drawn through a map in the suit bearing no.147/2017, failing to provide specific demarcation in respect of the alleged encroachment.

CONTENTION OF THE RESPONDENT

72. The entire Gata No.827 falls under the reserve forest land as has been mentioned in the notification under section 20 of the Indian Forest Act, 1927. The appellant are in occupation / encroachment over parcel of land that vests with the forest department and is reserve forest land.
73. The appellant was required to give justification over the encroachment of 4 hectares of land which they have failed to do despite specific demand raised in the show cause notice dated 01.04.2024.
74. The measurement in respect of the illegal encroachment over 4 hectares of land is based upon the map annexed to suit no.147 of 2017, Local Commissioner's report, the lease deed and the survey report that was carried out alongwith Deputy Divisional Forest Officer.

REJOINDER

75. A perusal of the facts of the matter indicates that the issue involved in this case is that of identification of land. While the appellant contends that the disputed land is nothing but the 3.79 hectares which has been leased out to the appellant, the respondent contends that the appellant is in authorization occupation of more than the said area of 3.79 hectares. The appellant has also contended that this disputed parcel of land falls outside the 305 Beeghas which has been demarcated as forest land. The respondent contends otherwise, by relying upon certain inadmissible documents. As such it is clear that without proper identification and demarcation of the land in dispute, the adjudication of the disputes involved in the present matter cannot be carried out. Furthermore, any notice or proceeding initiated without carrying out identification and demarcation of the property in dispute in a legal manner would be wholly without any legal basis and jurisdiction. It is relevant to note that the jurisdiction of the forest authorities under the Indian Forest Act, 1927 is limited and restricted to lands which are identified and demarcated as forest land. In the present case, since the appellant has contended and filed an evidence to establish that the disputed property does not qualify as forest land, the authorities cannot legally proceed under the provisions of Indian Forest Act, 1927 without conclusively establishing that the disputed property is indeed forest land.
76. The Hon'ble Supreme Court as well as Hon'ble High Court at Allahabad have repeatedly held that in matters involving disputes regarding identification of property, it is essential to conduct a proper survey. Without conducting a survey, in the prescribed manner, any show cause notice or order passed by the forest authorities is liable to be set aside.
77. The Hon'ble Supreme Court of India in *Sripat Vs. Rajendra Prasad* has categorically held that the trial court should have got the property surveyed

when the disputes was regarding identification of the property. The said judgment of Hon'ble Supreme Court has been followed by the Hon'ble High Court at Allahabad in Hardwari Lal and others Vs. Dal Singh and others, 2012 SCC Online All 873.

78. At this stage, the appellant seeks to make reference to certain judgments of the Hon'ble High Court at Allahabad and Lucknow wherein the correct procedure for conducting a survey regarding identification of disputed property has been laid out. In the judgment passed in the case of Rishipal Singh Vs. State of Uttar Pradesh reported in (2022) SCC Online All 829, it has been held that a proper survey is required to be conducted in order to identify whether the piece of land is in authorized or unauthorized occupation. The said land is mandatorily required to be shown on a map in exact measurement. Any such map is required to be prepared in accordance with the regulations and principals governing surveys. The Hon'ble High Court has also held that such surveys are required to be conducted in the presence of the party which is being proceeded against. A copy of the report is also required to be provided to such a party, in order to comply with the principles of natural justice.
79. The same ratio has been repeatedly laid down by multiple judgments of the Hon'ble High Court by following the precedent laid down in the judgment of Rishipal Singh. Reference may be made to the judgments passed by the Hon'ble High Court in Ram Bihari Dwivedi vs. State of U.P. and Ors. Passed in Writ C Nos.39448 and 37953 of 2016 as well as in Bikau lal @ Bikau Vs. State of U.P. and others, passed in Writ C No.8108 of 2023.
80. In the present matter it is abundantly clear that the forest authorities in question have not conducted any proper and valid survey in order to determine the exact identity, location and area of the property in dispute. The inspection report dated 01.04.2024 itself mentions that the enquiry is still ongoing. Nowhere in the said report has any map or survey being even

referred to. It nearly makes a blanket statement to the effect that the appellant is in unauthorized occupation of 4 hectares of land, which is independent of the land which has been leased out to the appellant by Smt. Saraswati Devi. Notably, even this inspection report has been prepared in a totally unilateral without involvement of the appellant in any manner whatsoever. The said report is illegal in nature as it is devoid of any proper identification of land.

81. At the stage of arguments in the present matter, the forest authorities, for the first time, handed over an alleged map of the property in dispute, to the appellant. A mere perusal of the said alleged map of the disputed property, would show that the same is totally self serving in nature. The alleged map carries no proper boundaries and measurements. Nowhere has it been indicated either on the map and in the reply filed by the forest authorities as to when this map was prepared or the procedure followed for preparation of said map. The alleged map does not indicate the boundaries of the forest land, and is nothing but a screenshot taken from a mobile device. The very authenticity and genuineness of the alleged map is questionable in nature and same cannot be relied upon in any judicial or quasi judicial proceedings.
82. In any case, the alleged map has never been relied upon by the respondents in the show cause notice or in the impugned order. As such, the same cannot be relied upon in any manner in the process of adjudication of the present appeal.

THE RESPONDENT FAILED TO DISCHARGE THEIR BURDEN OF PROVING THAT THE APPELLANT WAS IN ILLEGAL OCCUPATION OF LAND

83. The impugned order was passed in furtherance of the show cause notice dated 01.04.2024 wherein specific allegation had been made against the appellant that it had illegal possession over 4 hectares of land situated at Gata No.827 Minjumla in Village Belkhara, Police Station Ahraura, Tehsil Chunar,

District Mirzapur. As per the settled law of evidence, the burden of proving that such encroachment exists lies upon the party alleging the fact i.e. the Divisional Forest Officer in the instant case. From the perusal of the impugned order, it is apparent that the respondent no.2 failed to bring on record any document by means of which it could be proved that the appellant was allegedly in illegal possession of the land.

84. The Divisional Forest Officer rather than proving has cursorily assumed that the appellant was encroaching upon forest reserve land merely because the appellant failed to provide any document to substantiate its claim over the alleged encroachment.
85. The burden of proving that an encroachment existed was upon the respondent no.2 which he failed to discharge and rather to concluded the proceedings in a haste manner has shifted his burden upon the appellant by merely stating that the appellant has failed to provide any document to substantiate its claim over 4 hectares of land.
86. It has been a settled law that when certain things are required to be done before any liability is attached to any person in respect of any right or obligation, it is for the person who alleges that liability has been occurred, to prove the things prescribed by the act have actually been done which means that the Divisional Forest Officer had proposed a liability to the appellant stating therein that the appellant was in illegal occupation of 4 hectares of land. It was incumbent upon the Divisional Forest Officer to prove the contents of show cause notice before issuing an order evicting the appellant from the land under its possession.
87. It is no doubt true that the burden of proof may not be of much consequence after both parties let an evidence but while appreciating the question of burden of proof, misplacing of burden of proof on a particular party and recording findings in a particular way will definitely vitiate the judgment. By

perusal of the impugned order, it is apparent that the Divisional Forest Officer has passed an eviction order merely because no document had been provided by the appellant whereas it is the case of the respondent that allegedly the appellant is in illegal occupation over a parcel of land and while imposing the allegation the respondent had utterly failed to discharge their burden and have eventually misplace burden of proof upon the appellant.

88. It is pertinent to mention that the appellant was only served with the show cause notice and was never served with any document based upon which the show cause notice has been sent despite there being specific demands in respect of the supply of documents.

CONTENTION OF THE RESPONDENT

89. The burden of proof lies upon the appellant to prove that it is not in illegal occupation over a parcel of land situated at Gata No.827 Minjumla.

REJOINDER

90. It is pertinent to mention that section 101 of the Indian Evidence Act specifically states that whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.
91. Similar to a case the person who desires any court to give judgment as to any legal right is the Divisional Forest Officer. He was bound to prove the existence of a fact that there existed illegal encroachment over the property in question. In order to prove the existence of the fact, the burden of proof lies upon him and not the appellant. It is only thereafter when the Divisional Forest Officer is able to prove and discharge its burden can the appellant be called upon to rebut the same.

92. In the present case, there is not even an iota of evidence which was on record at the time of issuance of the show cause notice, on the basis of which it could be established that the appellant was in unauthorized occupation of any parcel of forest land. As such, the respondents having failed to discharge their burden of proof, cannot allege that the appellant has to establish the legality of their occupation. Furthermore, first and foremost, it is the burden of the respondent authorities to establish that the proceedings in the present matter pertain to forest land. Since they have failed to conclusively establish the same, their jurisdiction to initiate the present proceedings are itself in question.

**THE IMPUGNED ORDER HAS BEEN PASSED RELYING UPON
EXTRANEIOUS MATERIAL NOT MENTIONED IN THE SHOW CAUSE
NOTICE**

93. The show cause notice issued to the appellant alleging that the appellant was in possession of a land that fell within the reserved forest area. It was mentioned that the appellant was in illegal occupation of 4 hectare of land situated at Gata No.827 Minjumla, Village Belkhera, Pargana Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur. The finding in respect of illegal possession of 4 hectares of land was based upon an alleged letter dated 01.04.2024 issued by the Regional Forest Officer, Chunar Range to the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Division, Mirzapur by means of which the authority had submitted a report and supporting documents showing the alleged illegal possession of the appellant.
94. The documents were never served upon the appellant despite specific demand.
95. That as per the impugned order, in compliance of the order dated 02.02.2024, a committee was constituted by the Chief Conservator of Forest, Mirzapur Circle to carry out spot/ documentary inspection of the property in question.

The committee consisted of 4 unnamed members under the chairmanship of the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone.

96. That as per the impugned order, according to the report submitted by the abovementioned committee the appellant was allegedly found to be in illegal possession over 7.79 hectare of land situated at Araji no. 827 minjumla.
97. The show cause notice nowhere either made a mention about any report that was made by the Divisional Forest Officer, Mirzapur Forest Zone or of any map that is alleged to be relied upon.
98. It has been held by the Hon'ble Supreme Court in *Kothari Filaments v. Commissioner of Customs* reported in (2009) 2 SCC 192 that a quasi-judicial body cannot pass orders on the basis of documents which were known only to them, copies whereof were not supplied to the noticee. The relevant extract is being provided below:-

“The Act does not prohibit application of the principles of natural justice. The Commissioner of Customs either could not have passed the order on the basis of the materials which were known only to them, copies whereof were not supplied or inspection thereto had not been given. He, thus, could not have adverted to the report of the overseas enquiries. A person charged with misdeclaration is entitled to know the ground on the basis whereof he would be penalised. He may have an answer to the charges or may not have. But there cannot be any doubt whatsoever that in law he is entitled to a proper hearing which would include supply of the documents. Only on knowing the contents of the documents, he could furnish an effective reply.”

THE SHOW CAUSE NOTICE ISSUED TO THE APPELLANT WAS A RUBBER STAMP NOTICE

99. The show cause notice under Section 61-B (1) has been prepared by the Regional Forest Officer himself, and not by the Divisional Forest Officer who

was the competent authority for the purposes of issuing a notice under this section.

100. The letter dated 01.04.2024 also clearly shows that the notice has been prepared by the Regional Forest Officer in the required format, and the same has been forwarded to the Divisional Forest Officer for further action on the same.

101. The Divisional Forest Officer has mechanically issued the show cause notice prepared by the Regional Forest Officer, without forming the requisite 'opinion' under Section 61-B of the Indian Forest Act, 1927, which is a mandatory requirement under the said section.

102. It is pertinent to mention that the Divisional Forest Officer had issued a show cause notice to the appellant on 10.09.2020 and the present showcase notice are verbatim identical leaving aside the area alleged to have been encroached.

103. It has been held in *Kranti Associates Private Ltd. and another v. Masood Ahmed Khan* reported in (2010) 9 SCC 496 that :-

"A pretence of reasons or 'rubber-stamp reasons' is not to be equated with a valid decision making process."

Mirzapur

Dated: 07.10.2024

Prashast Puri

Advocate

Counsel for the Appellant

Utkarsh Srivastava

Advocate